

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2009 का समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		VII
विहंगावलोकन		IX
अध्याय – 1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं	1.2	5
संग्रहण की लागत	1.3	6
बकाया राजस्व का विश्लेषण	1.4	7
निर्धारण का बकाया	1.5	8
कर अपवंचन	1.6	9
वापसियां	1.7	9
उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासकीय हितों की रक्षा कर पाने में विफलता	1.8	10
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.9	11
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	1.10	11
पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन	1.11	12
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	12
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.13	12
अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	13
वाणिज्यिक कर से मूल्य संवर्धित कर में परिवर्तन (समीक्षा)	2.2	14
अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.3	26
कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.4	26
कर की गलत दर लागू किया जाना	2.5	31

वृत्ति कर की वसूली न होना	2.6	36
गलत ढंग से कर मुक्त माने गए विक्रय पर कर का अनारोपण	2.7	36
प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.8	38
कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	2.9	39
कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती	2.10	42
डिस्काउंट के आधार पर गलत कटौती की छूट	2.11	44
वापसी की गलत स्वीकृति	2.12	44
कर की गणना में गलती	2.13	45
मुजराई की गलत स्वीकृति	2.14	46
गलत कटौती की अनुमति के कारण कर का कम आरोपण	2.15	47
प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण	2.16	49
मूल्य संवर्धित कर (वेट) का कम आरोपण	2.17	49
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अंतर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण	2.18	50
अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	57
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	3.2	58
निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	3.3.1	58
परिवहन की गई विदेशी मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	3.3.2	59
स्पिरिट के परिवहन की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	3.3.3	60
आरक्षित मूल्य का गलत निर्धारण	3.4	61
स्पिरिट/विदेशी मदिरा का निवर्तन न किए जाने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना	3.5	62

आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाना	3.6	64
विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन तथा निर्यात में अमान्य छीजन पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना/शास्ति का अनारोपण	3.7	65
मदिरा की दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना	3.8	66
गलत दरें लागू किए जाने के कारण पॉपी स्ट्रॉ (अफीम भूसी) पर परिवहन फीस का कम आरोपण	3.9	66
पुनर्आसवन में स्पिरिट की छीजन की गलत छूट	3.10	67
शीरे की हानि की गलत छूट	3.11	68
स्पिरिट/देशी मदिरा की अमान्य छीजन	3.12	69
विदेशी मदिरा के सामयिक निवर्तन में विफलता के कारण राजस्व की हानि	3.13	70
अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण शास्ति का अनारोपण	3.14	71
शासकीय देय राशियों की वसूली न होना	3.15	72
लाटरी पद्धति के तहत दुकानों के पुनर्विक्रय से हुई हानि की वसूली का प्रावधान न होना	3.16	73
नियमों के उल्लंघन के लिए आरोपित शास्ति की वसूली न होना	3.17	74
आधारभूत लायसेंस फीस की कम वसूली	3.18	75
वेयर हाउसों में देशी मदिरा की आपूर्ति में विफलता की स्थिति में शास्ति आरोपित न किया जाना	3.19	75
परिवहन/आयात शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	3.20	76
अध्याय – 4 : वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	79
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	4.2	80
अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	4.3	80
वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	4.3.1	80

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर की वसूली न होना एवं शास्ति का अनारोपण	4.3.2	82
निजी सेवा वाहनों से वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	4.3.3	82
मोटर वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण	4.3.4	83
वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	4.3.5	84
अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किए गए अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	4.3.6	84
बिना अनुमति वाहनों के समर्पित रहने से वाहन कर की वसूली न होना	4.3.7	85
अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	87
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	5.2	88
क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
लोक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर राजस्व की हानि	5.3	89
उप पंजीयकों द्वारा अग्रेषित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब	5.4	91
नियमों में विसंगति के कारण राजस्व की हानि	5.5	91
मुख्तारनामा संबंधी विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण	5.6	92
बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	5.7	93
पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण	5.8	94
विलेखों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण पर शास्ति का अनारोपण	5.9	94
शुल्क तथा फीस की प्रतिपूर्ति न होना	5.10	95
गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण	5.11	95
मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट	5.12	97

गृह निर्माण सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर राजस्व वसूल न होना	5.13	97
ख : मनोरंजन शुल्क		
केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना	5.14	98
नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का अनारोपण	5.15	99
विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना	5.16	100
सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण	5.17	100
ग : भू–राजस्व		
प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूल न किया जाना	5.18	102
प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान तथा अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना	5.19	103
व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का अनिर्धारण/कम प्राप्ति	5.20	103
वसूली प्रभार की वसूली न होना	5.21	107
नजूल भूमि के संबंध में प्रब्याजि तथा भू–भाटक की कम वसूली/वसूली न होना तथा भुगतान न की गई राशि पर ब्याज का अनारोपण	5.22	108
व्यपवर्तन लगान पर *पंचायत* उपकर का निर्धारण एवं आरोपण न किया जाना	5.23	109
नजूल भू–खण्डों के स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न किया जाना	5.24	109
अध्याय – 6 : वन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	111
मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियां (समीक्षा)	6.2	112
अध्याय – 7 : खनन प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	137
लेखापरीक्षा प्रेक्षण	7.2	138
ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना	7.3	138
अनियमित रूप से स्कंध कम करने के कारण राजस्व की वसूली न होना	7.4	139

पट्टेदारों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने पर शास्ति का अनारोपण	7.5	139
विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण	7.6	140
अनियमित रूप से अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी होने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति	7.7	141
संविदा राशि की कम वसूली	7.8	142
अनिवार्य किराये की कम वसूली/अवसूली	7.9	142
अवैध उत्खनन की शास्ति की वसूली न होना	7.10	143
अध्याय – 8 : अन्य कर – मिन्न प्राप्तियां		
लेखापरीक्षा के परिणाम	8.1	145
क : जल संसाधन विभाग		
जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण (समीक्षा)	8.2	146
ख : विद्युत शुल्क		
अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण	8.3	171
शास्ति का अनारोपण	8.4	171
विभाग की निष्क्रियता के कारण राजस्व की वसूली न होना	8.5	172

प्रस्तावना

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में राज्य के वाणिज्यिक कर/वेट, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2008–09 की अवधि के मध्य अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षों में दृष्टिगत हुए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित तीन समीक्षाओं सहित 81 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें 1,339.50 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है । कुछ मुख्य निष्कर्षो का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

विगत वर्ष में 30,688.73 करोड़ रूपये के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 33,577.21 करोड़ रूपये थीं । इस राशि का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (13,613.50 करोड़ रूपये) तथा कर–भिन्न राजस्व (3,342.86 करोड़ रूपये) के रूप में वसूल किया गया । शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (10,767.14 करोड़ रूपये) तथा सहायक अनुदान (16,620.85 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2008–09 के दौरान की गई नमूना जांच में 2,96,745 प्रकरणों में 2,342.15 करोड़ रूपये के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला ।

(कंडिका 1.13)

II. वाणिज्यिक कर

"मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर का मूल्य संवर्धित कर में परिवर्तन" की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए :

- विक्रय सूची उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम में प्रावधान के अभाव के कारण विक्रय का प्रति–सत्यापन नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.2.7.2)

- व्यवसाईयों द्वारा प्रतिभूति जमा करने हेतु वैधानिक प्रावधान की कमी के परिणामस्वरूप 2.18 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.2.7.5)

- 15.70 लाख रूपये की राशि के इनवेन्टरी रिबेट तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया ।

(कंडिका 2.2.11.1)

- फेब्रिक, शक्कर एवं तम्बाकू उत्पादों पर कर के अनारोपण के कारण 50.73 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 2.2.12)

कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप शास्ति सहित तीन करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.4)

कर की गलत दर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 2.57 करोड़ रूपये के कर तथा 6.61 लाख रूपये के ब्याज/शास्ति का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 2.5)

व्यवसाईयों का पंजीयन न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.89 करोड़ रूपये के व्यवसाय कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.6)

कर मुक्त विक्रयों की गलत कटौती के परिणामस्वरूप 1.80 करोड़ रूपये के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.7)

प्रवेश कर के अनारोपण/कम आरोपण के परिणामस्वरूप 33.99 लाख रूपये के ब्याज एवं शास्ति सहित 1.41 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.8)

कर मुक्ति की गलत छूट के परिणामस्वरूप 1.09 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.9)

कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रूपये के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.10)

अमान्य छूट की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 72.59 लाख रूपये के कर की प्राप्ति नहीं हुई।

(कंडिका 2.11)

वापसी की गलत स्वीकृति के परिणामस्वरूप 70.96 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 2.12)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

निर्धारित अवधि के भीतर विदेशी मदिरा/बीयर/स्पिरिट के निर्यात/परिवहन के सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति न होने के परिणामस्वरूप 13.47 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 3.3)

आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 3.03 करोड़ रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 3.4)

स्पिरिट तथा विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने के परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नही हुई ।

(कंडिका 3.5)

आसवकों द्वारा स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किए जाने के लिए 1.16 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गई ।

(कंडिका 3.6)

IV. वाहनों पर कर

4,851 वाहनों पर 7.46 करोड़ रूपये की शास्ति सहित 18.59 करोड़ रूपये के वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई ।

(कंडिका 4.3.1)

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर संचालित किए जा रहे 30 लोक सेवा वाहनों पर 47.22 लाख रूपये के वाहन कर तथा 25.65 लाख रूपये की शास्ति का भुगतान न तो ऑपरेटरों द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई ।

(कंडिका 4.3.2)

V. अन्य कर प्राप्तियां

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

विलेखों को उन पर आरोपणीय उचित शुल्क के निर्धारण हेतु लोक अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 5.95 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 5.3)

कलेक्टर को भेजे गए प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 4.85 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.4)

नियमों में विसंगतियों के कारण 3.71 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि ।

(कंडिका 5.5)

मुख्तारनामा की के विलेखों पर 2.05 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण ।

(कंडिका 5.6)

बाजार मूल्य के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण ।

(कंडिका 5.7)

मनोरंजन शुल्क

केबल संचालकों तथा होटल मालिकों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करने के परिणामस्वरूप 47.27 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.14)

केबल संचालकों पर नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति आरोपित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 15.60 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.15)

भू–राजस्व

51.14 करोड़ रूपये के मूल राशि पर तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय की वसूली में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 1.53 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.18)

विभाग द्वारा प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान एवं अर्थदण्ड की मांग सृजित नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप 1.27 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.19)

व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 1.45 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.20)

पंचायत राज निधि से वसूली प्रभारों की कटौती न किये जाने के परिणामस्वरूप 38.50 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 5.21)

VI. वन प्राप्तियां

"मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियां" की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए:

शीर्ष के अन्तगत वाणिज्यिक कर/वैट प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण, वन विभाग की प्राप्तियों को 270.67 करोड़ रूपये बढ़ाकर बताया गया ।

(कंडिका 6.2.6)

- कार्ययोजना को समय से तैयार किए जाने के परिवीक्षण हेतु किसी प्रणाली के अभाव के कारण 185.84 करोड़ रूपये का राजस्व आस्थगित रहा ।

(कंडिका 6.2.7.1)

- कूप अभिलेखों को समय से तैयार करने तथा उनके प्रस्तुतीकरण के परिवीक्षण हेतु किसी प्रणाली की कमी के परिणामस्वरूप 143.80 करोड़ रूपये के राजस्व का आस्थगन तथा प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 6.2.8.1)

- कार्ययोजना के अनुसार बांस का विदोहन न किए जाने के परिणामस्वरूप 11.06 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि/आस्थगन हुआ ।

(कंडिका 6.2.8.3)

- बोलियों की स्वीकृति के संप्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 9.38 करोड़ रूपये का राजस्व अवरूद्ध रहा ।

(कंडिका 6.2.9)

- शासकीय लेखे में राजस्व के प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 13.40 करोड़ रूपये के लेखांकन में विलम्ब हुआ ।

(कंडिका 6.2.10)

- अवैध रूप से पातित किए गए वृक्षों तथा जब्त माल के मूल्य का आकलन करने के लिए एक समान प्रक्रिया की कमी के परिणामस्वरूप 76 लाख रूपये की राजस्व हानि कम प्रतिवेदित की गई ।

(कंडिका 6.2.11.2)

- वनोंपज के अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में अत्याधिक भिन्नता के परिणामस्वरूप 4.80 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 6.2.12)

- अवरोध मूल्य से कम पर इमारती लकड़ी के विक्रय के परिणामस्वरूप 1.52 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 6.2.13)

VII. खनन प्राप्तियां

सड़क विकास कर के अनिर्धारण के परिणामस्वरूप 93.56 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.3)

कोयले के अभिलेखों में स्टॉक में अनियमित कमी के परिणामस्वरूप 2.76 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.4)

संविदा राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनारोपण के परिणामस्वरूप 1.98 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 7.6)

अस्थायी अनुज्ञापत्रों को अनियमित रूप से जारी किए जाने के कारण 1.88 करोड़ रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 7.7)

संविदा राशि की वसूली में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 1.53 करोड़ रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 7.8)

VIII. अन्य कर–भिन्न प्राप्तियां

जल संसाधन विभाग

"जल दरों का निर्धारण तथा संग्रहण" की समीक्षा में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए :

जल के आहरण के पूर्व अनुबंध के निष्पादन को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 586.64 करोड़ रूपये की जल दरों का भुगतान किए बिना जल आहरित किया गया ।

(कंडिका 8.2.7.2)

- सृजित सिंचाई क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 160.85 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 8.2.8)

- गलत जल दरें लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 24.29 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं/कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 8.2.11)

- जल के पांच उपभोगकर्ताओं द्वारा 2.21 करोड़ रूपये की सुरक्षा राशि जमा नहीं की गई ।

(कंडिका 8.2.13)

- समुन्नति अंशदान के अनारोपण के कारण 10.14 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 8.2.14)

विद्युत शुल्क

नियमों के उल्लंघन के लिए विद्युत संस्थापनाओं के स्वामियों पर शास्ति का अधिरोपण न किये जाने के परिणामस्वरूप 97.40 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 8.4)

विभाग की निष्क्रियता के कारण 83 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 8.5)

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2008–09 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान एवं सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	विवरण	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
I.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	7,772.97	9,114.70	10,473.13	12,017.64	13,613.50
	• कर–भिन्न राजस्व	4,461.86	2,208.20	2,658.46	2,738.18	3,342.86
	योग	**12,234.83**	**11,322.90**	**13,131.59**	**14,755.82**	**16,956.36**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	5,076.68	6,341.35	8,088.54	10,203.50	10,767.14[1]
	• सहायक अनुदान	2,431.74	2,932.54	4,474.15	5,729.41	5,853.71
	योग	**7,508.42**	**9,273.89**	**12,562.69**	**15,932.91**	**16,620.85**
III.	**राज्य की कुल प्राप्तियां**	**19,743.25**	**20,596.79**	**25,694.28**	**30,688.73**	**33,577.21**
IV.	**III से I का प्रतिशत**	**62**	**55**	**51**	**48**	**50**

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि पूर्ववर्ती वर्ष में 48 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों (33,577.21 करोड़ रूपये) का 50 प्रतिशत था। वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्तियों का शेष 50 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1 विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2008–09 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" का अवलोकन करें । शीर्ष " 0021 निगम कर से भिन्न आय पर कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान' में शामिल किया गया है ।

1.1.2 वर्ष 2004–05 से 2008–2009 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2007–08 की तुलना में 2008–09 में वृद्धि (+) / कमी (–) का प्रतिशत
1.	• विक्रय कर • केन्द्रीय विक्रय कर	3,912.01	4,508.42	5,261.41	6,045.07	6,842. 99	(+) 13.20
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,192.36	1,370.38	1,546.68	1,853.83	2,301. 95	(+) 24.17
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	788.71	1,009.48	1,251.10	1,531.54	1,479.29	(-) 3.41
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	468.07	578.58	744.60	916.44	1,332. 57	(+) 45.41
5.	वाहनों पर कर	488.65	556.02	634.30	702.62	772. 56	(+) 9. 95
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	707.18	842.27	714.55	626.08	343. 06	(-) 45.21
7.	भू–राजस्व	46.80	77.16	132.21	129.15	338. 84	(+) 162.36
8.	आय एवं व्यय पर अन्य कर वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	150.21	153.08	163.81	185.02	172. 29	(-) 6.88
9.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	14.28	14.15	19.55	20.10	20. 28	(+) 0. 90
10.	होटल प्राप्तियां	4.75	5.37	4.92	7.79	9. 67	(+) 24.13

11.	कृषि भूमि से अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर	(-) 0.05	(-) 0.21	--	--	--	--
योग		**7,772.97**	**9,114.70**	**10,473.13**	**12,017.64**	**1,3613. 50**	**(+) 13.28**

विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये :

विक्रय कर : मूल्यों में वृद्धि तथा विशेष वसूली अभियान को 13.20 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

राज्य उत्पाद शुल्क : नीलाम राशि में वृद्धि को 24.17 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

विद्युत पर कर एवं शुल्क : म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा वर्ष 2008–09 से संबंधित रू. 583.34 करोड़ का जमा न करना 45.21 प्रतिशत की कमी का कारण बताया गया । विभाग ने म.प्र. रा. वि.मं. पर बकाया के कारणों को स्पष्ट नहीं किया ।

होटल प्राप्तियां : नवीन होटलों को दी गई छूट की अवधि का समाप्त होना 24.13 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

अन्य विभागों से भिन्नता के कारण मांगे गए थे (अप्रैल 2009), लेकिन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009) ।

1.1.3 वर्ष 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**राजस्व शीर्ष**	**2004-05**	**2005-06**	**2006-07**	**2007-08**	**2008-09**	**2007–08 की तुलना में 2008–09 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत**
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	733.72	815.31	923.91	1,125.39	1,361.08	(+) 20. 94
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	559.11	490.40	536.50	608.89	685.60	(+) 12.60
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	79.61	21.30	736.58	374.60	380.17	(+) 1. 49
4.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	2,906.97	152.02	159.30	220.17	580.56	(+) 163.69
5.	ब्याज प्राप्तियां	25.90	527.20	132.73	206.98	163. 29	(-) 21.11

6.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	50.78	67.20	59.55	68.15	55.58	(-) 18.44
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	37.92	29.57	29.82	37.42	37.08	(-) 0. 91
8.	पुलिस	23.23	26.16	24.26	25.03	23.63	(-) 5.59
9.	लोक निर्माण	9.94	53.08	16.39	20.33	21.74	(+) 6. 94
10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	16.76	11.73	20.88	21.93	20.88	(-) 4.79
11.	सहकारिता	17.92	14.23	18.54	29.29	13.25	(-) 54.76
योग		**4,461.86**	**2,208.20**	**2,658.46**	**2,738.18**	**3,342.86**	**(+) 22.08**

विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये गये ·

<u>अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म :</u> कोयले पर राज्यांश का पुनरीक्षित होना तथा विभाग की सतत् निगरानी को 20.94 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

<u>वानिकी एवं वन्य जीवन :</u> लक्ष्य की तुलना में वनोपज की बिक्री में वृद्धि को 12.60 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

<u>सहकारिता :</u> सहकारी अधिनियम में किये गये प्रावधान के फलस्वरूप जिला सहकारी बैंक से अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति न होना 54.76 प्रतिशत की कमी का कारण बताया गया ।

<u>अन्य कर - भिन्न प्राप्तियां :</u> वर्ष 2008–09 के दौरान शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति शीर्ष (0202) के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति में हुई सारभूत वृद्धि 163.69 प्रतिशत की वृद्धि का कारण थी । इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष के 13.75 करोड़ रूपये के विरूद्ध वर्ष 2008–09 के दौरान राजस्व प्राप्ति 318,97 करोड़ रूपये थी ।

<u>विविध सामान्य सेवाए</u> इस शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006–07 के दौरान तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण बाहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत राज्य के ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के आधार पर 726.12 करोड रूपये का प्राप्त होना था ।

अन्य विभागों से भिन्नता के कारण मांग गए थे (अप्रैल 2009), लेकिन प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्टूबर 2009) ।

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं

कर एवं कर–भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षों में वर्ष 2008–09 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताएं नीचे दर्शाई गई हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिकता (+) या कमी (–)	बजट अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत
क.	**कर राजस्व**				
1.	विक्रय कर	6,720	6,842.99	(+) 122.99	(+)1.83
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2,150	2,301.95	(+) 151.95	(+) 7.07
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	1,700	1,479.29	(-) 220.71	(-) 12.98
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	900	343.06	(-) 556.94	(-) 61.88
ख.	**कर–भिन्न राजस्व**				
1.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,235	1,361.08	(+) 126.08	(+) 10.21
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	600	685.60	(+) 85.60	(+) 14.27
3.	सहकारिता	10	13.25	(+) 3.25	(+) 32.50

वर्ष 2008–09 के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण संबंधित विभागों द्वारा निम्नानुसार बताये गये :

विद्युत पर कर एवं शुल्क : विभाग ने बताया कि बजट अनुमान 900 करोड़ रूपये के विरूद्ध शीर्ष के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 926.39 करोड़ रूपये थीं । म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा 583.34 करोड़ रुपये की राशि जमा न करने के कारण वित्त लेखे (2008–09) में 343.06 करोड़ रूपये की राशि दर्शाई गई है। परन्तु विद्युत मंडल पर बकाया के कारणों को नहीं बताया गया ।

अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग : कोयले पर राज्यांश का पुनरीक्षित होना तथा विभाग की सतत् निगरानी को 10.21 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

वानिकी एवं वन्य जीवन : वनोपज की लक्ष्य से अधिक बिक्री को 14.27 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बताया गया ।

अन्य विभागों से भिन्नता के कारण मांगे गये थे (अप्रैल 2009); लेकिन प्राप्त नहीं हुये हैं (अक्टूबर 2009) ।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर संबंधित विभागों द्वारा बताया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2007–08 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2007–08 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1.	विक्रय कर	2006-07	5,261.41	48.20	0.92	0.83
		2007-08	6,045.07	60.36	1.00	
		2008-09	6,842.99	96.23	1.41	
2.	वाहनों पर कर	2006-07	634.30	6.41	1.01	2.58
		2007-08	702.62	7.60	1.08	
		2008-09	772.56	5.88	0.76	
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	2006-07	1,546.68	303.79	19.64	3.27
		2007-08	1,853.83	396.04	21.36	
		2008-09	2,301.95	505.46	21.96	
4.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2006-07	1,251.10	36.48	2.92	2.09
		2007-08	1,531.54	44.54	2.91	
		2008-09	1,479.29	41.72	2.82	

इस प्रकार विक्रय कर तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से मामूली अधिक था । इस पर तथा विक्रय कर के प्रतिशत में सतत वृद्धि पर शासन द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है । वाहनों पर करों के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कम था।

राज्य उत्पाद शुल्क के प्रकरण में, जहां आंकड़े राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से असामान्य रूप से अधिक हैं, **लेखापरीक्षा में देखा गया कि वित्त लेखे में 'वसूली प्रभारों' को दर्शाने वाला कोई पृथक शीर्ष नहीं था जैसा कि विक्रय/व्यापार पर कर, वाहनों पर कर आदि के प्रकरण में था** तथा व्यय हेतु बजट प्रावधानों से निर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत भी अन्य व्यय के साथ – साथ शीर्ष 2039–राज्य आबकारी के अंतर्गत लेखांकित की जा रही थी ।

शासन द्वारा विभाग की कार्य प्रणाली तथा निष्पादन के प्रभावी परिवीक्षण हेतु अन्य करों हेतु निर्धारित शीर्षो की तरह "वसूली प्रभार" के रूप में एक पृथक उपशीर्ष खोले जाने पर विचार किया जा सकता है । इससे शासन द्वारा राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के समरूप संग्रहण लागत की स्थिति की तुलना भी की जा सकेगी ।

1.4 बकाया राजस्व विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षो में 31 मार्च 2009 को बकाया राजस्व की राशि 765.45 करोड़ रुपये थी जिसमें से 533.03 करोड़ रुपये (परिवहन विभाग को छोड़कर) की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया थी :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2009 को बकाया राशि	31 मार्च 2009 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वाहनों पर कर	31.17	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	59.60	55.49
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	19.72	13.86
4.	विक्रय कर	546.04	424.29
5.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	12.19	12.19
6.	सहकारिता	9.23	5.51
7.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	87.50	21.69
योग		**765.45**	**533.03**

अनुरोध के बावजूद (अप्रैल 2009) अन्य विभागों के संबंध में वर्ष 2008–09 के अन्त में राजस्व के बकाया की स्थिति प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2009)। इसके अतिरिक्त, विभागों द्वारा यह भी उपलब्ध नहीं कराया गया कि बकाया राजस्व का संग्रहण किन स्तरों पर लंबित है (अक्टूबर 2009)।

1.5 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान प्रत्येक वर्ष से संबंधित विक्रय कर, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम		प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 4 से 5 का प्रतिशत
1		2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर विभाग							
विक्रय कर	2006-07	2,60,792	4,02,291	6,63,083	2,99,596	3,63,487	45.18
	2007-08	3,63,487	2,81,575	6,45,062	3,41,769	3,03,293	52.98
	2008-09	3,03,293	3,41,838	6,45,131	3,78,096	2,67,035	58.61
वृत्ति कर	2006-07	1,11,924	1,10,091	2,22,015	1,06,502	1,15,513	47.97
	2007-08	1,15,513	1,45,481	2,60,994	1,33,479	1,27,515	51.14
	2008-09	1,27,515	1,50,048	2,77,563	1,53,188	1,24,375	55.19
प्रवेश कर	2006-07	1,41,158	2,40,983	3,82,141	1,97,047	1,85,094	51.56
	2007-08	1,85,094	2,23,297	4,08,391	2,19,980	1,88,411	53.87
	2008-09	1,88,411	2,36,999	4,25,410	2,55,054	1,70,356	59.95
विलासिता कर	2006-07	590	819	1,409	711	698	50.46
	2007-08	698	1,007	1,705	1,007	698	59.06
	2008-09	698	1,330	2,028	1,364	664	67.26
निर्माण संविदाओं पर कर	2006-07	1,721	5,487	7,208	3,707	3,501	51.43
	2007-08	3,501	3,211	6,712	2,965	3,747	44.17
	2008-09	3,747	5,160	8,907	6,366	2,541	71.47

इस प्रकार विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2008–09 के दौरान कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में वृद्धि हुई है ।

1.6 कर अपवंचन

विक्रय कर, राज्य उत्पाद शुल्क तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस विभागों द्वारा प्रतिवेदित कर अपवंचन के विवरणों की जानकारी निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2008 को लंबित प्रकरण	2008–09 के दौरान पकड़े गए प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2009 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रु. में)	
1.	विक्रय कर	353	297	650	183	3.14	467
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	7	65	72	34	0.006	38
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	7,165	5,638	12,803	4,929	12.83	7,874

इस प्रकार तीनों मदों के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई।

1.7 वापसियां

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2008–09 के प्रारंभ में लंबित वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2008–09 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	राज्य उत्पाद शुल्क		विक्रय कर		मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित दावे	21	1.27	1,520	16.04	912	2.43
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	71	10.38	9,589	131.33	820	2.14
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	45	2.42	10,456	131.67	761	2.82
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	47	9.22	653	15.70	971	1.75

इस प्रकार वर्ष के अंत में राज्य उत्पाद शुल्क विभाग से संबंधित वापसी के प्रकरणों की संख्या एवं राशि में वृद्धि हुई ।

1.8 उत्तरदायित्व लागू करने एवं शासकीय हितों की रक्षा कर पाने में विफलता

महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा शासकीय विभागों के लेन देन की नमूना जांच तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन तथा अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं जिनमें निरीक्षण के दौरान संसूचित ऐसी अनियमितताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता है । इन्हें निरीक्षण किए गए कार्यालयों के प्रमुखों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए जारी किया जाता है तथा उच्च प्राधिकारियों को इनकी प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सन्निहित अभ्युक्तियों का अनुपालन कर कमियों तथा चूकों में त्वरित सुधार करने के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन के संबंध में महालेखाकार को प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को विभाग प्रमुखों तथा शासन को पृथक रूप से प्रतिवेदित किया जाता है । वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से संबंधित दिसम्बर 2008 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि 1997–98 से दिसम्बर 2008 के अंत तक 6,253 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 20,189 कंडिकाऐं लंबित थीं ।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण काफी संख्या में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों से यह इंगित होता है कि कार्यालय/विभाग प्रमुख निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं में सुधार करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने में विफल रहे । यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व की वसूली करने के लिए कार्रवाई कालातीत न हो, यह सिफारिश की जाती है कि शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का त्वरित तथा उपयुक्त प्रत्युत्तर दिया जाए, निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रारम्भ की जाए तथा एक समयबद्ध प्रक्रिया से हानि/लंबित मांगों की वसूली के लिए कार्रवाई की जाए ।

1.9 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को भेजा गया था । उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2009) । इन विभागों से संबंधित कंडिकाओं को विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है ।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) 18 मार्च 2009 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 2005–06 तक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा चर्चा की जा चुकी है तथा वर्ष 2006–07 के प्रतिवेदन पर भी आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है । विभिन्न वर्षो से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति की अनुशंसाएं प्राप्त हो चुकी हैं ।

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 1993–94 तथा आगामी वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित विभागों से अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि म.प्र. शासन संसदीय कार्य विभाग द्वारा नवम्बर 1994 में जारी अनुदेशों में निर्देशित किया गया है कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के दिनांक से छः माह के भीतर इन्हें जारी किया जाना चाहिए।

1.11 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

वर्ष 2003–04 तथा 2007–08 के मध्य विभागों/शासन ने 782.56 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 31 मार्च 2008 तक केवल 9.78 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	प्रतिवेदन की कुल राशि	स्वीकार की गई राशि	वसूल की गयी राशि
2003-04	125.53	26.26	0.29
2004-05	41.96	13.24	0.28
2005-06	85.85	32.56	2.42
2006-07	318.57	288.61	1.93
2007-08	623.43	421.89	4.86
योग	**1,195.34**	**782.56**	**9.78**

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

वर्ष 2008–09 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा समिति की 13 बैठकें हुईं जिनमें 300.32 करोड़ रुपये की राशि से अन्तर्निहित 326 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 1,956 कंडिकाएं निराकृत की गईं ।

1.13 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जांच में 2,96,745 प्रकरणों में 2,342.15 करोड़ रुपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । वर्ष के दौरान विभागों द्वारा 77,791 प्रकरणों में 804.20 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों को स्वीकार किया गया । वर्ष के दौरान विभिन्न वर्षो से संबंधित 1,426 प्रकरणों में 18.95 करोड़ रुपये की वसूली की गयी ।

इस प्रतिवेदन में 1,339.50 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव से अन्तर्निहित तीन समीक्षाओं सहित 81 कंड़िकायें सम्मिलित हैं। विभागों/शासन ने 112.89 करोड़ रुपये की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 3.11 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी थी । विभाग द्वारा स्वीकार न की गई अभ्युक्तियों के संबंध में, संबंधित कंड़िकाओं में ही विभाग की अस्वीकृति के कारणों को सम्मिलित किया गया है। इन्हें आगामी अध्याय II से VIII में वर्णित किया गया है ।

अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 1,234 प्रकरणों में अंतर्निहित 181.03 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से संबंधित प्रकरण दृष्टिगत हुए, जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	**मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर से मूल्य संवंर्धन कर में परिवर्तन (समीक्षा)**	01	2.88
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	484	109.25
3.	मुजराई/कटौत्रे/कर मुक्ति की गलत स्वीकृति	158	15.22
4.	कर की गलत दर का लागू किया जाना	206	11.62
5.	कर योग्य टर्नओवर का गलत निर्धारण	78	5.83
6.	अन्य अनियमिततायें	307	36.23
	योग	**1,234**	**181.03**

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने 497 प्रकरणों में अन्तर्निहित 39.97 करोड़ रूपये के कर अवनिर्धारण को स्वीकार किया। ये समस्त प्रकरण 2008–09 से संबंधित थे । विभाग द्वारा वर्ष के दौरान 14 प्रकरणों में 82 लाख रूपये की राशि वसूल की गई ।

"म.प्र. वाणिज्यिक कर से मूल्य संवंर्धन कर में परिवर्तन" की समीक्षा सहित कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 19.48 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

2.2 "मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर से मूल्य संवंर्धन कर में परिवर्तन" पर समीक्षा

प्रमुख अंश

- अधिनियम में विक्रय सूची प्रस्तुत करने संबंधी प्रावधान के अभाव के कारण विक्रय का प्रति सत्यापन नहीं किया जा सका ।

(कंडिका 2.2.7.2)

- व्यवसाइयों द्वारा प्रतिभूति प्रस्तुत करने हेतु वैधानिक प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप 2.18 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(कंडिका 2.2.7.5)

- इन्वेन्ट्री रिबेट तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि 15.70 लाख रूपये का गलत लाभ उठाया जाना ।

(कंडिका 2.2.11.1)

- फैब्रिक, शक्कर तथा तंबाकू उत्पादों पर कर के अनारोपण के कारण 50.73 लाख रूपये के राजस्व की हानि ।

(कंडिका 2.2.12)

2.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा गठित राज्य वित्त मंत्रियों की विशेषाधिकार समिति ने 23 जनवरी 2002 को सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अप्रैल 2003 से मूल्य वर्धित कर (वैट) लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। समिति द्वारा तैयार श्वेत पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निर्दिष्ट किया गया था कि

यह पुनर्विक्रय या उत्पादन में उपयोग हेतु विक्रय पर प्रदत्त कर के जमा के कारण क्रमागत प्रभाव को समाप्त करेगा ।

अन्य करों को समाप्त कर दिया जाएगा तथा समग्र कर भार को युक्तिसंगत बनाया जाएगा; समग्र कर बढ़ेगा तथा राजस्व में उच्चतर वृद्धि होगी; तथा

व्यवसाइयों द्वारा स्व–निर्धारण किया जाएगा तथा पूर्व खरीदों और इनपुट पर भुगतान किए गए कर की मुजराई दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को निरस्त करके मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम *(वेट अधिनियम)*, 2002 को अधिनियमित किया जो आवश्यक संशोधित प्रावधानों के साथ 1 अप्रैल 2006 से प्रभावशील है । नई व्यवस्था के अंतर्गत अधिनियम को प्रभावशील बनाने के लिये मध्य प्रदेश मूल्य संवंर्धन कर नियम, 2006 (नियम) बनाये गये हैं । निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत व्यवसायी का पंजीयन एम.पी. वेट एक्ट के अन्तर्गत उसी तरह बना रहेगा । प्रत्येक व्यवसाई, जिसका टर्नओवर अधिनियम के लागू होने से तुरन्त पहले 12 माह की अवधि में पांच लाख रूपये से अधिक होता

है, कर जमा करने के दायित्वाधीन होगा । इसके अतिरिक्त, आवधिक सर्वेक्षणों के द्वारा अपंजीयत व्यवसाईयों का पता लगाने का भी प्रावधान किया गया है । इसमें वाणिज्यिक कर पद्धति की तरह व्यवसाईयों के वैधानिक कर निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे व्यवसायी जिन्होंने निर्धारित समयावधि में विवरणियां प्रस्तुत कर दी हों, कर एवं ब्याज की राशि जमा कर दी हो, स्व निर्धारण के अंतर्गत माने जाएंगे। अधिनियम में टैक्स ऑडिट का प्रावधान है, जिसे कार्यवाही के संस्थापन से छः माह की अवधि में पूर्ण करना होगा । अवधि 2006–07 के प्रकरणों के कर निर्धारण के लिए विभाग द्वारा जून 2009 तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी।

"मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक कर से मूल्य संबंर्धित कर (वेट) में परिवर्तन" पर एक समीक्षा में अनेक कमियां प्रकाश में आयी जिनकी विवेचना आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं । आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग प्रमुख हैं । विभाग चार क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं । सभी क्षेत्र 13 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख उपायुक्त होता है । इन संभागीय कार्यालयों के अन्तर्गत 78 वृत्त कार्यालय हैं, जिनके प्रमुख सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी हैं ।

2.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि :

- वाणिज्यिक कर अधिनियम से वेट अधिनियम में परिवर्तन तथा कार्यान्वयन की योजना कुशलता पूर्वक एवं समय पर सम्पन्न की गई थी ।
- संगठनात्मक संरचना पर्याप्त तथा प्रभावी थी;
- वेट अधिनियम के प्रावधान और नियम पर्याप्त थे तथा उन्हें राजस्व की सुरक्षा के लिये उचित रूप मे लागू किया गया था; और
- राजस्व के क्षरण (लीकेज) को रोकने के लिए विभाग की आन्तरिक नियंत्रण व्यवस्था पर्याप्त एवं प्रभावी थी ।

2.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मई 2009 तथा सितम्बर 2009 के मध्य छः[1] वाणिज्यिक कर अधिकारियों/सहायक आयुक्तों के अभिलेखों तथा विवरणियों/कर निर्धारण प्रकरणों की नमूना जांच की गई । लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना विधि से किया गया था । इसके अतिरिक्त कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पांच में से तीन[2] संभागीय टैक्स आडिट कार्यालयों तथा पांच[3] वाणिज्यिक कर अधिकारियों/सहायक आयुक्तों के कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की गई थी।

2.2.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिये गये सहयोग को स्वीकार करता है । समीक्षा के निष्कर्षों को अगस्त 2009 में विभाग तथा शासन को भेजा गया था । विभाग/शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) । लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर चर्चा करने के लिये औपचारिक अनुरोधों (अगस्त 2009) के बावजूद विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन की व्यवस्था नहीं की गई ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2.6 वेट अधिनियम के पहले तथा बाद में कर संग्रहण

वेट अधिनियम के पहले (2003–04 से 2005–06) वाणिज्यिक कर संग्रहण एवं वेट अधिनियम के बाद (2006–07 से 2008–09) कर संग्रहण की तुलनात्मक स्थिति तथा प्रत्येक वर्ष में राजस्व वृद्धि दर को नीचे दर्शाया गया है :

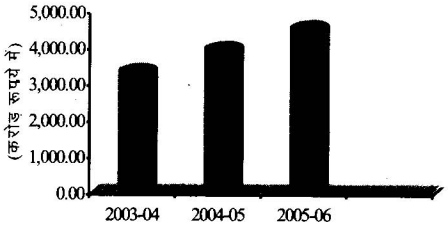
(करोड़ रूपये में)

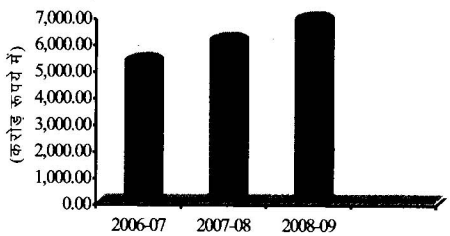
वेट अधिनियम के पहले			वेट अधिनियम के बाद		
वर्ष	वास्तविक संग्रहण	वृद्धि का प्रतिशत (पूर्व वर्ष की तुलना में)	वर्ष	वास्तविक संग्रहण	वृद्धि का प्रतिशत (पूर्व वर्ष की तुलना में)
2003-04	3,293.26	13.32	2006-07	5,261.41	16.70
2004-05	3,912.01	18.79	2007-08	6,045.07	14.89
2005-06	4,508.42	15.25	2008-09	6,842.96	13.19

1 वा.क.का. वृत्त – viii तथा ix इन्दौर, वृत्त–iv, ग्वालियर, सहा.आयु.इंदौर(2) तथा सहा. आयु. भोपाल

2 संभागीय कार्यालय (टैक्स ऑडिट), संभाग I एवं II इंदौर तथा ग्वालियर

3 वा.क.का. वृत्त–I,II,III ग्वालियर एवं सहा.आयु. ग्वालियर (2)





2.2.7 वेट अधिनियम एवं नियमों में कमियां

समीक्षा से *वेट अधिनियम* के प्रावधानों और नियमों में बहुत सी कमियां प्रकाश में आयीं । आगे कुछ महत्वपूर्ण कमियों की चर्चा की गई है ।

2.2.7.1 विवरणी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में वस्तु के नाम का उल्लेख करने हेतु प्रावधान न होने के कारण राजस्व की हानि

म.प्र. वेट नियम (अध्याय VI) के नियम 21,22 एवं 23 में व्यवस्था है कि प्रत्येक वेट पंजीयत व्यवसाई वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए प्रपत्र 10 में संबंधित वाणिज्यिक कर कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा । **प्रपत्र के भाग "ब" में वेट की गणना हेतु कर की दर का उल्लेख किया जाता है लेकिन कर की दर के सामने वस्तु के नाम का उल्लेख करने का प्रावधान नहीं है । वस्तु के नाम के अभाव में कर की दर का सत्यापन नहीं हो सकता है ।** विगत वाणिज्यिक कर अधिनियम में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में वस्तु का नाम तथा कोड संख्या का उल्लेख रहता था । चूंकि वेट अधिनियम में अधिकांश प्रकरण स्व कर निर्धारण के अन्तर्गत निर्धारित होंगे, अतः यह समझ से परे है कि ऐसे मूलभूत विवरणों के अभाव में विभाग द्वारा विवरणियों की जांच किस तरह नियोजित की गई है ।

वाणिज्यिक कर कार्यालय, वृत्त -VIII, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि कर निर्धारण आदेश में 13.51 लाखें रूपये मूल्य के मोटर पार्ट्स का विक्रय 12.50 प्रतिशत के स्थान पर चार प्रतिशत की दर से किया जाना दर्शाया गया है । इससे 1.14 लाख रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई थी।

इसको इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया (मई 2009) कि व्यवसायी के स्टॉक में 'वियरिंग' थी जिसे चार प्रतिशत की कर दर से बेचा गया था । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि विक्रय वियरिंग का किया गया था, इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था । यदि प्रपत्र–10 में वस्तु के नाम का उल्लेख करने का प्रावधान होता तो उक्त स्थिति से बचा जा सकता था ।

शासन द्वारा राजस्व के हित में वस्तु का नाम तथा इसकी कोड संख्या को सम्मिलित करने के लिए त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप में संशोधन किए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

2.2.7.2 वेट अधिनियम में विक्रय सूची प्रस्तुत करने का प्रावधान न होने के कारण विक्रय का परस्पर सत्यापन न होना

प्रपत्र 10 (विवरणी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित) के भाग–जे में अनुसूची II में निर्दिष्ट वस्तुओं हेतु तिमाही में 25,000 रूपये से अधिक की खरीदी की व्यापारीवार सूची प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । **वेट अधिनियम/नियमों में विक्रय सूची प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है, जिसके अभाव में विभाग द्वारा विक्रयों का परस्पर सत्यापन नहीं किया जा सका था ।** वाणिज्यिक कर प्रणाली में आयुक्त के परिपत्र (नवम्बर 1997) के अनुसार 20,000 रूपये से अधिक के क्रय तथा विक्रय की सूचियां विवरणियों के साथ प्रस्तुत करनी होती थी, जिससे परस्पर सत्यापन में सुविधा होती थी ।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

व्यवसाई के लेन–देन के उचित परस्पर सत्यापन के लिए प्रपत्र 10 के साथ विक्रय सूची प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाए जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जाना चाहिए । इसके अलावा 25,000 रूपये से अधिक के विक्रय हेतु चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यवसाईयों को अनुदेश जारी किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है ।

2.2.7.3 अधिनियम/नियम में अपंजीयत व्यवसाई से क्रय को शामिल करने के प्रावधान का अभाव

वेट अधिनियम की धारा 11 के अनुसार कोई पंजीयत व्यवसाई, जो अनुसूची II एवं/अथवा अनुसूची I में उल्लिखित वस्तुओं को राज्य के ऐसे ही किसी दूसरे व्यवसाई से धारा 9 के अन्तर्गत देय कर के भुगतान उपरांत क्रय करता है तथा जिसका एक वर्ष में टर्नओवर 50 लाख रूपये से अधिक न हो, निर्धारित प्रपत्र में कर के स्थान पर एक मुश्त चार प्रतिशत की अनधिक दर से भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है । **हालांकि, इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित त्रैमासिक विवरणी (प्रपत्र 5) में क्रय कर के आरोपण हेतु अपंजीयत व्यवसाइयों से किये गये क्रय को जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है ।**

अपंजीयत व्यवसाईयों से की गई खरीदों का विवरण उपलब्ध कराने वाली विवरणी के प्रारूप को भी संशोधित किए जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

2.2.7.4 निर्यात के मामले में प्रति सत्यापन की पद्धति न होने के कारण राजस्व की हानि

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत एच फार्म के द्वारा माल का निर्यात किया जाता है । जबकि, राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से बिल ऑफ लैडिंग में दिये गये विवरणों के प्रति सत्यापन के लिए *वेट अधिनियम* में कोई प्रावधान नहीं है ।

वाणिज्यिक कर कार्यालय वृत्त–VIII, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 1.13 करोड़ रूपये के मोटर पार्ट्स निर्यात किये गये थे तथा दावे के समर्थन में एच फार्म प्रस्तुत

किया गया था। परीक्षण में पाया गया कि न तो कस्टम निकासी संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था और न ही अनुबन्ध की प्रति प्रस्तुत की गई थी । बिल ऑफ लैडिंग में माल पाने वाले व्यवसायी का नाम भी अंकित नहीं था । इसके परिणामस्वरूप 12.5 प्रतिशत की दर से 14.09 लाख रूपये कर का अनारोपण हुआ ।

यह इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मई 2009) कि प्रकरण में एच फार्म, बिल ऑफ लैडिंग तथा विक्रय बीजक प्रस्तुत किये गये थे । उन्होंने आगे बताया कि अनुबन्ध टेलीफोन पर किया गया था तथा निर्यात अभिकर्ता के माध्यम से किया गया था, इसलिए कस्टम निकासी प्रमाण--पत्र आवश्यक नहीं था । उत्तर यह रेखांकित करता है कि राजस्व हित में निर्यात के प्रकरणों में और जांचों को निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

2.2.7.5 व्यवसाइयों द्वारा प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु वैधानिक प्रावधान की कमी

वेट अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 12(ए) के अनुसार आयुक्त (वाणिज्यिक कर) पंजीयत व्यवसाई से कर की समुचित वसूली के लिए समय--समय पर प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्धारित उचित प्रतिभूति की मांग कर सकता है । नियम 20 में निर्धारित है कि प्रतिभूति की राशि उस व्यवसाई द्वारा पूर्व वर्ष की किसी तिमाही में देय अधिकतम कर की राशि परन्तु अधिकतम एक लाख रूपये होगी, अथवा पूर्व वर्ष नहीं होने की स्थिति में उक्त राशि 10,000 रूपये होगी । **ये प्रावधान बाध्यकारी नहीं है । राजस्व की हानि को रोकने के लिए प्रकरण दर प्रकरण व्यवसाइयों का विशलेषण करते हुए राजस्व के रिसाव के दायरे और निर्धारित प्रतिभूति की वसूली निश्चित की जानी चाहिए । लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राजस्व हित में प्रतिभूति जमा की वसूली के लिए व्यवसाइयों का विश्लेषण करने की कोई पद्धति अस्तित्व में नहीं थी।**

अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों (वृत्त VIII एवं IX, इंदौर) में विवरणियों के अप्रस्तुत रहने के कारण 2,176 व्यवसाइयों के पंजीयन निरस्त किये गये । पुनश्च यह पाया गया कि यद्यपि विवरणियों के अप्रस्तुत रहने के कारण पंजीयन तो निरस्त कर दिये गये थे परन्तु अभिलेखों में ऐसे तथ्य उपलब्ध नहीं थे जिससे यह प्रकट हो कि व्यवसाइयों पर बकाया राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए कोई कर निर्धारण किया गया था । यदि प्रतिभूति का प्रावधान बाध्यकारी होता तो विभाग चूककर्ता व्यवसाईयों से कम से कम 2.18 करोड़ रूपये वसूल कर सकता था ।

इसे इंगित किए जाने पर वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बताया (मई 2009) कि प्रतिभूति जमा करने संबंधी प्रावधान अनिवार्य नहीं है ।

व्यवसाइयों के लेन--देन के परिमाण के आधार पर सभी व्यवसाईयों से प्रतिभूति जमा वसूल करने को अनिवार्य बनाए जाने पर शासन विचार कर सकता है ।

2.2.7.6 वेट अधिनियम तथा नियमों के मध्य विसंगति

वेट अधिनियम की धारा 57 {उपधारा (8) तथा (10)} के अन्तर्गत, चेक पोस्ट अधिकारी को अधिनियम की उपधारा (2) का उल्लंधन करने के मामले में ट्रांसपोर्टर पर शास्ति आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है । उपधारा (12) में यह भी उल्लेख है कि यदि आदेश प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर शास्ति जमा नहीं की जाती है, तो चेक पोस्ट अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत माल बेचने की कार्रवाई कर सकता है । परन्तु नियम 74(4) में व्यवस्था है कि अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (8) तथा (10) के अन्तर्गत यदि शास्ति की राशि आदेश प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो चेक पोस्ट अधिकारी ट्रांसपोर्टर को 'कारण बताओ' नोटिस भेजेगा कि क्यों न माल अथवा वाहन का विक्रय कर दिया जाये । **ऐसी विसंगति को सुधारने की आवश्यकता है** ।

2.2.8 अन्य कमियां

2.2.8.1 व्यवसाइयों के पंजीयन का डाटाबेस

विभागीय परिपत्र दिनांक 9 जनवरी 2007 के अनुसार, सभी व्यवसाइयों का डाटाबेस फोटो पहचान, बैंक खाते का विवरण आदि शामिल कर 20 जनवरी 2007 तक पूर्ण किया जाना था । छः[4] वाणिज्यिक कर कार्यालयों से संग्रहीत जानकारी से पता चला कि 17,005 प्रकरणों में से केवल 7,981 प्रकरणों (46.93 प्रतिशत) का डाटाबेस मई 2009 तक पूर्ण किया गया था ।

2.2.8.2 अपूर्ण कर निर्धारण

वेट अधिनियम की धारा 20(7) में प्रावधान है कि किसी व्यवसाई का कर निर्धारण, जिस अवधि का कर निर्धारण होना है, उसकी समाप्ति से एक कलैण्डर वर्ष की अवधि के भीतर हो जाना चाहिए ।

छः[5] वाणिज्यिक कर कार्यालयों तथा चार[6] सहायक आयुक्तों से संग्रहीत जानकारी से पता चला कि अवधि 2006–07 के 29,280 प्रकरणों मे से केवल 12,620 प्रकरणों (43.11 प्रतिशत) का कर निर्धारण दिसम्बर 2008 तक पूर्ण किया गया था । यह अवधि पहले मार्च 2009 तक तथा बाद में जून 2009 तक बढ़ाई गई थी । यह पाया गया कि मार्च 2009 को 12,345 प्रकरण कर निर्धारण के लिए शेष थे ।

4 वा.क.कार्या., वृत्त–I,II,III तथा IV ग्वालियर तथा वा.क.कार्या. वृत्त–VIII तथा IX, इंदौर

5 वा.क.कार्या., वृत्त–I,II,III तथा IV, ग्वालियर तथा वा.क.कार्या. वृत्त–VIII तथा IX, इंदौर

6 सहा.आयुक्त, वा.क., ग्वालियर(2), सहा.आयुक्त वा.क., इंदौर (2)

2.2.8.3 व्यवसाइयों का सर्वेक्षण तथा पंजीयन

वेट अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि ऐसा प्रत्येक व्यवसाई जिसका सकल टर्नओवर क्रमागत 12 महीनों की किसी सतत अवधि में पांच लाख रूपये की कर योग्य सीमा से अधिक होता है, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता के दायित्वाधीन होगा । पुनश्च, *वेट अधिनियम* की धारा 17 में प्रावधान है कि कोई भी व्यवसाई, जिस पर धारा 5 के अन्तर्गत कर भुगतान करने की देयता आती है, *वेट अधिनियम* के अंतर्गत पंजीयत हुए बिना तथा पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर एक व्यवसाई के रूप में व्यापार नहीं कर सकता । *वेट अधिनियम* की धारा 56 में अपंजीयत व्यवसाइयों की खोज करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण का भी प्रावधान है।

कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा पांच वृत्त कार्यालयों[7] से संग्रहीत जानकारी से पता चला कि *वेट अधिनियम* लागू होने के तीन वर्ष बाद भी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था । इसके अलावा अपंजीयत व्यवसाइयों की खोज के अतिरिक्त सर्वेक्षण से ऐसे व्यवसाइयों की भी पहचान करना सुगम हो जाता जिनके पंजीयन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए थे ।

शासन द्वारा राजस्व के हित में अपंजीयत व्यवसाइयों को खोजने के लिये आवधिक सर्वेक्षण को अनिवार्य बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

2.2.8.4 विवरणियों को प्रस्तुत न करना

वेट अधिनियम की धारा 18(1)(ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यवसाई निर्धारित प्रारूप में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समयावधि के लिए, निर्धारित तिथियों तक निर्धारित प्राधिकारी को विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों[8] के अभिलेखों की नमूना जांच तथा दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों[9] से संग्रहीत जानकारी से पता चला कि अवधि 2006–07 में 11,959 विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए शेष थी, जिसमें से 3,329 विवरणियां (27.84 प्रतिशत) व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी । इसी प्रकार अवधि 2007–08 में 10,775 विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए शेष थी, जिनमें से 2,747 विवरणियां (25.49 प्रतिशत) व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थीं । यद्यपि दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों द्वारा कार्रवाई की गई थी, पर अन्य दो वाणिजियक कर कार्यालयों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ।

वेट की सफलता के लिए विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः निर्धारित समयावधि में विवरणियों के अप्रस्तुत रहने पर सख्त दाण्डिक उपायों की व्यवस्था किए जाने पर शासन विचार कर सकता है ।

7 वा.क.कार्या. वृत्त–I,II,III तथा IV, ग्वालियर तथा वा.क.कार्या. वृत्त– IX, इंदौर

8 वा.क. कार्या. वृत्त VIII तथा IX, इंदौर

9 वा.क. कार्या. वृत्त I तथा II, ग्वालियर

2.2.9 वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना

वेट अधिनियम की धारा 39 तथा नियम 54 एवं उसके अधीन् बनाए गए नियमों के अन्तर्गत, जिस व्यवसाई का टर्नओवर एक वर्ष में 40 लाख रूपये से अधिक है, उसे अगले वर्ष की 31 अक्टूबर से पूर्व वाणिज्यिक कर अधिकारी को ऑडिट रिपोर्ट प्ररतुत करनी होगी जिसमें विफल रहने पर वह स्व कर निर्धारण का पात्र नहीं होगा । **परन्तु इस विफलता के लिए वैधानिक दण्ड का प्रावधान नहीं है** । इसके अतिरिक्त, नियम 54 में व्यवस्था है कि व्यवसाई द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में किये गये व्यवसाय से संबंधित पृथक विवरण आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाएंगे। **परन्तु इन विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए अलग से कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है और न ही यह स्पष्ट है कि किस प्रकार के पृथक विवरण प्रस्तुत किए जाने होंगे** ।

छः मे से चार वृत्त कार्यालयों से संग्रहीत जानकारी से प्रगट हुआ कि अवधि 2006–07 में 5,298 प्रकरणों में से 771 प्रकरणों में और अवधि 2007–08 में 5,075 प्रकरणों में से 883 प्रकरणों में वार्षिक लेखे प्राप्त हुये थे । वार्षिक लेखाओं की प्राप्ति का प्रतिशत क्रमशः 14.55 तथा 17.40 था । **इससे स्पष्ट है कि वार्षिक लेखाओं के प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी**। दो वृत्त कार्यालयों द्वारा जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

चूंकि कर–अपवंचन रोकने के लिये लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र नियामक तत्व है, अतः विवरणियों के अलावा वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अप्रस्तुत रहने पर शासन को दाण्डिक उपाय निर्धारित करने हेतु विचार करना चाहिये ।

2.2.10 टैक्स आडिट

वेट अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अभिकर्ता व्यवसाई को पूर्व सूचना के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टैक्स आडिट प्रारंभ करेगा तथा टैक्स आडिट सामान्यतः व्यवसाई के कार्यालय, व्यवसाय परिसर या गोदाम में जा कर किया जायेगा । आडिट संस्थापन के दिनांक से छः कलैण्डर माह में पूर्ण किया जायेगा । टैक्स आडिट के बाद, यदि व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत विवरणी या विवरणियां सहीं नहीं पाई जाती हैं तो आयुक्त निर्धारित प्रपत्र में उस व्यवसाई को कर एवं/अथवा ब्याज की राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी करेगा । यदि व्यवसाई सूचना पत्र की मांग को पूरा नहीं करता है तो आयुक्त *वेट अधिनियम* के प्रावधानों के अनुरूप उस व्यवसाई पर आरोपणीय कर और ब्याज एवं/अथवा शास्ति का आरोपण करने हेतु उसका निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा । तद्नुसार अगस्त 2008 से टैक्स आडिट के संचालन हेतु पांच उपायुक्त (टैक्स आडिट) की पदस्थापना की गई थी ।

दो[10] उपायुक्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2006–07 में 663 इकाईयां टैक्स आडिट के लिए चयनित की गई थीं, जबकि मात्र 288 इकाईयों (कमी 56.56 प्रतिशत) का टैक्स आडिट पूर्ण किया गया । एक उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग कार्यालय में टैक्स आडिट के लिए 241 इकाइयों का चयन किया गया था लेकिन जानकारी उपलब्ध न होने के कारण कमी से संबंधित स्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी । इसी प्रकार अवधि 2007–08 में एक उपायुक्त कार्यालय तथा उपायुक्त, टैक्स ऑडिट विंग के दो कार्यालयों से संग्रहीत जानकारी से पता चला कि टैक्स आडिट हेतु 645 इकाइयों का चयन किया गया था, जिसमें से केवल 200 इकाईयों का टैक्स ऑडिट पूर्ण किया गया (69 प्रतिशत की कमी) । विभाग द्वारा प्रभावी निवारण हेतु शेष टैक्स ऑडिट को प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है ।

2.2.11 इनपुट टैक्स क्रेडिट

2.2.11.1 इन्वेन्टरी रिबेट तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ

वेट अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत पंजीयत व्यवसाई को कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता है ।

दो[11] वाणिज्यिक कर कार्यालयों तथा एक[12] क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2006–07 से संबंधित मार्च 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य कर निर्धारित आठ प्रकरणों मे कर मुक्त माल के निर्माण में उपयोग करने पर अथवा बिना क्रय सूची या बिना अलग कर दिखाये हुए, 15.70 लाख रूपये का इनपुट टैक्स रिबेट का गलत लाभ लिया गया था । इसे इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि पांच प्रकरणों में परीक्षण पश्चात कार्रवाई की जायेगी । एक प्रकरण मे बताया गया कि क्रय सूची संलग्न थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सूची सत्यापित नहीं थी । दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सूची संलग्न कर दी गई थी जिसमें कर अलग से दिखाया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सूची लेखापरीक्षा के समय फाइल में संलग्न नहीं पायी गयी थी ।

2.2.11.2 *वेट अधिनियम* की धारा 14(1) के अन्तर्गत कोई पंजीयत व्यवसाई उपधारा 5 के प्रावधानों तथा शर्तों एवं उपबंधों के अधीन इनपुट टैक्स रिबेट का दावा कर सकेगा अथवा उसे छूट दी जा सकेगी । पुनश्च, धारा 14(6)(vi) में प्रावधान है कि धारा 11 एवं 11(ए) के अन्तर्गत कम्पोजीशन की सुविधा का विकल्प प्राप्त करने वाले पंजीयत व्यवसायी को उप धारा (1) के अन्तर्गत इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं होगी ।

10 संभागीय कार्यालय (टैक्स आडिट), इंदौर(2)

11 वा.क. कार्या. वृत्त VIII तथा IX, इंदौर

12 सहा.आयु. वा.क., इंदौर

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2006–07 से संबंधित जुलाई 2008 में कर निर्धारित एक निर्माण ठेकेदार द्वारा 2.68 लाख रूपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था, जबकि ठेकेदार द्वारा धारा 11(ए) के अन्तर्गत कम्पोजीशन सुविधा के विकल्प का लाभ लिया गया था ।

इसे इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2009) कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उस राशि पर दिया गया था जिस पर कम्पोजीशन सुविधा का लाभ नहीं लिया गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम में आंशिक इनपुट टैक्स क्रेडिट देने का प्रावधान नहीं है ।

अन्य प्रकरण

2.2.12 फैब्रिक, शक्कर और तम्बाकू उत्पादों पर कर के अनारोपण के कारण राजस्व की हानि

वेट अधिनियम की अनुसूची I की प्रविष्टि क्रमांक 48,49 एवं 50 के अनुसार फैब्रिक, शक्कर तथा तम्बाकू उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद एवं टैरिफ अधिनियम, 1985 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क आरोपित अथवा आरोपणीय होने से वे करमुक्त वस्तुएं हैं । अन्य स्थिति में ऐसी वस्तुओं पर *वेट अधिनियम* की अनुसूची II के भाग II की प्रविष्टि क्रमांक 34, 84, तथा 87 के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर देय है । भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक–11/2006–सी.ई. दिनांक 1 मार्च 2006 के द्वारा फैब्रिक, शक्कर एवं तम्बाकू उत्पादों पर देय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की तत्काल प्रभाव से छूट प्रदान की गई है । इसलिए ये वस्तुएं चार प्रतिशत की दर से कर योग्य थीं ।

दो[13] वृत्त कार्यालयों एवं एक[14] क्षेत्रीय कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रगट हुआ कि मार्च तथा सितम्बर 2008 के मध्य अवधि 2006–07 एवं 2007–08 के लिये कर निर्धारित/लेखापरीक्षित छः व्यवसाइयों के छः प्रकरणों में उक्त उत्पादों को कर मुक्त मानकर 50.73 लाख रूपये का कर आरोपित नहीं किया गया था, जो अनियमित था ।

इसे इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मई 2009) कि कार्रवाई की जायेगी जबकि अन्य प्रकरणों मे यह कहा गया कि कथित अधिसूचना जारी होने के बाद भी इस पर प्रभाव नहीं पडेगा तथा चार प्रकरणों में यह बताया गया (मई 2009) कि विक्रय बिलों मे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभारित किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार की मार्च 2006 की अधिसूचना से इन वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट होने के कारण इन पर चार प्रतिशत से कर देयता है । इसके अतिरिक्त विक्रय बिलों पर उत्पाद शुल्क प्रभारित करने का कोई साक्ष्य नहीं था । **इसके अतिरिक्त वेट पर जारी *श्वेत पत्र***

13 वा.क. कार्या. वृत्त VIII एवं IX इंदौर

14 सहायक आयुक्त, सम्भाग III, इंदौर

(17 जनवरी 2005) की कंडिका 2.19 एवं प्राधिकृत समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार फैब्रिक, शक्कर एवं तम्बाकू उत्पादों पर कुछ संगठनात्मक कठिनाइयों के कारण एक वर्ष तक वेट लागू नहीं किया जायेगा तथा एक वर्ष के बाद स्थिति की समीक्षा की जायेगी । यह पाया गया कि स्थिति की समीक्षा अब तक नहीं की गई है ।

2.2.13 निष्कर्ष

समीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा वेट के कार्यान्वयन संबंधी तैयारियां अपूर्ण थीं । व्यवसाइयों के पंजीयन तथा सर्वेक्षण और टैक्स आडिट में कमी होना पायी गयी, वहीं कर निर्धारण एवं व्यवसाइयों द्वारा वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने का कार्य अधूरा पाया गया । *वेट अधिनियम/* नियमों में कुछ कमियां थीं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। व्यवसाइयों द्वारा विक्रय सूची प्रस्तुत करने के प्रावधानों के अभाव में क्रय–विक्रयों का प्रति–सत्यापन करने में विभाग सक्षम नहीं था ।

2.2.14 सिफारिशों का सार

सरकार को कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन पर विचार करना चाहिए :

- राजस्व हित में त्रैमासिक विवरणी के प्रारूप में संशोधन कर वस्तु का नाम और उसकी कूट संख्या शामिल की जाए;
- प्रपत्र 10 के साथ विक्रय सूची प्रस्तुत करने तथा 25,000 रूपये से अधिक की बिक्री का मूल्य चैक द्वारा प्राप्त करने को अनिवार्य किया जाए;
- विवरणी के प्रारूप को संशोधित कर उसमें अपंजीयत व्यवसायी से की गई खरीद के विवरणों को शामिल करने का प्रावधान किया जाए;
- व्यवसाइयों के लेन–देन के परिमाण के आधार पर उनसे प्रतिभूति जमा कराने को अनिवार्य बनाया जाए;
- चैक पोस्ट संबंधी घोषणाओं के उल्लंघन से संबंधित वेट नियमों और अधिनियम के बीच विसंगतियों को दूर किया जाए;
- राजस्व हित में पंजीयन रहित व्यवसाइयों का पता लगाने के लिये आवधिक सर्वेक्षण करने को अनिवार्य किया जाए;
- निर्धारित समयावधि में विवरणियों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुत नहीं किये जाने के विरूद्ध सख्त दाण्डिक उपाय किये जाएं; तथा
- कपड़ा, शक्कर और तम्बाकू उत्पादों पर वेट आरोपण का विचार किया जाए;

2.3 अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण

वाणिज्यिक कर विभाग में विक्रय कर/मूल्य संवर्धन कर (वेट) के कर निर्धारण संबंधी अभिलेखों की जांच में अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना, कर/शास्ति/ ब्याज के अनारोपण/कम आरोपण, टर्नओवर/वर्गीकरण के गलत निर्धारण एवं अन्य प्रकरण प्रगट हुये, जिनकी चर्चा इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है । ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं और लेखापरीक्षा की नमूना जांच पर आधारित हैं । कर निर्धारण प्राधिकारियों की ओर से ऐसी चूकें प्रति वर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती हैं, परंतु न केवल उक्त अनियमितताऐं जारी रहती हैं, बल्कि अगली लेखापरीक्षा किए जाने तक उनका पता नहीं लग पाता है । शासन द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा को सशक्त बनाए जाने के साथ–साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता है जिससे ऐसी गलतियों का पता लगा कर उनकी रोकथाम की जा सके ।

2.4 कर का अनारोपण/कम आरोपण

2.4.1 *मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 (अधिनियम)* के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसाई, जो अपने व्यापार के दौरान ऐसी वस्तुओं (माल) का क्रय करता है जिस पर कर नहीं लगाया गया है और यदि ऐसे क्रय के पश्चात वस्तुओं(माल) का उपयोग अथवा खपत विक्रय हेतु अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में करता है, तो अनुसूची III में उल्लिखित वस्तुओं (मालों) को छोड़कर, चार प्रतिशत की रियायती दर से क्रय कर के भुगतान का दायी होगा । अधिनियम के अन्तर्गत, यदि किसी पंजीयत व्यवसाई को क्रय की गई वस्तुओं पर कर के भुगतान से पूर्ण अथवा आंशिक कर मुक्ति प्राप्त है, परंतु वह कर मुक्ति की शर्तो का पालन नहीं करता है, तो वह क्रय की गई वस्तुओं के मूल्य पर पूर्ण दर से कर और कर राशि के 25 प्रतिशत के बराबर शास्ति के भुगतान का दायी होगा ।

नीचे बताये गये छः क्षेत्रीय कार्यालयों तथा पांच वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 26.39 करोड़ रूपये के टर्नओवर पर 2.96 करोड़ रूपये के (शास्ति सहित) कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम/ अवधि/कर निर्धारण का माह	क्रय/विक्रय की गई वस्तु का मूल्य आरोपित न किए गए कर/ शास्ति की राशि	प्रेक्षण की प्रकृति	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, वृत्त–V भोपाल 2004–05 जनवरी 2008	6.36 1.54	हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) पर 28.75 प्रतिशत के स्थान पर रियायती दर 4.6 प्रतिशत से क्रय कर आरोपित किया गया ।	रियायती दर से किया गया करारोपण सही है क्योंकि एच.एस. डी. अधिनियम की अनुसूची II की वस्तु है ।	एच.एस.डी. को अनुसूची III में भी शामिल किया गया है जिसके लिए धारा 10 के अन्तर्गत क्रय कर की रियायती दर मान्य नहीं है ।
2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, सतना 2004–05 दिसम्बर 2007	2.46 0.23 0.23	प्लांट तथा मशीनरी के विक्रय मूल्य 2.46 करोड़ रूपये को कर योग्य विक्रय में शामिल नहीं करने के कारण कर एवं शास्ति का अनारोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2008) कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जावेगी ।	अन्तिम कार्यवाही के संबंध में सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2009)।
3.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर 2003–04 जनवरी 2007	8.99 0.09 0.27	अपंजीयत व्यवसाई से क्रय किये गये गेहूं पर क्रय कर का भुगतान न तो व्यवसाई द्वारा किया गया और न ही कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया गया । इसे गलत तरीके से कर मुक्त आटे का क्रय माना गया ।	विभाग ने सूचना दी (जनवरी 2009) कि 17.98 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी (अगस्त 2008) ।	उत्तर में यह नहीं उल्लेख किया गया कि धारा 69 के अन्तर्गत कर के तीन गुना शास्ति के स्थान पर धारा 28(1) के अन्तर्गत (कर राशि के बराबर) शास्ति क्यों लगाई गई, जबकि अभिलेखों से स्पष्ट था कि व्यवसाई द्वारा क्रय के गलत विवरण / तथ्य

					प्रस्तुत किये गये थे।
4.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इंदौर 2004–05 जनवरी 2008	2.91 0.11	वाल्ब के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा देय कर 11.64 लाख रूपये के स्थान पर केवल 72,000 रूपये कर निरूपित किया गया ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2008) कि सत्यापन पश्चात् कार्रवाई की जाएगी ।	अन्तिम कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर, 2009) ।
5.	वृत्त कार्या. –VI, इंदौर 2003–04 व 2004–05 अक्टूबर 2006 एवं 2007 वृत्त कार्या.–VI, भोपाल 2003–04 जनवरी 2007 वृत्त कार्या.–V, भोपाल 2004–05 व 2005–06 जनवरी एवं फरवरी 2008 वृत्त कार्या.–I, इंदौर 2004–05 जनवरी, 2008	2.56 0.11 0.04	बिना कर चुकाए क्रय किये गये कच्चे माल पर कर का अनारोपण।	तीन प्रकरणों में, 8.27 लाख रूपये की मांग सृजित कर छूट की शेष राशि के विरूद्ध समायोजन किया गया (मई एवं सितम्बर 2008) । एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जनवरी 2009) । शेष प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2008) कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।	अन्तिम कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर, 2009) ।
6.	वृत्त कार्या., रीवा 2004–05 जनवरी, 2008	0.45 0.10 0.02	अन्य वस्तु का निर्माण कर विक्रय के लिए घोषणा पत्रों पर क्रय किया गया एच.एस.डी. यद्यपि निर्दिष्ट उद्देश्य में उपयोग नहीं किया गया था,	व्यवसाई ने एच. एस.डी. का उपयोग कैपटिव पावर प्लांट में किया था इसलिए स्वीकृत रियायत दर सही	उत्तर कर मुक्ति अधिसूचना की सही व्याख्या नहीं करता है जिसमें उल्लेख है कि एच. एस.डी. से उत्पादित विद्युत

			फिर भी 28.75 प्रतिशत के बजाय 6.9 प्रतिशत की रियायती दर से क्रय कर आरोपित किया गया ।	थी ।	ऊर्जा का विक्रय के लिये अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए । जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह सिद्ध होता हो कि निर्मित माल का विक्रय किया गया था ।
7.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, रतलाम 2003–04 अप्रैल 2006	1.05 0.08	लाइट डीजल ऑयल (एल.डी.ओ.) पर 13.8 प्रतिशत के बजाय छः प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया।	रियायती दर पर आरोपित किया गया कर सही था क्योंकि एल.डी. ओ. अधिनियम की अनुसूची II की वस्तु है ।	एल.डी.ओ. अनुसूची III में भी शामिल है जिसके लिए धारा 10 के अंतर्गत क्रय कर की रियायती दर अनुमत्य नहीं है ।
8.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, ग्वालियर 2004–05 अगस्त 2007	0.28 0.06	एच.एस.डी.पर 28.75 प्रतिशत के बजाय 6.9 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपित किया गया ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (नवम्बर 2008) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2009) ।
9.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इंदौर 2002–03 दिसम्बर 2005	0.31 0.03	शुल्क हकदारी पास बुक (डी.ई.पी.बी.) के 31.14 लाख रूपये के विक्रय मूल्य को कर योग्य टर्नओवर में इस तर्क के आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया था कि लेनदेन राज्य के बाहर हुआ था । इसके परिणामस्वरूप कर की कम प्राप्ति हुई ।	4.6 प्रतिशत की दर से 1.37 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी ।	संबंधित अवधि के दौरान, डी.ई.पी.बी. पर कर की दर 9.2 प्रतिशत थी । इसलिए आरोपित कर की दर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है ।

10.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, गुना 2004–05 जनवरी 2008	0.56 0.03	प्रपत्र –32 में घोषणा पत्रों पर विक्रय की गई वस्तुओं पर कर आरोपित नहीं किया गया था जबकि 4.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।	घोषणा पत्रों पर विक्रय की गई वस्तुओं पर कर आरोपणीय नहीं है ।	अधिनियम के अंतर्गत, प्रपत्र–32 में घोषणा पत्रों पर वस्तुओं के विक्रय पर 4.6 प्रतिशत की रियायती दर से कर देय है ।
11.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, जबलपुर 2003–04 जनवरी 2007	0.46 0.02	अपंजीयत व्यवसाईयों से दाल की खरीद पर माल को गलत ढंग से कर प्रदत्त मानने के कारण कर आरोपित नहीं किया गया था।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2007) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी ।	अंतिम कार्रवाई के संबंध में सूचित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2009) ।

2.4.2 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर *अधिनियम* के अनुसार, जब वस्तु (माल) का क्रय–विक्रय संविदा के आधार पर होता है तो ऐसा क्रय या विक्रय, तत्संबंधी अनुबंध कहीं भी हुआ हो, राज्य के अंदर ही माना जायेगा, यदि वस्तु (माल) राज्य के अन्दर ही रहे ।

जुलाई 2006 में क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि फोटो डेवलपिंग के जॉबवर्क में संलग्न एक व्यवसाई के कार्य को विक्रय संविदा के बजाय सेवा संविदा मानकर उसके द्वारा अवधि 2002–03 में किए गए पेपर के डीम्ड विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 45.06 लाख रूपये के कागज के डीम्ड विक्रय पर 9.2 प्रतिशत की दर से 3.80 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं हुई ।

इसे इंगित किए जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ने जून 2007 में प्रकरण का पुनः कर निर्धारण कर के 3.80 लाख रूपये की मांग सृजित की । वसूली के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण अगस्त 2006 तथा दिसम्बर 2008 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.5 कर की गलत दर लागू किया जाना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को निर्दिष्ट किया गया है ।

दिसम्बर 2003 तथा जनवरी 2009 के मध्य 16 क्षेत्रीय कार्यालयों[15] तथा 15 वृत्त कार्यालयों[16] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1999–2000 से 2005–06 हेतु नवम्बर 2002 तथा फरवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित 40 व्यवसाइयों के प्रकरणों में 41.04 करोड़ रूपये के टर्न ओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 2.57 करोड़ रूपये के कर तथा 6.61 लाख रूपये के ब्याज/शास्ति का कम आरोपण हुआ । कुछ उदाहरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम/ प्रकरणों की संख्या	कर निर्धारण अवधि/ कर निर्धारण का माह	टर्न ओवर कम करारोपण की राशि	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	क्षेत्रीय सहा. आयुक्त, उज्जैन 03	2002–03 से 2004–05 नवम्बर 2006, जून 2007 तथा फरवरी 2008	14.97 1.36	पिगमेन्ट ब्लैक को केमिकल मानकर 4.6 प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था । जबकि न्यायिक निर्णय[17] के अनुसार इसे डाईज तथा पेन्ट में शामिल किया गया है जिस पर 13.8 प्रतिशत की दर से कर की देयता आती है ।
2.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, भोपाल 01	2004–05 जनवरी 2008	3.01(राज्य के भीतर) 0.14 2.40 (अंतर्राज्यीय) 0.09	अधिनियम की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि क्रमांक 26 के अनुसार मैंगो पल्प पर 9.2/10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था । जबकि परिरक्षित खाद्य पदार्थ के रूप में इस पर 13.8 प्रतिशत की दर से कर देय है ।
3.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, इंदौर 02	2004–05 एवं 2005–06 जुलाई 2007 एवं दिसम्बर 2007	3.73 0.17	व्हाईट पेट्रोलियम जेली को ड्रग्स तथा दवाइयां मानकर 9.2 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था, परन्तु इस पर अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि क्र. 41 के तहत सौन्दर्य प्रसाधन की दर 13.8 प्रतिशत से कर देय है ।

15 भोपाल (02), छिन्दवाड़ा, गुना, ग्वालियर, इंदौर(04), जबलपुर (03), सतना (02) एवं उज्जैन (02),

16 भोपाल, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर (02), इंदौर (06), जबलपुर, मन्दसौर (02), रीवा

17 मे. रंग रसायन बनाम आयुक्त, वा.क., म.प्र. (2004–4–एस.टी.जे.–76)

4.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, सतना 01	2003–04 जनवरी 2007	2.52 0.12	क्राफ्ट पेपर को पैकिंग मटेरियल मानकर 4.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था, परन्तु इस पर पेपर की दर 9.2 प्रतिशत से कर की देयता आती है ।
5.	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त,जबलपुर 01	2004–05 जनवरी 2008	1.47 0.10 (ब्याज सहित)	अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त 2004 के तहत उच्च घनत्व पॉली एथिलीन (एच.डी.पी.ई.) पाइप पर 4.6 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था जो कि गलत था । यह अधिसूचना पी.व्ही.सी. पाइप पर लागू थी, न कि एच.डी.पी.ई. पाइप पर ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने सात व्यवसाईयों के प्रकरणों में 23.88 लाख की मांग सृजित की जिसमें से 19.55 लाख रूपये को कर मुक्ति की संचित राशि के विरूद्ध समायोजित कर दिया गया था । एक व्यवसाई के एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया जबकि 12 व्यवसाइयों के प्रकरणों में यह बताया गया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।

शेष 20 व्यवसाइयों के प्रकरणों में विभाग के उत्तर तथा उन पर लेखापरीक्षा टिप्पणी निम्नानुसार है :

क्र. सं.	इकाई का नाम व्यवसाईयों की संख्या	वस्तु का नाम	विभागीय उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वा.क.अ., ग्वालियर 01	पोलीयूरेथन फोम	पोलीयूरेथन फोम अन्य प्रकार के फोम से भिन्न है इसलिए उस पर अधिनियम की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि क्र. 39 (अवशिष्ट प्रविष्टि) के तहत 9.2 प्रतिशत की दर से कर देयता आती है ।	सेन्ट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के चेप्टर 39 में पोलीयूरेथन फोम प्लास्टिक वस्तु की श्रेणी में वर्गीकृत है, तदनुसार अधिनियम की अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि क्र. 43 के अन्तर्गत 13.8 प्रतिशत की दर से कर योग्य है । अतः उत्तर मान्य नहीं है ।
2.	क्षे.सहा.आ., भोपाल 01	मोटर व्हीकल्स पार्ट्स	अधिसूचना क्रमांक 70 दिनांक 9 जुलाई 2002 के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण सही था ।	उत्तर में बतायी गयी अधिसूचना केवल 31 मार्च, 2003 तक प्रभावी थी, इसलिए वह लेखा वर्ष 2003–04 में लागू नहीं थी।

3.	वा.क.अ., जबलपुर 01	बियरिंग	अधिसूचना क्रमांक 43 दिनांक 4 मई 2000 के परिप्रेक्ष्य में रियायती दर से करारोपण किया गया था।	उत्तर में बतायी गई अधिसूचना 1 अप्रैल 2000 से लागू की गई थी, इसलिए वह लेखा वर्ष 1999–2000 के लिए लागू नहीं होगी ।
4.	क्षे.स.आ., इंदौर 01	मोटर व्हीकल पार्ट्स	व्यवसाई द्वारा एल्यूमिनियम स्क्रेप का विक्रय किया गया था।	उत्तर व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखों से मेल नहीं खाता है, जिसमें मोटर व्हीकल पार्ट्स की विक्रय अभिलिखित है ।
5.	वा.क.अ., ग्वालियर 01	मेटाविक स्टीरेट, पी.व्ही.सी. स्टेवलाइजर	विक्रय की गई वस्तु केमिकल्स थी जिसका उपयोग पी व्ही सी ग्रेनुअल के निर्माण में किया गया था।	मे. बी.सी.एम. आर्गेनिक्स[18] के प्रकरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक स्टेबलाइजर अवशिष्ट प्रविष्टि की दर 9.2 प्रतिशत से कर योग्य है ।
6.	वा.क.अ., विदिशा , एवं वा.क.अ. इंदौर 03	ट्रेक्टर पार्ट्स	अधिनियम की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि क्र. 39 के अन्तर्गत ट्रेक्टर पार्ट्स कर योग्य है क्योंकि ट्रेक्टर पार्ट्स की कोई विनिर्दिष्ट प्रविष्टि नहीं है ।	मे. राज ट्रेक्टर, बीना के प्रकरण में अपीलेट बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार ट्रेक्टर को मोटर व्हीकल माना गया है । तदनुसार ट्रेक्टर पार्ट्स अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि क्र. 11 के तहत मोटर व्हीकल पार्ट्स की तरह कर योग्य है ।
7.	क्षे. स.आ., इंदौर 01	हर्बल्स	मे. ल्यूपिन लेबोरेट्रीज बनाम आयुक्त, वा.क. के प्रकरण में म.प्र. अपीलेट बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्यवसाई द्वारा निर्मित माल को बेसिक ड्रग्स मानकर किया गया करारोपण सही था ।	उत्तर में जिस निर्णय का हवाला दिया गया है उसमें बेसिक ड्रग्स को परिभाषित नहीं किया गया था, अपितु निर्णय का विषय यह था कि बेसिक ड्रग्स के संबंध में जारी अधिसूचना विशिष्ट थी अथवा सामान्य ।

18 2005–7–एस.टी.जे.–215

8.	वा.क.अ., इंदौर 01	रैक्स (फर्नीचर)	व्यवसाई द्वारा सूचना तकनीकी से संबंधित वस्तुओं का विक्रय किया गया था जो अधिसूचना क्र. 42 दिनांक 2 मई 2001 में उल्लिखित की गई है ।	व्यवसाई के मूल अभिलेख के अनुसार, वह रैक्स का निर्माता तथा विक्रेता है जो कि इस अधिसूचना में उल्लिखित नहीं है। रेक्स सामान्यतः फर्नीचर में शामिल होते हैं ।
9.	क्षे.स.आ., ग्वालियर 01	क्लोरीनेटेड पैराफिन वैक्स (सीपीडब्ल्यू)	विक्रय की गई वस्तु केमिकल्स के अन्तर्गत आती हैं ।	उत्तर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. के आदेश दिनांक 15 जुलाई 2005 के अनुरूप नहीं है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सी.पी.डब्लू. एक प्रकार का प्लास्टीसाइजर है जो कि केमिकल्स में शामिल नहीं है ।
10.	वा.क.अ., बुरहानपुर 01	ले फ्लेट ट्यूब	ले फ्लेट ट्यूब साफ्ट पी व्ही सी पाइप की तरह है, जो सिंचाई कार्य में उपयोग होता है, इसलिए अधिसूचना क्र. 78 दिनांक 10 अक्टूबर 2000 के परिप्रेक्ष्य में 4.6 प्रतिशत से कर योग्य है ।	पी व्ही सी पाइप ले फ्लेट ट्यूब से भिन्न है क्योंकि जब वह उपयोग में नहीं होती तो वह पिचकती नहीं है ।
11.	वा.क.अ., मंदसौर एवं क्षे.स.आ., जबलपुर 02	विटुमिन/साउन्ड सिस्टम/पम्प्स	अधिसूचना क्रमांक 28 दिनांक 13 अप्रैल 2000 के अन्तर्गत वस्तु (माल) का विक्रय प्रपत्र ए–1 के विरूद्ध किया गया है।	यह अधिसूचना 31 मार्च 2002 तक प्रभावशील थी परन्तु लेखापरीक्षा आपत्ति अवधि 2003–04 तथा 2004–05 से संबंधित है ।
12.	वा.क.अ., भोपाल 01	मेडिकल इक्यूपमेन्ट्स	नियमानुसार 4.6 प्रतिशत की दर से कर निरूपित किया गया था ।	उत्तर में स्पष्ट नहीं किया गया कि 9.2 प्रतिशत की निर्धारित दर के बजाय 4.6 प्रतिशत की दर से कर क्यों निरूपित किया गया था।
13.	क्षे.सहा.आयु., जबलपुर 01	एच डी पी ई पाइप	एच डी पी ई पाइप एक प्रकार का पी व्ही सी पाइप है इसलिए अधिसूचना क्र. 12 दिनांक 11 अगस्त 2004 के अन्तर्गत 4.6 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ।	अधिसूचना दिनांक 11 अगस्त, 2004 के द्वारा केवल पी व्ही सी पाइप रियायती दर से कर योग्य है न कि एच डी ई पी पाइप ।

14.	क्षे.सहा.आयु., उज्जैन 01	पिगमेंट ब्लैक	आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा धारा 68 के अन्तर्गत व्यवसायी के प्रकरण में जारी आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 98 के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण किया गया था ।	उत्तर मै. रंग रसायन बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. (2004–4–एसटीजे–76) के प्रकरण में म.प्र. अपीलेट वोर्ड के निर्णय के अनुरूप नहीं है जिसमें यह माना गया है कि पिगमेंट डाईस तथा पेन्ट में शामिल होते हैं ।
15.	क्षे.सहा.आयु., भोपाल 01	मैंगो पल्प	मैंगो पल्प खाद्य पदार्थ नहीं है वस्तुतः इसका उपयोग फ्रूट ज्यूस बनाने में किया जाता है। यह भी बताया गया कि अधिनियम की अनुसूची II के भाग IV की प्रविष्टि क्र. 26 के अन्तर्गत मैंगो पल्प आठ प्रतिशत की दर से कर योग्य है ।	मैंगो पल्प खाद्य पदार्थ है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फ्रुट ज्यूस बनाने में उपयोग होता है । इसलिए मैंगो पल्प बताई गई प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आता है बल्कि यह परिरक्षित खाद्य पदार्थ है।
16.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर 01	व्हाइट पेट्रोलियम जेली	मे. पॉड्स इण्डिया लि. (2003-2–एसटीजे-78) के प्रकरण में म.प्र. राजस्व बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम जैली, ड्रग्स तथा दवाईयों के समान कर योग्य है।	अधिनियम के अन्तर्गत कॉस्मेटिक्स की मेडिसिनल प्रिपेयरेशन अनुसूची– II के भाग III की प्रविष्टि क्र. 41 के तहत 13.8 प्रतिशत की दर से कर योग्य है ।
17.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर 01	प्लास्टीसाइजर	एक वेबसाइट से प्राप्त लिटरेचर के अनुसार प्लास्टीसाइजर केमीकल है ।	धारा 68 के अंतर्गत जारी आयुक्त, वाणिज्यिक कर के आदेश दिनांक 15 जुलाई 2005 के अनुसार प्लास्टीसाइजर एक केमीकल प्रोडक्ट है तथा कैमीकल से भिन्न है । इस प्रकार वह 9.2 प्रतिशत की दर से करयोग्य है ।

प्रकरण फरवरी 2004 तथा मार्च 2009 के बीच आयुक्त, वाणिज्यिक कर म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नही हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.6 वृत्ति कर की वसूली न होना

वृत्ति कर अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश में स्वयं अथवा किसी एजेन्ट अथवा प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यापार का संचालन करता है अथवा कृषि को छोड़कर कोई व्यवसाय अथवा पेशा करता है, अधिनियम की अनुसूची के कालम (3) में ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के विरूद्ध निर्दिष्ट कर दर से वृत्ति कर के भुगतान का दायी होगा । कथित अधिनियम की धारा 8(2) में यह प्रावधान है कि कर का भुगतान करने हेतु दायी ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी से एक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

10 वृत्त कार्यालयों[19] तथा दो उपायुक्त[20] से संग्रहीत जानकारी का राज्य आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के अनुज्ञप्तिधारकों, सिनेमा घरों, वीडियो पार्लरों तथा केबिल ऑपरेटरों तथा होटलों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सूची, कस्टम एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ब्यूटी पार्लरों की सूची, तथा ग्वालियर जिले के आठ[21] अन्य कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई ठेकेदारों की सूची के साथ प्रतिसत्यापन में पता चला कि वर्ष 2002–03 से 2007–08 हेतु 8,037 व्यक्ति वृत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग में अपंजीयत रहे, यद्यपि वे वृत्ति कर का भुगतान करने के दायी थे । इसके परिणामस्वरूप इतने व्यवसाइयों का पंजीयन नहीं हुआ था तथा 1000 से 2500 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 1.89 करोड़ रूपये के वृत्ति कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण मार्च तथा अप्रैल 2009 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर, 2009) ।

2.7 गलत ढंग से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण

अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची–1 में निर्दिष्ट वस्तुओं तथा अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरें निर्धारित की गई हैं । मे. राज पैक वेल लि. बनाम यूनियन आफ इण्डिया [1990–50–ई.एल.टी.–201] के प्रकरण में म.प्र.उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि एच.डी.पी.ई फैब्रिक टेक्सटाइल मैटेरियल/कपड़ा की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि यह प्लास्टिक वस्तु के अन्तर्गत आता है ।

19 वा.क.अ.–बालाघाट, छिन्दवाड़ा (2), देवास, गुना, कटनी, रतलाम (2), सागर (2)

20 उपायुक्त, वा.क. ग्वालियर (2)

21 कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी. (2), अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी, मुख्य अभियन्ता, डब्ल्यूआरडी, कार्यपालन यंत्री पीएचई, अधीक्षण यंत्री पीएचई, कार्यपालन यंत्री आरईएस, अधीक्षण यंत्री नगर निगम

2.7.1 दिसम्बर 2007 तथा जनवरी 2009 के मध्य छः क्षेत्रीय कार्यालयों[22] तथा सात वृत्त कार्यालयों[23] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2006 तथा फरवरी 2008 के मध्य 2002–03 से 2005–06 की अवधियों हेतु 15 व्यवसाईयों के कर निर्धारित प्रकरणों में 29.58 करोड़ रूपये मूल्य की उच्च घनत्व पॉली एथिलीन/पॉली प्रापीलीन (एचडीपीई/पीपी) फैब्रिक को करमुक्त कपड़ा मानते हुए उस पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.71 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

यह इंगित करने पर दो व्यवसाइयों के प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (जुलाई तथा दिसम्बर 2008) कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी । पांच व्यवसाइयों के प्रकरणों में यह बताया गया कि अधिसूचना क्रमांक 68 दिनांक 24 अगस्त 2000 के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रदान की गई थी । उत्तर में कथित अधिसूचना की सही व्याख्या नहीं की गई है क्योंकि सभी श्रेणियों के कपड़े कर मुक्त किये गये हैं, न कि एच डी पी ई/पी.पी. फैब्रिक जो कि प्लास्टिक वस्तु है । एक व्यवसाई के प्रकरण में बताया गया (जनवरी 2008) कि अधिनियम की अनुसूची–I की प्रविष्टि क्रमांक 4 के अन्तर्गत एचडीपीई फैब्रिक कर मुक्त है । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचडीपीई फैब्रिक प्लास्टिक वस्तु है जो कथित प्रविष्टि के तहत नहीं आता है, इसमें कपड़ा शामिल है । एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई थी । छः व्यवसाइयों के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बताया गया कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम एमपीजीएसटी एक्ट की धारा 42–बी के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 16 फरवरी 1983 के अनुसार एचडीईपी फैब्रिक को कपड़ा माना गया था । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण प्राधिकारियों का तर्क मान्य नहीं है ।

2.7.2 दिसम्बर 2008 में वृत्त कार्यालय, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2005–06 हेतु फरवरी 2008 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में 63.83 लाख रूपये मूल्य के पेपर *दोना*[24] के विक्रय को करमुक्त वस्तु मानकर उस पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित 5.87 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित करने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने 5.87 लाख रूपये (शास्ति सहित) की मांग सृजित कर दी थी (मार्च 2009) ।

2.7.3 जनवरी 2008 में वृत्त कार्यालय, छिन्दवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2003–04 हेतु जनवरी 2007 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में 40.49 लाख रूपये मूल्य के *खांडसारी* के विक्रय को कर मुक्त वस्तु मानकर उस पर कर

22 इंदौर(4), जबलपुर तथा खण्डवा

23 ग्वालियर(2) तथा इंदौर (5)

24 दोना एक पात्र है

आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चार प्रतिशत की दर से 3.24 लाख रूपये के कर(शास्ति सहित) का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने 3.24 लाख रूपये (1.62 लाख रूपये की शास्ति सहित) की मांग सृजित कर दी थी (जुलाई 2008) ।

प्रकरण फरवरी 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.8 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

मध्य प्रदेश *स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976* तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अन्तर्गत खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है ।

मार्च 2006 तथा जनवरी 2009 के मध्य 11 क्षेत्रीय कार्यालयों[25] तथा 13 वृत्त कार्यालयों[26] के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2001–02 से 2005–06 हेतु अगस्त 2004 तथा फरवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित/पुनः कर निर्धारित 36 व्यवसाइयों के प्रकरणों में 68.65 करोड़ रूपये मूल्य की इमारती लकड़ी, भट्टी तेल, डीजल, मोटर व्हीकल्स, ट्रेक्टर, सिगरेट, लोहा एवं इस्पात आदि वस्तुओं पर स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया था/कम आरोपित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 1.41 करोड़ रूपये के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ जिसमें 33.99 लाख रूपये का ब्याज एवं शास्ति शामिल है ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 18 प्रकरणों में बताया (जनवरी 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । पंद्रह प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण किया गया तथा 41.20 लाख रूपये की मांग (अक्टूबर 2008 तथा मई 2009 के मध्य) सृजित की गई जिसमें

25 भोपाल(03), ग्वालियर(02), इंदौर (03), खरगोन, नीमच, सतना

26 बैतूल, भोपाल(03), बुरहानपुर, ग्वालियर(02), इंदौर (04) , नीमच, विदिशा,

से 5.08 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है । शेष तीन प्रकरणों में उत्तर निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	इकाई का नाम प्रकरणों की संख्या	वस्तु का नाम	विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा की टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क्षे.सहा.आयु., ग्वालियर 01	सीमेंट, कोयला, बालू तथा एच टी एस वायर	मे. जय प्रकाश एसोसीएट के प्रकरण में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रेलवे की भूमि पर स्थापित कारखाना, स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।	कथित निर्णय का विषय कर निर्धारण को दुबारा करना था, न कि यह निर्णय करना कि रेलवे साइडिंग स्थानीय क्षेत्र है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त म.प्र. राजस्व बोर्ड ने अपने 2002 के निर्णय[27] में निर्णीत किया है कि रेलवे साइडिंग तथा रेल लाइन स्थानीय क्षेत्र में आते हैं ।
2.	वा.क.अ., इंदौर 01	इमारती लकड़ी	व्यवसाई द्वारा साफ्ट लकडी का क्रय किया गया था, न कि इमारती लकडी का ।	उत्तर क्रय बिलों में दिये गये तथ्यों से भिन्न है, जिनमें इमारती लकडी का क्रय बताया गया था ।
3.	क्षे.सहा.आयु., खरगौन 01	एल डी ओ	अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2001 के अनुसार कच्चा माल प्रवेश कर से मुक्त है ।	व्यवसाई के पंजीयन प्रमाण पत्र में एल डी ओ कच्चे माल के रूप में दर्ज नहीं है ।

प्रकरण मार्च 2006 तथा मार्च 2009 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे; उनका उत्तर (एक प्रकरण को छोड़कर) प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.9 कर मुक्ति की गलत स्वीकृति

2.9.1 एमपीजीएसटी एक्ट के अन्तर्गत जारी दिनांक 6 अक्टूबर 1994 की कर मुक्ति अधिसूचना के अनुसार, वस्तुओं (मालों) की पुनः पैकिंग में संलग्न किसी नई औद्योगिक इकाई को छूट की पात्रता नहीं है । अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि लोहा एवं इस्पात की प्रोसेसिंग तथा एच डी पी ई/एल डी पी ई बैग्स के विनिर्माण में संलग्न ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो क्रमशः 31 दिसम्बर 1996 तथा 30 सितम्बर 1999 के बाद उत्पादन प्रारम्भ करती है, कर मुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगी । दिनांक 6 अक्टूबर 1994 तथा 6 जून 1995 की कर

27 मैसर्स लार्सन तथा टर्बो लि. बनाम आयुक्त, वा.क. (2002–35–वी.के.एन.–50)

मुक्ति अधिसूचनाओं में उनके अन्तर्गत जारी पात्रता प्रमाण पत्रों में निर्दिष्ट कर की अधिकतम संचयी मात्रा की सीमा तक कर से छूट का प्रावधान है ।

दिसम्बर 2007 तथा सितम्बर 2008 के मध्य चार क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि छः व्यवसाइयों को गलत कर मुक्ति प्रदान की गई थी जिसमें निम्नानुसार 1.06 करोड़ रूपये का कर प्रभाव सन्निहित था:

क्र. सं.	इकाई का नाम	अवधि/ कर निर्धारण का माह	प्रेक्षण का सार
1	2	3	4
1.	क्षे.सहा.आयु., सागर	2003–04 एवं 2004–05 सितम्बर 2006	बडे कंटेनरों से द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस की बोतल भराई में संलग्न दो व्यवसाइयों को, उनको जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्रों के आधार पर, कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई थी। यह सही नहीं था क्यों कि कर मुक्ति अधिसूचना के अनुसार, वस्तुओं की पुनः पैकिंग में संलग्न व्यवसाइयों को कर मुक्ति की पात्रता नहीं है। इससे शासन 72.08 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहा ।
	वृत्त कार्यालय-VI, भोपाल	2003–04 जनवरी 2007	
प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2007) कि शासन (वाणिज्यिक कर विभाग) द्वारा जारी दिनांक 16 जून 1998 के पत्र अनुसार, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की रिफिलिंग निर्माण की प्रक्रिया है अतः इस प्रकार दी गई कर मुक्ति सही थी । उत्तर न्यायिक निर्णयों[28] के अनुरूप नहीं है, जिनमें यह तय किया गया है कि एलपीजी की रिफिलिंग निर्माण की प्रक्रिया नहीं है बल्कि वास्तव में माल की पुनः पैकिंग है ।			
2.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर	2003–04 जनवरी 2007	एच डी पी ई/एल डी पी ई वैग्स तथा स्टील फोरजिंग्स एवं कास्टिंग्स की निर्माण प्रक्रिया में संलग्न दो व्यवसाइयों को, जिन्होने निर्धारित दिनांक की समाप्ति के बाद उत्पादन प्रारम्भ किया था, स्वीकृत की गई कर मुक्ति सही नहीं थी । इससे शासन 16.74 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहा ।

28 मै. मोदी गैस सर्विस इंदौर, बनाम म.प्र. राज्य एवं अन्य (2006–8–एस.टी.जे.–536) (म.प्र. उच्च न्यायालय), गुजरात राज्य बनाम कोसान गैस कम्पनी (1992–एस.टी.सी.–237) (गुजरात उच्च न्यायालय) ।

	वृत्त कार्यालय, गुना	2003–04 दिसम्बर 2006	
प्रकरणों को इंगित किये जाने पर एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2007) कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जायेगी । दूसरे प्रकरण में यह बताया गया (जनवरी 2008) कि व्यवसाई को जारी कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र को दृष्टिगत रखते हुए कर मुक्ति प्रदान की गई थी तथापि गलत पात्रता प्रमाण पत्र जारी होने के कारण उसे औद्योगिक विभाग को संदर्भित किया जायेगा । आगे की कार्रवाई/ प्रगति सूचित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।			
3.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर	2005–06 जून,2007	एक व्यवसाई के प्रकरण में कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कर की अधिकतम मात्रा की सीमा से 1.11 लाख रूपये अधिक की कर मुक्ति प्रदान की गई थी । एक दूसरे व्यवसाई के प्रकरण में कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट अधिकतम मात्रा की सीमा में केवल 16.89 लाख रूपये समायोजित किये गये थे, जबकि कर की राशि 33.22 लाख रूपये संगणित की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप 17.44 लाख रूपये के कर का अधिक लाभ स्वीकृत किया गया ।
	क्षे.सहा.आयु., मुरैना	1997–98 अक्टूबर 2007	
प्रकरणों को इंगित किये जाने पर (जून 2008) एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने 1.11 लाख रूपये की वसूली कर ली थी (अक्टूबर 2008) जबकि दूसरे प्रकरण में, यह बताया गया कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जावेगी । आगामी प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।			

2.9.2 अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिनांक 12 अक्टूबर 2000 की अधिसूचना के अनुसार, निर्दिष्ट ग्राम उद्योगों द्वारा निर्मित तथा विक्रय की गई वस्तुएं(माल), जिनका वार्षिक सकल टर्नओवर 10 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, कर मुक्त हैं ।

अप्रैल 2008 में वृत्त कार्यालय नीमच के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2001–02 तथा 2003–04 से 2005–06 हेतु अगस्त 2004 तथा मार्च 2007 के मध्य कर निर्धारित एक ग्राम उद्योग के प्रकरण में, जिसका संबंधित वर्षों मे टर्नओवर 10 लाख रूपये से अधिक था, निम्नानुसार 3.16 लाख रूपये की प्रदान की गई कर मुक्ति सही नहीं थी :

(लाख रूपये में)

अवधि	टर्नओवर	निरूपित कर राशि, यदि कोई है	कर आरोपणीय राशि	कर का कम आरोपण
2001–02	46.97	–	1.88	1.88
2003–04	11.48	0.06	0.47	0.41
2004–05	12.00	0.08	0.50	0.42
2005–06	25.20	0.59	1.04	0.45
योग		**0.73**	**3.89**	**3.16**

इसके परिणामस्वरूप 3.16 लाख रूपये कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार किया (अप्रैल 2008) कि सत्यापन पश्चात कार्रवाई की जावेगी । आगामी प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जनवरी 2008 तथा नवम्बर 2008 में आयुक्त, वा.क., म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.10 कर प्रदत्त विक्रय की गलत कटौती

अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसाइयों के कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण करते समय कर प्रदत्त विक्रय राशि की कटौती की छूट का प्रावधान है । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि जब व्यवसाई अपनी विवरणियों में अपने क्रय तथा विक्रय के गलत विवरण/तथ्य प्रस्तुत करता है, आयुक्त देय कर की कम से कम तीन गुना शास्ति आरोपित करेगा ।

अक्टूबर 2004 तथा सितम्बर 2008 के मध्य दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि निम्नानुसार 3.12 करोड़ रूपये की कर प्रदत्त विक्रय की गलत छूट प्रदान की गई थी जिससे 1.01 करोड़ रूपये (71.06 लाख रूपये शास्ति सहित) का कर प्रभावित हुआ :

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/ कर निर्धारण माह	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1.	2.	3.	4.
1.	क्षे.सहा.आयु., सतना	2004–05 दिसम्बर 2007	2.58 करोड़ रूपये के कर प्रदत्त बिटुमिन के विक्रय की छूट इस आधार पर प्रदान की गई थी कि बिटुमिन का क्रय दूसरे पंजीयत व्यवसाई से किया गया था । प्रति सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती व्यवसाई द्वारा कर प्रदत्त विटुमिन का क्रय नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 23.68 लाख रूपये कर तथा कम से कम 71.06 लाख रूपये शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण जनवरी 2009 में कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।			
2.	क्षे.सहा.आयु., सतना	2000–01 जनवरी 2004	यद्यपि निर्धारिती द्वारा क्रय की गई सीमेन्ट कर प्रदत्त नहीं थी तथापि उसके विक्रय की 21.72 लाख रूपये की कर प्रदत्त की छूट प्रदान की गई जो सही नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 3 लाखरूपये के कर का अनारोपण हुआ ।
प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने सूचना दी (जनवरी 2009) कि 3 लाख रूपये की मांग सृजित कर दी गई थी । वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।			
3.	वृत्त कार्यालय -XIII, इंदौर	2003–04 सितम्बर 2006	सीमेन्ट के विक्रय 18.50 लाख रूपये की कर प्रदत्त की छूट प्रदान की गई थी जबकि व्यवसायी स्वयं सीमेन्ट का निर्माता तथा प्रथम विक्रेता था । इसके परिणामस्वरूप 2.40 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।
प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 2008) कि स्वयं निर्मित सीमेन्ट के अलावा व्यवसाई ने सीमेन्ट का क्रय और विक्रय भी किया था । उत्तर व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत आडिटेड खातों के अनुरूप नहीं है जिनमे 28.83 लाख रूपये ईधन/पावर प्रभार के रूप में दर्ज हैं जो कच्चे माल की प्रोसेसिंग में खर्च किया गया है । इससे स्पष्ट है कि विक्रय की गई सीमेन्ट 22.27 लाख रूपये उसके स्वयं निर्मित उत्पाद थे, जैसा कि लेखाओं में दर्ज था । इसमें कर प्रदत्त सीमेन्ट का विक्रय शामिल नहीं था ।			
4.	वृत्त कार्यालय, शहडोल	2004–05 फरवरी 2008	कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 14.21 लाख रूपये के सरसों के तेल की कर प्रदत्त विक्रय की छूट इस आधार पर दी गई थी कि सरसों का तेल दूसरे पंजीयत व्यवसाई से क्रय किया गया था । लेन–देन के प्रति सत्यापन से पता चला कि उस व्यवसाई का टर्नओवर निरंक था जिससे सरसों का तेल क्रय करने का दावा किया गया था । इस प्रकार दी गई छूट सही नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 57,000 रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।
प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितम्बर 2008) कि व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत क्रय बिलों के सत्यापन पश्चात छूट स्वीकार्य की गई थी । उत्तर प्रतिसत्यापन के परिणामों से भिन्न है । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।			

प्रकरण दिसम्बर 2004 तथा जनवरी 2009 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किये गये थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.11 डिस्काउन्ट के आधार पर गलत कटौती की छूट

अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार सामान्य व्यापारिक प्रथा के अनुसार विक्रय मूल्य में से केवल नगद डिस्काउन्ट की कमी की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायिक निर्णयों[29] में क्रेताओं को दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के डिस्काउन्ट जैसे टर्नओवर डिस्काउन्ट, टार्गेट डिस्काउन्ट, सेल प्रोमोशन डिस्काउन्ट आदि विक्रय मूल्य से कटौती योग्य नहीं हैं ।

जनवरी 2009 में क्षेत्रीय कार्यालय, सागर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2004–05 हेतु दिसम्बर 2007 में कर निर्धारित दो व्यवसाइयों के प्रकरणों में से दिये गये 5.26 करोड़ रूपये के क्वान्टिटी डिस्काउन्ट तथा कैश डिस्काउन्ट की कटौती क्रेडिट नोट द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त कटौती सही नहीं थी, क्योंकि वस्तु का विक्रय करते समय इन्वाइसेस/बिलों में डिस्काउन्ट नहीं दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 13.8 प्रतिशत की दर से 72.59 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 2009) कि कथित डिस्काउन्ट टर्नओवर का भाग नहीं है और इसलिए प्रदान की गई कटौती सही थी । हालांकि, वास्तविकता यह है कि विक्रय के समय इनवाइसेस/बिलों में केवल कैश डिस्काउन्ट की कटौती ही मान्य है । लेकिन विक्रय के पश्चात/क्रेडिट नोट के माध्यम से प्राप्त डिस्काउन्ट टर्नओवर का भाग होता है । इसलिए उपरोक्त न्याय–निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में ऐसे डिस्काउन्ट की कटौती की पात्रता नहीं थी।

प्रकरण अप्रैल 2009 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.12 वापसी की गलत स्वीकृति

अधिनियम के अन्तर्गत कर के रूप में किसी भी व्यक्ति द्वारा संग्रहीत कोई राशि, जो अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत देय नहीं है, राज्य शासन के पक्ष में राजसात योग्य होती है ।

फरवरी 2008 में क्षेत्रीय कार्यालय, छिन्दवाडा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2002–03 तथा 2004–05 हेतु जुलाई तथा सितम्बर 2006 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाईयों द्वारा 1.95 करोड़ रूपये का कर देय था लेकिन उन्होंने कर के रूप में 2.66 करोड़ रूपये की राशि संग्रहीत कर कोषालय में जमा कर दी थी । कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवसाईयों द्वारा इस प्रकार संग्रहीत कर की अधिक राशि 70.96 लाख रूपये को

29 (i) ओरिएन्ट पैपर मिल, अमलाई बनाम आयुक्त, वा.क., म.प्र. (2009) 14–एस.टी.जे.–128(राजस्व मंडल)

(ii) अपोलो टायर लि. बनाम आयुक्त, वा.क., म.प्र. (2003) 1–एस.टी.जे.–24 (राजस्व मंडल)

(iii) वन्दना सेल्स कार्पोरेशन (1996–29–वी.के.एन.–376)

राजसात करने के बजाय उस राशि की गलत वापसी प्रदान कर दी । इसके परिणामस्वरूप 70.96 लाख रूपये की वापसी गलत स्वीकृत हुई ।

प्रकरणों को इंगित करने पर एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2008) कि कर से मुक्ति हेतु जारी कर मुक्ति पात्रता प्रमाण–पत्र गलत जारी होने के कारण व्यवसाई ने 1.11 करोड़ रूपये का कर जमा कर दिया था । बाद में संशोधित कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र के अनुसार, इसमें कर मुक्ति की मात्रा की सीमा बढ़ा दी गई थी जिससे व्यवसाई पर कर भुगतान की देयता घट कर मात्र 53 लाख रूपये रह गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि व्यवसाई द्वारा जो कर राशि अधिक संग्रहीत की गई थी उसे क्रेता व्यवसाइयों को क्रेडिट नोट के माध्यम से वापस कर दिया गया था । उत्तर मानने योग्य नहीं है क्योंकि इसका कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था जिससे यह सिद्ध होता कि अधिक कर राशि को क्रेता व्यवसाइयों को वापस कर दिया गया था । एक दूसरे प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2008) कि क्रेता व्यवसाईयों को विभिन्न प्रकार के डिस्काउन्ट देने के कारण कटौती की स्वीकृति दिए जाने से वापसी की स्थिति बनी थी । उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि व्यवसाई वापसी हेतु पात्र कैसे था, क्योंकि क्रेता व्यवसाइयों को उसके द्वारा विक्रय के बाद प्रदान किये गये डिस्काउन्ट में कर की राशि शामिल नहीं मानी जा सकती।

प्रकरण मई 2008 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.13 कर की गणना में गलती

दिसम्बर 2004 तथा अगस्त 2008 के मध्य चार क्षेत्रीय कार्यालयों[30] तथा एक वृत्त कार्यालय[31] के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 1999–2000 से 2004–05 हेतु जनवरी 2003 तथा दिसम्बर 2007 के मध्य कर निर्धारित पांच व्यवसाइयों के प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलती से 17.21 करोड़ रूपये के बजाय 16.91 करोड़ रूपये का कर संगणित/आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 29.40 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा दो प्रकरणों में 17.85 लाख रूपये की मांग सृजित की गई तथा उसे कर मुक्ति की संचयी राशि के विरूद्ध समायोजित किया गया था (जून 2008)। जबकि तीन प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2004 से अगस्त 2008) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । इन प्रकरणों में आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मार्च 2005 तथा सितम्बर 2008 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

30 इंदौर (2), सतना तथा उज्जैन ।

31 रीवा

2.14 मुजराई की गलत स्वीकृति

अधिनियम के अन्तर्गत, जब एक पंजीयत व्यवसायी कर प्रदत्त वस्तुएं क्रय कर उनका उपयोग कच्चेमाल अथवा अनुषांगिक माल की तरह किसी अन्य वस्तु के निर्माण हेतु करता है और निर्मित माल को राज्य में अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा भारत क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय करता है तो वह क्रय वस्तुओं की मात्रा के मूल्य पर कर की पूर्ण दर तथा चार प्रतिशत की रियायती दर अथवा अन्य अधिसूचित रियायती दर के बीच अन्तर के बराबर की दर से मुजराई का हकदार होगा । अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिनांक 1 अप्रैल 1995 की अधिसूचना के अनुसार किसी भी श्रेणी के लोहा एवं इस्पात के लिये, जो समान अथवा किसी अन्य श्रेणी के लोहा एवं इस्पात की वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल की तरह उपयोग किया गया हो तो ऐसी अन्य रियायती दर शून्य प्रतिशत होगी ।

नवम्बर 2005 तथा दिसम्बर 2008 के मध्य दो क्षेत्रीय कार्यालयों तथा दो वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 24.46 लाख रूपये की मुजराई की गलत स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	इकाई का नाम	कर निर्धारण अवधि/ कर निर्धारण का माह	संक्षेप में आपत्ति का स्वरूप	विभाग का उत्तर/लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क्षे.सहा.आयु., कटनी	1997–98 अप्रैल 2001 1998–99 जून 2002	कर प्रदत्त कच्चे माल, का उपयोग करके जो माल, निर्मित किया गया था ।उसका विक्रय नहीं किया गया अपितु उसका स्टॉक हस्तांतरित किया गया था । अस्तु, कर प्रदत्त कच्चे माल पर स्वीकार की गई 7.58 लाख रूपये की मुजराई गलत थी ।	इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 7.58 लाख रूपये की वसूली कर ली गई थी (फरवरी 2006)।

2.	क्षे.सहा.आयु., भोपाल वृत्त कार्यालय, जबलपुर	2001–02 सितम्बर 2006 2003–04 नवम्बर 2006	कर प्रदत्त माल का निर्माण कार्य में उपयोग करने पर दो ठेकेदार व्यवसाइयों को अलग–अलग 14.21 लाख रूपये तथा 1.20 लाख रूपये की मुजराई स्वीकृत की गई थी। यह सही नहीं था क्योंकि कर प्रदत्त क्रय माल का उपयोग विक्रय हेतु अन्य वस्तु के निर्माण में नहीं हुआ था।	प्रकरण को इंगित करने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (फरवरी 2008) कि दिनांक 13 अप्रैल 2000 को जारी अधिसूचना के तारतम्य में मुजराई दी गई थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित अधिसूचना का संबंध अधिनियम की धारा 17 से है जबकि मुजराई धारा 13 के तहत प्रदान की जाती है । दूसरे प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अप्रैल 2007) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।
3.	वृत्त कार्यालय, इंदौर	2004–05 एवं 2005–06 जनवरी 2008	कर प्रदत्त लोहा एवं इस्पात का उपयोग हार्डवेयर के निर्माण में किया गया था जो कि लोहा एवं इस्पात की किसी श्रेणी में नहीं आता है । अतः 1.47 लाख रूपये की मुजराई गलत स्वीकृत की गई थी।	इसे इंगित करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने एक प्रकरण में 60,430 रूपये की मांग सृजित कर दी थी (मार्च 2009) जबकि दूसरे प्रकरण में बताया (दिसम्बर 2008) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मार्च 2006 तथा जनवरी 2009 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.15 गलत कटौती की अनुमति के कारण कर का कम आरोपण

अधिनियम की धारा 2(डब्ल्यू)(पांच) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8–ए में कर योग्य टर्नओवर प्राप्त करने के लिए एक सूत्र[32] निर्धारित किया गया है । इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कर की राशि विक्रय मूल्यों के योग में सम्मिलित नहीं की जाती है तो सूत्र के आधार पर किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जायेगी । अधिनियम में क्रय दिनांक से छः माह के अन्दर विक्रय वापसी पर कर छूट का भी प्रावधान है ।

32 $\frac{\text{टर्न ओवर X कर की दर}}{100 + \text{कर की दर}}$ ।

2.15.1 जनवरी तथा दिसम्बर 2008 के मध्य चार क्षेत्रीय कार्यालयों[33] तथा तीन वृत्त कार्यालयों[34] के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2001–02 से 2004–05 हेतु अगस्त 2004 तथा जनवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित नौ व्यवसाइयों के प्रकरणों में कर को विक्रय राशि में शामिल नहीं किया गया था फिर भी सूत्र के आधार पर 1.75 करोड़ रूपये की गलत छूट स्वीकृत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 10.29 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित करने पर दो प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने 2.03 लाख रूपये की मांग सृजित कर उसे करमुक्ति की राशि की संचयी मात्रा के विरूद्ध समायोजित कर दिया था (जून 2008 एवं मई 2009), जबकि पांच व्यवसाइयों के प्रकरणों में यह बताया गया (जनवरी तथा दिसम्बर 2008 के मध्य) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । एक प्रकरण में बताया गया कि दी गई छूट सही थी क्योंकि कर की राशि विक्रय मूल्य में शामिल थी। उत्तर में यह नहीं बताया गया कि व्यवसाई के टर्नओवर में कर कैसे शामिल था जबकि अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 1994 के अन्तर्गत जारी पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यवसाई को कर भुगतान से कर मुक्ति की सुविधा प्राप्त थी । एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि ट्रिब्यूनल के विभिन्न निर्णयों के प्रकाश में कर निर्धारण किया गया था । उत्तर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र.के परिपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2003 से भिन्न है जिसमें बताया गया है कि कर भुगतान से मुक्ति के लिए पात्र नई औद्योगिक इकाईयों के प्रकरणों में *अधिनियम* की धारा 2(डब्ल्यू)(पांच) तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8–ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त नहीं होगी ।

2.15.2 मई 2008 में क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2004–05 हेतु नवम्बर 2007 में कर निर्धारित एक व्यवसाई के प्रकरण में निर्दिष्ट अवधि छः माह के बाद की विक्रय वापसी के आधार पर 21.47 लाख रूपये की गलत छूट स्वीकार की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2.96 लाख रूपये के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण इंगित करने पर विभाग ने बताया (फरवरी 2009) कि प्रकरण में पुनः कर निर्धारण करके व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत विक्रय वापसी की संशोधित सूची के आधार पर 1.13 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी। किन्तु जांच के दौरान पता चला था कि ऐसे प्रकरणों की संख्या 197 थी जिनमें पिछले लेखा वर्ष/छः माह के बाद की विक्रय वापसी से संबंधित 21.97 लाख रूपये मूल्य की छूट शामिल थी । यह समझ में नहीं आया कि सूची को बाद में कैसे संशोधित करके कम कर की मांग सृजित की गई । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

33 इंदौर (3), जबलपुर ।

34 भोपाल, इंदौर तथा नीमच ।

प्रकरण अप्रैल 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.16 प्रान्तीय विक्रय को गलत ढंग से अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अनुसार, यदि विक्रय के माल का प्रचालन एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है अथवा इस प्रचालन के दौरान माल के अधिकार के दस्तावेजो का स्थानान्तरण एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है तो माल का विक्रय अन्तर्राज्यीय माना जायेगा । इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि माल का प्रचालन किसी राज्य से प्रारम्भ होकर उसी राज्य में समाप्त हो जाता है तो इसे एक राज्यसे दूसरे राज्य को प्रचालन नहीं माना जाएगा ।

मार्च 2008 में दो[35] वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि अवधि 2002–03 से 2004–05 हेतु दिसम्बर 2005 तथा दिसम्बर 2006 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसाइयों ने स्थानीय पंजीयत व्यवसाइयों को घोषणा पत्र सी फार्म के विरूद्ध 1.07 करोड़ रूपये मूल्य का बॉक्साइट विक्रय किया था। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कथित स्थानीय केता व्यवसाइयों द्वारा जारी सी फार्म के आधार पर स्थानीय विक्रय को गलत ढंग से अन्तर्राज्यीय विक्रय मानकर चार प्रतिशत की रियायती दर से करारोपण किया था। इसके परिणामस्वरूप 9.8 प्रतिशत की अन्तर दर से 10.47 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने दो व्यवसाइयों के प्रकरणों में बताया (मार्च 2008) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की । आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मई 2008 में आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.17 मूल्य संवर्धित कर (वेट) का कम आरोपण

अधिनियम की धारा 9 बी के अन्तर्गत मूल्य संवर्धित कर (वेट) *अधिनियम* की अनुसूची II के भाग II से VI में निर्दिष्ट मालों के पुनर्विक्रय के संवर्धित मूल्य पर निर्धारित दर से आरोपणीय है ।

35 रीवा तथा सतना ।

जनवरी 2005 तथा नवम्बर 2008 के मध्य चार[36] क्षेत्रीय कार्यालयों तथा तीन[37] वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 1999–2000 से 2005–06 हेतु दिसम्बर 2002 तथा जनवरी 2008 के मध्य कर निर्धारित सात व्यवसाइयों के प्रकरणों में 68.33 लाख रूपये की वस्तुओं के पुनर्विक्रय पर संवर्धित मूल्य का कम आरोपण हुआ था। इसके परिणामस्वरूप 9.2 प्रतिशत की दर (अधिभार सहित) से 5.76 लाख रूपये मूल्य संवर्धित कर (वेट) की कम वसूली हुई ।

प्रकरण को इंगित करने पर एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने 1.41 लाख रूपये (शास्ति सहित) की मांग सृजित कर दी थी (मार्च 2006) जबकि चार प्रकरणों में यह बताया गया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (सितम्बर 2008) कि वेट लाभ की राशि पर नहीं लगाया जाता है बल्कि मूल्य के संवर्धन पर उसकी गणना की जाती है । परंतु वस्तुस्थिति यह है कि मूल्य संवर्धन वास्तविक लाभ से कभी भी कम नहीं हो सकता है ।

एक प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने तर्क दिया (सितम्बर 2008) कि मूल्य संवर्धन की गणना में लेखापरीक्षा ने 11.52 लाख रूपये के कर प्रदत्त प्रारम्भिक शेष स्टॉक पर विचार नहीं किया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसाई के व्यापार खाते में कर प्रदत्त वस्तुओं का प्रारम्भिक स्टॉक नहीं दर्शाया गया था ।

प्रकरणों को मार्च 2005 तथा नवम्बर 2008 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.18 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विक्रेता व्यवसाई, जो क्रेता व्यवसाइयों से प्राप्त एवं उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सी फार्म प्रस्तुत करने में असफल रहता है, माल के अन्तर्राज्यीय विक्रयों के संबंध में कर भुगतान की रियायती दर चार प्रतिशत की बजाय घोषित माल पर विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर से तथा अन्य मालों के संबंध में 10 प्रतिशत या निर्दिष्ट दर से, जो भी अधिक हो, कर के भुगतान का दायी होगा । इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यवसाई अपने व्यवसाय से संबंधित किसी दूसरे स्थान के लिये विक्रय से अन्यथा प्रयोजन हेतु प्रचालित किसी माल के आवागमन के संबंध में कोई साक्ष्य/घोषणा पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी वस्तुओं के प्रचालन/ आवागमन को विक्रय के परिणामस्वरूप हुआ माना जायेगा ।

36 भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना ।

37 इंदौर, नीमच, टीकमगढ़ ।

2.18.1 दिसम्बर 2007 तथा जनवरी 2009 के मध्य आठ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा पांच वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि 16 व्यवसाइयों के प्रकरणों में 17.64 करोड़ रूपये मूल्य के माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर, जिनके संबंध में प्रपत्र–सी में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे, या तो कर आरोपित नहीं किया गया था या गलत दरों से आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.30 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाई का नाम/ व्यवसाइयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण माह	वस्तु का नाम टर्नओवर	लागू करने योग्य कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	कर का अनारोपण/ कम आरोपण
1.	क्षे.सहा.आयु. इंदौर 02	2004–05 अक्टूबर 2007 एवं फरवरी 2008	कम्प्यूटर पार्ट्स 4.09	10	1	0.39
			यार्न 0.39	10	4	
एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलती स्वीकार की तथापि इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) । दूसरे व्यवसाई के प्रकरण में यह बताया गया (मई 2008) कि अधिसूचना सं. 81 दिनांक 6 सितम्बर 2001 के परिप्रेक्ष्य में यार्न के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर रियायती दर स्वीकार की गई थी। उत्तर कथित अधिसूचना के अनुरूप नहीं है जिसमें सी फार्म प्रस्तुत करने की शर्त पर ही रियायती दर का प्रावधान है।						
2.	क्षे. सह.आयु., भोपाल 01	2004–05 दिसम्बर 2007	स्लायवर (पूनी) 2.78	10	–	0.28
प्रकरण इंगित किए जाने पर पुनः कर निर्धारण के समय 2.48 करोड़ रूपये मूल्य के सी–फार्म प्रस्तुत किये गये थे, इस प्रकार 2.93 लाख़ रूपये की मांग सृजित की गई (फरवरी 2009)।						
3.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर 01	2004–05 जून 2007	थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 2.04	10	–	0.20

कर निर्धारण प्राधिकारी ने 20.40 लाख रूपये की मांग सृजित करके (जुलाई 2008) करमुक्ति की शेष राशि के विरूद्ध समायोजन किया ।						
4.	क्षे.सहा.आयु., सागर 01	2003–04 नवम्बर 2006	खाद्य तेल 1.32	10	2.3	0.10
प्रकरण को इंगित करने पर पुनः कर निर्धारण के समय 89 लाख रूपये मूल्य के सी फार्म प्रस्तुत किए जाने के कारण 3.93 लाख रूपये की मांग सृजित की गई (जून 2009)।						
5.	वृत्त कार्यालय–I, इंदौर 02	2004–05 जनवरी 2008	विस्फोटक 0.37	13.8	12	0.07
			खाद्य तेल 0.64	10	–	
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2008 तथा जनवरी 2009) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी ।						
6.	वृत्त कार्यालय. IV, जबलपुर 02	2002–03 एवं 2004–05 जनवरी 2006 एवं जनवरी 2008	रेडीमेट गारमेन्ट्स 0.82	10	4	0.06
			लोहा एवं स्टील स्क्रेप 0.20	8	4	
एक व्यवसाई के प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 4.95 लाख रूपये की मांग सृजित की गई (मई 2008) । जबकि एक अन्य व्यवसाई के प्रकरण में बताया गया (सितम्बर 2008) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।						
7.	वृत्त कार्यालय–VI, भोपाल 01	2003–04 जनवरी 2007	ऐस्बेस्टॉस पाईप्स 1.35	13.8	10	0.05
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2007) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।						
8.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर 01	2004–05 फरवरी 2008	टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स, डी.व्ही. डी.एवं उनके पार्ट्स 0.92	13.8	10	0.04

कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2008) कि टी व्ही, डी व्ही डी, ए सी एवं इनके पार्ट्स के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर 10 प्रतिशत की दर से सही कर लगाया गया था क्योंकि कथित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर निर्दिष्ट कर की दर 9.2 प्रतिशत है । कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर स्वयं में विरोधाभासी है क्योंकि उन्होंने स्वयं कथित वस्तुओं के राज्य में विक्रय पर 13.8 प्रतिशत से कर आरोपित किया था ।						
9.	क्षे.सहा.आयु., खरगौन 01	2003–04 जनवरी 2007	काटन यार्न 1.30	4	2	0.03
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जनवरी 2008) कि अधिसूचना क्रमांक 81 दिनांक 6 सितम्बर 2001 के परिप्रेक्ष्य में यार्न के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर रियायती दर से कर आरोपित किया गया था। उत्तर कथित अधिसूचना के अनुरूप नहीं है क्योंकि उसमें प्रावधान है कि सी फार्म प्रस्तुत करने की शर्त पर ही रियायती दर लागू होगी ।						
10.	क्षे.सहा.आयु., इंदौर 01	2004–05 जनवरी 2008	थिनर 0.69	13.8	10	0.03
कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (जुलाई 2008) कि थिनर के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर इसको केमिकल्स मानते हुए 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था । उत्तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय[38] के अनुरूप नहीं है, जिसमें थिनर को डाईज एवं पेन्ट्स के तहत 13.8 प्रतिशत की दर से कर योग्य माना गया है ।						
11.	वृत्त कार्यालय-XII, इंदौर 01	2003–04 जनवरी 2007	लूज लीफ स्प्रिंग 0.34	8	1	0.02
इसे इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2.36 लाख रूपये की मांग सृजित की गई (अप्रैल 2009) ।						
12.	क्षे. सहा.आयु., इंदौर 01	2003–04 जनवरी 2007	लूज लीफ स्प्रिंग 0.28	8	2.3	0.02
इसे इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2007) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।						

[38] मै. एशियन पैन्ट्स इण्डिया लि. इंदौर बनाम आयुक्त, वा.क. {(2002) 35–वी.के.एन.–155}

13.	वृत्त कार्यालय– I, छिन्दवाड़ा 01	2003–04 जनवरी 2007	गुड[39] 0.11	10	4	0.01
प्रकरण को इंगित करने पर पुनः कर निर्धारण के समय 4.99 लाख रूपये मूल्य के सी फार्म प्रस्तुत किये गये, तदनुसार 26,228 रूपये की मांग सृजित की गई (अगस्त 2008) ।						

2.18.2 अगस्त 2008 में क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2004–05 हेतु जनवरी 2008 में कर निर्धारित एक व्यवसाई ने 1.28 करोड़ रूपये मूल्य के पैकिंग मेटेरियल का विक्रय से अन्यथा प्रयोजन हेतु राज्य के बाहर हस्तांतरण (ब्रांच ट्रांसफर) का दावा किया था तथापि इसके संबंध में आवश्यक साक्ष्य/ घोषणापत्र प्रस्तुत करने में असफल रहा था परन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कथित पैकिंग मेटेरियल के विक्रय पर कर निरूपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत की दर से 12.77 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (अगस्त 2008) कि पैकिंग मटेरियल के विक्रय के प्रकरण में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि विक्रय से अन्यथा प्रयोजन हेतु जब वस्तुओं का आवागमन/प्रचालन एक राज्य से दूसरे राज्य के लिये होता है, तो इसको साबित करने की जिम्मेदारी व्यवसाई पर होती है ।

2.18.3 फरवरी 2008 में वृत्त कार्यालय रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवधि 2003–04 से 2004–05 हेतु अक्टूबर 2005 तथा सितम्बर 2006 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाईयों ने 1.72 करोड़ रूपये मूल्य के मोनो फिलामेन्ट यार्न के अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में 'सी' फार्म प्रस्तुत किये थे, तथापि चार प्रतिशत के बजाय 2.3 प्रतिशत की गलत दर से कर निरूपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2.93 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ।

प्रकरणों को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों का अगस्त 2008 में पुनर्निर्धारण किया गया तथा मांग सृजित की गई ।

2.18.4 दिसम्बर 2008 में क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2004–05 हेतु नवम्बर 2007 में कर निर्धारित एक व्यवसाई ने 46.81 लाख रूपये मूल्य के फुटवियर के अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में सी फार्म प्रस्तुत किये थे। लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारी ने म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 29 अगस्त 2003 को जारी अधिसूचना के आधार पर विक्रय को करमुक्त मानते हुये चार प्रतिशत की रियायती

[39] गुड़– जग्गरी

दर से भी कर निरूपित नहीं किया था, यह उचित नहीं था क्योंकि अधिनियम की धारा 8(2) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित राज्य के विक्रय कर कानून के अन्तर्गत यदि किसी वस्तु के क्रय अथवा विक्रय को केवल निर्दिष्ट परिस्थितियों/ शर्तों के तहत कर मुक्त किया जाता है तो ऐसी वस्तुएं आमतौर पर कर मुक्त नहीं मानी जायेंगी । इस प्रकार गलत कर मुक्ति स्वीकृत करने के परिणामस्वरूप चार प्रतिशत की दर से 1.87 लाख रूपये के कर की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण को इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर,2008) कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

2.18.5 अगस्त 2008 में वृत्त कार्यालय, शहडोल के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अवधि 2004–05 हेतु जनवरी 2008 में कर निर्धारित एक व्यवसाई ने 34.08 लाख रूपये मूल्य के *तेंदू पत्ता* के अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में सी फार्म प्रस्तुत किये थे। किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उक्त माल को कर प्रदत्त मानकर कर निरूपित नहीं किया गया था। यह सही नही था क्योंकि व्यवसाई के स्टॉक में विक्रय से संबंधित अवधि में कोई कर प्रदत्त माल नहीं था । इसके परिणामस्वरूप चार प्रतिशत की दर से 1.36 लाख रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

इसे इंगित करने पर (अगस्त 2008), कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था ।

प्रकरण जनवरी 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म.प्र. तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 12,489 प्रकरणों में 115.01 करोड़ रूपये की राशि का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण प्रकट हुआ, जिसे निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	अतिरिक्त छीजन पर शुल्क का अनारोपण/वसूली न होना	3,698	21.66
2.	आबकारी दुकानों की पुनर्नीलामी/ बोली लगाने में हानि	173	8.67
3.	देशी स्पिरिट/परिशोधित स्पिरिट के न्यूमतम स्टॉक का संधारण न करने पर शास्ति का अनारोपण	2,593	6.48
4.	आबकारी दुकानों से लायसेंस फीस की वसूली न होना	379	4.59
5.	लायसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर शास्ति का अनारोपण	2,811	0.31
6.	अन्य	2,835	73.30
योग		**12,489**	**115.01**

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने 10,677 प्रकरणों में अंतर्निहित 99.14 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण को स्वीकार किया। 260 प्रकरणों में 1.58 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की गई है ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 21.68 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

3.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा शासकीय आदेशों का अनुपालन न किए जाने संबंधी कई प्रकरण दृष्टिगत हुए, जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है । ये प्रकरण उदारणात्मक हैं तथा लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी चूकें प्रति वर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती है; लेकिन फिर भी अनियमितताएं जारी रहती है और अगली लेखापरीक्षा किए जाने तक इनका पता नहीं चलता है । शासन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिससे ऐसी गलतियों को संसूचित कर इनसे बचा जा सके तथा भविष्य में इनकी रोकथाम की जा सके ।

3.3 आबकारी शुल्क की वसूली न होना

3.3.1 निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि भारत के अन्दर विदेशी मदिरा/बीयर का निर्यात सन्निहित शुल्क का भुगतान कर या शुल्क की राशि के लिये बैंक गारन्टी प्रस्तुत कर या शोधक्षम प्रतिभूतियों सहित अनुबंध पत्र निष्पादित करने पर किया जा सकेगा । लायसेंस धारक को आयातक इकाई से एक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे, 21 दिनों के भीतर 16 अक्टूबर 2007 तक, उसके बाद अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिन के भीतर, अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए । यदि लायसेंस धारक ऐसा करने में विफल रहता है तो उससे निर्यात की गई मदिरा पर नियमों के अन्तर्गत किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, आरोपणीय शुल्क की वसूली की जाएगी ।

मई एवं अगस्त 2008 के मध्य तीन जिलों[1] की चार आसवनियों[2] एवं एक यवासवनी[3] के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मई 2007 एवं जुलाई 2008 के मध्य लायसेंस धारकों ने 236 अनुज्ञापत्रों पर 6,87,375 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 10,920 बल्क लीटर (ब.ली.) बीयर का निर्यात किया । यद्यपि मदिरा की मात्रा की प्राप्ति के संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर गंतव्य इकाईयों से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे, फिर भी एक से बारह माह व्यतीत हो जाने के बाद भी विभाग द्वारा 12.42 करोड़ रूपये के शुल्क की वसूली के

1 भोपाल, धार तथा खरगोन ।

2 (i) मैसर्स यूनाईटेड स्पिरिट लिमिटेड, भोपाल
(ii) मैसर्स जुबली बीवरेजिज, भोपाल
(iii) मैसर्स ओयसिस डिस्टलरी, धार
(iv) मैसर्स ऐसोसिएटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेबरी लि. खरगौन (ए.ए.बी.एल.)

3 मैसर्स लीला संस ब्रेवरी, भोपाल ।

लिए कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 12.42 करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण जनवरी एवं अप्रैल 2009 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रेषित किये गये थे । आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि अनुज्ञापत्रों की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में 14 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा 222 प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके थे। हालांकि लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि 219 प्रकरणों में अनुज्ञापत्रों की प्रतियां प्राप्त हुई थी, न कि आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन । इसके अतिरिक्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त न होने के कारण शेष प्रकरणों में आबकारी शुल्क भी वसूली योग्य था जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.3.2 परिवहन की गई विदेशी मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 में प्रावधान है कि किसी भी आसवनी, यवासवनी, भाण्डागार अथवा भण्डारण के किसी अन्य स्थान से किसी भी मादक द्रव्य का शुल्क का भुगतान किये बिना या शुल्क के भुगतान के लिये बंध पत्र निष्पादित किये बिना परिवहन नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2008 को जारी अधिसूचना के अनुसार लायसेंसधारक परिवहन की जाने वाली विदेशी मदिरा की सम्पूर्ण मात्रा पर आरोपणीय निर्धारित शुल्क जमा करेगा या समान राशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करेगा या प्रपत्र एफ.एल.–23 में उल्लिखित राशि हेतु पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों सहित एक बंधपत्र निष्पादित करेगा। इसके अतिरिक्त लायसेंसधारक विदेशी मदिरा भाण्डागार के प्रभारी अधिकारी से एक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की अवधि की समाप्ति के 40 दिन के भीतर उस प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसने परिवहन अनुज्ञापत्र जारी किया था । यदि लायसेंसधारक ऐसा करने में विफल रहता है, तो परिवहन की गई विदेशी मदिरा पर आरोपणीय शुल्क की वसूली उसके द्वारा जमा राशि, प्रस्तुत प्रत्याभूति या निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र से की जाएगी। यह नियमों के अंतर्गत किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगी ।

3.3.2.1 जनवरी, 2009 में मैसर्स ग्वालियर डिस्टलर्स लिमिटेड (जिला ग्वालियर) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि लायसेंस धारक द्वारा अक्टूबर तथा दिसम्बर 2008 के मध्य निर्धारित शुल्क को जमा किए बिना या बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत किए बिना या शुल्क की राशि हेतु पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों सहित बंधपत्र निष्पादित किए बगैर सात अनुज्ञापत्रों पर राज्य में स्थित विभिन्न विदेशी मदिरा भाण्डागारों को 23,321.25 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा, जिसमें 53.80 लाख रूपये का आबकारी शुल्क अन्तर्निहित था, का निर्यात किया गया था। परन्तु लायसेंस धारक द्वारा उपरोक्त मदिरा की गंतव्य इकाईयों पर प्राप्ति से संबंधित सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर 40 दिनों की निर्धारित समयावधि के भीतर अनुज्ञापत्र जारीकर्ता प्राधिकारी

को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। फिर भी विभाग द्वारा नियमों के अंतर्गत 53.80 लाख रूपये के आरोपणीय शुल्क को वसूले नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 53.80 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण अप्रैल 2009 में विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया था ।

आबकारी आयुक्त ने बताया (अगस्त 2009) कि सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त हुए थे । तथ्य यह है कि 40 दिनों की अनुग्रह अवधि की समाप्ति के तुरन्त पश्चात शुल्क की वसूली की जानी थी, जो नहीं की गई । इसके अतिरिक्त समय सीमा की समाप्ति के पश्चात सत्यापन प्रतिवेदन स्वीकार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.3.2.2 जिला आबकारी अधिकारी, धार के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2008) में पता चला कि प्रकरणों में 6,866.10 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा, जिसमें 20.80 लाख रूपये का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था, मार्च 2008 में शुल्क का भुगतान या बंधपत्र का निष्पादन किए बगैर बोतल भराई इकाईयों से विदेशी मदिरा भाण्डागार को परिवहन की गई थी। इसके अतिरिक्त पांच माह व्यतीत हो जाने के बाद भी विदेशी मदिरा भाण्डागार से इन परेषणों के सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए थे । सत्यापन प्रतिवेदन के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या परिवहन की गई विदेशी मदिरा पर 20.80 लाख रूपये का शुल्क वास्तव में आरोपित एवं वसूल किया गया था ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था। आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि जबलपुर न्यायालय में तीन प्रकरण लंबित थे। इस प्रकरण में आगामी प्रगति तथा शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.3 [illegible]

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अनुसार एक आसवनी से मध्य प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर स्थित दूसरी आसवनी या मदिरा भाण्डागार या बोतल भराई इकाई या किसी अन्य औद्योगिक इकाई को स्पिरिट का निष्कासन शुल्क भुगतान के बगैर परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित भुगतान हेतु पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों सहित विक्रेता लायसेंसधारक द्वारा प्रपत्र डी–2 में एक बंधपत्र के निष्पादन के अधीन किया जाएगा । अक्टूबर 2008 की अधिसूचना के अनुसार लायसेंसधारक गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से एक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि लायसेंसधारक ऐसा करने में विफल रहता है, तो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि की वसूली निष्पादित किए गए प्रतिभूति बंधपत्र से की जाएगी।

नवरी 2009 में मैसर्स ग्वालियर डिस्टलर्स लिमिटेड (ग्वालियर जिला) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि लायसेंस धारक द्वारा अक्टूबर तथा नवम्बर 2008 के मध्य शुल्क

का भुगतान किए बगैर या पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतियों सहित प्रपत्र ई–2 में बंधपत्र निष्पादित किए बिना दो अनुज्ञापत्रों पर 21,825 प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट (आर.एस.), जिसमें 30.55 लाख रूपये का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था परिवहन किया गया था। लेकिन अनुज्ञापत्रों को जारी करते समय जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) द्वारा बंधपत्र के निष्पादन हेतु राशि का निर्धारण करने के लिए प्रकरण को आबकारी आयुक्त को भेजने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आगे यह देखा गया कि यद्यपि गंतव्य इकाईयों से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर 40 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, फिर भी लायसेंस धारक से कोई राशि वसूल नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 30.55 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण अप्रैल 2009 में विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया था। आबकारी आयुक्त ने बताया (अगस्त 2009) कि परिवहित मदिरा के सत्यापन प्रतिवेदन अप्रैल/मई 2009 में प्राप्त हो गए थे । हालांकि, तथ्य यह है कि विभाग निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन प्रतिवेदनों की प्राप्ति न होने पर शुल्क को वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहा था। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.4 आरक्षित मूल्य का गलत निर्धारण

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा वर्ष 2007–08 तथा 2008–09 के लिए फुटकर मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार किसी दुकान के आरक्षित मूल्य की गणना विगत वर्ष में प्राप्त दुकानों के वार्षिक मूल्य (आधारभूत लायसेंस फीस + वार्षिक लायसेंस फीस) का 20 प्रतिशत जोड़कर की जाएगी । इसके अतिरिक्त यदि विगत वर्ष के दौरान दुकान का व्यवस्थापन वर्ष के किसी भाग के लिए किया गया था, तो सम्पूर्ण वर्ष के लिए दुकान के मूल्य की गणना आनुपातिक आधार पर करने के बाद आरक्षित मूल्य तय करने के लिए उसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

अक्टूबर तथा दिसम्बर 2008 के मध्य तीन[4] जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि विभाग द्वारा अप्रैल 2007 तथा मार्च 2009 के मध्य दो वर्षों के लिए 48 विदेशी मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य 29.94 करोड़ रूपये नियत किया गया था । लेकिन अनुदेशों के अनुसार, विगत वर्ष में दुकानों के प्राप्त मूल्य में 20 प्रतिशत जोड़ने के बाद इसे 32.93 करोड़ रूपये होना चाहिए था ।

इसके अतिरिक्त, बड़वानी जिले में 27 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 की अवधि (339 दिन) हेतु दो विदेशी मदिरा तथा एक देशी मदिरा की दुकानों का मूल्य 2.25 करोड़ रूपये प्राप्त किया गया था । विगत वर्ष के सम्पूर्ण वर्ष के लिए आनुपातिक मूल्य को शामिल करते हुए दुकानों के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर 2007–08 के लिए आरक्षित मूल्य 2.70 करोड़ रूपये तथा

[4] बड़वानी, बुरहानपुर तथा खण्डवा ।

2008–09 के लिए 3.24 करोड़ रूपये तय किया जाना था । लेकिन यह देखा गया कि विभाग द्वारा संबंधित वर्षों के लिए आरक्षित मूल्य क्रमशः 2.68 करोड़ रूपये तथा 3.22 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया था ।

इस प्रकार आरक्षित मूल्य के गलत निर्धारण के कारण 3.03 करोड़ रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया था।

आबकारी आयुक्त ने बताया (अगस्त 2009) कि आरक्षित मूल्य विगत वर्ष के लिए तय किए गए मूल्य में 20 प्रतिशत जोड़ने के बाद निर्धारित किया गया था । तथ्य यह है कि दुकान के आरक्षित मूल्य की गणना विगत वर्ष में प्राप्त दुकानों के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत जोड़कर की जानी थी जो नहीं की गई । तथापि, बड़वानी जिले की एक दुकान के प्रकरण में आनुपातिक आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण किए जाने के संबंध में आबकारी आयुक्त ने कोई टिप्पणी नहीं की । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.5 स्पिरिट/विदेशी मदिरा का निवर्तन न किए जाने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना

मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियमों के अनुसार, देशी स्पिरिट का रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा और इसके अवमानक या मानव उपभोग के लिए अयोग्य पाये जाने पर आबकारी आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेशों के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, इसका पुनर्आसवन किया जाएगा या इसे अस्वीकृत कर नष्ट कर दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त *मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों* के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत लेबल के अंतर्गत बेची गई मदिरा अवमानक स्तर की पाई जाती है या आबकारी आयुक्त को विश्वास है कि नामपत्र अश्लील, मर्यादाहीन या पीड़ादायक है, तो उसके द्वारा ऐसे किसी लेबल के पंजीयन के निरस्तीकरण का आदेश दिया जा सकता है । ऐसे निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप आबकारी आयुक्त लायसेंस धारक द्वारा धारित निरस्त लेबल के स्टॉक के निवर्तन के संबंध में उपयुक्त आदेश भी जारी कर सकता है । नियमों में यह भी प्रावधान है कि लायसेंसधारक प्रपत्र एफ.एल. –9/एफ.एल.–9क में लायसेंस की समाप्ति या निरस्तीकरण के पश्चात स्पिरिट तथा बोतलबंद विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक को सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा । हालांकि, उसे शेष स्टॉक को लायसेंस की समाप्ति या निरस्तीकरण के तीस दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंसधारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, जिसमें उसके विफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य लायसेंसधारक से ऐसे स्टॉक को खरीदने के लिए कह सकता है या स्टॉक के निवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश दे सकता है ।

जून तथा नवम्बर 2008 के मध्य एक एफ.एल.–9[5] लायसेंसधारक सहित चार[6] जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगत हुए :

इकाई का नाम	मदिरा की प्रकृति स्पिरिट/विदेशी मदिरा	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अंतर्निहित राशि (लाख रूपये में)
मैसर्स गोल्ड वाटर ब्रेवरीज लिमिटेड, भिण्ड (एफ.एल. –9)	विदेशी मदिरा तथा स्पिरिट	36,269.0 प्रूफ लीटर बोतल बंद विदेशी मदिरा का स्टॉक जो 31 मार्च 2007 के बाद बेचे जाने योग्य नहीं था, मई तथा जून 2007 के मध्य विभिन्न विदेशी मदिरा के विभिन्न भाण्डागारों से प्राप्त हुआ था । इसके अतिरिक्त 30 जून 2007 को टंकी/कुण्ड में 3,720.1 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 15,703.94 प्रूफ लीटर स्पिरिट अनिवर्तित पड़ी हुई थी ।	70.89
मैसर्स सूर्या बोटलिंग लिमिटेड, सागर (एफ.एल.–9)	विदेशी मदिरा तथा स्पिरिट		40.44
मैसर्स ओएसिस डिस्टिलरी, बोराली जिला धार (एफ.एल.–9)	विदेशी मदिरा	केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के उत्पादन/ निर्माण हेतु वर्ष 2007–08 से लागू किए गए प्रावधान के परिणामस्वरूप परिशोधित स्पिरिट से निर्मित विभिन्न लेबलों की 4,116.36 प्रूफ लीटर बोतल बंद विदेशी मदिरा मई तथा जून 2007 के दौरान विदेशी मदिरा के विभिन्न भाण्डागारों द्वारा धार जिले के एफ.एल. –9 लायसेंस धारक को वापस भेज दी गई थी ।	7.41
देशी मदिरा भाण्डागार, मण्डला	स्पिरिट	मंडला जिले में 6,544.0 प्रूफ लीटर स्पिरिट निर्माणकर्ता देशी मदिरा भाण्डागार में अनिवर्तित पड़ी हुई थी ।	9.16
योग			**127.90 लाख या 1.28 करोड़**

लेखापरीक्षा में अवलोकित किया गया कि इन सभी प्रकरणों में विभाग ने एक से तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी परिशोधित स्पिरिट (आर.एस.) से निर्मित विदेशी मदिरा के लेबलों के पंजीयन के निरस्तीकरण तथा स्टॉक का निवर्तन करने के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

5 एफ.एल.–9 लायसेंस – सम्मिश्रण द्वारा विदेशी मदिरा का उत्पादन/निर्माण तथा बोतल भराई ।

6 भिण्ड, धार, मण्डला तथा सागर ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, मंडला ने बताया (अक्टूबर 2008) कि स्पिरिट के निवर्तन हेतु कार्रवाई करने के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा । जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), धार ने बताया (जून 2008) कि परिशोधित स्पिरिट (आर.एस.) से निर्मित विदेशी मदिरा के पुनर्आसवन के लिए कार्रवाई की जा रही थी। जिला आबकारी अधिकारी, भिण्ड तथा सागर ने बताया (सितम्बर तथा नवम्बर 2008) कि आबकारी आयुक्त के कार्यालय में लायसेंस का नवीनीकरण विचाराधीन था तथा स्टॉक का निवर्तन करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । तथ्य यह है कि स्टॉक का निवर्तन करने के संबंध में इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किए गए थे। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.6 आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किया जाना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अन्तर्गत लायसेंस धारक द्वारा आसवनी में स्पिरिट के निर्धारित न्यूनतम स्टॉक का संधारण किया जाना अपेक्षित है । इसमें विफल रहने की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई गई मात्रा पर पांच रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक की दर से शास्ति आरोपित की जा सकेगी । यह शास्ति इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं, लायसेंस धारक द्वारा देय होगी । जून 2008 में धार जिले की दो[7] आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनवरी एवं फरवरी 2008 के मध्य आसवकों द्वारा 23 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक संधारित नहीं किया गया था। तथापि जिला आबकारी अधिकारी इस प्रकरण को आबकारी आयुक्त के संज्ञान में लाने के लिये कोई कार्रवाई प्रारम्भ करने में असफल रहे थे । निर्धारित न्यूनतम स्टॉक से कम पाई गई 23.23 लाख प्रूफ लीटर स्पिरिट पर आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकतम 1.16 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपित की जा सकती है ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था। आबकारी आयुक्त ने बताया (अगस्त 2009) कि न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने से दुकानों को देशी मदिरा की आपूर्ति प्रभावित नहीं हुई थी । आबकारी आयुक्त ने आगे बताया कि प्रकरणों में कार्यवाही चल रही थी। आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

7 मैसर्स ओएसिस डिस्टिलरीज, बोराली, धार मैसर्स ग्रेट गैलन, सेजबाय, धार ।

3.7 विदेशी मदिरा/बीयर के परिवहन तथा निर्यात में अमान्य छीजन पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना/शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि बोतल बंद विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों के लिए अधिकतम हानि की छूट, दूरी पर बिना विचार किए, निर्यात की गई मदिरा का 0.25 प्रतिशत होगी तथा सभी परिवहनों के लिए यह 0.1 प्रतिशत होगी, यदि विक्रेता लायसेंस धारक तथा क्रेता लायसेंस धारक एक ही जिले के हों और यदि वे अलग–अलग जिले के हों तो यह 0.25 प्रतिशत होगी । यदि बोतल बंद विदेशी मदिरा/बीयर के निर्यात या परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन/हानि होती है तो ऐसी अतिरिक्त हानि पर लायसेंसधारक से निर्धारित शुल्क वसूल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार नियमों के अंतर्गत अनुमत्य सीमाओं से अधिक सभी कमियों पर लायसेंस धारक ऐसी शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जो विदेशी मदिरा की मात्रा पर प्रति प्रूफ लीटरकी दर से उस समय देय अधिकतम शुल्क के तीन गुने से अधिक परन्तु चार गुने से अनधिक की दर से आबकारी आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा आरोपित की जा सकती है।

मई 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य चार[8] जिलों की पांच विदेशी मदिरा विनिर्माणकारी इकाईयों एवं एक यवासवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2007 तथा फरवरी 2009 के मध्य की अवधि में विदेशी मदिरा के निर्यात तथा परिवहन के दौरान 1,718 प्रकरणों में लायसेंस धारकों द्वारा 7,603.985 प्रूफ लीटर स्पिरिट तथा 60,556.19 बल्क लीटर बीयर नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा से अधिक हानि के रूप में दर्शाई गई थी । इस प्रकार 2 अक्टूबर 2008 तक 4,746.995 प्रूफ लीटर स्पिरिट तथा 55,211.69 बल्क लीटर बीयर की अतिरिक्त हानियों पर 28.12 लाख रूपये का शुल्क लायसेंसधारक से वसूली योग्य था तथा 2,856.99 प्रूफ लीटर स्पिरिट एवं 5,344.5 बल्क लीटर बीयर की शेष हानियों पर लाययसेंसधारक पर 56.24 लाख रूपये की न्यूनतम शास्ति भी आरोपित नहीं की गई थी। परन्तु यह देखा गया कि ग्वालियर जिले में लायसेंसधारक से केवल 6.23 लाख रूपये की राशि वसूल की गई थी तथा आबकारी शुल्क की शेष राशि 21.89 लाख रूपये की वसूली एवं 56.24 लाख रूपये की न्यूनतम शास्ति के आरोपण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 78.13 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने अक्टूबर 2009 में बताया कि धार एवं ग्वालियर जिलों की इकाईयों से संबंधित प्रकरणों में 11.49 लाख रूपये की वसूली कर ली गई थी एवं शेष राशि की वसूली हेतु कार्रवाई जारी थी ।

प्रकरण जनवरी एवं अप्रैल 2009 के मध्य शासन को प्रेषित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

8 धार, ग्वालियर, खरगौन एवं मुरैना ।

3.8 मदिरा की दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 2007–08 के दौरान मदिरा दुकानों की विक्रय शर्तों में प्रावधान है कि यदि कोई उच्चतम बोलीदाता अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, नियत समय पर आधारभूत लायसेंस फीस/प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है अथवा विक्रय की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो दुकान का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा । पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई किसी भी हानि की वसूली चूककर्ता से की जाएगी ।

अगस्त 2008 में जिला आबकारी अधिकारी, दमोह के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक सफल बोलीदाता वर्ष 2007–08 हेतु तीन मदिरा दुकानों की आधारभूत लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति जमा राशि की निर्धारित राशि का भुगतान करने में असफल रहा था। परिणामस्वरूप दुकानों का पुनर्विक्रय करना पड़ा । दुकानों के पुनर्विक्रय में धरोहर राशि निक्षेप के रूप में जमा 3.43 लाख रूपये की राशि के समपहरण को ध्यान में रखते हुए शासन को 64.57 लाख रूपये की हानि हुई । परन्तु विभाग द्वारा चूककर्ता से इस राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप 64.57 लाख रूपये की राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (अक्टूबर 2009) कि वसूली की कार्रवाई जारी थी ।

प्रकरण जनवरी 2009 में शासन को प्रेषित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.9 गलत दरें लागू किए जाने के कारण पॉप स्ट्रॉ (अफीम भूसी) पर परिवहन फीस का कम आरोपण

नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ (मध्य प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 37–एच (2) में अफीम भूसी का एक पी.एस.–2[9] लायसेंसधारक से दूसरे पी.एस.–2 लायसेंसधारक को परिवहन करने पर पांच रूपये प्रति किलो ग्राम की दर से परिवहन फीस के आरोपण का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, जब अफीम भूसी को किसानों से थोक विक्रेता लायसेंसधारक को या एक ही लायसेंसधारक के एक गोदाम से दूसरे गोदाम को परिवहन किया जाता है तो 25 रूपये प्रति अनुज्ञापत्र की दर से परिवहन फीस प्रभारणीय है ।

जून 2008 में जिला आबकारी अधिकारियों, नीमच तथा शाजापुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 10,05,359 किलो ग्राम अफीम भूसी का 22 थोक विक्रेता लायसेंसधारकों से अन्य लायसेंसधारकों को परिवहन किया गया था । यह देखा गया कि पांच रूपये प्रति किलो ग्राम की दर से आरोपणीय 50.27 लाख रूपये के विरूद्ध 25 रूपये प्रति अनुज्ञापत्र

9 पॉपी स्ट्रॉ का थोक विक्रेता लायसेंसधारक ।

की दर से 9,600 रूपये का परिवहन फीस आरोपित की गई थी। गलत दरें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 50.17 लाख रूपये के परिवहन शुल्क/फीस का कम आरोपण हुआ ।

प्रकरण जनवरी तथा फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था। आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि पी.एस.–2 उत्पादन जिलों से किसी अन्य पी.एस.–2/पी.एस. –3 लायसेंसधारकों को अफीम भूसी का परिवहन किए जाने पर पांच रूपये प्रति किलो ग्राम की दर से परिवहन फीस आरोपणीय थी । इन प्रकरणों में परिवहन फीस 25 रूपये प्रति अनुज्ञापत्र की दर से आरोपित की गई थी जो लायसेंसधारक के एक गोदाम से दूसरे गोदाम को परिवहन किए जाने की स्थिति में प्रभारणीय थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अफीम भूसी की प्रत्येक दुकान के लिए अलग से लायसेंस जारी किया गया था तथा इस प्रकार उसे एक पी.एस.–2 लायसेंसधारक से दूसरे पी.एस.–2 लायसेंसधारक को परिवहन किया गया था। इसलिए उपरोक्त नियमों के नियम 37 (एच) के अनुसार पांच रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से परिवहन फीस आरोपणीय थी । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.10 पुनर्आसवन में स्पिरिट की छीजन की गलत छूट

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के विनिर्माण के लिए पुनर्आसवन के दौरान परिशोधित स्पिरिट की छीजन के लिए छूट का कोई प्रावधान नहीं है । जून 2008 में धार जिले की एक आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2007 एवं अप्रैल 2008 के मध्य ई.एन.ए. का उत्पादन करने के लिए 66 डिग्री ओवर प्रूफ[10] 16.28 लाख बल्क लीटर परिशोधित स्पिरिट का पुनर्आसवन किया गया था तथा 19,100 बल्क लीटर/ 31,707.6 प्रूफ लीटर परिशोधित स्पिरिट की छीजन की छूट प्रदान की गई थी, जो अनुमत्य नहीं थी । इसके परिणामस्वरूप 44.39 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया था। आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि हानि नियमों में निर्धारित दो प्रतिशत से कम थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दो प्रतिशत की छीजन का प्रावधान मानव उपभोग के अयोग्य मदिरा के पुनर्आसवन के प्रकरण में लागू होता है लेकिन ई.एन.एस. के विनिर्माण हेतु परिशोधित स्पिरिट के पुनर्आसवन के प्रकरण में यह लागू नहीं है । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

10 साइक्स हाइड्रोमीटर या आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपकरण द्वारा निर्धारित प्रूफ की शक्ति ।

3.11 शीरे की हानि की गलत छूट

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों में परिवहन के समय, भण्डारण में या अन्यथा शीरे की हानि पर कोई छूट प्रदान करने का प्रावधान नहीं है ।

3.11.1 मई 2008 में खरगोन जिले की एक[11] आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि आसवनी द्वारा मई 2008 में पांच स्थापनों में 2,135.43 क्विंटल किण्वनयोग्य शक्रा से सन्निहित 4,950 क्विंटल शीरे का उपयोग किया गया था, जिससे मानकों के अनुसार 1,96,032 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता था । हांलाकि स्थापन संख्या 32 में उपयोग किए गए 495 क्विंटल शीरे की हानि के कारण, केवल 1,76,594.7 प्रूफ लीटर अल्कोहल प्राप्त हुआ था । इसके परिणामस्वरूप देशी मदिरा के प्रति प्रूफ लीटर 140 रूपये की दर से 27.21 लाख रूपये के आबकारी शुल्क से अन्तर्निहित 19,437.3 प्रूफ लीटर अल्कोहल की कम प्राप्ति हुई । विभाग ने आसवक से शुल्क को आरोपित/वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था । आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि *पंचनामा* स्थल पर ही तैयार किया गया था तथा प्रकरण विचाराधीन है । लेकिन उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रकरण में *पंचनामा* के साथ शुल्क के आरोपण का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया था। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.11.2 मार्च 2009 में जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी), छतरपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 4 से 6 नवम्बर 2008 के दौरान आसवक द्वारा शीरे की स्टॉक पंजी (डी–5) में अल्कोहल के उत्पादन के लिए 258 क्विंटल शीरे का उपयोग किया जाना दर्शाया गया था । लेकिन आसवक ने न तो किण्वन एवं आसवन पंजी (डी–9) में शीरे के इस स्टॉक से अल्कोहल के उत्पादन की प्रक्रिया को अभिलेखित किया था और न ही उससे प्राप्त अल्कोहल की किसी मात्रा को लेखांकित किया था। इसके परिणामस्वरूप 14 लाख रूपये के आबकारी शुल्क से सन्निहित 10,006 प्रूफ लीटर अल्कोहल का लेखांकन/उत्पादन नहीं हुआ । इस प्रकार शासन 14 लाख रूपये के राजस्व से वंचित हो गया ।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने बताया (मार्च 2009) कि लिपिकीय त्रुटि के कारण अभिलेखों में शीरे की प्रविष्टि दो बार की गई थी जिसे सुधार लिया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पंजी डी–5 में शीरे की खपत वाले कॉलम में दर्शाई गई प्रत्येक प्रविष्टि के साथ अंतिम शेष के संगत आंकड़ो को कम करके दर्शाया गया था, जिन्हें जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवधिक अंतरालों पर सम्यक रूप से प्रमाणित किया गया था । इसलिए दोहरी प्रविष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

11 मैसर्स ऐसोसियेटिड अल्कोहल तथा ब्रेबरी, खोदीग्राम जिला खरगौन ।

प्रकरण अप्रैल 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.12 स्पिरिट/देशी मदिरा की अमान्य छीजन

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अनुसार एक आसवनी/भाण्डागार से दूसरे आसवनी/भाण्डागार को टैंकरों से परिवहन या निर्यात की गई स्पिरिट पर रिसाव या वाष्पीकरण के कारण 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है । नियमों में निर्माणकर्ता भाण्डागारों में देशी मदिरा के आसवन तथा बोतल भराई की प्रक्रिया के दौरान रैकिंग/यथास्थान रखने, भण्डारण, वाष्पीकरण तथा अन्य कार्यो के लिये 1.5 प्रतिशत प्रति क्वार्टर की छीजन की अनुमति प्रदान की गई है । अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन होने की स्थिति में आबकारी आयुक्त या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति आरोपित कर सकता है । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियमों में प्रावधान है कि परिवहन के दौरान 0.5 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा से अधिक बोतल बंद देशी मदिरा की छीजन होने की स्थिति में लायसेंसधारक से निर्धारित दरों पर शुल्क की वसूली की जाएगी ।

दिसम्बर 2007 तथा दिसम्बर 2008 के मध्य 10[12] आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नवम्बर 2004 तथा अप्रैल 2008 के मध्य की अवधि के दौरान 326 अनुज्ञापत्रों पर आसवनियों से पांच जिलों के निर्माणकारी भाण्डागारों को निर्यात तथा परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक 53,890.2 प्रूफ लीटर स्पिरिट की छीजन पर 16.17 लाख रूपये की शास्ति आरोपणीय थी । इसके अतिरिक्त देशी मदिरा भाण्डागार, भोपाल में अक्टूबर से दिसम्बर 2007 की तिमाही के दौरान रैकिंग, भण्डारण, वाष्पीकरण तथा अन्य कारणों से 11,114.26 प्रूफ लीटर स्पिरिट की अतिरिक्त छीजन पर भी 3.33 लाख रूपये की शास्ति आसवक पर आरोपणीय थी ।

इसके अलावा, पांच जिलों के 239 प्रकरणों में सितम्बर 2004 से मई 2008 के मध्य की अवधि के दौरान विनिर्मात्री वेयर हाउसों से भण्डारण वेयर हाउसों को बोतल बंद देशी मदिरा के परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक 2,510.833 प्रूफ लीटर देशी मदिरा की अतिरिक्त छीजन हेतु 3 लाख रूपये का शुल्क वसूली योग्य था। परन्तु यह देखा गया कि पन्ना जिले में विभाग द्वारा 1.08 लाख रूपये में से केवल 9,315 रूपये की राशि वसूल की गई थी तथा शेष प्रकरणों में शुल्क की वसूली तथा शास्ति आरोपित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 22.41 लाख रूपये के शुल्क /शास्ति की प्राप्ति नहीं हुई ।

12 बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, हरदा, खरगौन, पन्ना, टीकमगढ़ तथा विदिशा ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया (अक्टूबर 2009) कि तीन कार्यालयों से संबंधित प्रकरणों में 2.19 लाख रूपये की वसूली कर ली गई थी तथा शेष प्रकरणों में कार्रवाई प्रचलित थी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रकरण फरवरी 2009 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.13 विदेशी मदिरा के सामयिक निवर्तन में विफलता के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में प्रावधान है कि जब मदिरा की विक्रय हेतु आवश्यकता हो तो बोतल भराई की जाएगी । इसके अलावा विनिर्मित तथा बोतल भराई हेतु तैयार विदेशी मदिरा के प्रत्येक बैच के नमूनों का बोतलों में भरे जाने से पूर्व प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाएगा । विनिर्मात्री या बोतल भराई इकाई का प्रभारी अधिकारी उस विदेशी मदिरा के निर्गमन को रोक सकता है जिसे वह अच्छी गुणवत्ता की नहीं समझता है तथा वह प्रत्येक ऐसे अवसर पर उन्हें लायसेंसधारक के व्यय पर रासायनिक विश्लेषण/परीक्षण हेतु विभागीय प्रयोगशाला या किसी अन्य प्राधिकृत प्रयोगशाला में भेजने के लिए नमूने ले सकता है ।

सितम्बर 2008 में सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि फरवरी 2001 तथा नवम्बर 2006 के मध्य एक विदेशी मदिरा बोतल भराई संयंत्र (राज ब्रिवरीज लि. भोपाल) में 19.80 लाख रूपये के शुल्क से अन्तर्निहित 11,002.5 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा बोतलों में भरी गई थी तथा लायसेंस की वैधता अवधि (मार्च 2007) के समाप्त हो जाने के बाद भी संयंत्र में रखी गई थी । लायसेंसधारक/विभाग द्वारा आवश्यकता से अधिक इस बोतल बंद मदिरा का निवर्तन करने के लिए लायसेंस की वैधता अवधि के दौरान 4 से 74 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कोई प्रयास नहीं किए गए थे। हालांकि उक्त मदिरा को विभाग द्वारा विभागीय या किसी अन्य प्राधिकृत प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण किए बिना लायसेंसधारक के अनुरोध पर उसकी स्वयं की प्रयोगशाला के विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर जुलाई 2008 में नष्ट कर दिया गया था । इस प्रकार आवश्यकता से अधिक मदिरा की बोतल भराई तथा सामयिक निवर्तन में विभाग की विफलता और उसके अनियमित विनष्टीकरण के परिणामस्वरूप 19.80 लाख रूपये के आबकारी शुल्क की हानि हुई ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था । आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि मदिरा का रासायनिक विश्लेषण करने के बाद उसे नष्ट किया गया था जिसमें पता चला था कि वह मानव उपभोग के अयोग्य थी । उत्तर नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिनमें व्यवस्था है कि विभागीय या किसी अन्य प्राधिकृत प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण किए बिना विनष्टीकरण नहीं किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, मदिरा काफी पहले फरवरी 2001 तथा नवम्बर 2006 के मध्य विनिर्मित की गई थी

तथा विभाग छः वर्षो से अधिक समय तक मदिरा का निवर्तन करने के संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफल रहा था जिसके फलस्वरूप अन्ततः राजस्व की हानि हुई । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.14 अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि आसवक न्यूनतम किण्वन एवं आसवन क्षमताएं क्रमशः 84 एवं 97 प्रतिशत बनाये रखेंगे । विभागीय प्रयोगशाला प्रतिवेदनों के अनुसार शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शक्ररा के प्रत्येक क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए । इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर विभागीय प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजा जाना अपेक्षित है । आसवक के निर्धारित क्षमताओं को बनाये रखने एवं अल्कोहल उतारी में असफल रहने की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा अधिकतम 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति आरोपित की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक विशिष्टीकरणों (आई.एस.एस.) के अनुसार क्रमशः 50, 44 तथा 40 प्रतिशत शक्ररा की न्यूनतम मात्रा के अनुसार शीरे की तीन श्रेणियां होंगी ।

3.14.1 मार्च 2008 में छतरपुर जिले की एक[13] आसवनी के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि आसवक ने माह अप्रैल 2007 तथा फरवरी 2008 में आठ स्थापनों में ग्रेड –1 के 4,395.9 क्विंटल शीरे का उपयोग किया था, लेकिन शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शक्ररा की जांच करने के लिए सम्मिश्रित नमूनों को विभागीय प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया था। आई.एस.एस.के मानकों के अनुसार, 4,395.9 क्विंटल शीरे से 1,91,683 प्रूफ लीटर अल्कोहल प्राप्त होना चाहिए था जबकि केवल 1,61,819 प्रूफ लीटर अल्कोहल प्राप्त हुआ था । इस प्रकार 41.81 लाख रूपये के शुल्क से अंतर्निहित 29,864 प्रूफ लीटर अल्कोहल की कम प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने शास्ति के आरोपण हेतु इन प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को प्रेषित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 8.96 लाख रूपये की शास्ति की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था । आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि प्रकरण की सुनवाई उसके न्यायालय में लंबित थी। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.14.2 मई तथा जून 2008 में दो[14] आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि विभागीय प्रयोगशाला के विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार, सितम्बर 2004 तथा जनवरी 2008 के

13 मैसर्स कॉक्स इंडिया लिमिटेड, नौगांव जिला छतरपुर ।

14 मैसर्स अग्रवाल डिस्टिलरी, सबलपुरा जिला खरगौन ।
मैसर्स ऐसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरी, खोडीग्राम जिला खरगौन ।

मध्य उपयोग किए गए 29,700 क्विंटल शीरे से 9,91,300.7 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए था, जबकि वास्तविक उत्पादन 9,69,664.6 प्रूफ लीटर था । इस प्रकार आसवकों द्वारा आसवन की न्यूनतम क्षमता का संधारण न किए जाने के कारण 21,636.1 प्रूफ लीटर अल्कोहल के कम उत्पादन के परिणामस्वरूप 24.64 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई क्योकिं नियमों में उसकी वसूली के किये कोई प्रावधान नहीं था । इसके अतिरिक्त, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने शास्ति के आरोपण हेतु इन प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को प्रेषित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 6.49 लाख रूपये की शास्ति की प्राप्ति नहीं हुई ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मैसर्स ए.ए.बी.एल. आसवनी के प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी, खरगोन ने बताया (मई 2008) कि आसवक को 'कारण बताओं' नोटिस जारी किया गया था जबकि मैसर्स अग्रवाल आसवनी के प्रकरण में यह बताया गया (जून 2008) कि प्रकरण आबकारी आयुक्त कार्यालय में विचाराधीन था तथा प्रकरण में निर्णय के पश्चात कार्रवाई की जाएगी । प्रकरण में आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

उपरोक्त प्रकरणों से यह देखा जा सकता है कि अल्कोहल के उत्पादन में कमी से होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति के लिये शासन द्वारा निर्धारित 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की दाण्डिक राशि पर्याप्त नहीं है । अस्तु, शासन को राजस्व के हित में दाण्डिक उपाय/राशि के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए ।

प्रकरण जनवरी 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.15 शासकीय देय राशियों की वसूली न होना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार मादक पदार्थो के किसी लायसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा, किसी बहिर्गामी लायसेंसधारक द्वारा उसके लायसेंस की समाप्ति, निलंबन या निरस्तीकरण के पश्चात छोड़े गए मादक द्रव्यों को उनके ऐसे मूल्यों के भुगतान पर, जो आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित किये जाए, क्रय किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न लायसेंसों द्वारा समाहित मादक पदार्थो पर शासन द्वारा शुल्क की दरों में वृद्धि किए जाने की स्थिति में लायसेंसधारक उस दिन के ठीक पूर्व दिन की समाप्ति पर, जबसे ऐसे वृद्धि लागू हुई थी, उनके द्वारा धारित स्टॉक के संबंध में 30 दिनों के भीतर विभेदक शुल्क का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा । शासन ने 1 अप्रैल 2006 से देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क की दर में 10 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की वृद्धि की थी ।

अगस्त तथा नवम्बर 2008 में जिला आबकारी अधिकारी, दतिया तथा दमोह के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि दतिया जिले की 18 देशी मदिरा तथा छः विदेशी मदिरा दुकानों

को अप्रैल से मई 2004 तक विभागीय रूप से संचालित किए जाने के बाद उन्हें फुटकर विक्रेताओं के पक्ष में निवर्तित कर दिया गया था। मूल्य की वसूली किए बिना 9.37 लाख रूपये मूल्य के मादक पदार्थों को नये विक्रेताओं को हस्तान्तरित कर दिया गया था। लेकिन विभाग राजस्व की वसूली न किए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में विफल रहा ।

इसके अलावा 31 मार्च 2006 की समाप्ति पर दमोह जिले की सात फुटकर दुकानों के लायसेंसधारकों के आधिपत्य में 46,152.5 प्रूफ लीटर देशी मदिरा तथा 2,352.7 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा का अंतिम स्टॉक शेष था, जिस पर लायसेंसधारकों द्वारा 4.85 लाख रूपये का शुल्क देय था । लेकिन यह देखा गया कि लायसेंसधारकों द्वारा 4.85 लाख रूपये के विरूद्ध 38,563 रूपये का भुगतान किया गया था तथा 4.46 लाख रूपये की वसूली नहीं हुई थी। शेष राशि को वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 13.83 लाख रूपये की शासकीय देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई ।

इसे इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, दतिया ने बताया (नवम्बर 2008) कि संबंधित अधिकारियों से वांछित जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी जबकि जिला आबकारी अधिकारी, दमोह ने बताया (अगस्त 2008) कि 4.46 लाख रूपये की शेष राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जनवरी तथा फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.16 लाटरी पद्धति के तहत दुकानों के पुनर्विक्रय से हुई हानि की वसूली का प्रावधान न होना

निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मदिरा दुकानों की विक्रय शर्तों में प्रावधान है कि यदि कोई उच्चतम बोलीदातां अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है, आधार भूत लायसेंस फीस का भुगतान करने/प्रतिभूति जमा राशि समय पर जमा करने में विफल रहता है अथवा विक्रय की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो दुकान का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा । पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई किसी हानि की वसूली चूककर्ता से की जाएगी । वर्ष 2005–06 के लिए लाटरी पद्धति के माध्यम से फुटकर मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तों के अनुसार, लाटरी पद्धति के माध्यम से विक्रय न की जा सकी दुकान को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाना था । लाटरी पद्धति के तहत शासन द्वारा अधिसूचित विक्रय की शर्तों में दुकानों के पुनर्विक्रय के दौरान शासन को हुई हानि की वसूली के लिए प्रावधान नहीं है ।

जुलाई 2008 में जिला आबकारी अधिकारी, टीकमगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि एक आवेदक को लाटरी पद्धति के तहत 28.90 लाख रूपये के वार्षिक मूल्य पर तीन

मदिरा दुकनों के आवंटन हेतु सफल घोषित किया गया था । सफल बोलीदाता बाद में निर्धारित दिनांक के भीतर आधारभूत लायसेंस फीस तथा प्रतिभूति जमा राशि जमा करने में विफल रहा था तथा दुकानों का 18.83 लाख रूपये में पुनर्विक्रय करना पड़ा था । दुकानों के पुनर्विक्रय की इस प्रक्रिया में धरोहर राशि निक्षेप के रूप में जमा 23,000 रूपये की राशि के समपहरण को ध्यान में रखते हुए शासन को 9.84 लाख रूपये की हानि हुई थी। चूंकि लाटरी पद्धति में दुकानों के पुनर्विक्रय के कारण शासन को हुई हानि की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था, अतः 9.84 लाख रूपये की विभेदक राशि को वसूल करने के लिए चूककर्ता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी ।

प्रकरण जनवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रेषित किया गया।

आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि ऐसी राशि की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं है । उत्तर इस विषय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में विभाग/शासन की निष्क्रियता के कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है, जिनके कारण वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के क्रमागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रमुखता से इंगित किए जाने के बावजूद राजस्व की आवर्ती हानि हुई है । शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.17 नियमों के उल्लंघन के लिए आरोपित शास्ति की वसूली न होना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त या कलेक्टर, नियमों या लायसेंस की शर्तो के भंग या उनका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, शास्ति आरोपित कर सकता है । इसके अलावा, आरोपित शास्ति लायसेंसधारक से वसूली योग्य है तथा जमा न किए जाने की स्थिति में इसे उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से वसूल किया जा सकता है ।

अगस्त 2008 में जिला आबकारी अधिकारी, दमोह के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 2005–06 से 2007–08 की अवधि के दौरान विभिन्न लायसेंसधारकों द्वारा लायसेंस के नियमों या शर्तो का उल्लंघन किए जाने के 1,041 प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा 7.81 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गई थी । लायसेंसधारकों से शास्ति की इस राशि की वसूली उनके लायसेंसों की समाप्ति के पश्चात भी नहीं की गई थी । चूंकि उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि भी लौटा दी गई थी, इसलिए वसूली की सम्भावना नगण्य है ।

प्रकरण फरवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था । आबकारी आयुक्त ने बताया (जुलाई 2009) कि 49,250 रूपये की वसूली कर ली गई थी तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी । शेष राशि की वसूली का प्रतिवेदन और शासन से उत्तर की प्राप्ति नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

3.18 आधारभूत लायसेंस फीस की कम वसूली

राज्य शासन द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2007 को जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2007–08 के लिए मदिरा दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2006–07 के लिए दुकानों के वार्षिक मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके किया जाना था । नवीनीकरण के पश्चात शेष दुकानों का निविदाओं के माध्यम से विक्रय किया जाना था लेकिन आरक्षित मूल्य परिवर्तित नहीं किया जाना था। लायसेंसधारक द्वारा आरक्षित मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से आधारभूत लायसेंस फीस जमा की जानी थी ।

दिसम्बर 2008 में जिला आबकारी अधिकारी, विदिशा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वर्ष 2007–08 के लिए 12 समूहों की 16 देशी मदिरा तथा पांच विदेशी मदिरा दुकानों के निवर्तन के लिए 14.21 करोड़ रूपये का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया था । सफल बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जाने योग्य 1.13 करोड़ रूपये की आधारभूत लायसेंस फीस के विरूद्ध 1.06 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 7.73 लाख रूपये के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2008) कि आधारभूत लायसेंस फीस दुकानों के निम्नतम निर्धारित मूल्य के आधार पर आठ प्रतिशत की दर से जमा की गई थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आधारभूत लायसेंस फीस आरक्षित मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से जमा की जानी थी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.19 वेयर हाउसों में देशी मदिरा की आपूर्ति में विफलता की स्थिति में शास्ति आरोपित न किया जाना

मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियमों में प्रावधान है कि लायसेंसधारक प्रत्येक "विनिर्मात्री एवं भण्डारण वेयरहाउस" में बोतल बंद मदिरा/परिशोधित स्पिरिट का अपेक्षित न्यूनतम स्टॉक संधारित करेगा। वह संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित खाली बोतलों के अपेक्षित न्यूनतम स्टॉक का भी संधारण करेगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त इन नियमों में से किसी को भी भंग करने या उल्लंघन करने के लिए अधिकतम 50,000 रूपये तक की शास्ति आरोपित कर सकता है तथा लगातार उल्लंघन किए जाने की स्थिति में आगे भी प्रत्येक उस दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लघंन जारी रखा जाता है, अधिकतम 1,000 रूपये तक की अतिरिक्त शास्ति आरोपित कर सकता है ।

जुलाई तथा दिसम्बर 2008 के मध्य पांच[15] आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल तथा नवम्बर 2008 के मध्य की अवधि के दौरान लायसेंसधारकों द्वारा देशी मदिरा वेयर हाउसों में नियमों के अनुसार निर्धारित स्पिरिट, बोतलबंद मदिरा तथा खाली बोतलों का न्यूनतम स्टॉक संधारित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, फुटकर विक्रेताओं को बोतलबंद देशी मदिरा की आपूर्ति आगामी पखवाड़े/माह में ही की जा सकी थी। फिर भी सीलबंद बोतलों में परिशोधित स्पिरिट तथा/या देशी मदिरा प्रचलित खुली बाजार दर पर क्रय करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और न ही नियमों को भंग करने एवं लगातार उनका उल्लंघन करने के लिए लायसेंसधारकों पर 7.63 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 7.63 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, हरदा ने बताया (अक्टूबर 2008) कि नई खाली बोतलों की अनुपलब्धता के कारण आगामी पखवाड़ों में निकासी की गई थी । जिला आबकारी अधिकारी, बुरहानपुर ने बताया (दिसम्बर 2008) कि समय समय पर आबकारी आयुक्त को स्थिति से अवगत कराया गया था । जिला आबकारी अधिकारी, दमोह तथा खण्डवा ने बताया (जुलाई तथा अक्टूबर 2008) कि आपूर्ति बाधित नहीं हुई थी तथा प्रशासनिक कारणों के कारण निकासी आगामी पखवाड़ों में की गई थी । जिला आबकारी अधिकारी, टीकमगढ़ ने बताया (जुलाई 2008) कि आसवक को नोटिस जारी किए गए थे जिनका उत्तर प्रतीक्षित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार मदिरा/बोतलबंद मदिरा तथा खाली बोतलों के निर्धारित स्टॉक का संधारण न करने के लिए शास्ति के प्रस्ताव सहित प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को अग्रेषित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी ।

प्रकरण फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

3.20 परिवहन/आयात शुल्क का अनारोपण/ कम आरोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई को परिवहित/आयात की गई विदेशी मदिरा/बीयर आर.एस.तथा ई.एन.ए. पर समय समय पर निर्धारित दरों से परिवहन/आयात शुल्क के आरोपण का प्रावधान है ।

मई तथा जून 2008 में जिला आबकारी अधिकारी, खरगोन के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल तथा जून 2006 के मध्य दो आसवनियों से विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई को 1.68 लाख बल्क लीटर ई.एन.ए./आर.एस. के परिवहन की अनुमति 4.20 लाख रूपये की परिवहन शुल्क वसूली किए बिना ही प्रदान की गई थी। इसके अतिरक्ति, मार्च 2008 में उत्तराखण्ड से लाई गई 7,753.5 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा पर 2.33 लाख रूपये

15 बुरहानपुर, दमोह, हरदा, खण्डवा तथा टीकमगढ़ ।

का आयात शुल्क भी वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 6.53 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण जनवरी 2009 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था। मैसर्स ए.ए.बी.एल. डिस्टिलरी, खरगोन के प्रकरण में आबकारी आयुक्त ने बताया (अगस्त 2009) कि स्पिरिट पाइप लाइन के माध्यम से स्थानान्तरित की गई थी, इसलिए शुल्क आरोपणीय नहीं था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाइप लाइन के माध्यम से मदिरा के परिवहन/स्थानान्तरण की स्थिति में परिवहन शुल्क में कोई रियायत देने का नियमों में प्रावधान नहीं है । मैसर्स अग्रवाल डिस्टिलरी के एक अन्य प्रकरण में उन्होंने बताया कि देशी मदिरा विनिर्मित करने के लिए परिवहित परिशोधित स्पिरिट पर परिवहन शुल्क आरोपणीय नहीं था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आबकारी आयुक्त ने स्वंय अपने आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2006 द्वारा इस प्रकार परिवहित परिशोधित स्पिरिट से विदेशी मदिरा के विनिर्माण हेतु अनुमति प्रदान की थी, जबकि आसवक ने परिशोधित स्पिरिट का उपयोग देशी मदिरा के विनिर्माण में किया था। शासन से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

अध्याय – 4 : वाहनों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 5,962 प्रकरणों में 21.88 करोड़ रूपये के कर का अनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं प्रशमन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण ।	1,820	13.33
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण ।	2,948	6.37
3.	अन्य अनियमितितायें	1,194	2.18
योग		**5,962**	**21.88**

विभाग ने 4,851 प्रकरणों में 19.09 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण/हानि को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2008–09 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था । विभाग द्वारा 311 प्रकरणों में 64.12 लाख रूपये की राशि वसूल की गई ।

कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 20.22 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है, का उल्लेख आगामी कण्डिकाओं में किया गया है ।

4.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (अधिनियम) के प्रावधानों तथा शासकीय अधिसूचनाओं का अनुपालन न किए जाने संबंधी कई प्रकरण तथा अन्य प्रकरण प्रकट हुए जैसा कि इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है । ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । यद्यपि क्षेत्रीय परिवन अधिकारियों द्वारा की गई गई ऐसी चूकें प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती हैं, फिर भी न केवल अनियमितताएं विद्यमान/जारी रहती हैं, बल्कि अगली लेखापरीक्षा किये जाने तक उनका पता नहीं लगया जाता । शासन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता हैं ।

4.3 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम तथा अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में

(i) नियत तिथियों के भीतर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों पर निर्धारित दरों से कर/शुल्क की वसूली; तथा

(ii) विभिन्न अपराधों के लिए शास्ति के आरोपण का प्रावधान है ।

यह देखा गया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने उपरोक्त में से कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 20.22 करोड़ रूपये के कर/शुल्क/अर्थदण्ड का अनारोपण/कम आरोपण हुआ, जैसा कि कंडिका क्रमांक 4.3.1 से 4.3.7 में उल्लेख किया गया है ।

4.3.1 वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन पर अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर कर आरोपित किया जाएगा । यदि वाहन स्वामी कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह फरवरी 2003 तक प्रत्येक माह की चूक के लिए कर की भुगतान न की गई राशि के एक तिहाई की दर से तथा इसके पश्चात तीन माह तक दो प्रतिशत प्रतिमाह तथा इसके पश्चात सितम्बर 2004 तक चार प्रतिशत की दर से, किन्तु कर की अदत्त राशि के दुगुने से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायी होगा । इसके पश्चात शास्ति की दर चार प्रतिशत प्रतिमाह है । भुगतान न करने की स्थिति में कराधान प्राधिकारी एक मांग सूचना पत्र जारी करेगा और देय राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करेगा ।

अप्रैल 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य 30 परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 4,851 वाहनों के संबंध में नवम्बर 2002 से मार्च 2008 की अवधि से संबंधित 11.13 करोड़ रूपये के वाहन कर का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही की गई । इसके अतिरिक्त

7.46 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपणीय होने पर भी आरोपित नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार 18.59 करोड़ रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	कार्यालयों की संख्या	वाहनों की श्रेणी वाहनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	भुगतान न किया गया कर	आरोपणीय शास्ति	योग
1.	30[1]	आरक्षित वाहनों के रूप में रखे गये लोक सेवा वाहन 1,111	11/02 से 3/08	4.58	3.20	7.78
2.	30[2]	माल वाहन 2,939	4/03 से 3/08	3.61	2.52	6.13
3.	28[3]	नियमित स्टेज वाहन अनुज्ञापत्रों पर संचालित लोक सेवा वाहन 397	4/03 से 3/08	2.23	1.32	3.55
4.	15[4]	मैक्सी कैब 404	4/04 से 3/08	0.71	0.42	1.13
योग		**4,851**		**11.13**	**7.46**	**18.59**

यह इंगित किये जाने पर 10 कराधान प्राधिकारियों[5] द्वारा दिसम्बर 2008 एवं जुलाई 2009 के मध्य सूचित किया गया कि 311 प्रकरणों में 64 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी थी। शेष प्रकरणों के बारे में (अप्रैल 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य) सभी कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी/की जा रही थी/चूककर्ता वाहन स्वामियों को

1 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षे.प.का.) – भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन अपर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (अ.क्षे.प.का.) – छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, सतना तथा सिवनी जिला परिवहन कार्यालय (जि.प.का.) – बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, दमोह, देवास, झाबुआ, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी, सीधी तथा टीकमगढ़

2 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन; अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, सतना तथा सिवनी; जि.प.का. – बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, दमोह, देवास, झाबुआ, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, शिवपुरी, सीधी तथा टीकमगढ़

3 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रीवा, सागर तथा उज्जैन; अ.क्षे.प.क. – छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना, कटनी, खण्डवा, मंदसौर, सतना तथा सिवनी; एवं जि.प.का. – बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, दमोह, झाबुआ, नीमच, पन्ना, रतलाम, शिवपुरी, सीधी तथा टीकमगढ़

4 क्षे.प.का. – भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद तथा रीवा, अ.क्षे.का. – छिंदवाड़ा, गुना, खण्डवा, मंदसौर, सतना तथा सिवनी एवं जि.प.का. –बैतूल, झाबुआ, नीमच, शिवपुरी तथा सीधी

5 क्षे.प.का. – ग्वालियर, रीवा; अ.क्षे.प.का. – छतरपुर, छिंदवाड़ा, गुना, मंदसौर तथा सतना; जि.प.का. – बड़वानी, नीमच तथा पन्ना

'कारण बताओं' नोटिस जारी किए जा रहे थे/मांग नोटिस जारी किए जा चुके थे । आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मई 2008 एवं अप्रैल 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त (प.आ.) एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

4.3.2 अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर की वसूली न होना एवं शास्ति का अनारोपण

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88(9) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार (रा.प.प्रा.)द्वारा अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञापत्र जारी किया जाता है । अधिनियम की अनुसूची प्रथम में विनिर्दिष्ट दर से कर देय है । यदि देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया गया हो तो शास्ति भी आरोपणीय है ।

अप्रैल तथा दिसम्बर 2008 के मध्य पांच[6] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 16 प्रचालकों ने फरवरी 2006 एवं मार्च 2008 के मध्य अखिल भारतीय पर्यटन अनुज्ञापत्रों पर प्रचालित 30 लोक सेवा वाहनों के लिये कर का भुगतान नहीं किया था और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी । इसके परिणमस्वरूप 47.22 लाख रूपये कर की वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त शास्ति 25.65 लाख रूपये भी आरोपणीय थी।

यह इंगित किये जाने पर क्षे.प.का. ग्वालियर ने बताया (दिसम्बर 2008) कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किये जा रहे थे, वहीं क्षे.प.का., जबलपुर, अ.क्षे.प.का., छतरपुर तथा जि.प.का., बालाघाट एवं देवास ने बताया (अप्रैल एवं अक्टूबर 2008 के मध्य) कि प्रकरणों का परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है(अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मई 2008 एवं फरवरी 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

4.3.3 निजी सेवा वाहनों से वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार राज्य में उपयोग में लाये गये या उपयोग के लिए रखे गये वाहन पर कर आरोपित किया जाता है । निजी सेवा वाहनों पर कर *अधिनियम* की अनुसूची प्रथम की मद संख्या VII में विनिर्दिष्ट दर से देय होगा । यदि निर्धारित समयावधि में देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है तो शास्ति भी आरोपणीय है ।

दिसम्बर 2008 एवं फरवरी 2009 के मध्य क्षे. प.का., ग्वालियर एवं इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 44 निजी सेवा वाहनों पर अप्रैल 2007 एवं मार्च 2008 के मध्य वाहन कर का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा किया गया और न ही कर निर्धारण

[6] क्षे.प.का.– ग्वालियर तथा जबलपुर; अ.क्षे.प.का. – छतरपुर एवं जि.प.का. – बालाघाट तथा देवास ।

अधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई । इसके परिणामस्वरूप 25.81 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त 16.94 लाख रूपये की शास्ति भी आरोपणीय थी ।

यह इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी, ग्वालियर ने बताया (जनवरी 2009) कि वाहन स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जा रहे थे । क्षे.प.का., इंदौर ने बताया (फरवरी 2009) कि प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई की जावेगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण फरवरी एवं मार्च 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

4.3.4 मोटर वाहनों पर वाहन कर की कम वसूली एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार राज्य में उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग के लिये रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन पर अनुसूची प्रथम में निर्दिष्ट दर पर कर आरोपित किया जावेगा । लोक सेवा वाहनों के संबंध में कर की गणना वाहन की बैठक क्षमता एवं मार्ग की दूरी के आधार पर की जावेगी तथा वाहनों पर कर का आरोपण पंजीकृत भार वाहन क्षमता के आधार पर होगा । यदि कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता, तो *अधिनियम* की धारा–13 में निर्दिष्ट दर से शास्ति भी आरोपणीय है ।

जून 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य आठ[7] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अप्रैल 2004 एवं मार्च 2008 के मध्य 57 मोटर वाहनों का वाहन कर वाहन स्वामियों द्वारा गलत दर लगाकर कम जमा किया गया था । कराधान प्राधिकारियों द्वारा चूक का पता लगाने में असफल रहने के परिणामस्वरूप वाहन कर 9.59 लाख रूपये का कम वसूल हुआ । असंदत्त कर की राशि पर 5.99 लाख रूपये की शास्ति वसूल करने में भी कराधान प्राधिकारी असफल रहे ।

यह इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ., जबलपुर एवं सागर, अ.क्षे.प.अ., सतना तथा सिवनी तथा जि.प.अ., रतलाम, शिवुपरी तथा सीधी ने बताया (जून 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य) कि प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही की जावेगी, वहीं अ.क्षे.प.अ., मंदसौर ने बताया (दिसम्बर 2008) कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग पत्र जारी किये जा चुके थे । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जुलाई 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

[7] क्षे.प.का. – जबलपुर एवं सागर, अ.क्षे.प.का. मंदसौर, सतना एवं सिवनी एवं जि.प.का.–रतलाम, शिवपुरी एवं सीधी ।

4.3.5 वाहन कर के विलंबित भुगतान पर शास्ति आरोपण में विफलता

अधिनियम की धारा–13 के प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी मोटर वाहन के संबंध में देय कर का भुगतान धारा 5 में विनिर्दिष्ट देय तिथि पर नहीं किया जाता है तो वाहन स्वामी देय कर के भुगतान के अतिरिक्त कर की भुगतान न की गई राशि पर चार प्रतिशत प्रतिमाह की दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा । मध्य प्रदेश *मोटरयान कराधान नियम,* 1991 के नियम 10(1) में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि वाहन स्वामी द्वारा शास्ति का भुगतान कर की राशि के साथ किया जावेगा ।

जून 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य 12[8] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 413 मोटर वाहनों के संबंध में अप्रैल 2003 एवं मार्च 2008 के मध्य की अवधि के लिये वाहन कर का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा 1 से 59 माह तक के विलम्ब से किया गया था। किन्तु शास्ति का भुगतान न तो वाहन स्वामियों द्वारा कर के साथ किया गया था और न ही कराधान प्राधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 13.96 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

इसे इंगित किये जाने पर अ.क्षे.प.अ., छतरपुर तथा मंदसौर और जि.प.अ., पन्ना ने बताया (दिसम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य) कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग पत्र जारी किये जा चुके थे जिसमें से पांच प्रकरणों में राशि 12,729 रूपये की वसूली की जा चुकी थी । शेष कार्यालयों के प्रकरणों में यह कहा गया था (जून 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य) कि प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही की जावेगी । आगामी कार्यवाही प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जुलाई 2008 एवं फरवरी 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था। उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

4.3.6 अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित किये गये अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना

अधिनियम के तहत पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अन्य राज्य के किसी मोटर वाहन को *अधिनियम* की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से निर्दिष्ट प्राधिकारी को वाहन कर का भुगतान करने पर राज्य के अंदर संचालित करने की अनुमति दी जाती है । कर के भुगतान में असफल होने पर वाहन स्वामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

[8] क्षे.प.का.– जबलपुर एवं रीवा, अ.क्षे.प.का. छतरपुर, खण्डवा, मंदसौर एवं सिवनी एवं जि.प.का. बैतूल, दमोह, झाबुआ, पन्ना, रायसेन एवं शिवपुरी ।

जून एवं दिसम्बर 2008 के मध्य चार कार्यालयों[9] के अभिलेखों के नमूना जांच में पता चला कि 27 वाहन संचालको ने जून 2005 एवं मार्च 2008 के मध्य की अवधि के लिये पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय मार्गों पर संचालन हेतु अनुमत्य 29 लोक सेवा वाहनों के संबंध में वाहन कर का भुगतान नहीं किया था । कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग भी नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 7.36 लाख रूपये के वाहन कर एवं 4.02 लाख रूपये शास्ति की वसूली नहीं हुई ।

इसे इंगित किये जाने पर क्षे.प.अ., ग्वालियर ने बताया (दिसम्बर 2008) कि वाहन स्वामियों को कारण बताओं नोटिस जारी किये जा रहे थे । क्षे.प.अ., सागर तथा अ.क्षे.प.अ., मंदसौर ने बताया (दिसम्बर 2008) कि चूककर्ता वाहन स्वामियों को मांग सूचना पत्र जारी किये गये थे, जबकि जि.प.अ., टीकमगढ़ ने बताया (सितम्बर 2008) कि प्रकरणों का परीक्षण कर कार्यवाही की जावेगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जुलाई 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

4.3.7 बिना अनुमति वाहनों के समर्पित रहने से वाहन कर की वसूली न होना

नियमावली के नियम 11 एवं मध्य प्रदेश शासन, परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर 2004 के तहत किसी भी वाहन को एक कलेण्डर वर्ष में 45 से अधिक दिनों के लिये (एक बार में या टुकड़ों में) समर्पित रखे जाने की अनुमति नही दी जाएगी । इससे अधिक अवधि के लिये सर्मपण की अनुमति विशेष परिस्थितियों में केवल परिवहन आयुक्त द्वारा लिखित आदेश से ही दी जा सकेगी एवं यदि कोई वाहन उक्त अनुमत्य अवधि से अधिक के लिये समर्पित पाया जाता है तो उसका अनुज्ञापत्र तथा पंजीयन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा वाहन स्वामी को पुनः अनुज्ञापत्र लेना एवं पुनः पंजीयन कराना होगा । आगे नियम 11(12) के अनुसार वाहन स्वामी उस कालावधि, जिसके लिये अनुपयोग की सूचना की अभिस्वीकृति दी गई थी, के अंतिम दिन के पश्चात् कर संदाय के लिये दायी होगा, बावजूद इसके कि उसने कराधान प्राधिकारी के पास जमा किये अभिलेख उक्त अवधि के समाप्त होने पर भी प्राप्त किये थे अथवा नहीं ।

जून एवं सितम्बर 2008 के मध्य जि.प.अ., पन्ना एवं टीकमगढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कराधान प्राधिकारियों द्वारा परिवहन आयुक्त की अनुमति के बिना ही 15 लोक सेवा वाहनों का एक कलेण्डर वर्ष में 2 से 12 माह की अवधि के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र का समर्पण मान्य किया गया था । चूंकि वाहन स्वामियों द्वारा 45 दिनों की आरम्भिक अवधि से आगे की अवधि के लिये समर्पण हेतु आवेदन नहीं किया गया था, अतः वे विनिर्दिष्ट दरों पर

[9] क्षे.प.का., ग्वालियर एवं सागर, अ.क्षे.प.का. मंदसौर, एवं जि.प.का. टीकमगढ़ ।

कर भुगतान हेतु दायी थे । इस प्रकार कराधान प्रधिकारियों द्वारा 6.40 लाख रूपये के कर की मांग नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर जि.प.अ., पन्ना ने बताया (दिसम्बर 2008) कि वाहन स्वामियों को मांग सूचना पत्र जारी किये जा चुके थे, जबकि जि.प.अ., टीकमगढ़ ने बताया (सितम्बर 2008) कि प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही की जावेगी । आगामी प्रगति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण अगस्त एवं नवम्बर 2008 के मध्य परिवहन आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियां

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, मनोरंजन शुल्क तथा भू–राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2008–09 के दौरान की गयी नमूना जांच में 48,521 प्रकरणों में 328.07 करोड़ रूपये के राजस्व के अनिर्धारण/अवनिर्धारण एवं मांग जारी न करने के प्रकरण दृष्टिगत हुए जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस			
1.	सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	1,298	18.66
2.	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	2,429	11.98
3.	दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व हानि	312	5.95
4.	सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों के कारण राजस्व हानि	3,506	2.41
5.	अन्य	2,568	13.42
योग		**10,113**	**52.42**
ख : मनोरंजन शुल्क			
1.	वी.सी.आर. के संचालकों द्वारा मनोरंजन शुल्क जमा न किया जाना/कम जमा किया जाना	1,237	0.59
2.	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	1,014	0.26
3.	मनोरंजन शुल्क के भुगतान की गलत छूट	878	0.12
4.	टिकटों का लेखांकन न करने के कारण मनोरंजन शुल्क का अपवंचन	55	0.06
5	अन्य	1,417	0.40
योग		**4,601**	**1.43**

ग : भू – राजस्व			
1.	नजूल भूमि पर भवन के बंटवारा/उपहार विलेखों पर मुद्रांक शुल्क का अनारोपण	174	91.78
2.	राजस्व वसूली पत्रों का पंजीयन न होना	9,651	50.90
3.	व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का कम निर्धारण	451	30.42
4.	भू–भाटक तथा प्रब्याजि की गलत दरें लागू करने से राजस्व की हानि	1,062	19.02
5.	भू–भाटक तथा प्रब्याजि के कम निर्धारण से राजस्व हानि	3,411	18.39
6.	पट्टा विलेखों का पंजीयन तथा निष्पादन न होना	33	12.02
7.	वसूली प्रभारों की वसूली न होना	7,673	8.03
8.	व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि एवं शास्ति की मांग सृजित न करना	642	5.41
9.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	8,861	3.17
10.	नजूल भू–खण्डों के पट्टों का नवीनीकरण न होना	271	1.08
11.	अन्य	1,578	34.00
योग		**33,807**	**274.22**
महायोग (क + ख + ग)		**48,521**	**328.07**

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने 45,709 प्रकरणों में अंतर्निहित 304.33 करोड़ रूपये के करों के अवनिर्धारण को स्वीकार किया तथा 765 प्रकरणों में 8.49 करोड़ रूपये की वसूली की गई । कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 22.74 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न तहसील कार्यालयों, उप पंजीयकों, सहायक आबकारी आयुक्तों/जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में भारतीय मुद्रांक अधिनियम, पंजीयन अधिनियम, मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम तथा मध्य प्रदेश लोकधन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम आदि एवं शासकीय आदेशों के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने संबंधी कई प्रकरण दृष्टिगत हुए, जिनका उल्लेख इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया

है। ये प्रकरण उदारणात्मक हैं तथा लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । विभागीय अधिकारियों की ओर से की गई ऐसी चूकों को प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा में इंगित किया जाता है, लेकिन फिर भी अनियमितताएं जारी रहती हैं तथा अगली लेखापरीक्षा किए जाने तक उनका पता नहीं लगाया जाता । शासन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिससे ऐसी गलतियों का पता लगा कर उनसे बचा जा सके और भविष्य में उनकी रोकथाम की जा सके ।

क : मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.3 लोक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विलेखों पर राजस्व की हानि

5.3.1 *भारतीय मुद्रांक अधिनियम,* 1899 की धारा 33 तथा सन्हपठित धारा 38 के अंतर्गत प्रत्येक लोक अधिकारी, जिसके समक्ष कोई शुल्क प्रभार्य विलेख प्रस्तुत किया जाता है, यदि उसे प्रतीत होता है कि विलेख सम्यक रूप से मुद्रांकित नहीं है, उसे परिबद्ध करेगा । वह साक्ष्य के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत विलेखों पर देय शास्ति/शुल्क की गणना करेगा या उस पर देय उचित शुल्क निर्धारण हेतु इसे संग्राहक को भेजेगा ।

तहसील उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (सितम्बर 2008) कि एक भू–खण्ड के नामांतरण/व्यपवर्तन के दौरान *तहसीलदार* के सम्मुख 21.71 करोड़ रूपये मूल्य के विक्रय विलेख को प्रस्तुत किया गया था। अप्रैल 2006 में निष्पादित हुये विक्रय विलेख के वाचन से पता चला कि मार्ग दर्शिका के अनुसार उस अचल सम्पत्ति का बाजार मूल्य 55.27 करोड़ रूपये था, जिस पर 6.19 करोड़ रूपये की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस देय थी । परन्तु विलेख में वर्णित 21.71 करोड़ रूपये के विक्रय मूल्य पर 2.43 करोड़ रूपये की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस प्रभारित की गयी थी। विलेख पर प्रभार्य उचित शुल्क के निर्धारण हेतु विलेख को संग्राहक को अग्रेषित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 3.76 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस की कम वसूली/आरोपण हुआ ।

इंगित किये जाने पर *तहसीलदार* ने सितम्बर 2008 में बताया कि प्रकरण को जिला पंजीयक, उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जायेगा । प्रकरण में बाद में की गयी कार्रवाई प्राप्त नहीं हुयी है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण को महानिरीक्षक, पंजीयन तथा शासन को मार्च 2009 में प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.3.2 पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अंतर्गत 12 माह से अधिक पट्टा अवधि वाले पट्टा विलेखों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है तथा मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई पंजीयन फीस प्रभारित की जाती है । साथ ही ऐसे विलेखों पर भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 33 की अनुसूची 1–क में विनिर्दिष्ट दर से मुद्रांक शुल्क प्रभारित

होता है। मार्च 2005 में महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उत्खनि पट्टों पर देय प्रत्याशित/अग्रिम राज्यांश के आठ प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है ।

5.3.2.1 खनिज अधिकारी, ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (नवम्बर 2008) कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम ने 13.79 करोड़ रूपये में एक ठेकेदार को 17 अगस्त 2007 से 16 अगस्त 2008 की अवधि के लिये रेत के उत्खनन तथा विक्रय अधिकार का उप पट्टा दिया था। परन्तु यह देखा गया कि 1.10 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क प्रभार्य उक्त अनुबंध को 100 रूपये के मुद्रांक पत्र पर निष्पादित किया गया था । खनिज अधिकारी ने उचित मुद्रांक शुल्क के आरोपण के लिये कोई कार्यवाही नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप 1.10 करोड़ रूपये के मुद्रांक शल्क की कम वसूली/आरोपण हुआ ।

इंगित किये जाने पर, महानिरीक्षक, पंजीयन ने अगस्त 2009 में बताया कि कार्यवाही प्रगति पर थी ।

प्रकरण निदेशक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.3.2.2 जनवरी 2009 में हुजूर *तहसील* के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मई 2008 में शासन ने 78.661 हैक्टेयर भूमि पर एक संस्था को चार करोड़ रूपये की प्रब्याजि तथा आठ लाख रूपये प्रतिवर्ष भू–भाटक की राशि के लिये स्थायी पट्टा स्वीकृत किया था । अनुबंध 13 अक्टूबर 2008 को निष्पादित किया गया था। परन्तु यह देखा गया कि *तहसीलदार* ने पट्टे के अनुबंध को पंजीकृत कराने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी । इसके परिणामस्वरूप 59.40 लाख रूपये के राजस्व (मुद्रांक शुल्क 34.65 लाख रूपये तथा पंजीयन फीस 24.75 लाख रूपये) की वसूली नहीं हुई ।

इंगित किये जाने पर जनवरी 2009 में *तहसीलदार,* हुजूर ने बताया कि संस्था को पट्टा विलेख पंजीकृत कराने हेतु पत्र जारी किया गया था । आगामी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई हैं (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मार्च तथा अप्रैल 2009 में आयुक्त, भोपाल मंडल, महानिरीक्षक, पंजीयन तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.3.2.3 अक्टूबर एवं दिसम्बर 2008 के मध्य खनिज अधिकारी, देवास और मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम को रेत उत्खनन के लिये 30 उत्खनि पट्टे 3.57 करोड़ रूपये में जून 2004 एवं मई 2006 के मध्य शासन द्वारा प्रदान किये गये थे । परन्तु उत्खनि पट्टों के अनुबंध को पंजीकृत एवं निष्पादित कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाई नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप 50.05 रूपये के मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस की आरोपण/वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने बताया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रगति पर थी ।

प्रकरण निदेशक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा शासन को दिसम्बर 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

5.4 उप–पंजीयकों द्वारा अग्रेषित प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

जुलाई 2004 के विभागीय निर्देशों के अनुसार उप–पंजीयक कार्यालयों द्वारा सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य तथा उस पर प्रभार्य शुल्क के निर्धारण के लिये संग्राहक को अग्रेषित किये गये प्रकरणों के निराकरण की अधिकतम अवधि तीन माह निर्धारित की गयी है ।

पांच[1] उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (फरवरी एवं अगस्त 2008 के मध्य) कि सम्पत्तियों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु अप्रैल 2004 एवं मार्च 2008 के मध्य पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा अग्रेषित 294 प्रकरणों को तीन माह तक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी निर्णीत नहीं किया गया था । इस असाधारण विलम्ब के कारण उप पंजीयकों द्वारा संगणित मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि 4.85 करोड़ रूपये की वसूली नहीं हो सकी ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि 162 प्रकरणों में 57.88 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रगति पर थी । आगामी कार्यवाही का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण शासन को मार्च 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.5 नियमों में विसंगतियों के कारण राजस्व की हानि

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 33 की अनुसूची 1–क में 20 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष से अनधिक अवधि हेतु अभिप्रेत पट्टे के हस्तांतरण पर औसत आरक्षित वार्षिक किराये तथा प्रीमियम के योग की पांच गुनी राशि के बराबर शुल्क के आरोपण का प्रावधान है । जब किसी पट्टे की अवधि 30 वर्ष से अधिक होती हैं या कोई निश्चित अवधि नहीं होती है तो पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण के समान ही शुल्क आरोपणीय है । 30 वर्षो से अधिक अवधि हेतु किसी पट्टे के प्रकरण में किराये का विचार नहीं किया जाएगा। *भारतीय मुद्रांक अधिनियम* की धारा 47–क के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य वह कीमत होगी जो विलेख के निष्पादन के दिनांक को उसे खुले बाजार में विक्रय करने पर प्राप्त हुई होती । साथ ही, मध्य प्रदेश विलेख अवमूल्यांकन निवारण नियम, 1975 के नियम 3–क में प्रावधान है कि किसी ऐसी सम्पत्ति के प्रकरण में, जो राज्य शासन या उसके किसी उपक्रम द्वारा पटटे की विषय–वस्तु है, सम्पत्ति का बाजार मूल्य

[1] भिण्ड, भोपाल, जबलपुर, पन्ना, रायसेन ।

विलेख में उल्लिखित अर्थदण्ड या प्रब्याजि या अग्रिम की राशि के बराबर होगा । यह इंगित करता है कि 30 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टा विलेख पर 30 वर्ष से कम अवधि के पट्टे की तुलना में शुल्क कम होगा । विलेखों में वर्णित प्रीमियम को बाजार मूल्य मानना भी *अधिनियम* की धारा 47 क के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के विपरीत है । इस प्रकार नियमों में विसंगति है ।

उप–पंजीयक भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (जुलाई 2008) कि दो पट्टा विलेख क्रमशः अगस्त 2007 एवं मार्च 2008 में पंजीकृत हुये थे जिनमें पट्टा अवधि 30 वर्ष से अधिक थी । एक प्रकरण में शासन ने मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को जमीन का पट्टा दिया था जबकि दूसरे प्रकरण में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने निजी व्यक्ति को जमीन का पट्टा दिया तथा भवन बेचा था। इन प्रकरणों में उप–पंजीयक द्वारा विलेखों में वर्णित मूल्यों के आधार पर 1.94 करोड़ रूपये की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस प्रभारित की गयी थी । परन्तु *बाजार मूल्य मार्गदर्शिका* के अनुसार उपरोक्त सम्पत्ति का बाजार मूल्य 40.13 करोड़ रूपये संगणित होता था। तदनुसार इन विलेखों पर 5.65 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस देय थी। इस प्रकार नियमों में विसंगति के परिणामस्वरूप 3.71 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण को इंगित करने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने बताया (अगस्त 2009) कि मध्य प्रदेश विलेखों के अवमूल्यन निवारण नियम 1975 के नियम 3–क और 3–ख को हटाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण शासन को सितम्बर 2008 तथा मई 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.6 मुख्तारनामा संबंधी विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुसार जब मध्य प्रदेश में स्थित अचल सम्पत्ति का एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी संक्रांत करने हेतु बिना प्रतिफल एवं अभिकर्ता को प्राधिकृत मुख्तारनामा दिया जाता है तो ऐसे विलेखों पर 100 रूपये शुल्क प्रभार्य है । पुनश्च, जब ऐसा अधिकार प्रतिफल सहित अथवा बिना प्रतिफल के एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये प्रदान किया गया हो अथवा जब वह अपरिवर्तनीय हो अथवा जब वह किसी निश्चित अवधि से आशयित नहीं हो, तो ऐसे विलेखों पर वही शुल्क प्रभार्य है जो उस सम्पत्ति के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पर लगत्ता है ।

फरवरी 2008 एवं फरवरी 2009 के मध्य 23[2] उप–पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि फरवरी 2006 एवं मार्च 2008 के मध्य पंजीकत किये गये मुख्तारनामा के

[2] अनूपपुर, अशोक नगर, भिण्ड, भोपाल, धार, डिण्डौरी, ग्वालियर, गुना, इछावर (सीहोर), कोलारस (शिवपुरी), लखनादौन (सिवनी), महू (इंदौर), मुल्ताई (बैतूल), नटेरन (विदिशा), पन्ना, राघौगढ़ (गुना), रायसेन, सागर, सनावद (खरगौन), सौंसर (छिंदवाड़ा), सीहोर, सिवनी, शहडोल ।

214 विलेखों में से 138 दस्तावेजों में अचल सम्पत्ति के विक्रय, दान, विनिमय या स्थायी संक्रांत करने के अधिकार प्रदान किये गये थे, किन्तु दस्तावेजों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था जिससे यह पता चल सके कि मुख्तारनामा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बिना प्रतिफल प्राप्त किये दिया गया था तथा 71 दस्तावेजों में मुख्तारनामा अपरिवर्तनीय था जबकि पांच दस्तावेजों में मुख्तारनामा प्रतिफल सहित था । इन प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार 2.05 करोड़ रूपये की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस आरोपणीय थी । परन्तु 209 प्रकरणों में यह पाया गया कि एक वर्ष से अनधिक अवधि बिना प्रतिफल विक्रय का मुख्तारनामा मानते हुये प्रत्येक प्रकरण में 100 रूपये की दर से शुल्क प्रभारित किया गया था, जबकि शेष पांच प्रकरणों में बाजार मूल्य पर सम्पत्ति के हस्तांतरण पर देय शुल्क के विरूद्ध दो प्रतिशत की दर से शुल्क प्रभारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 2.05 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस कम आरोपित हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रगति पर थी ।

प्रकरण मई 2008 से मई 2009 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.7 बाजार मूल्य का गलत निर्धारण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47–क के अनुसार किसी विलेख का पंजीयन करते समय पंजीयन अधिकारी यदि यह पाता है कि प्रस्तुत सम्पत्ति का बाजार मूल्य उस बाजार मूल्य से कम है जो *बाजार मूल्य मार्गदर्शिका* में दर्शाया गया है, तो उसे ऐसे विलेख को पंजीयन के पूर्व उस सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य और उस पर प्रभार्य शुल्क के आरोपण के लिये संग्राहक को अग्रेषित कर देना चाहिए ।

दिसम्बर 2005 एवं दिसम्बर 2008 के मध्य 15[3] उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2004 से मार्च 2008 के मध्य पंजीकृत हुये 129 विलेखों में *बाजार मूल्य मार्गदर्शिका* के अनुसार 61.59 करोड़ रूपये के बजाय पंजीकृत मूल्य 41.07 करोड़ रूपये था । उप पंजीयकों ने सम्पत्तियों के सही मूल्य एवं उस पर देय शुल्क निर्धारण हेतु इन विलेखों को संबंधित संग्राहकों को अग्रेषित नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 1.49 करोड़ रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस कम आरोपित हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रचलित थी।

प्रकरण शासन को जनवरी 2006 एवं अप्रैल 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हआ है (अक्टूबर 2009) ।

3 आष्टा (सीहोर), बड़नगर (उज्जैन), बैतूल, भिण्ड, भोपाल, गोहद (भिण्ड), ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खरगौन, कोलारस (शिवपुरी) महू (इंदौर), नागदा (उज्जैन) रायसेन तथा सिवनी ।

5.8 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची 1–क के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत पट्टा विलेखों पर निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क आरोपण का प्रावधान है । साथ ही *पंजीयन अधिनियम* के अंतर्गत पंजीयन तालिका के अनुच्छेद 2 के अनुसार ऐसे विलेखों पर पंजीयन फीस मुद्रांक शुल्क की तीन चौथाई की दर से प्रभार्य है ।

अक्टूबर 2007 एवं फरवरी 2009 के मध्य 10[4] उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच में ज्ञात हुआ कि अप्रैल 2005 एवं मार्च 2008 के मध्य पंजीकृत पट्टा विलेखों के 65 दस्तावेजों पर 4.15 करोड़ रूपये के बजाय 2.95 करोड़ रूपये मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस आरोपित की गई थी । इनमें से छः प्रकरणों में पट्टों को कम अवधि का माना गया था तथा 59 प्रकरणों में गणनात्मक त्रुटि की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 1.20 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण/वसूली हुई ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रगति पर थी ।

प्रकरण शासन को दिसम्बर 2007 से मई 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.9 विलेखों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण पर शास्ति का अनारोपण

पंजीयन अधिनियम की धारा 23 कें अनुसार वसीयत विलेख से भिन्न कोई भी दस्तावेज जो निष्पादन की तिथि से चार माह के अंदर उपयुक्त अधिकारी के समक्ष पंजीयन के प्रयोजन से प्रस्तुत नहीं किया गया हो, पंजीयन के लिए स्वीकार्य नहीं होगा । पंजीयन फीस की तालिका के अनुच्छेद XV(डी) के अनुसार, जब प्रस्तुतीकरण में विलम्ब प्रारम्भिक अनुकृपा की चार माह की अवधि से तीन माह से अधिक हो, किन्तु चार माह से कम हो, पंजीयन फीस के 10 गुने की शास्ति प्रभार्य होती है ।

उप पंजीयक, नरसिंहपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (फरवरी 2009) कि एक विलेख 10 अगस्त 2007 को निष्पादित हुआ था लेकिन उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु 19 मार्च 2008 को प्रस्तुत हुआ था। यद्यपि विलेख पंजीयन के लिए तीन माह से अधिक अवधि बीतने के पश्चात् उप पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत हुआ, तथापि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा 45.61 लाख रूपये की शास्ति आरोपित नहीं की गयी थी।

इंगित किये जाने पर उप पंजीयक ने उत्तर दिया (फरवरी 2009) कि दोनों पक्षों द्वारा विलेख पर 19 मार्च 2008 को हस्ताक्षर किये गये थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विलेख 10 अगस्त 2007 को निष्पादित हुआ था और क्रेता ने 1 सितम्बर 2007 को विलेख के आधार

[4] अनूपपुर, बड़नगर (उज्जैन), बैतूल, डिंडौरी, गोहद (भिण्ड), ग्वालियर, करेरा (शिवपुरी), मेहगाव (भिण्ड), सीधी एवं सौंसर (छिंदवाड़ा) ।

पर हाई टेंशन विद्युत संयोजन के लिये आवेदन किया था । इसके अतिरिक्त क्रेता ने शुल्क के भुगतान में छूट के लिये भी इस विलेख में 14 अगस्त 2007 को आवदेन किया था । प्रकरण में बाद में की गयी कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009)।

प्रकरण महानिरीक्षक, पंजीयन तथा शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.10 शुल्क तथा फीस की प्रतिपूर्ति न होना

शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2002 के अनुसार नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं के कारण कि विस्थापित परिवारों के सदस्यों के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु उनके पक्ष में निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा संबंधित उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र के आधार पर शासन को की जानी होती है ।

चार[5] उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2007 एवं अगस्त 2008 के मध्य) कि नर्मदा घाटी विकास परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पक्ष में अप्रैल 2003 एवं मार्च 2008 के मध्य 61 दस्तावेज निष्पादित/पंजीकृत हुये थे। यह भी ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दस्तावेजों के निष्पादन के कारण 25.90 लाख रूपये की मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस नर्मदा घाटी विकास प्राधिक़रण द्वारा शासन को प्रतिपूर्ति योग्य थी । परन्तु उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हुई, जबकि भोपाल और महू के 12 प्रकरणों को छोड़कर सभी प्रकरणों में संबंधित उप पंजीयकों द्वारा नर्मदा घाटी विकांस प्राधिकरण के विरूद्ध मांग जारी कर दी गयी थी । इसके परिणामस्वरूप 25.90 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही प्रगति पर थी। आगामी कार्यवाही प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण शासन को अगस्त 2007 एवं अप्रैल 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.11 गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अधीन विलेखों पर उनके वाचन के अनुसार अनुसूची 1–क में निर्दिष्ट या शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित दरों से मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है। पांच[6] उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला (मई एवं दिसम्बर 2008 के मध्य) कि 18 प्रकरणों में दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप

5 धार, भोपाल, बुधनी (सीहोर) तथा महू (इंदौर) ।

6 बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, मेहगांव (भिण्ड) तथा रायसेन ।

20.64 लाख रूपये का मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ था जिसका उल्लेख निम्नानुसार है :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	प्रकरणों की संख्या पंजीयन अवधि	अनियमितता की प्रकृति	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस आरोपणीय/ आरोपित	मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस कम आरोपित
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	01 दिसम्बर 2006	विक्रय सहित बंटवारे को विकय माना	3.99 1.53	2.46
2.	01 मार्च 2008	विक्रय अनुबंध के साथ कब्ज़ा सहित बटवारें को कब्जा रहित विकय अनुबंध माना	1.22 0.16	1.06
3.	08 अगस्त 2005 एवं मार्च 2008 के मध्य	उपहार को हक त्याग माना	4.58 2.17	2.41
4.	04 अगस्त 2006 एवं जनवरी 2008 के मध्य	कब्जा सहित विकय अनुबंध को कब्जा रहित विकय अनुबंध माना	6.24 1.00	5.24
5.	02 जून और जुलाई 2007	बिल्डर अनुबंध को मुख्त्तारनामा माना	1.83 0.004	1.83
6.	01 जुलाई 2006	दान को बटवारा माना	2.80 0.006	2.79
7.	01 जून 2007	हस्तांतरण को बिल्डर अनुबंध माना	7.42 2.57	4.85
योग	**18**		**28.08** **7.44**	**20.64**

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रगति पर थी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) । प्रकरण शासन को जून 2008 से मई 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.12 मुद्रांक शुल्क की अनियमित छूट

शासन ने अपनी अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2006 में बंधक पत्र के दस्तावेज, जो कृषि भू–स्वामियों द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ 10 लाख रूपये से अनधिक के ऋण बैंको से प्राप्त करने के लिए निष्पादित किये गये हों, चाहे उनके पास कितनी भी भूमि हो, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किये हैं । इससे पूर्व में केवल उन्हीं भूमि स्वामियों को यह छूट थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित थे या जिनके पास 10 हैक्टेयर से अनधिक भूमि थी । पुनश्च, शासन ने सितम्बर 2006 की अधिसूचना में कृषि प्रयोजन को भी परिभाषित किया है और दस्तावेज में ऋण प्राप्त करने के विशिष्ट प्रयोजन का उल्लेख करने की आवश्यकता बताई है। नौ[7] उप पंजीयकों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता लगा (फरवरी एवं सितम्बर 2008 के मध्य) कि बैंकों से 4.24 करोड़ रूपये के ऋण प्राप्त करने के लिये भूमि स्वामियों द्वारा निष्पादित किये गये बंधक पत्रों के 138 दस्तावेजों पर अप्रैल 2004 एवं फरवरी 2008 के मध्य 17.92 लाख रूपये के शुल्क की भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी । इन दस्तावेजों की संवीक्षा में देखा गया कि 81 दस्तावेजों में ऋण के विशिष्ट प्रयोजन का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि 42 दस्तावेजों में ऋण का प्रयोजन कृषि से भिन्न था और 25 सितम्बर 2006 से पहले के छः प्रकरणों में भूमि का रकवा 10 हैक्टेयर से अधिक था। इसके अतिरिक्त मई से दिसम्बर 2007 के मध्य निष्पादित नौ दस्तावेजों में प्रत्येक प्रकरण में ऋण की राशि 10 लाख रूपये से अधिक थी । इसके परिणामस्वरूप 17.92 लाख रूपये के शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट प्रदान की गयी ।

इंगित किये जाने पर महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रगति पर थी । आगामी कार्यवाही प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण शासन को अप्रैल 2008 एवं अप्रैल 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.13 गृह निर्माण सहकारी समितियों के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर राजस्व वसूल न होना

शासन की दिनांक 24 अक्टूबर 1980 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा या उनके पक्ष में अपने सदस्यों के लिये गृह निर्माण के उद्देश्य हेतु भू–अर्जन करने के लिये निष्पादित किये गये विलेख मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस के भुगतान से मुक्त किये गये हैं । यह छूट 5 सितम्बर 2004 तक उपलब्ध थी ।

जबलपुर और ग्वालियर के दो उप पंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि (मई 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य) चार समितियों ने सितम्बर 1996 एवं अगस्त 2003 के मध्य सात विलेखों के माध्यम से गृह निर्माण प्रयोजनार्थ 1.38 करोड़ रूपये मूल्य की

7 भिण्ड, देवास, जबलपुर, मनावर (धार), महू (इंदौर), नागदा (उज्जैन), नौगांव (छतरपुर), पन्ना एवं धार ।

भूमि क्रय की थी, जो सदस्यों के गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिये उपयोग में नहीं ली गयी और बाद में अप्रैल 2007 एवं फरवरी 2008 के मध्य समिति के सदस्यों से भिन्न अन्य व्यक्तियों जैसे भवन निर्माताओं आदि को विक्रय कर दी गयी थी । इस प्रकार उक्त विलेखों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के 16.18 लाख रूपये वसूली योग्य थे परन्तु पंजीयन अधिकारियों द्वारा वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गयी ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के बाद महानिरीक्षक, पंजीयन ने सूचित किया (अगस्त 2009) कि कार्यवाही प्रगति पर थी। आगामी प्रगति की जानकारी प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण शासन को जनवरी एवं मई 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

ख : मनोरंजन शुल्क

5.14 केबल ऑपेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न करना

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर *अधिनियम*, 1936 *(अधिनियम)* तथा मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियम, 1999 में प्रावधान है कि केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराने वाला प्रत्येक केबल टेलीविजन नेटवर्क और होटल या लॉजिंग हाउस का मालिक निर्धारित दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा ।

फरवरी एवं दिसम्बर 2008 के मध्य तीन[8] सहायक आबकारी आयुक्त एवं 11[9] जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि केबल सेवा के माध्यम से अप्रैल 2004 से नवम्बर 2008 के दौरान मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले 549 केबल ऑपरेटरों और चार होटल या लाजिंग हाउस के मालिकों द्वारा 47.27 लाख रूपये का मनोरंजन शुल्क जमा नहीं किया गया था । विभाग द्वारा देय राशि की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 47.27 लाख रूपये की मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर एवं भोपाल तथा जिला आबकारी अधिकारी, दतिया, देवास, बैतुल, बुरहानपुर, विदिशा, बड़वानी एवं टीक्मगढ़ ने बताया (फरवरी एवं दिसम्बर 2008 के मध्य) कि वसूली की कार्यवाही की जा रही थी । सहायक आबकारी आयुक्त, सागर एवं जिला आबकारी अधिकारी, हरदा एवं शिवपुरी ने बताया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2008 के मध्य) कि जांच के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा । जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने बताया (मार्च 2008) कि सम्पूर्ण राशि जमा की जा चुकी थी । हालांकि जमा की गई राशि के

8 भोपाल, जबलपुर एवं सागर ।

9 बड़वानी, बैतूल, बुरहानपुर, दमोह, दतिया, देवास, हरदा, राजगढ़, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं विदिशा ।

दस्तावेजी प्रमाण एवं अन्य प्रकरणों में की गई कार्यवाही की प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जनवरी एवं फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.15 नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क (प्रर्दशन) नियम, 1999 में यह प्रावधान है कि एक केबल टेलीविजन नेटवर्क (केबल ऑपरेटर) का मालिक उसके द्वारा संधारित निर्धारित रजिस्टर के आधार पर एक मासिक विवरणी पत्रक कोषालय चालान के साथ प्रत्येक माह के अंतिम तीन दिन के अंदर सत्यापन के लिए जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यह भी निर्धारित है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में केबल ऑपरेटर पर 5,000 रूपये तक की शास्ति दण्ड के रूप में आरोपित की जायेगी ।

फरवरी एवं अक्टूबर 2008 के मध्य तीन[10] जिला आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी आयुक्त, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 312 केबल ऑपरेटर अप्रैल 2005 एवं सितम्बर 2008 के मध्य मासिक विवरण–पत्रक प्रस्तुत करने में असफल रहे थे। जिसके परिणामस्वरूप केबल ऑपरेटरों द्वारा देय मनोरंजन शुल्क के लेखाओं का चालान के साथ मिलान/सत्यापन नहीं हुआ था। परन्तु विभागीय प्राधिकरियों ने मासिक विवरण–पत्रक प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार केबल ऑपरेटरों से 15.60 लाख रूपये की शास्ति वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की । इसके परिणामस्वरूप 15.60 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, बड़वानी ने बताया (अक्टूबर 2008) कि शुल्क की राशि केबल ऑपरेटरों द्वारा समय पर भुगतान की जा रही थी, एवं जिला आबकारी अधिकारी, कटनी, सीहोर तथा सहायक आबकारी आयुक्त, उज्ज़ैन ने बताया (फरवरी एवं सितम्बर 2008 के मध्य) कि मासिक विवरण–पत्रक प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किये जा चुके थे/किये जाएंगे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मासिक विवरणी का प्रस्तुतिकरण एक वैधानिक प्रावधान है एवं मासिक विवरण पत्रक नियत समय पर प्रस्तुत न करने की स्थित में मनोरंजन शुल्क रजिस्टर के लेखाओं की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त उत्तर यह भी स्पष्ट नहीं करता कि शास्ति आरोपण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

10 बड़वानी, कटनी एवं सीहोर ।

5.16 विज्ञापन कर का अनारोपण/वसूली न होना

अधिनियम में प्रावधान है कि मनोरंजन का प्रत्येक संचालक प्रदर्शित किये गये प्रत्येक विज्ञापन पर 50 रूपये प्रतिमाह की अनधिक दर से विज्ञापन कर का भुगतान करेगा ।

मार्च एवं दिसम्बर 2008 के मध्य सहायक आबकारी आयुक्त, भोपाल एवं 14[11] जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ है कि 991 केबल ऑपरेटरों द्वारा अप्रैल 2004 से नवम्बर 2008 के दौरान 5 से 52 माह तक की अवधि के लिए विज्ञापन कर की राशि का भुगतान नहीं किया गया था, परन्तु विभाग ने इसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी। जिसके परिणामस्वरूप 12.37 लाख रूपये के विज्ञापन कर की वसूली नहीं हुई । प्रकरणों को इंगित किए जाने पर सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया (मार्च एवं दिसम्बर 2008 के मध्य) कि नियमों के अंतर्गत केबल ऑपरेटरों से विज्ञापन कर की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि *अधिनियम* की धारा 3–सी एवं 2–1 (ए ए) के अंतर्गत विज्ञापन कर आरोपणीय है ।

प्रकरण जनवरी एवं फरवरी 2009 में आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.17 सिनेमा गृहों पर मनोरंजन शुल्क का अनारोपण

अधिनियम में प्रावधान है कि जहां किसी सिनेमा हॉल में सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन किये जाते हैं, सिनेमा हॉल में प्रवेश दिए गए व्यक्तियों को सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रभारित किए गए दो रूपये प्रति टिकिट से अनधिक राशि पर शुल्क आरोपित नहीं किया जायेगा । प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किए गए व्यय की राशि चार्टर्ड अकाउन्टेंट (सी.ए.) से सत्यापित कराकर सिनेमा हॉल के मालिक द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून तक सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी और यदि कलेक्टर प्रदान की गई सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है तो वह सुविधाऐं प्रदान करने के लिए मान्य की गई राशि के संबंध में सिनेमा गृह के मालिकों से शुल्क वसूल कर सकेंगे ।

फरवरी और नवम्बर 2008 के मध्य छः[12] आबकारी अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अप्रैल 2004 और मार्च 2008 के मध्य 24 सिनेमा गृह के मालिकों द्वारा दर्शकों को सिनेमा गृह में सुविधाएं प्रदान करने हेतु टिकिटों की बिक्री पर 38.39 लाख रूपये संग्रहीत किए गए थे। यद्यपि सिनेमा हॉलों में प्रदान की गई सुविधाओं का विवरण और उन पर किए गए व्यय के लेखाओं को सी.ए. से उचित रूप से सत्यापित कराकर मालिकों द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया था, किन्तु जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इस राशि पर मनोरंजन

11 बड़वानी, भिण्ड, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, हरदा, कटनी, खण्डवा, राजगढ़, सीहोर, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं विदिशा ।

12 बैतूल, हरदा, खण्डवा, मुरैना, राजगढ़ एवं टीकमगढ़ ।

शुल्क आरोपित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इस प्रकार संग्रहीत राशि पर आरोपणीय 10.97 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क का आरोपण नहीं हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, टीकमगढ़ ने बताया (जुलाई 2008) कि सिनेमा गृह के मालिकों द्वारा संग्रहीत की गई इस तरह की राशि पर मनोरंजन शुल्क आरोपित करने हेतु नियमों में कोई प्रावधान नहीं है । उत्तर वस्तुतः गलत है । शेष प्रकरणों में जिला आबकारी अधिकारियों ने बताया (फरवरी एवं नवम्बर 2008 के मध्य) कि आवश्यक कार्यवाही की जाएगी एवं लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण आबकारी आयुक्त तथा शासन को जनवरी एवं फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

ग : भू–राजस्व

5.18 प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूल न किया जाना

मध्य प्रदेश लोकधन शोध्य राशियों की वसूली अधिनियम, 1987 की धारा 4 के अनुसार चूककर्ताओं से मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय की वसूली कर कोषालय में जमा किया जाएगा ।

अप्रैल 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य 28[13] *तहसीलों* के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 3,259 प्रकरणों में चूककर्ताओं से 1.53 करोड़ रूपये का प्रक्रिया व्यय वसूली योग्य था, लेकिन *तहसीलदारों* ने उसे 51.14 करोड़ रूपये के मूलधन के संबंधित मांग नोटिसों में शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप 1.53 करोड़ रूपये के प्रक्रिया व्यय का आरोपण/प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर शासन ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि सेंधवा *तहसील* के प्रकरण में 30,007 रूपये की वसूली की गई थी। *तहसीलदार,* भितरवार, टोंक खुर्द, ग्वालियर, पिपरिया, शाजापुर, सीहोर, आष्टा, नटेरन (विदिशा) ने बताया (अक्टूबर 2008) कि प्रक्रिया व्यय को वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी । *तहसीलदार,* बेगमगंज, डबरा, हुजूर, मंडला, पिछोर, शिवपुरी, खरगोन तथा उज्जैन ने बताया (सितम्बर 2008) कि प्रक्रिया व्यय की मांग करने के लिए प्रकरण बैंको को संदर्भित किये जाएंगे । *तहसीलदार,* दतिया ने बताया (दिसम्बर 2008) कि स्थिति को जिला कार्यालय की जानकारी में लाने के बाद कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

तहसीलदार, भावरा (झाबुआ) तथा आमला (बैतूल) ने बताया (सितम्बर 2008) कि बैंको ने प्रक्रिया व्यय को जमा न करके गलती की थी । *तहसीलदार,* बांधवगढ़ ने बताया (सितम्बर 2008) कि प्रक्रिया व्यय से संबंधित राशि चैकों के माध्यम से प्राप्त हुई थी । परन्तु तथ्य यह है कि कथित राशि को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा करने संबंधी कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं था ।

तहसीलदार, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) ने बताया (सितम्बर 2008) कि शासन की ओर से ऐसे कोई अनुदेश नहीं थे । उत्तर पूर्वोक्त *वसूली अधिनियम* के प्रावधानों के विपरीत है ।

शेष छः[14] तहसीलदारों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

13 अम्बाह (मुरैना), आमला (बैतूल), आष्टा (सीहोर), भांवरा (झाबुआ), भिण्ड, भितरवार (ग्वालियर), बांधवगढ़ (उमरिया), बेगमगंज (रायसेन), चाचौड़ा (गुना), डबरा (ग्वालियर), दतिया, ग्वालियर, हुजूर (भोपाल), इटारसी (होशंगाबाद), खरगौन, मण्डला, मेहगांव (भिण्ड), नटेरन (विदिशा), पिपरिया (होशंगाबाद), पिछोर (शिवपुरी), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), सागर, सीहोर, शिवपुरी, शाजापुर, सेंधवा (बड़वानी), टोंक खुर्द (देवास) एवं उज्जैन ।

14 अम्बाह, भिण्ड, चाचौड़ा, इटारसी, मेहगांव एवं सागर ।

प्रकरण अप्रैल तथा दिसम्बर 2008 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.19 प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान तथा अर्थदण्ड की मांग सृजित न करना

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) 1959, के अंतर्गत जारी मध्य प्रदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कृषि से भिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की गई व्यपवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारित भाटक की मांग को *तहसील* के अभिलेख में परिवर्तन को सम्मिलित करने के लिए संबंधित *तहसीलदार* को सूचित करेगा । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के दाण्डिक प्रावधानों के अंतर्गत आरोपित प्रब्याजि, व्यपवर्तन लगान तथा अर्थदण्ड की मांग को संबंधित *तहसील* की मांग एवं वसूली पंजी में दर्ज किया जाता है ।

सितम्बर 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य तीन[15] तहसीलों के अभिलेखों की नमूना जांचं में पता चला कि अक्टूबर 2003 से सितम्बर 2008 की अवधि से संबंधित 245 प्रकरणों के संबंध में 1.27 करोड़ रूपये के व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि तथा अर्थदण्ड को संबंधित तहसीलों की मांग तथा वसूली पंजी में दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए उसके संबंध में कोई मांग सृजित नहीं की जा सकी थी। इसके परिणामस्वरूप 1.27 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (अप्रैल 2009) कि तहसीलदार, उज्जैन द्वारा व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि की मांग सृजित की गई थी । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील शाजापुर ने बताया (सितम्बर 2008) कि राजस्व निरीक्षक के निधन के कारण बी–1[16] तैयार नहीं किया गया था । तहसीलदार, हुजुर (भोपाल) ने बताया (जनवरी 2009) कि व्यपवर्तन लगान, प्रब्याजि तथा अर्थदण्ड की वसूली प्रक्रियाधीन थी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जनवरी तथा मार्च 2009 के मध्य आयुक्त, राजस्व तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; शेष दो प्रकरणों में शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.20 व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का अनिर्धारण/कम प्राप्ति

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अनुसार, जहां एक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि किसी अन्य उद्देश्य हेतु व्यपवर्तित की जाती है, तो ऐसी भूमि पर देय राजस्व, उस उद्देश्य के अनुसार जिसके लिए इसे व्यपवर्तित किया गया है, ऐसे व्यपवर्तन के दिनांक से शासन द्वारा

15 हुजूर (भोपाल), शाजापुर, उज्जैन ।

16 बी–1 निर्धारण अधिकारी द्वारा तीन प्रतियों में तैयार की गई व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि की एक *किस्तबंदी, खतौनी* है ।

समय–समय पर निर्धारित प्रचलित दरों से संशोधित एवं पुनर्निर्धारित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर प्रब्याजि भी आरोपणीय है ।

5.20.1 अप्रैल 2007 तथा अक्टूबर 2008 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि अवनिर्धारण के कारण नीचे दिए गए विवरणानुसार 54.64 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि की कम प्राप्ति हुई :

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रकरणों की संख्या	भूमि (हैक्टे.में)	लेखापरीक्षा आपत्ति	व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि की राशि		कम प्राप्ति
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
01	कलेक्ट्रेट, इंदौर	07	15.932	व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि की गलत दरें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप कम निर्धारण हुआ । (1) 7.40 लाख रूपये की प्रब्याजि का कम आरोपण (चार प्रकरण) (2) 5.60 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान का कम आरोपण (एक प्रकरण)	27.20	6.56	20.64
				(3) क्रमशः 6.90 लाख रूपये तथा 74,000 रूपये के व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का कम आरोपण (दो प्रकरण)			

02.	*तहसीलदार, मुरैना*	03	30.361	(1) 1.70 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान का कम आरोपण (एक प्रकरण) (2) क्रमशः 1.01 लाख रूपये तथा 1.86 लाख रूपये के प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान का कम आरोपण (दो प्रकरण)	14.37	9.80	4.57
03	कलेक्ट्रेट, खण्डवा	03	1.540	क्रमशः 1.69 लाख रूपये तथा 1.40 लाख रूपये के प्रब्याजि तथा व्यपवर्तन लगान का कम आरोपण।	3.44	0.35	3.09
04.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इंदौर *तहसील*	01	15.896	अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गलत गणना के परिणामस्वरूप 6.08 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान तथा 12.64 लाख रूपये की प्रब्याजि का कम निर्धारण हुआ ।	23.53	8.59	14.94
05.	कलेक्ट्रेट, भोपाल	02	8.822		6.98	3.20	3.78
06.	कलेक्ट्रेट, भोपाल	03	10.146	वाणिज्यिक दरों के बजाय आवासीय दरों से भूमि का गलत निर्धारण किए जाने के परिणामस्वरूप 1.54 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान तथा 6.08 लाख रूपये की प्रब्याजि का कम निर्धारण हुआ ।	15.83	8.21	7.62
योग		**19**			**91.35**	**36.71**	**54.64**

प्रकरणों को इंगित किये जाने पर अधीक्षक भू–अभिलेख (व्यपवर्तन), कलेक्ट्रेट इंदौर ने बताया (सितम्बर 2008) कि प्रकरणों का परीक्षण करने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जबकि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), *तहसील* मुरैना ने बताया (अक्टूबर 2008) कि मांग

नोटिस जारी किया जाएगा तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

अधीक्षक भू–अभिलेख (व्यपवर्तन), कलेक्ट्रेट खण्डवा ने बताया (अगस्त 2008) कि चूंकि गांव की दरें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए संलग्न गांव की दरें लागू की गई थीं । इसके अतिरिक्त आवेदक ने 625 वर्ग मीटर भूमि के व्यपवर्तन की मांग की थी । यह देखा गया कि मालीपुरा गांव खण्डवा शहर की ओर स्थित तथा माली गांव के निकटतम है । इसलिए माली गांव की दर लागू की जानी चाहिए थी । इसके अलावा उप संचालक, शहरी एवं ग्रामीण योजना, खण्डवा के आदेश दिनांक 19 सितम्बर 2005 द्वारा 0.74 एकड़ (2,995 वर्गमीटर) भूमि स्वीकृत की गई थी जबकि केवल 625 वर्ग मीटर भूमि का व्यपवर्तन स्वीकार किया गया ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इंदौर ने प्रकरण का पुनर्निर्धारण किया तथा 10.69 लाख रूपये की मांग सृजित की (अप्रैल 2007)। कलेक्टर (व्यपवर्तन), भोपाल ने सूचित किया (जून 2009) कि बावडिया कलां का प्रकरण पुनर्निर्धारित किया गया था (दिसम्बर 2008) तथा 4.88 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी। कोलुआं कलां के प्रकरण में यह बताया गया कि व्यपवर्तन की अनुमति आवासीय उद्देश्यों हेतु दी गई थी तथा तदनुसार निर्धारण किया गया था । उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि आवेदकों द्वारा व्यवसायिक व्यपवर्तन हेतु अनुरोध करने के बावजूद भी उसकी अनुमति देने में क्या विवशता थी ।

अनुविभागीय अधिकारी, भोपाल ने बताया (जनवरी 2008) कि भूमि का निर्धारण आवासीय दरों से किया गया था क्योंकि उसका उपयोग जनहित में कॉलेज की इमारतों के लिए किया जाना था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कॉलेज की इमारतें आवासीय उद्देश्यों हेतु प्रयोग नहीं की जाती हैं, बल्कि वे व्यवसायिक इमारतें हैं ।

5.20.2 जनवरी 2008 में कलेक्ट्रेट, भोपाल (व्यवपर्तन अनुभाग) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, भोपाल द्वारा 2001–02 से 2005–06 की अवधि के दौरान भोपाल के पांच[17] इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण हेतु 31.08 लाख वर्ग फुट भूमि क्रय की गई थी, लेकिन विभाग द्वारा न तो कोई सर्वेक्षण किया गया था और न ही विभाग द्वारा जनवरी 2008 तक व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का निर्धारण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 46.80 लाख रूपये के राजस्व (व्यपवर्तन लगान 19.18 लाख रूपये तथा प्रब्याजि 27.62 लाख रूपये) का निर्धारण नहीं हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (व्यपवर्तन), भोपाल ने बताया (जनवरी 2008) कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल ने ऐसी भूमि के व्यपवर्तन हेतु कोई आवेदन नहीं दिया था । उन्होंने आगे बताया कि प्रकरण शासन को भेजा जाएगा । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

17 अरेरा हिल्स, धरमपुरी; श्यामला हिल्स; हिनोटिया आलम (ग्रामीण हुजूर); कोहेफिजां (बैरागढ़) एवं निशातपुरा (आरिफ नगर) ।

5.20.3 जुलाई तथा अक्टूबर 2008 के मध्य कलेक्ट्रेट, खण्डवा (व्यपवर्तन अनुभाग) तथा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मुरैना के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा वर्ष 2002–03 के दौरान खण्डवा जिले के मालीपुरा गांव तथा मुरैना तहसील में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण हेतु 52.727 हेक्टेयर कृषि भूमि क्रय की गई थी । लेकिन न तो भूमि का व्यपवर्तन किया गया था और न ही व्यपवर्तित भूमि के लिए व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि का निर्धारण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 43.21 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान तथा प्रब्याजि (प्रब्याजि 24.33 लाख रूपये तथा व्यपवर्तन लगान 18.88 लाख रूपये) का निर्धारण नहीं हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना *तहसील* तथा अधीक्षक, भू–अभिलेख, खण्डवा (व्यपवर्तन) ने बताया (जुलाई तथा अक्टूबर 2008 के मध्य) कि स्थल सत्यापन के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण अप्रैल तथा दिसम्बर 2008 के मध्य आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किये गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.21 वसूली प्रभार की वसूली न होना

पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं इसके अधीन जारी अनुदेशों (जून 1999) के अनुसार शासन द्वारा वसूले गये भू–राजस्व उपकर, फीस तथा अन्य करों की राशि में से 10 प्रतिशत की राशि वसूली प्रभार के रूप में काटने के पश्चात शेष राशि *"पंचायत राज निधि"* में जमा की जाएगी ।

अप्रैल 2008 तथा जनवरी 2009 के मध्य 24[18] *तहसीला* के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 3.85 करोड़ रूपये का राजस्व वसूल कर *पंचायत राज निधि* में जमा किया गया था। लेकिन संबंधित *तहसीलदार* 38.50 लाख रूपये का वसूली प्रभार काटने में विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप 38.50 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर शासन ने सूचित किया (जून तथा सितम्बर 2009 के मध्य) कि आठ[19] तहसीलों के प्रकरण में 15.66 लाख रूपये की राशि वसूली जा चुकी थी । *तहसीलदार,* अटेर (भिण्ड), अशोक नगर, बेगमगंज तथा खरगोन ने जून तथा दिसम्बर 2008 के मध्य बताया कि प्रभारों को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत जमा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । *तहसीलदार,* भिण्ड, दतिया तथा मेहगांव ने बताया

18 अशोक नगर, आष्टा (सीहोर), अम्बाह (मुरैना), अटेर (भिण्ड), बड़वानी, बेगमगंज, भिण्ड, भांवरा (झाबुआ), दतिया, गंजबसौदा (विदिशा), हट्टा (दमोह), हुजूर (भोपाल), इटारसी, खरगौन, लहार (भिण्ड), मेहगांव (भिण्ड), मुरैना, नटेरन (विदिशा), पिछोर (शिवपुरी), सागर, सीहोर, शिवपुरी, सेंधवा (बड़वानी) एवं टोंक खुर्द (देवास) ।

19 बड़वानी, गंजबासौदा, हट्टा, नटेरन, पिछोर, सागर, सेंधवा एवं टोंक खुर्द ।

(अक्टूबर तथा दिसम्बर 2008) कि वसूली प्रभारों की वसूली के लिए प्रकरण के संबंध में बैंकों से चर्चा की जाएगी । *तहसीलदार,* अंबाह, भावरा, आष्टा तथा हुजूर ने जून तथा दिसम्बर 2008 के मध्य बताया कि ऐसे कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह *अधिनियम* में ही निर्धारित है तथा अन्य कोई आदेश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है । *तहसीलदार,* इटारसी तथा लहार ने बताया (सितम्बर तथा अक्टूबर 2008) कि यह जिला *पंचायत* से संबंधित था और इसलिए जिला *पंचायत* के खाते में जमा किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 10 प्रतिशत वसूली प्रभार काट कर उचित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत जमा नहीं किया गया था। *तहसीलदार,* सीहोर ने बताया (अक्टूबर 2008) कि वसूली प्रभारों को अलग से जमा किया जा रहा था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

प्रकरण फरवरी 2009 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था;उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.22 नजूल भूमि के संबंध में प्रब्याजि तथा भू–भाटक की कम वसूली/वसूली न होना तथा भुगतान न की गई राशि पर ब्याज का अनारोपण

राज्य शासन (राजस्व विभाग) के दिनांक 21 जनवरी 1987 के अनुदेशों के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि के भीतर प्रब्याजि तथा भू–भाटक का भुगतान नहीं किया जाता है, तो 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज आरोपित किया जाना वांछित है ।

अप्रैल 2007 में *तहसील,* इंदौर (*नजूल* शाखा) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि यद्यपि 21 प्रकरणों में प्रब्याजि देय थी, लेकिन पट्टाधारकों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इसका भुगतान नहीं किया गया था । परन्तु विभागीय प्राधिकारियों ने प्रब्याजि की भुगतान न की गई राशि तथा उस पर आरोपणीय ब्याज की वसूली नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप 24.69 लाख रूपये के राजस्व (प्रब्याजि 4.20 लाख रूपये तथा ब्याज 20.49 लाख रूपये) की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर *नजूल* अधिकारी ने बताया (अप्रैल 2007) कि प्रकरणों का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन था तथा इनके पूर्ण होने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मई 2008 में आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोवस्त तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.23 व्यपवर्तन लगान पर पंचायत उपकर का निर्धारण एवं आरोपण न किया जाना

पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रावधान है कि प्रत्येक भूमि धारक तथा शासकीय पट्टाधारक पर *ग्राम पंचायत* क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में प्रत्येक राजस्व वर्ष के लिए भू–राजस्व या प्रत्येक भू–खण्ड के लिए निर्धारित भाटक के प्रत्येक रूपये पर 50 पैसे की दर से *पंचायत उपकर* आरोपणीय है । उपकर भू–राजस्व या भाटक के अतिरिक्त आरोपणीय है । *मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता* की धारा 58 (2) के अंतर्गत भू–राजस्व की परिभाषा में व्यपवर्तन लगान भी शामिल है, इसलिए व्यपवर्तन लगान पर भी पंचायत उपकर आरोपणीय है।

अगस्त तथा अक्टूबर 2008 के मध्य चार[20] *तहसीलों* तथा कलेक्ट्रेट, गुना (व्यपवर्तन अनुभाग) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 525 प्रकरणों में *ग्राम पंचायत* क्षेत्रों से संबंधित भूमि के संबंध में 41.04 लाख रूपये के व्यपवर्तन लगान पर 20.52 लाख रूपये का *पंचायत उपकर* आरोपित नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 20.52 लाख रूपये के *पंचायत उपकर* का अनारोपण हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर *तहसीलदार*, ग्वालियर ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया तथा शेष प्रकरणों में निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (अगस्त तथा अक्टूबर 2008 के मध्य) कि नियमों के अनुसार मांग सृजित की जाएगी । आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण अक्टूबर तथा दिसम्बर 2008 के मध्य आयुक्त, राजस्व तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

5.24 नजूल भू–खण्डों के स्थायी पट्टों का नवीनीकरण न किया जाना

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पट्टे पर धारित किसी *नजूल* भू–खण्ड के पट्टों का जब संशोधन किया जाना नियत हो जाता है तब उस पर देय भाटक भी संशोधन हेतु नियत माना जाएगा । संशोधित भाटक नवीनीकरण के समय अधिसूचित तथा प्रचलित मानक दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तथा यह संशोधन के तुरंत पहले देय भाटक के छः गुने से अधिक नहीं होगा ।

जून 2008 में कलेक्ट्रेट, इंदौर (नजूल अनुभाग) के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि 30 वर्षों के लिए प्रदान किए गए 17 स्थायी पट्टों के जो 2003–04 तथा 2006–07 के मध्य नवीनीकरण हेतु नियत थे, नवीनीकरण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 13.91 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर नजूल अधिकारी ने बताया (जून 2008) कि प्रकरणों की संवीक्षा के उपरान्त पट्टों के नवीनीकरण हेतु कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण जुलाई 2008 में आयुक्त, राजस्व तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

20 ग्वालियर, गोहद, शाजापुर एवं सीहोर ।

अध्याय – 6 : वन प्राप्तियां

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान वन प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में बांस/इमारती लकड़ी के विदोहन न होने, कम उत्पादन होने, वनोपजों में कमी आदि कारणों से राजस्व की कम वसूली/अवसूली, राजस्व हानि आदि संबंधी 118 प्रकरणों में 426.09 करोड़ रूपये की राजस्व हानि का पता चला जिसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	**मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियां (समीक्षा)**	1	222.67
2.	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किए जाने के कारण राजस्व प्राप्त न होना ।	16	10.29
3.	इमारती लकड़ी/बांस के अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी ।	17	4.48
4.	वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व प्राप्त न होना ।	09	1.37
5.	वनोपज का लेखांकन न किए जाने के कारण राजस्व की हानि ।	03	0.62
6.	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी ।	03	0.60
7.	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण राजस्व प्राप्ति में कमी ।	03	0.48
8	अन्य अनियमिततायें	66	185.58
योग		**118**	**426.09**

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने 14 प्रकरणों में 42.72 करोड़ रूपये की हानि को स्वीकार किया । ये सभी प्रकरण वर्ष 2008–09 के दौरान इंगित किए गए थे । एक प्रकरण में 43,000 रूपये की राशि की वसूली की गई ।

" **मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियां** " की एक निष्पादन समीक्षा, जिसमें 222.67 करोड़ रूपये के राजस्व का आस्थगन/हानि अंतर्निहित है, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

6.2 "मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियां" पर समीक्षा

प्रमुख बिंदु

- वन प्राप्तियों के अंतर्गत वाणिज्यिक कर/वेट के गलत वर्गीकरण के कारण वन विभाग की प्राप्तियां 270.67 करोड़ रूपये अधिक बताई गई ।

(कंडिका 6.2.6)

- कार्य आयोजना को नियत समय पर तैयार करने पर निगरानी रखने हेतु किसी प्रणाली के न होने के कारण 185.84 करोड़ रूपये का राजस्व आस्थगित रहा ।

(कंडिका 6.2.7.1)

- कूप अभिलेखों को नियत समय पर तैयार करने एवं उनके प्रस्तुतीकरण पर निगरानी रखने हेतु किसी प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप 143.80 करोड़ रूपये के राजस्व की अप्राप्ति एवं आस्थागन हुआ ।

(कंडिका 6.2.8.1)

- कार्य आयोजना के अनुसार बांसो का विदोहन न किए जाने के परिणामस्वरूप 11.06 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि/आस्थगन हुआ ।

(कंडिका 6.2.8.3)

- बोलियों की स्वीकृति के संप्रेषण में विलंब के परिणामस्वरूप 9.38 करोड़ रूपये का राजस्व अवरूद्ध हुआ ।

(कंडिका 6.2.9)

- शासकीय खाते में राजस्व के प्रेषण में विलम्ब के परिणामस्वरूप 13.40 करोड़ रूपये का विलम्ब से लेखांकन हुआ ।

(कंडिका 6.2.10)

- अवैध रूप से पातित वृक्षों एवं जब्त माल की कीमत का आकलन करने के लिए एकरूप प्रक्रिया के न होने के परिणामस्वरूप राजस्व हानि 76 लाख रूपये कम प्रतिवेदित की गई ।

(कंडिका 6.2.11.2)

- वनोपज के अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक भिन्नता के परिणामस्वरूप 4.80 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

(कंडिका 6.2.12)

- अवरोध मूल्य से कम पर इमारती लकड़ी के विक्रय के परिणामस्वरूप 1.52 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

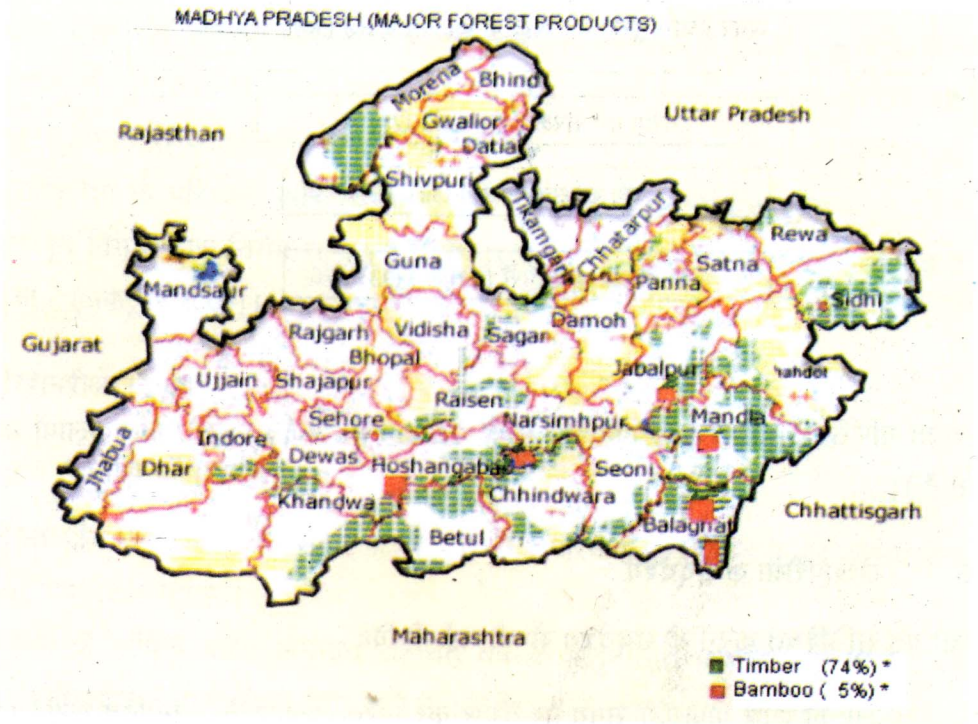
(कंडिका 6.2.13)

6.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के 30.71 प्रतिशत पर वन हैं जो देश के वन्य क्षेत्रफल का 12.44 प्रतिशत है । वनाच्छादित क्षेत्र राज्य के केन्द्रीय, पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में घनीभूत हैं। मुख्य वनोपज जिनसे राजस्व प्राप्त होता है, इमारती लकड़ी, बांस, जलाऊ लकड़ी (काष्ठ) तथा *तेंदू पत्ता, साल* बीज, *हर्रा,* गोंद, *चिरौंजी, महुआ* के फूल एवं बीज (गैर काष्ठ) आदि हैं । इसके अतिरिक्त, वन भूमि के अनधिकृत उपयोग तथा वृक्षों के अवैध पातन पर अर्थदण्ड सहित क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है । गैर काष्ठ वनोपज का व्यापार मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है, जबकि काष्ठ वनोपज व्यापार नीलामी के माध्यम से विभागीय तौर पर तथा उपभोक्ताओं को *निस्तारी*[1] विक्रय द्वारा किया जाता है ।

वनोपज की फसल उगाने तथा वन्य भूमि के उपयोग के उद्देश्यों हेतु वन्य क्षेत्रफल को कूपों[2] तथा खण्डों (कम्पार्टमेंट)[3] में विभाजित किया जाता है।

राज्य के विभिन्न भागों में इमारती लकड़ी एवं बांस के संकेन्द्रण को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है ।



* वन राजस्व में योगदान

1 *निस्तारी* विक्रय का आशय किसानों, वनवासियों आदि को घरेलू उपयोग हेतु रियायती दरों पर बेचे गए वनोपज अर्थात् बल्लियों, बांस तथा जलाऊ लकड़ी से है।

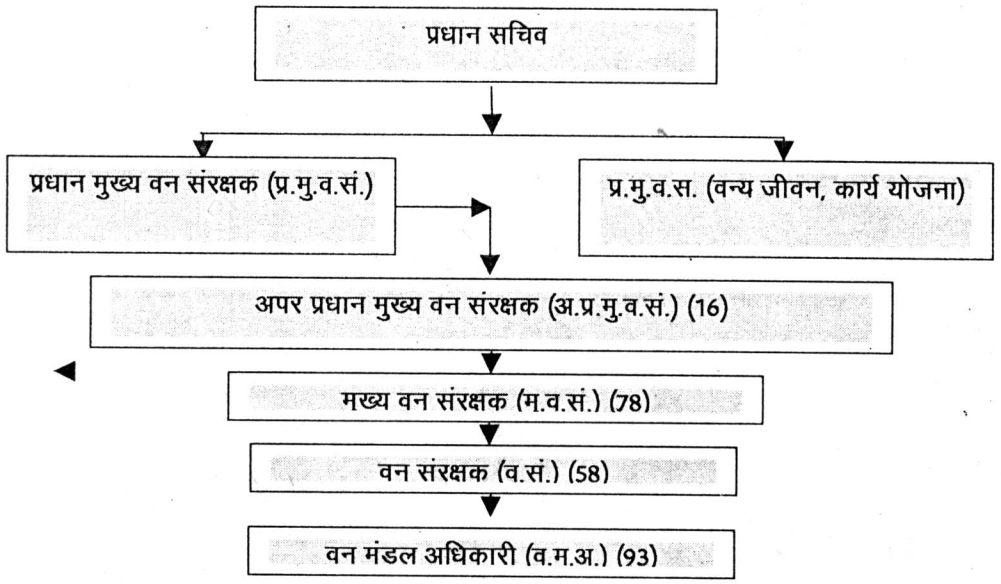
2 कूप एक सीमांकित वन क्षेत्र है जहां विदोहन किया जाना है ।

3 खण्ड (कम्पार्टमेंट) वन प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई है ।

अवधि 2004–05 से 2008–09 से संबंधित मध्य प्रदेश में वन प्राप्तियों[4] के संग्रहण की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई, जिसमें बहुत सी प्रणालीगत एवं अनुपालन संबंधी कमियां प्रकट हुई, जिनकी विवेचना अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है ।

6.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर विभाग प्रधान सचिव के पूर्ण नियंत्रणाधीन कार्य करता है जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.स.) विभाग के समग्र प्रशासन के लिए उत्तरदायी है । नीचे दिए गए चार्ट में मंडलीय स्तर तक की संगठनात्मक संरचना को दर्शाया गया है ।



(उपरोक्त वर्णित 93 वन मंडलाधिकारियों में से, 76 राजस्व अर्जन संबंधी क्रियाकलापों को देखते हैं)।

6.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि:

- मंडलों की कार्य योजनायें समय पर तैयार कर भारत सरकार से अनुमोदित कराई गई थीं तथा कार्य योजना में सम्मिलित क्रियाकलापों को अनुसूची के अनुसार निष्पादित किया गया था;
- उपलब्ध एवं विदोहन के लिए नियत वनोपज को समय पर निष्कासित एवं निवर्तित किया गया था;

4 काष्ठ वनोपज में व्यापार (इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और बांस)

- विभाग में विभिन्न शाखाओं के उचित कार्य संचालन एवं राजस्व के अधिकतम संग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान थी ।

6.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वन प्राप्तियों के संग्रहण की समीक्षा अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2009 के दौरान की गई । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय तथा 16[5] मंडलों के 2004–05 से 2008–09 तक के पांच वर्षो के अभिलेखों की नमूना जांच की गई । इसके अतिरिक्त, आठ[6] मंडलों से जानकारी एकत्र की गई थी । मंडलों का चयन प्रतिस्थापन रहित साधारण यादृच्छ प्रतिचयन विधि के आधार पर किया गया था ।

6.2.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध कराने में वन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है । लेखापरीखा के क्षेत्र तथा उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2009 में प्रवेश सम्मेलन (एण्ट्री कॉन्फ्रेंस) आयोजित किया गया जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अलावा मुख्य वन संरक्षक (बजट) भी उपस्थित थे । जून 2009 में समीक्षा के निष्कर्ष विभाग/शासन को संप्रेषित किए गए । विभाग से उत्तर प्राप्त हुये जिन्हें संबंधित कंडिकाओं में शामिल कर लिया गया है । लेखापरीक्षा के परिणामों और सिफारिशों पर चर्चा करने के लिये अनुरोध (जून 2009) के बावजूद विभाग द्वारा निर्गम सम्मेलन की व्यवस्था नहीं की गई । शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षो के दौरान राज्य के कर–भिन्न राजस्व में वन प्राप्तियों का औसत अंशदान 18.69 प्रतिशत रहा है ।

मंडलों के वार्षिक बजट अनुमान संबंधित वर्ष के अनुमानित उत्पादन के आधार पर वन मंडलाधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं । इन्हें वृत्त के वन संरक्षक के माध्यम से प्रधान मुख्य

5 बालाघाट दक्षिण {सामान्य (सा.),} बालाघाट पश्चिम {उत्पादन (उ.)}, छिंदवाड़ा (उ.), छिंदवाड़ा पश्चिम (सा.), देवास (सा.), डिंडोरी (सा.), डिंडोरी (उ.), हरदा (उ.), होशंगाबाद (सा.), इंदौर (सा.), खण्डवा (सा.), खण्डवा (उ.), मण्डला (उ.), मण्डला पश्चिम (सा.), सिवनी उत्तर (उ.) एवं सिवनी दक्षिण (सा.) ।

6 बैतूल (उ.), जबलपुर (सा.), सीहोर (उ.), शहडोल उत्तर (सा.), शहडोल दक्षिण (सा.), सीधी पूर्व (सा.), सीधी पश्चिम (सा.) तथा विदिशा (सा.) ।

वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाता है तथा अंत में अनुमोदन हेतु अक्टूबर में वित्त विभाग को प्रेषित किया जाता है ।

नीचे दी गई तालिका में 31 मार्च 2009 को समाप्त विगत पांच वर्षो से संबंधित राजस्व की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	कुल प्राप्तियां	अधिकता (+) / कमी (–)	कमी का प्रतिशत
2004-05	500	559.11	59.11	11.82
2005-06	422	490.40	68.40	16.21
2006-07	450	536.50	86.50	19.22
2007-08	543	608.89	65.89	12.13
2008-09	600	685.60	85.60	14.27

सामान्य तौर पर शासकीय लेखाओं में लेनदेन का वर्गीकरण उस विभाग के बजाय, जिससे राजस्व या व्यय का संबंध है, शासन के कार्य, कार्यक्रम, क्रियाकलाप तथा राजस्व अथवा व्यय के उद्देश्य से अधिक संबद्ध होता है (म.प्र. वित्तीय संहिता का नियम 308; शासकीय लेखांकन नियम, 1990 का नियम 29) ।

सभी उत्पादन मंडलों में यह देखा गया कि मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियम में उल्लिखित वित्त विभाग के एक पत्र दिनांक 28 फरवरी 1987[7] के आधार पर वनोपज के विक्रय पर वाणिज्यिक कर/वेट की वसूल की गई राशि को विभाग द्वारा वन प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0406 वानिकी एवं वन्य जीवन) में सम्मिलित कर लिया गया था । इस प्रकार पांच वर्षो की वास्तविक प्राप्तियों में इन वर्षो के दौरान वाणिज्यिक कर/वैट के रूप में प्राप्त 270.67 करोड़ रूपये (कुल प्राप्तियों का 9.4 प्रतिशत) की राशि भी शामिल थी ।

इस प्रकार विक्रय कर प्राप्तियों को वन शीर्ष में जमा करने की परिपाटी के कारण न केवल विभाग की वास्तविक प्राप्तियों को अधिक बढ़ाकर बताया गया था, बल्कि वाणिज्यिक कर/ वैट के रूप में उपार्जित राशि शासकीय लेखे में वाणिज्यिक कर विभाग की प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0040 'विक्रय, व्यापार पर कर') के रूप में भी नहीं दर्शाई गई थी। यह चलन शासकीय लेखाओं में लेनदेन के वर्गीकरण के सिद्धांतों के विपरीत हैं ।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि यह मध्य प्रदेश वन वित्तीय संहिता के अनुसार किया गया था। यह भी बताया गया कि एक नीतिगत मामले के रूप में इस पर विचार करने हेतु एक नोट राज्य शासन को भेजा गया था (अगस्त 2009) ।

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता तथा शासकीय लेखांकन नियमों के अनुसार लेनदेनों के वर्गीकरण से संबंधित इस विसंगति में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर शासन को विचार करना

[7] मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्र. 197/जे./17-11/ 4/बी-1/87 दिनांक 28.02.1987.

6.2.7 *कार्य आयोजना* को तैयार करना

वनों का प्रबंधन अनुमोदित *कार्य आयोजनाओं*[8] के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिन्हें समान्यतः प्रत्येक मंडल के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए तैयार कर समय–समय पर संशोधित किया जाता है । इन कार्यो के परिणामस्वरूप प्राप्त वनोपज से वन विभाग के लिए राजस्व प्राप्त होता है । *कार्य आयोजना* के अभाव में वनों की वृद्धि एवं पुनरूत्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसके परिणामस्वरूप वनों से वनोपज के निष्कासन से संबंधित सभी गतिविधियों में ठहराव आ जाता है जिससे विभाग का राजस्व प्रभावित होता है । इस प्रकार यह अति आवश्यक है कि पर्यावरण एवं राजस्व के हित में कार्य आयोजनाओं को अग्रिम रूप से तैयार कर अनुमोदित कराया जाना चाहिए । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कार्य आयोजना के अनुसार नियत खण्डों में सामान्य वन मंडल द्वारा वृक्षों का चिन्हांकन कर उन्हें प्राप्त किए जा सकने योग्य इमारती लकड़ी के अनुमानों सहित विदोहन हेतु उत्पादन मंडल को सौंप दिया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में *कार्य आयोजनाओं* को तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन में बहुत सी कमियों का पता चला जिनका उल्लेख नीचे किया गया है ।

6.2.7.1 कार्य आयोजना का परिवीक्षण न किए जाने के कारण राजस्व का आस्थगन तथा प्राप्ति न होना

कार्य आयोजना मंडलों के वन संरक्षक द्वारा विद्यमान आयोजना की समाप्ति के तीन वर्ष पूर्व *कार्य आयोजना* के संशोधन का कार्य प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है जिससे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके । प्रधान मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय से संग्रहीत जानकारी में पता चला कि *कार्य आयोजना* को भारत सरकार को प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण 62 सामान्य मंडलों में से 18[9] वन मंडलों के पास 2000–01 से 2008–09 के दौरान एक से आठ वर्षो तक सतत कार्य आयोजना नहीं थी । **यह देखा गया कि *कार्य आयोजना* को नियत समय पर तैयार करने के संबंध में परिवीक्षण करने के लिए किसी प्रणाली की अनुपस्थिति में सारभूत राजस्व आस्थगित रहा एवं वसूल नहीं किया जा सका जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है ।**

8 कार्य आयोजना प्रबंधन का एक लिखित योजनाबद्ध कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य नीति एवं कार्य की निरंतरता तथा वन के उपयोग को नियंत्रित करना है ।

9 अनूपपुर, बड़वानी, बालाघाट दक्षिण, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा पूर्व, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, खरगौन, मण्डला पश्चिम, राजगढ़, सागर दक्षिण, सेंधवा, शहडोल उत्तर, शहडोल दक्षिण, श्योपुर, सीधी पूर्व तथा विदिशा ।

- पश्चिम मंडला वन मंडल में यद्यपि विद्यमान *कार्य आयोजना* की समयावधि 2002–03 में समाप्त हो गई थी फिर भी भारत सरकार के अनुमोदन हेतु *कार्य आयोजना* को केवल विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण आगामी *कार्य आयोजना* को क्रियान्वयित नहीं किया जा सका । परिणामस्वरूप, 16 खण्डों का विदोहन जो 2003–04 में नियत था, 2005–06[10] तथा 2006–07 में किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 31.53 करोड़ रूपये के राजस्व का आस्थगन हुआ ।

- होशंगाबाद वन मंडल में विदोहन योग्य 3,924.01 हैक्टेयर बांस क्षेत्र, जिसे पूर्व कार्य आयोजना (1984–1999) में सम्मिलित किया गया था, 2000–01 से 2009–10 की अवधि हेतु वन मंडल की नवीन रूप से अनुमोदित *कार्य आयोजना* में सम्मिलित नहीं किया गया था। वन संरक्षक, वृत्त होशंगाबाद द्वारा भौतिक निरीक्षण किए जाने के पश्चात प्रकरण जनवरी 2007 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद को प्रतिवेदित किया गया जिन्होंने वन संरक्षक के प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2007–08 से इस क्षेत्र का विदोहन करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार 2000–01 से 2006–07 के दौरान उपरोक्त बांस क्षेत्र अविदोहित रहा जिसके परिणामस्वरूप 1.19 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

- सात[11] वन मंडलों के प्रकरण में विदोहन के लिए नियत (2004–05 से 2008–09) 53,736.13 हैक्टेयर क्षेत्रफल के 510 खण्डों की *कार्य आयोजना* विद्यमान न होने के कारण मार्च 2009 तक विदोहन नहीं किया किया गया था । जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित तौर पर 99,146.299 घन मीटर इमारती लकड़ी तथा 95,838 जलाऊ चट्टों को निष्कासित नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप 153.12 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। इसे इंगित किए जाने पर सभी वन मंडलाधिकारियों ने दिसम्बर 2008 तथा अप्रैल 2009 के मध्य बताया कि भारत सरकार से *कार्य आयोजना* का अनुमोदन तथा विदोहन की अनुमति प्राप्त न होने के कारण कूपों का विदोहन नहीं किया जा सका था । होशंगाबाद वन मंडल में बांस क्षेत्र को सम्मिलित न किए जाने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का. आयो.) ने बताया (मई 2009) कि मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात अंतिम उत्तर भेजा जाएगा । *कार्य आयोजनाओं* को विलंब से प्रस्तुत करने संबंधी कारणों का उत्तरों में कोई उल्लेख नहीं था । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां 62 *कार्य आयोजनायें* नियमित रूप से संशोधित तथा क्रियान्वयित की जाती है, विलंब की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। यह भी बताया गया कि हाल ही में एक विस्तृत मासिक परिवीक्षण प्रणाली लागू की गई है जो अधिक कुशलता से *कार्य आयोजना* के संशोधन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया का नियमन करती है । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) ने स्वीकार किया कि पश्चिम मंडला की *कार्य आयोजना* में विलंब हुआ था । होशंगाबाद वन मंडल के प्रकरण में उन्होंने बताया कि अपर्याप्त बांस स्टॉक के कारण वर्तमान

10 कार्य आयोजना के अनुमोदन के अधीन भारत सरकार की विशेष अनुमति के अंतर्गत ।

11 बालाघाट दक्षिण, बुरहानपर, इंदौर, जबलपुर, मण्डला पश्चिम, शहडोल दक्षिण तथा सीधी पूर्व ।

कार्य आयोजना में बांस क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया था । उत्तर सही नहीं है क्योंकि वर्ष 2007–08 से संबधित विदोहन का परिणाम दर्शाता है कि नवीन रूप से अनुमोदित कूपों का औसत उत्पादन 0.581 नोशनल टन प्रति हैक्टेयर था जो नियमित रूप से विदोहित कूपों से काफी अधिक (2.5 गुना) है ।

शासन द्वारा राज्य में *कार्य आयोजनाओं* की स्थिति का प्रभावीरूप से परिवीक्षण करने हेतु वन मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रतिवेदन/विवरणियों को निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार किया जाना चाहिये ।

6.2.8 कार्य आयोजना का क्रियान्वयन

कार्य आयोजना के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय (सितम्बर 2000) एवं विभाग (मार्च एव जून 2002) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, कार्य का नियत समय पर निष्पादन आनेवार्य है । *कार्य आयोजना* के अनुसार, वन क्षेत्र को कई कार्यकारी वृत्तों में तथा वृत्तों का कूपों में विभाजित किया जाता है । किसी विशेष वर्ष में विदोहन के लिए नियत कूपों का चिन्हांकन उस वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष में किया जाता है जिसमें संबंधित कूप का *कार्य आयोजना* के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विदोहन किया जाना तय है । *कार्य आयोजनाओं* के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कूपों का विदोहन न किए जाने के परिणामस्वरूप निष्कासित इमारती लकड़ी तथा अन्य वनोपज से प्राप्त हो सकने योग्य राजस्व का आस्थगन होता है तथा वनों के पुनरूत्थान संबंधी गतिविधियां अवरूद्ध होती हैं जिससे भावी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार, किसी वर्ष में वास्तविक विदोहन की *कार्य आयोजना* के निर्धारण कार्यक्रम से तुलना करने तथा किसी विशेष कूप में अन्य पुनरूत्थान संबंधी गतिविधियों को अभिलेखित करने के लिए कूप नियंत्रण पुस्तिका संधारित की जानी चाहिए । इसी प्रकार से प्रत्येक खण्ड (कम्पार्टमेंट) का पूर्ववृत्त/इतिहास संधारित किया जाना चाहिए तथा मूल स्टॉक, उत्पादन तथा निष्पादित कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय विवरण दर्शाते हुए उसे अद्यतन किया जाना चाहिए । *कार्य आयोजना* के अनुसार पातन/उपयोग के पांच वर्षो के पूर्ण होने के पश्चात वन मंडलाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों को निष्पादित कार्यों के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए खण्डों (कम्पार्टमेंट) का निरीक्षण करना चाहिए तथा खण्ड (कम्पार्टमेंट) के पूर्ववृत्त में एक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन अभिलेखित करना चाहिए ।

(इमारती लकड़ी)

6.2.8.1 अभिलेखों का संधारण न किया जाना

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आठ[12] सामान्य वन मंडलों में कूप नियंत्रण पुस्तिकायें उचित ढंग से संधारित नहीं की गई थीं । वास्तविक विदोहन तथा उससे संबंधित शेष कार्य तथा अन्य सिल्वीकल्चरल क्रियाकलापों का उल्लेख नियंत्रण पुस्तिका में नहीं पाया गया । खण्ड (कम्पार्टमेंट) का पूर्ववृत्त भी अद्यतन नहीं पाया गया । यह भी अवलोकित किया गया कि अधिकांश वन मंडलों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदोहन संबंधी क्रियाकलाप *कार्य आयोजना* के निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संचालित किए जा रहे थे, कूप नियंत्रण पुस्तिका तथा खण्ड के पूर्ववृत्त को समय पर तैयार करने तथा उसके प्रस्तुतीकरण का परिवीक्षण करने के लिए अभिलेख संधारित नहीं किये थे । निष्पादित कार्यों के पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी खण्ड के पूर्ववृत्त में कोई विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन अभिलेखित नहीं पाया गया । आगे यह भी देखा गया कि इन महत्वपूर्ण अभिलेखों को समय पर तैयार करने के संबंध में परिवीक्षण हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी।

- अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 10[13] सामान्य वन मंडलों में वर्ष 2003–04 से 2008–09 के दौरान *कार्य आयोजना* के अनुसार नियत 1,116 खण्डों का विदोहन एक से दो वर्षो के विलंब के पश्चात किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप 93.22 करोड़ रूपये का राजस्व एक से दो वर्षो तक आस्थगित हुआ ।

इसके अतिरिक्त चार[14] वन मंडलों की *कार्य आयोजना* के अनुसार उनमें 2004–05 से 2008–09 के मध्य विदोहन के लिए नियत 332 खण्डों का विदोहन नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप 44.92 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

इसे इंगित किए जाने पर, वन मंडलाधिकारी, डिंडोरी तथा छिन्दबाड़ा (पश्चिम) ने जनवरी तथा अप्रैल 2009 के मध्य बताया कि कूपों के लाभप्रद न होने तथा अगम्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण उनका विदोहन नहीं किया जा सका था। वन मंडलाधिकारी, उत्तर बालाघाट तथा रीवा ने अक्टूबर 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य बताया कि नक्सली तथा डकैत समस्या के कारण कूपों का विदोहन नहीं किया जा सका था, जबकि शेष वन मंडलाधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य) कि *कार्य आयोजना* का विलंब से अनुमोदन होने तथा सामान्य वन मंडल द्वारा हस्तांतरण में विलंब के कारण कूपों का विदोहन नहीं किया जा सका था। वन

12 छिंदवाड़ा पश्चिम, देवास, डिंडोरी, जबलपुर, खण्डवा, मण्डला पश्चिम, शहडोल उत्तर एवं विदिशा।

13 बुरहानपुर, छिंदवाड़ा पूर्व, देवास, डिंडोरी, इंदौर, खण्डवा, मण्डला पश्चिम, शहडोल उत्तर, शहडोल दक्षिण एवं विदिशा ।

14 बालाघाट उत्तर (सा.), डिंडोरी (सा.), छिंदवाड़ा पश्चिम (सा.) एवं रीवा (सा.) ।

मंडलाधिकारियों के उत्तर नवम्बर 2004 में जारी विभागीय अनुदेशों के अनुरूप नहीं है जिनमें यह निर्धारित किया गया था कि *कार्य आयोजना* के अनुसार सभी शेष नियत कार्य लाभप्रद नहीं होने पर भी अनिवार्य रूप से निष्पादित किये जाने चाहिए ।

- तीन वन मंडलों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 17 कूपों में चिन्हांकित 60,004 वृक्षों के विरूद्ध केवल 33,169 वृक्षों का पातन किया गया । शेष 26,835 वृक्षों का पातन न किए जाने के परिणामस्वरूप निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार 5.66 करोड़ रूपये के राजस्व का आस्थगन हुआ:

वन मंडल का नाम	नियत वर्ष	कूपों की संख्या	पातित न किए गए वृक्षों की संख्या	अनुमानित उत्पादन		अनुमानित राजस्व (लाख रूपये में)
				इमारती लकड़ी (घ.मी.)	जलाऊ लकड़ी (चट्टे)	
मंडला (उत्पादन)	2007-08	15	16,634	2,848.000	1,203	518.43
डिंडोरी (उत्पादन)	2007-08	01	473	319.520	99	44.43
दक्षिण शहडोल	2005-06	01	9,728	17.291	256	2.97
योग						**565.83**

इंगित करने पर वनमंडलाधिकारी (उत्पादन), मंडला ने बताया (नवम्बर 2008) कि शेष रहे वृक्षों का पातन आगामी वर्ष 2008–09 में किया जायेगा, वनमंडलाधिकारी (उत्पादन), डिंडोरी ने कहा (दिसम्बर 2008) कि पातन ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं किया जा सका था और वह आगामी वर्ष में कर लिया जायेगा । वनमंडलाधिकारी (सामान्य), दक्षिण शहडोल ने कहा (अप्रैल 2009) कि श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण पातन नहीं किया जा सका था । *कार्य आयोजना* के निर्धारण के अनुसार वृक्षों का पातन नहीं होने के कारण न केवल वनों का पुनरूत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि राजस्व के आस्थगन को भी बढ़ावा मिलता है ।

विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि कुछ स्थानों पर कूप नियंत्रण पुस्तिका तथा खण्ड पूर्व वृत्तों का संधारण नहीं किया गया था । यह बताया गया कि इस संबंध में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिवीक्षण किया जाएगा तथा सभी कूपों में, चाहे वे अलाभप्रद ही क्यों न हों, विदोहन कार्य करने के लिए अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। वृक्षों के कम पातन के संबंध में विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2009) तथा चिन्हांकित वृक्षों के सम्पूर्ण विदोहन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने पर सहमत हुआ ।

6.2.8.2 इमारती लकड़ी के कूपों का अनियमित विदोहन

कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार *कार्य आयोजना* के निर्धारित कार्यक्रम की परिधि के बाहर कोई भी विदोहन अनियमित माना जाएगा । उत्तर बालाघाट (उ.) के अवधि 2007–08 से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चयन सह सुधार कार्यकारी वृत्त के सात कूपों में, *कार्य आयोजना* में कार्यकारी वृत्त के उपयोग हेतु प्रावधानों के अनुसार, सामान्य वन मंडल द्वारा विदोहन हेतु 8,195 वृक्ष चिन्हांकित कर उत्पादन मंडल को सौंपे गए थे। लेकिन उत्पादन मंडल के कार्य समाप्ति प्रतिवेदन (जून 2008) के अनुसार 19,356 वृक्षों का पातन किया गया था, परिणामतः 11,161 वृक्षों का पातन तथा 3,119.596 घ.मी. इमारती लकड़ी तथा 4,983 जलाऊ चट्टों का निष्कासन अनधिकृत रूप से किया गया था।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी ने अपने उत्तर में केवल 82 वृक्षों के अंतर का विवरण दिया जो पूर्व में ही एक तूफान के दौरान गिर जाने के कारण विदोहित किए गए थे । उत्तर में शेष 11,079 वृक्षों के अतिरिक्त निकासी के संबंध में विवरण नहीं दिया गया था । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि प्रतिवेदित अधिक वृक्षों की निकासी की जानकारी लिपिकीय त्रुटि के कारण थी । विभाग ने आगे बताया कि वन मंडलाधिकारी द्वारा अपने पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 20 अगस्त 2009 में प्रतिवेदित 8,195 वृक्षों के स्थान पर केवल 19,274 वृक्ष चिन्हांकित पाये गए थे । उत्तर की पुष्टि सामान्य वन मंडल के चिन्हांकन अभिलेखों से नहीं होती है। वन मंडलाधिकारी (सा.) बालाघाट ने अगस्त 2007 में वन मंडलाधिकारी (उ.) को पातन कार्य हेतु नियत 8,195 चिन्हांकित वृक्ष हस्तांतरित किए थे। फरवरी 2009 में वन मंडलाधिकारी (सा.) ने वही संख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की थी। विभाग से इस अधिक निष्कासन की पुनः जांच कर उपयुक्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित है ।

इसी प्रकार दक्षिण शहडोल मंडल में 1,247.645 हैक्टेयर की अनुमति के विरूद्ध 1,621.505 हैक्टेयर क्षेत्रफल का विदोहन किया गया । अधिक क्षेत्रफल 373.86 हैक्टेयर का विदोहन किए जाने के परिणामस्वरूप 700.628 घ.मी. इमारती लकड़ी तथा 729 जलाऊ चट्टे अनधिकृत रूप से निष्कासित किये गए ।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी ने बताया (अप्रैल 2009) कि कूप क्रमांक 3, जिसका 2007–08 में विदोहन किया जाना था, 2005–06 से 2014–15 की अवधि से संबंधित *कार्य आयोजना* के प्रावधानों के अनुसार विदोहित किया गया था तथा पातन हेतु भारत सरकार की अनुमति प्रक्रिया के अधीन थी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पातन के पूर्व भारत सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी ।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2009) तथा बताया कि दोषी स्टाफ तथा कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

(बांस)

6.2.8.3 *कार्य आयोजना* के अनुसार बांस का विदोहन न किए जाने के कारण राजस्व की हानि/आस्थगन

कार्य आयोजना में बांस कूपों को चार पातन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक पातन श्रेणी प्रत्येक चार वर्ष बाद वनोपज प्राप्त करने के लिए नियत हो जाती है । बांस कूपों का विदोहन न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती है तथा नई शाखाओं की पुनर्उत्पत्ति में भी रूकावट आती है । प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने निर्देश दिया (नवम्बर 2004) कि कोई भी नियत कूप अविदोहित/बिना उपयोग के नहीं रहना चाहिए, भले ही कूप का विदोहन लाभप्रद न हो तथा आगामी पुनर्उत्पत्ति के लिए विभिन्न सिल्वीकल्चर संबंधी कार्य किए जाने चाहिये ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि अनुमोदित *कार्य आयोजनाओं* के अनुसार उपलब्ध बांस कूपों में पूर्ण रूप से कार्य संचालन/विदोहन नहीं किया गया था। साथ ही अनुमोदित *कार्य आयोजनाओं* के अनुसार बांस कूपों के कार्य संचालन के परिवीक्षण की कमी के कारण विभाग/शासन बांस कूपों के इस प्रकार अकार्यशील रहने के संबंध में अनभिज्ञ रहा । बांस कूपों के कार्य संचालन के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई ।

छः[15] वन मंडलों में *कार्य आयोजना* में निर्धारित 20,586.447 हैक्टेयर बांस क्षेत्र का 2005–06 से 2007–08 की अवधि के दौरान विदोहन नहीं किया गया था, जिससे 8.62 करोड़ रूपये का राजस्व सृजित किया जा सकता था ।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी, हरदा, होशंगाबाद तथा जबलपुर ने बताया (अप्रैल, अक्टूबर तथा नवम्बर 2008) कि लाभप्रद उत्पादन न होने के कारण विदोहन नहीं किया गया था। वन मंडलाधिकारी, जबलपुर ने बताया (अप्रैल 2009) कि उत्तर बाद में प्रेषित किया जाएगा तथा वन मंडलाधिकारी, दक्षिण बालाघाट ने बताया कि ढुलाई[16] निविदा की प्राप्ति न होने के कारण विदोहन नहीं किया गया था। वन मंडलाधिकारी, उत्तर बालाघाट (सा.) तथा रीवा (सा.) ने क्रमशः बताया कि नक्सली तथा डकैत समस्यायों के कारण कूपों का विदोहन नहीं किया जा सका था। ये उत्तर विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (नवम्बर 2004) के विपरीत हैं ।

पश्चिम बालाघाट (उ.) मंडल में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2007–08 से संबंधित अनुमोदित *विदोहन योजना*[17] में दर्शाये अनुसार विदोहन किए जाने

15 बालाघाट उत्तर (सा.), बालाघाट दक्षिण (उ.), हरदा (सा.), होशंगाबाद (सा.), जबलपुर (सा.) एवं रीवा (सा.) ।

16 निजी ट्रांसपोर्टरों द्वारा वनोपज की कूपों से डिपो तक परिवहन ।

17 प्रत्येक कूप के लिए वनोपज के विदोहन एवं परिवहन के लिए एक अनुमोदित योजना ।

के लिए नौं खण्डों के 2,554.012 हैक्टेयर बांस क्षेत्रफल के विरूद्ध वर्ष 2007–08 में 1,418.130 हैक्टेयर बांस क्षेत्र का विदोहन किया गया था तथा 1,417.829 नोशनल टन वाणिज्यिक तथा 2,104.964 नोशनल टन औद्योगिक बांस निष्कासित किया गया था। शेष 1,135.882 हैक्टेयर बांस क्षेत्रफल का विदोहन न किए जाने के परिणामस्वरूप अनुमानित 998.791 नोशनल टन वाणिज्यिक बांस ताथा 4,786.505 नोशनल टन औद्योगिक बांस का निष्कासन न होने से 1.83 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि तथ वन की पुनर्उत्पत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी ने बताया (मार्च 2009) कि चार कूपों में *कार्य आयोजना* के अनुसार नियत समस्त कार्य योग्य क्षेत्र का विदोहन किया जा चुका था । प्रगति प्रतिवेदन में लिपिकीय त्रुटि के कारण चार कूपों में कम क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया था । उत्तर अनुमोदित विदोहन योजना के अनुरूप नहीं है क्योंकि वन मंडलाधिकारी द्वारा उल्लेखित खण्डों का कार्य योग्य क्षेत्रफल अनुमोदित विदोहन योजना में उल्लेखित क्षेत्रफल से काफी कम है ।

उत्तर बालाघाट (उ.) मंडल में यह देखा गया कि 2005–06 तथा 2006–07 में विदोहन के लिए नियत पांच कूप 2007–08 में विदोहित किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 1,357.354 नोशनल टन बांस के वास्तविक उत्पादन से 60.92 लाख रूपये का राजस्व एक से दो वर्षो के लिए आस्थगित रहा ।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी ने फरवरी 2009 में बताया कि सामान्य वन मंडल द्वारा विलंब से हस्तांतरित किए जाने तथा पर्याप्त समय की कमी के कारण कूपों का विदोहन नहीं किया जा सका था। विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि बालाघाट तथा रीवा जिले में विदोहन न किए जाने का कारण कानून व्यवस्था की समस्या थी; हरदा वन मंडल में, *कार्य आयोजना* में कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित न किए जाने के कारणों की जांच की जा रही थी; जबलपुर मंडल में निधियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं किया जा सका था; बालाघाट मंडल के प्रकरण में समस्त कार्य योग्य क्षेत्र का उपयोग किया गया था तथा लिपिकीय त्रुटि के कारण कुछ कूपों का कार्य योग्य क्षेत्र गलत प्रतिवेदित कर दिया गया था । हरदा वन मंडल से संबंधित उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा आकलित हानि *कार्य आयोजना* में पातन हेतु नियत कार्य योग्य बांस क्षेत्रफल के लिए थी तथा बालाघाट वन मंडल के संबंध में विभाग की टिप्पणियों की अभिलेखों से पुनः पुष्टि की जानी वांछित है । रीवा तथा जबलपुर वन मंडलों के प्रकरण में संबंधित *कार्य आयोजना* में कानून व्यवस्था एवं निधियों की कमी के पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।

6.2.8.4 अवनत बांस वन कूपों के पुनर्वासन के उपचार कार्य की कमी

अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि वन मंडलाधिकारी (सा.), पश्चिम मंडला में 2006–07 से 2008–09 के मध्य वर्षो के दौरान *कार्य आयोजना* के अवनत बांस वन कार्यकारी वृत्त के पुनर्वासन के अंतर्गत यद्यपि 7,494.41 हैक्टेयर बांस क्षेत्र में उपचारात्मक कार्य किया जाना था परन्तु कोई उपचारात्मक कार्य नहीं किया गया था। *कार्य आयोजना* में निर्धारित कार्यक्रमों का अनुपालन न किऐ जाने से अवनत बांस वन के उपचार/सुधार तथा भावी राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी, पश्चिम मंडला ने बताया (दिसम्बर 2008) कि निधियों की कमी के कारण उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्य नहीं किया जा सका था। विभाग ने भी वही कारण दोहराया (सितम्बर 2009) ।

वन मंडलों द्वारा कूप नियंत्रण पुस्तिकाओं तथा खण्ड पूर्ववत्तों को तैयार कर नियमित रूप से उनको अद्यतन किए जाने को शासन द्वारा अनिवार्य बनाया जा सकता है । इसके अलावा, उच्च प्राधिकारियों द्वारा प्रभावी परिवीक्षण हेतु वन मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन/विवरणियों को भी निर्धारित किया जा सकता है ।

6.2.9 बोलियों की स्वीकृतियों के संप्रेषण में विलम्ब के कारण राजस्व अवरूद्ध होना

स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी के विक्रय की शर्तो का विनियमन करने वाले नियम, 1976 (नियम) के नियम 2 (क) तथा (ख) के अनुसार किसी नीलामी में सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी के दिनांक से सात दिन के भीतर बोली की राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान किया जाना वांछित है तथा बोली की राशि के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान नीलामी की स्वीकृति के दिनांक से 45 दिन के भीतर किया जाएगा जिसके संबंध में उसको लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। ***हालांकि नियमों में बोलियों की स्वीकृति के संप्रेषण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।***

अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि सात[18] उत्पादन मंडलों में 2005–06 से 2008–09 की अवधि से संबंधित 218 प्रकरणों में बोली राशि के शेष 75 प्रतिशत का भुगतान करने के लिए बोलियों की स्वीकृति विभिन्न तिथियों पर 31 से 106 दिनों तक के विलम्ब से बोलीदाताओं को संप्रेषित की गई थी। ***बोलियों की स्वीकृति को संप्रेषित करने हेतु समय सीमा निर्धारित न किए जाने के परिणामस्वरूप पूर्वोक्त अवधि के दौरान 9.38 करोड़ रूपये का राजस्व अवरूद्ध होने के साथ–साथ केताओं की अनधिकृत रूप से सहायता की गई ।***

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि बोलियों की स्वीकृति विभिन्न स्तरों से जारी होने के कारण विलम्ब हुआ था। यह भी बताया गया कि विभिन्न स्तरों पर

[18] छिंदवाड़ा, देवास, डिंडोरी, हरदा, खण्डवा, मण्डला एवं सिवनी उत्तर ।

स्वीकृति के जारी करने हेतु समय सीमा निर्धारित किए जाने के संबंध में विचार किया जा रहा था ।

स्वीकृति के जारी होने तथा स्वीकृति के संप्रेषण हेतु शासन द्वारा एक समयबद्ध कार्यप्रणाली निर्धारित की जा सकती है ।

6.2.10 शासकीय लेखे में राजस्व के प्रेषण में विलम्ब

मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियम के नियम 11 व्ही. बी. में प्रावधान है कि किसी निजी व्यक्ति से शासकीय राजस्व के रूप में प्राप्त किसी भी चैक या ड्राफ्ट की प्रविष्टि रोकड़ पुस्तिका में कर उसे बिना किसी विलम्ब के बैंक/कोषालय में प्रेषित किया जाना चाहिए । मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खण्ड 1 के उप नियम 505 के अनुसार वन मंडलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि कोषालय में प्रेषित धन राशि वास्तव में शासकीय लेखे में जमा की जाती है ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि वनोपज की नीलामी पर वन मंडलों में प्राप्त बैंक ड्राफ्टों को जमा करने में काफी विलंब होने के परिणामस्वरूप शासकीय लेखाओं में राजस्व का आस्थगन हुआ । परिवीक्षण की कमी के कारण विभाग शासकीय देय राशियों के प्रेषण में ऐसे अनुचित विलंब से अनभिज्ञ रहा, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है ।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 12[19] वन मंडलों के 1,120 प्रकरणों में 2004–05 से 2008–09 की अवधि के दौरान इमारती लकड़ी की नीलामी, क्रेताओं के पंजीयन शुल्क आदि के रूप में प्राप्त 13.35 करोड़ रूपये के बैंक ड्राफ्ट निम्न विवरणानुसार 7 से 128 दिनों के विलम्ब से शासकीय लेखे में प्रेषित/लेखांकित किए गए थे :

अवधि	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रू. में)
7 से 30 दिन	543	696.61
31 से 90 दिन	218	199.88
91 से 128 दिन	359	438.95
योग	**1,120**	**1,335.44**

इसके अतिरिक्त जबलपुर वन मंडल में 5.07 लाख रूपये के 708 बैंक ड्राफ्ट वैधता अवधि (छः माह) के भीतर भी प्रेषित नहीं किए गए थे। यह भी पाया गया कि अधिकांश प्रकरणों में क्रय की गई सामग्री को आगार से उठाने के लिए कार्य आदेश बैंक ड्राफ्टों के समायोजन के पूर्व जारी किए गए थे ।

[19] बालाघाट पश्चिम (उ.), छिंदवाड़ा (उ.), देवास (सा.), देवास (उ.), डिंडोरी (उ.), हरदा (उ.), इंदौर (सा.), जबलपुर (सा.), खण्डवा (सा.), सीहोर (उ.), सिवनी उत्तर (उ.) एवं विदिशा (सा.) ।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी, हरदा (उ.) ने बताया (अक्टूबर 2008) कि बैंक से भविष्य में ड्राफ्ट को समय पर समायोजित करने के लिए अनुरोध किया गया था; वन मंडलाधिकारी, जबलपुर ने बताया (अप्रैल 2009) कि उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, जबकि शेष वन मंडलाधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 तथा मार्च 2009 के मध्य) कि नीलामी के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने तथा बैंक ड्राफ्ट रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के कारण विलंब हुआ था । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि बैंक ड्राफ्टों को निर्धारित समय के भीतर जमा करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा अनुदेश जारी किए जा रहे थे ।

संभावित जालसाजी तथा अस्थायी गबन (दुर्विनियोग) से बचने के लिए शासकीय लेखाओं में बैंक ड्राफ्टों तथा अन्य राजस्व की प्राप्ति तथा प्रेषण की स्थिति के परिवीक्षण हेतु मंडलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए आवधिक प्रतिवेदन/विवरणी निर्धारित किए जाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

6.2.11 जबावदेही तथा रिपोर्टिंग संबंधी कमियां

6.2.11.1 इमारती लकड़ी का लेखा तैयार न किया जाना

मध्य प्रदेश वन वित्तीय नियमावली के नियम 217 में प्रावधान है कि परिक्षेत्रों तथा विक्रय आगारों में प्रपत्र 20 क में इमारती लकड़ी का मासिक लेखा तैयार कर वन मंडलाधिकारियों को प्रस्तुत किया जावे । इसमें वनोपज का प्रारिम्भक शेष, प्राप्ति का समय, माह के दौरान निवर्तित मात्रा, शेष लंबित मात्रा आदि की जानकारी होती है जो उपज के रूप में प्राप्त तथा वन मंडलाधिकारी द्वारा जब्त किए गए वनोपज की प्राप्ति तथा निवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है ।

इससे कूप तथा आगार के बीच इमारती लकड़ी में होने वाली किसी कमी को पकड़ने में भी मदद मिलती है । वन मंडलाधिकारी आगामी माह की 25 तारीख तक इस लेखे को समय पर तैयार करने के संबंध में एक मासिक प्रतिवेदन वन संरक्षक को प्रस्तुत करता है और फिर वृत्त का प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाता है ।

लेखापरीक्षा की जांच में वन मंडलों द्वारा टिम्बर अकाउन्ट तैयार करने में गंभीर कमियां प्रगट हुई हैं । यह अवलोकित किया गया कि 15[20] वन मंडलों में जनवरी 1984 एवं मार्च 2008 के मध्य विभिन्न अवधियों से संबंधित इमारती लकड़ी का लेखा तैयार नहीं किया गया था। इंदौर तथा खण्डवा के सामान्य वनमंडलों द्वारा उस अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था जिस अवधि के लिये इमारती लकड़ी का लेखा तैयार किया गया था । मंडला (सा.) वन मंडल में वर्ष 1984 से इमारती लकड़ी का लेखा तैयार नहीं किया गया था । इतनी लम्बी अवधि तक

20 बैतूल (उ.), छिंदवाड़ा (उ.), देवास (सा.), देवास (उ.), डिंडोरी (सा.), हरदा (सा.), होशंगाबाद (सा.), इंदौर (सा.), जबलपुर (सा.), खण्डवा (सा.), मण्डला (उ.), मण्डला पश्चिम (सा.), शहडोल उत्तर (सा.), शहडोल दक्षिण (सा.) एवं विदिशा (सा.) ।

इमारती लकड़ी का लेखा तैयार नहीं करने पर भी वन संरक्षकों अथवा प्रमुख वन संरक्षकों द्वारा उक्त लेखाओं के समय पर तैयार करने तथा प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार इमारती लकड़ी के लेखा की समयबद्ध तैयारी पर निगरानी के अभाव में विभाग इमारती लकड़ी के पातन/जब्ती, निवर्तन एवं शेष अनिवर्तित स्टॉक से अनभिज्ञ रहा था।

इसे इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी, मंडला (उ.) ने बताया (नवम्बर 2008) कि इमारती लकड़ी के लेखे तैयारी प्रक्रिया में थे, जबकि दूसरे वन मंडलाधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2009 के मध्य) कि परिक्षेत्रों से लेखा प्राप्त न होने के कारण लेखे तैयार नहीं किए जा सके थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इमारती लकड़ी के लेखे को नियत समय पर प्रस्तुत करने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कोई नियंत्रण कार्य प्रणाली विद्यमान नहीं थी । विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2009) कि इमारती लकड़ी के लेखाओं को तैयार करने का कार्य पिछड़ता जा रहा था तथा संबंधित वन मंडलाधिकारियों को इमारती लकड़ी का लेखा शीघ्र तैयार करने के अनुदेश दिए गए थे।

परिक्षेत्रों/वन मंडलों द्वारा इमारती लकड़ी के लेखाओं को तैयार कर उन्हें निश्चित समय सीमा में प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाए जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है । इमारती लकड़ी के लेखाओं को समय पर तैयार कर उनके प्रस्तुतीकरण का वन संरक्षकों तथा मुख्य वन संरक्षकों द्वारा परिवीक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं ।

6.2.11.2 अवैध पातन के प्रकरणों में राजस्व हानि कम प्रतिवेदन करना

मध्य प्रदेश वन मैन्युअल में अवैध पातन के कारण हानि का आकलन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है । वन विभाग द्वारा अपनाई गई प्रथा के अनुसार अवैध पातन के कारण राजस्व की हानि का आकलन अवैध रूप से पातित वृक्षों के अनुमानित मूल्य से जब्त किए गए माल के मूल्य को घटाकर किया जाता है । अवैध रूप से पातित वृक्षों का मूल्य मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित *अनुसूची की दर* पर आधारित होता है, जबकि जब्त माल का मूल्य *विक्रय आगार दर* से आकलित किया जाता है । *विक्रय आगार दर* हमेशा *अनुसूची* दर से अधिक होती है क्योंकि *विक्रय आगार दर* में परिवहन तथा अन्य विभागीय व्यय सम्मिलित होते हैं ।

यह अवलोकित किया गया कि पांच[21] सामान्य वन मंडलों में 2004–05 से 2008–09 के दौरान, अनुमानित तौर पर 4,660.113 घ.मी. इमारती लकड़ी का अवैध रूप से निष्कासन किया गया था तथा मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित *अनुसूची की दर* के आधार पर उसका मूल्य 1.92 करोड़ रूपये आकलित किया गया था। उसी अवधि के दौरान, वन मंडलों ने

[21] छिंदवाड़ा पूर्व, डिंडोरी, इंदौर, मण्डला पूर्व एवं मण्डला पश्चिम ।

विक्रय आगार दर के आधार पर 2.03 करोड़ रूपये मूल्य की 2,582.349 घ.मी. इमारती लकड़ी जब्त की थी जो *अनुसूची की दर* के अनुसार गणना कर अवैध रूप से पातित वृक्षों के कारण हानि से समायोजित की गई थी तथा उस प्रकार शुद्ध/वास्तविक हानि निरंक आकलित की गई थी। वास्तविक हानि का आकलन जब्त तथा अन्य माल दोनों के संबंध में *अनुसूची की दर* पर विचार कर किया जाना चाहिए था। जब्त इमारती लकड़ी की *अनुसूची की दर* को ध्यान में रखते हुए राजस्व हानि प्रतिवेदित निरंक के बजाय 76 लाख रूपये आकलित हुई । वन मंडलाधिकारी (सामान्य), देवास तथा खण्डवा ने वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी ।

इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारियों, पूर्व एवं पश्चिम मंडला, इंदौर तथा पूर्व छिंदवाड़ा ने बताया (दिसम्बर 2008 तथा मार्च 2009) कि अवैध रूप से काटे गये वृक्षों का मूल्य गोलाई श्रेणी के आधार पर आकलित किया गया था, जबकि जब्त माल में मूल्य का आकलन *विक्रय आगार दर* से किया गया था। वन मंडलाधिकारी (सा.) डिण्डोरी ने बताया (जनवरी 2009) कि परिक्षेत्रों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद इसे अद्यतन किया जाएगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवैध पातन के कारण हानियों को सही प्रतिवेदित करने के लिए दोनों प्रकरणों में एक जैसी दरें लागू की जानी चाहिए थीं । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि अवैध रूप से पातित वृक्षों के मूल्य की गणना संबंधित गोलाई श्रेणी के "वृक्ष मूल्य" पर आधारित होता है, जबकि जब्त इमारती लकड़ी के मूल्य की गणना आगार विक्रय में प्राप्त विक्रय दर पर आधारित होती है । उत्तर इस बात की व्याख्या नहीं करता कि अवैध पातन तथा जब्त इमारती लकड़ी के लिए एक समान दरें लागू क्यों नहीं की जाती है । एक समान दरों को लागू करने से विभाग द्वारा अवैध पातन के कारण वास्तविक हानि का मूल्यांकन किया जा सकेगा ।

अवैध रूप से पातित इमारती लकड़ी के मामलों में हानि प्रतिवेदित करने का समान आधार निर्धारित करने के बारे में शासन को विचार करना चाहिये ।

6.2.11.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसके द्वारा कोई संगठन स्वयं ही यह सुनिश्चित करता है कि निर्धारित प्रणालियां यथोचित रूप से कार्य कर रही हैं ।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी से पता चला कि यद्यपि इसकी जनशक्ति की स्थिति में कोई कमी नहीं थी; फिर भी आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा ने वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान निरीक्षण के लिए नियत 180 इकाईयों में से 147 इकाईयों (68 प्रतिशत) का निरीक्षण किया था । जारी एवं निराकृत किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों के वर्षवार विवरण से पता चला कि अगस्त 2008 की समाप्ति पर संबंधित वन मंडलों का अनुसरण न किए जाने के कारण 1,651

लेखापरीक्षा आपत्तियों सहित 157 निरीक्षण प्रतिवेदन निराकरण हेतु लंबित थे । यह भी देखा गया कि निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों के निराकरण का प्रतिशत निरंक रहा।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि लंबित कंडिकाओं के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे । इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए एक नामावली (रोस्टर) भी अनुमोदित की गयी थी ।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के कार्यों के लिये सख्त निगरानी तंत्र बनानें और उसके प्रेक्षणों पर सुधारात्मक उपाय करने की समय सीमा निर्धारित करने के बारे में शासन को विचार करना चाहिये ।

अनुपालन संबंधी विषय

6.2.12 वनोपज के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि

इमारती लकड़ी का कम उत्पादन

विदोहन हेतु नियत कूपों का चिन्हांकन तथा प्राप्त की जाने वाली इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी का प्राक्कलन सामान्य वन मंडल द्वारा किया जाता है । जनवरी 1984 में मुख्य वन संरक्षक (उ.) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी के अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में 10 प्रतिशत की भिन्नता अनुमत्य है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने आगे स्पष्ट किया (मार्च 2004) कि अधिक भिन्नता के कारणों की जांच कर दोनों मंडलों के प्राधिकारियों द्वारा विदोहन के दौरान संयुक्त निरीक्षण कर समाधान किया जाना चाहिए ।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि यद्यपि पांच[22] वन मंडलों में वनोपज के उत्पादन में अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध 19 से 100 प्रतिशत तक कमी हुई थी, फिर भी सामान्य तथा उत्पादन वन मंडलों द्वारा कोई संयुक्त निरीक्षण नहीं किया गया था। इतनी अधिक भिन्नता के परिणामस्वरूप नीचे दिये गए विवरणानुसार 91.68 लाख रूपये (10 प्रतिशत अनुमत्य भिन्नता घटाने के बा५, के राजस्व की हानि हुई ।

वन मंडल का नाम	वर्ष	कूपों की संख्या	इमारती लकड़ी/ जलाऊ लकड़ी	अनुमानित उत्पादन (घ.मी. में)	वास्तविक उत्पादन (घ.मी.में)	कमी	कमी का प्रतिशत	राजस्व की हानि (लाख रू. में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
होशंगाबाद (सा.)	2007-08	16	इमारती लकड़ी	1,542.835	1,197.613	345.222	22	36.62

22 छिंदवाड़ा (उ.), होशंगाबाद (सा.), इंदौर (सा.), मण्डला (उ.), एवं शहडोल दक्षिण (सा.) ।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
मंडला (उ.)	2006-07	09	इमारती लकड़ी	1,115.000	751.641	363.359	39	19.93
			जलाऊ लकड़ी	1,344	1,094	250	19	
	2007-08	02	इमारती लकड़ी	516.000	414.943	101.057	20	9.69
			जलाऊ लकड़ी	270	146	124	46	
छिंदवाड़ा (उ.)	2006-07	02	इमारती लकड़ी	310.966	168.249	142.717	46	16.87
			जलाऊ लकड़ी	190	-----	190	100	
दक्षिण शहडोल(सा.)	2007-08	02	इमारती लकड़ी	175	98.301	76.699	45	7.38
			जलाऊ लकड़ी	575	436	139	24	
इंदौर (सा.)	2007-08	01	इमारती लकड़ी	58.124	38.050	20.074	35	1.19
			जलाऊ लकड़ी	86	86	---	---	
योग								**91.68**

इसे इंगित किए जाने पर सभी वन मंडलाधिकारियों ने नवम्बर 2008 से अप्रैल 2009 के मध्य बताया कि पुनरीक्षित अनुमान तैयार करने की कार्रवाई प्रगति पर थी । वस्तुतः इमारती लकड़ी के विदोहन तथा निवर्तन के पश्चात पुनरीक्षित अनुमान पूर्वापेक्षी प्रभाव से तैयार नहीं किए जा सकते हैं। उपरोक्त संदर्भित प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश में किए गए उल्लेखानुसार यह विदोहन के समय पर किया जाना चाहिए था । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उ.) के अनुदेश वन मंडलाधिकारियों को पुनः दोहरा दिये गए थे तथा ऐसी चूकों के लिए स्टाफ तथा कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी । राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर को विभिन्न वन मंडलों में प्रत्येक कार्य स्थल में गुणवत्ता के लिए फार्म फैक्टर की जांच करने एवं पुनरीक्षित करने के निर्देश दिए गए थे ।

बांस का कम उत्पादन

मुख्य वन संरक्षक (उ.) ने स्पष्ट किया (जून 1995) कि बांस विदोहन के प्रकरण में अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में कोई भिन्नता अनुमत्य नहीं हैं ।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि आठ वन मंडलों में बांस के वास्तविक उत्पादन में अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध 16 से 100 प्रतिशत कमी हो जाने के परिणामस्वरूप नीचे दिए गए विवरणानुसार 3.88 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई :

वन मंडल का नाम	वर्ष	खण्डों की संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	अनुमानित उत्पादन (नोशनल टन)	वास्तविक उत्पादन (नोशनल टन)	कमी (नोशनल टन)	कमी का प्रतिशत	राजस्व की हानि (लाख रू. में)
उत्तर बालाघाट (उ.)	2007-08 (बकाया कूपे)	05	1,115.00	4,400.000	1,357.354	3,042.646	50 to 100	181.74
	2007-08	09	1,256.45	1,718.000	625.133	1,092.867	34 to 96	39.40
पश्चिम बालाघाट (उ.)	2007-08	08	2,147.970	2,686.000	1,726.163	959.837	20 to 100	56.11
बैतूल (उ.)	2007-08	11	3,210.166	1,833.342	943.275	890.067	16 to 97	37.58
सीहोर (उ.)	2006-07	05	795.036	1,498.000	407.745	1,090.255	63 to 84	26.91
	2007-08	05	841.083	136.42	67.011	69.409	46 to 69	3.33
हरदा (उ.)	2007-08	04	1,639.80	279.986	79.402	200.584	67 to 80	17.68
देवास (सा.)	2005-06	05	1,015.53	464.780	194.270	270.510	44 to 92	13.53
पश्चिम सीधी (सा.)	2007-08	03	1,204.611	619.293	441.015	178.278	15 to 84	6.68
खण्डवा (सा.)	2007-08	16	2,707.73	548.000	166.350	381.650	34 to 93	4.97
योग								**387.93**

इंगित किए जाने पर सभी वन मंडलाधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 के मध्य) कि अनुमानित आकलन नमूना भू–खण्डों के आधार पर किया गया था, इसलिए भिन्नता से इनकार नहीं किया जा सकता । लेकिन वास्तविकता यह है कि विभागीय अनुदेशों (जून 1995) के अनुसार कोई भिन्नता अनुमत्य नहीं है । विभाग जांच करने के बाद दोषी स्टॉफ तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर सहमत हो गया (सितम्बर 2009) ।

6.2.13 इमारती लकड़ी की नीलामी

अवरोध मूल्य से कम पर इमारती लकड़ी के विक्रय के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों (सितम्बर 2003) के अनुसार इमारती लकड़ी का अवरोध मूल्य विगत छः माह के विक्रय की औसत दर के आधार पर तय किया जाता है । विक्रय से अधिकतम प्राप्ति इमारती लकड़ी की उचित कटाई, अवरोध मूल्य का सही निर्धारण तथा इमारती लकड़ी के समय पर निवर्तन पर निर्भर करती हैं ।

सात[23] वन मंडलों में अवधि 2007–08 तथ 2008–09 के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि इमारती लकड़ी की 1,515 ढेरियों के अवरोध मूल्य से कम पर नीलामी के परिणामस्वरूप 1.52 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

अभिलेखों की आगे की गई संवीक्षा में पता चला कि छिंदवाड़ा (उ.) मंडल में (जून तथा सितम्बर 2008 के मध्य) 1248 ढेरों में से 649 ढेर (52 प्रतिशत), इंदौर मंडल में (फरवरी से दिसम्बर 2008 के मध्य) 749 ढेरों में से 429 ढेर (57 प्रतिशत) तथा देवास उत्पादन मंडल में (जनवरी से सितम्बर 2008 के मध्य) बेचे गए 1,222 ढेरों में से 675 ढेर (55 प्रतिशत) अवरोध मूल्य से 11 से 81 प्रतिशत कम मूल्य पर बेचे गए थे।

इंगित किए जाने पर सभी वन मंडलाधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 के मध्य) कि इमारती लकड़ी की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास से बचने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से शासन के हित में इमारती लकड़ी की नीलामी की गई थी । लेकिन लेखापरीक्षा में देखा गया कि कम से कम अवरोध मूल्य पर ही इमारती लकड़ी को बेचने में विफलता के कारणों की जांच नहीं की गई थी। इमारती लकड़ी की गुणवत्ता में ह्रास का प्रश्न इसलिये नहीं उठता क्योंकि पातन के बाद उसे पहिले ही वर्ष में बेच दिया गया था । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय सक्षम प्राधिकारियों को प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत किया गया था जिनका उपयोग उनके विवेकानुसार सदभावनापूर्वक तथा शासकीय हित में किया गया था। पूर्व नीलामियों में असाधारण उच्च दरें, ढेरों की ग्रेडिंग के संबंध में आगार प्राधिकारियों तथा क्रेताओं के मध्य विवाद आदि जैसे अनेक कारण अवरोध मूल्य से कम दरों को स्पष्ट करने के लिए दिए गए थे।

23 छिंदवाड़ा (उ.), देवास (उ.), डिंडोरी (उ.), हरदा (उ.), इंदौर (सा.), खण्डवा (उ.) एवं सिवनी उत्तर (उ.) ।

मुख्तारनामे पर बोली लगाना

यह अवलोकित किया गया कि खण्डवा (उ.) तथा बैतूल (उ.) मंडलों में 2006–07 से 2008–09 की अवधि के दौरान 583 ढेरों में दो बोलीदाताओं की बोलियां 54 फर्मो की ओर से मुख्तारनामे के आधार पर 10.48 करोड़ रूपये में स्वीकार की गईं थीं। इससे कपटपूर्ण बोली को प्रोत्साहन मिलता है तथा उचित प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य पूरा नहीं होता है ।

इंगित किए जाने पर दोनों वन मंडलाधिकारियों ने बताया (फरवरी तथा मार्च 2009) कि क्रेताओं के मुख्तारनामे के आधार पर बोलियां स्वीकार की गई थीं ।

आगे अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पश्चिम बालाघाट (उ.) मंडल में वर्ष 2008–09 के दौरान नीलामी द्वारा 66.83 लाख रूपये विक्रय मूल्य की इमारती लकड़ी के विक्रय हेतु 58 ढेरों के बोली पत्रकों पर स्वीकृत बोली राशि की पुष्टि हेतु अवरोध मूल्य तथा द्वितीय बोलीदाता के हस्ताक्षर अभिलेखित नहीं पाये गए थे।

इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी ने बताया (मार्च 2009) कि उच्चतर विक्रय मूल्य प्राप्त करने की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए अवरोध मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया था तथा द्वितीय बोलीदाताओं ने अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था। उत्तर बोली पत्रकों पर द्वितीय बोलीदाता के हस्ताक्षर अभिलेखित करने के संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के अनुदेशों (मई 2003) के अनुरूप नहीं है । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि वर्तमान में मुख्तारनामें के आधार पर तीसरे पक्ष की ओर से बोली लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं था । फिर भी भविष्य में विक्रय शर्तो में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार किया जाएगा । यह भी बताया गया कि बोली पत्रकों पर द्वितीय बोलीदाता के हस्ताक्षर अभिलेखित करने के आदेश का सख्ती से पालन करने के संबंध में नये अनुदेश जारी किए जा रहे थे ।

6.2.14 वनोपज का निवर्तन समय पर न किए जाने के कारण राजस्व की हानि

वन मैन्युअल की धारा 114क के अनुसार कटी हुई इमारती लकड़ी तथा बांस का उपयोगी जीवन क्रमशः पांच वर्ष तथा दो वर्ष होता है। इसलिए गुणवत्ता में होने वाले ह्रास से बचने तथा अधिकतम विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए आगारों में संग्रहीत इमारती लकड़ी तथा बांस को समय पर निवर्तित किया जाना चाहिए ।

छः[24] वन मंडलों में 2006–07 से 2008–09 तक की अवधि से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि वनोपज एक से पांच वर्षो से अधिक समय तक अनिवर्तित पड़ा रहा था जिसके फलस्वरूप गुणवत्ता में ह्रास होने के कारण इन वनोपजों के मूल्य में 19.76 लाख रूपये की कमी हुई ।

[24] होशंगावाद (सा.), मण्डला (उ.), मण्डला पश्चिम (सा.), डिंडोरी (सा.), देवास (सा.) एवं सिवनी उत्तर (उ.) ।

इंगित किए जाने पर वन मंडलाधिकारी, होशंगाबाद ने बताया (नवम्बर 2008) कि न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात नीलामी की जाएगी तथा अन्य ढेरों के लिए नीलामी शीघ्र की जाएगी, जबकि शेष वन मंडलाधिकारियों ने बताया (दिसम्बर 2008 तथा फरवरी 2009 के मध्य) कि वनोपज का निवर्तन शीघ्र किया जाएगा । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि वन उपज के निवर्तन की कार्यवाही प्रगति पर थी । आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

6.2.15 भौतिक सत्यापन में वनोपज में पाई गई कमी के कारण हानि

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता के नियम 22(1) के अनुसार प्रत्येक हानि विभागाध्यक्ष तथा महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए तथा जांच के बाद वसूली की कार्यवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए ।

पांच[25] सामान्य वन मंडलों में 2005–06 से 2007–08 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वन प्राधिकारियों द्वारा किए गए आगारों के भौतिक सत्यापन के दौरान 7.35 लाख रूपये के वनोपज की कमी पाई गई थी। खण्डवा मंडल को छोड़कर हानि की वसूली के लिये कोई कार्रवाई नहीं की गई थी । प्रकरण विभागाध्यक्ष/ महालेखाकार को भी प्रतिवेदित नहीं किए गए थे।

इंगित किए जाने पर सभी वन मंडलाधिकारियों ने बताया (नवम्बर 2008 से मार्च 2009 के मध्य) कि वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी । विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि आगार के सत्यापन में लेखाओं में सुधार किया जाएगा तथा कोई कमी पाये जाने पर संबंधित स्टाफ से वसूली सुनिश्चित की जाएगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009)।

6.2.16 निष्कर्ष

समीक्षा में पता चला कि राज्य में वन प्राप्तियों की वसूली के लिए विभाग द्वारा संस्थापित प्रणालियां अपर्याप्त थीं । कुछ वन मंडलों की *कार्य आयोजनायें* सतत अस्तित्व मे नहीं थी तथा *कार्य आयोजनाओं* के अनुमोदन में विलंब हुआ था । *कार्य आयोजनाओं* में निर्धारित क्रियाकलाप समय सारिणी के अनुसार संचालित न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व का आस्थगन हुआ था तथा प्राप्ति नहीं हुई थी। विभागीय शीर्ष के अंतर्गत वाणिज्यिक कर/वैट प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण के कारण विभागीय प्राप्तियां बढ़ा कर दर्शाई गईं थीं । सफल बोलीदाताओं को स्वीकृतियों के संप्रेषण हेतु समय सीमा निर्धारित करने के लिए नियमों में किसी प्रावधान के अभाव के कारण सारभूत राजस्व अवरूद्ध रहा था। कूप नियंत्रण पुस्तिका, पूर्ववृत्त एवं इमारती लकडी के लेखे जैसे महत्वपूर्ण नियंत्रण अभिलेख या तो संधारित नहीं

25 होशंगाबाद, मण्डला पश्चिम, डिंडोरी, देवास एवं खण्डवा ।

किए गए थे या अद्यतन नहीं थे । अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में अत्यधिक भिन्नता के कारण सारभूत राजस्व की हानि हुई थी।

6.2.17 सिफारिशें

प्रणाली तथा अनुपालन संबंधी कमियों में सुधार करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है :

- उपयुक्त लेखा शीर्ष के अंतर्गत विक्रय कर/वैट जमा करना;
- *कार्य आयोजना* को समय पर तैयार करने तथा इसके क्रियान्वयन के परिवीक्षण हेतु मासिक विवरणियां निर्धारित करना;
- कूप नियंत्रण पुस्तिका, पूर्ववृत्त एवं इमारती लकड़ी के लेखाओं को तैयार करना एवं अद्यतन करना अनिवार्य करना तथा उन्हें सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित करना;
- सफल बोलीदाताओं को स्वीकृतियों के संप्रेषण हेतु समय सीमा निर्धारित करना;
- अवैध पातन के प्रकरणों में हानि प्रतिवेदित करने के लिए एक समान आधार अपनाना;
- शासकीय राजस्व को समय पर प्रेषित करने के लिये समय बद्ध कार्य प्रणाली निर्धारित करना;
- वनोपज के अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में असाधारण भिन्नता के निराकरण हेतु वनोपज का आकलन करने के लिए परिक्षेत्रवार फार्म फैक्टर पर विचार करना; तथा
- आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा इसके प्रेक्षणों के अनुसरण को सशक्त बनाना ।

अध्याय – 7 : खनन प्राप्तियां

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 333.73 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराये का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश की वसूली न होना तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के अनारोपण आदि से संबंधित 433 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कम वसूली/राज्यांश तथा ब्याज का अपवंचन	183	227.21
2.	राज्यांश का कम आरोपण/अनारोपण	29	30.11
3.	ब्याज की हानि	107	2.06
4.	अनिवार्य किराये का अनारोपण	77	1.18
5.	अन्य	37	73.17
योग		**433**	**333.73**

वर्ष 2008–09 के दौरान विभाग ने 368 प्रकरणों में अंतर्निहित 240.07 करोड़ रूपये के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया । वर्ष के दौरान 27 प्रकरणों में 7.40 करोड़ रूपये की वसूली हुई।

कुल उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें 102.93 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित थी, का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

7.2 [redacted]

विभिन्न खनिज/खनन कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में खान तथा खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, मध्य प्रदेश गौण खनिज नियमावली आदि के प्रावधानों तथा शासकीय अधिसूचनाओं का अनुपालन न किए जाने संबंधी कई प्रकरण तथा इस अध्याय की आगामी कंडिकाओं में उल्लिखित अन्य प्रकरण दृष्टिगत हुए। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । खनिज/खनन अधिकारियों द्वारा की गई ऐसी चूकें प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा में इंगित की जाती हैं, फिर भी न केवल अनियमितताएं जारी रहती हैं बल्कि अगली लेखापरीक्षा किए जाने तक उनका पता नहीं लगाया जाता । शासन द्वारा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में सुधार किए जाने की आवश्यकता है ।

7.3 ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 एवं सितम्बर 2005 में जारी अधिसूचना के अनुसार,पट्टाधारक द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान किये गये राज्यांश की राशि की कटौती के पश्चात, उत्खनित मुख्य खनिजों के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा निष्क्रिय खदानों के प्रकरणों में 4,000 रूपये प्रति हैक्टेयर वार्षिक की दर से सड़क विकास कर की वसूली खनि पट्टाधारकों से की जायेगी । अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष मई के अंत में पट्टाधारकों द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों/लेखाओं के आधार पर खनिजों के विक्रय मूल्य का निर्धारण करने के पश्चात् कर का निर्धारण एवं उसकी मांग करेगा ।

नौ[1] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की अक्टूबर 2008 से मार्च 2009 के मध्य की गई संवीक्षा में पता चला कि वर्ष 2007–08 के लिये 65 खनि पट्टों के संबंध में सड़क विकास कर का निर्धारण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 93.56 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं हो सकी ।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर झाबुआ, नीमच तथा टीकमढ़ को छोड़कर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने (अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य) बताया कि वसूली की कार्यवाही नियमानुसार सत्यापन पश्चात् की जायेगी । जिला खनिज अधिकारी झाबुआ, नीमच तथा टीकमगढ़ ने (नवम्बर 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य) बताया कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधन के विभागीय आदेश दिनांक 27 नवम्बर 2006 के अंतर्गत प्रसारित उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, ऐसी राशि की वसूली बलपूर्वक नहीं की जा सकती है । ध्यान रहे कि उपरोक्त आदेश कर निर्धारण करने एवं पट्टाधारक को मांग पत्र जारी करने से नहीं रोकता

[1] अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, ग्वालियर, झाबुआ, कटनी, नीमच, पन्ना एवं टीकमगढ़ ।

है। इसमें केवल यह बताया गया है कि *अधिनियम* के अंतर्गत कर की वसूली बलात् नहीं की जा सकती है ।

प्रकरण फरवरी 2009 में शासन तथा संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

7.4 अनियमित रूप से स्कंध कम करने के कारण राजस्व की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अनुसार, प्रत्येक पट्टाधारक को उसके द्वारा पट्टा क्षेत्र से हटाये गये/उपभोग किये गये खनिजों पर देय राज्यांश का भुगतान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से करना होगा ।

जिला खनिज कार्यालय, अनूपपुर के अभिलेखों की मार्च 2009 में की गई संवीक्षा में पता चला कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) सोमना, जमुना कोतमा, गोविन्दा और मीरा तथा भद्रा क्षेत्रों के अवधि अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक के मासिक पत्रों में बी,सी तथा डी ग्रेड के कोयले को अंतिम स्कंध 3.01 लाख टन के स्थान पर 1.59 लाख टन दर्शाया गया था । इस प्रकार पट्टेधारक द्वारा कोयले का स्कंध अनियमित रूप से 1.42 लाख टन कम किया गया था, जिस पर 2.76 करोड़ रूपये का राज्यांश देय था । यद्यपि जिला खनिज कार्यालय में पत्रक उपलब्ध थे तथापि जिला खनिज अधिकारी इन त्रुटियों का पता लगाने में विफल रहे थे। इसके परिणामस्वरूप 2.76 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खनिज अधिकारी ने बताया (मार्च 2009) कि सम्बन्धित पक्षकार से वसूली की कार्यवाही की जावेगी । आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मई 2009 में संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

7.5 पट्टेदारों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करने पर शास्ति का अनारोपण

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम,1996 के नियम 30(20)(ए)(बी)(सी) के अनुसार, प्रत्येक उत्खनि पट्टाधारक जिला खनिज अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में मासिक, छैमाही तथा वार्षिक विवरणियां निर्धारित तिथियों पर प्रस्तुत करेगा । असफल रहने की स्थिति में पट्टा संस्वीकृत अधिकारी वार्षिक अनिवार्य किराये की राशि के दो गुना से अनधिक शास्ति आरोपित कर सकता है ।

नौ[2] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की अक्टूबर 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य की गई संवीक्षा में पता चला कि 1,037 पट्टाधारकों में से 15 पट्टाधारकों द्वारा कोई भी मासिक, छः माही तथा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी थी तथा 35 पट्टाधारकों द्वारा ये विवरणियां जनवरी 2000 से मार्च 2008 तक की अवधि में आंशिक रूप से प्रस्तुत की गयी थीं । निर्धारित आवधिक विवरणियों के अभाव में पट्टाधारकों द्वारा देय राज्यांश/अनिवार्य किराये के भुगतानों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी । अतः आवधिक विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले पट्टाधारकों से शास्ति वसूली योग्य थी । यदि विभाग द्वारा पट्टाधारकों पर शास्ति आरोपित करने तथा वसूल करने हेतु कोई कार्यवाही की गई होती तो अनिवार्य किराये के दो गुना की दर से शास्ति के रूप में 2.22 करोड़ रूपये की प्राप्ति होती ।

इंगित किये जाने पर सभी खनिज अधिकारियों ने कहा (अक्टूबर 2008 एवं जनवरी 2009 के मध्य) कि पट्टाधारकों के विरूद्ध नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को नवम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

7.6 विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनारोपण

खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारक को निर्धारित तिथि तक राज्यांश का भुगतान करना होता है, असफल रहने पर वह भुगतान की नियत तिथि के 60वें दिन से भुगतान की तिथि तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम तथा संविदा अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत, व्यापारिक खदानों के ठेकेदारों को संविदा राशि का भुगतान उनके संविदा अनुबंध में दर्शायी गयी तिथियों को या उससे पूर्व करना होता है, असफल रहने पर ठेकेदार को संविदा राशि के अतिरिक्त उसके भुगतान की तिथि तक 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा ।

अवधि 2008–09 के दौरान 10[3] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि चार खनि पट्टाधारकों, 27 उत्खनि पट्टाधारकों तथा व्यापारिक खदानों के 148 ठेकेदारों द्वारा विलम्बित भुगतान किया गया था । विलम्बित अवधि 2 से 1,917 दिनों तक की थी । विभाग द्वारा इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज आरोपित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1.98 करोड़ रूपये के ब्याज का अनारोपण हुआ ।

इंगित किये जाने पर खनिज अधिकारी, भिण्ड ने बताया (अक्टूबर 2008) कि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । अन्य खनिज अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 एवं फरवरी 2009 के मध्य) कि वसूली की

2 अशोक नगर, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, नीमच, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा ।

3 अनूपपुर, बड़वानी, भिण्ड, छिंदवाड़ा, झाबुआ, कटनी, मुरैना, नीमच रतलाम एवं शहडोल ।

कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी । आगामी कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण फरवरी–मार्च 2009 में संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

7.7 अनियमित रूप से अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी होने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के नियम 68(1) के अनुसार, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग और उपक्रम के कार्य हेतु आवश्यक किसी विनिर्दिष्ट खदान या भूमि से किसी गौण खनिज के उत्खनन, हटाने या परिवहन के लिये जिलाध्यक्ष द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी । उपनियम(3) में यह भी प्रावधान है कि ऐसी अनुमति अनुसूची III में विनिर्दिष्ट दरों से गणना किये गये अग्रिम राज्यांश का भुगतान करने पर ही प्रदान की जा सकेगी ।

पांच[4] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की फरवरी एवं दिसम्बर 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में पता चला कि 15 ठेकेदारों को दिसम्बर 2005 से मार्च 2008 के मध्य सड़क एवं भवन निर्माण हेतु 8.10 लाख घन मीटर गिट्टी,1.20 लाख घन मीटर *मुरम*, 19,650 घन मीटर बोल्डर पत्थर तथा 55,850 घन मीटर रेत के लिये 26 अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। विभाग द्वारा अनुज्ञापत्रों में दर्शायी गयी खनिजों की मात्रा पर देय राज्यांश अग्रिम में वसूल नहीं किया गया था । ठेकेदारों द्वारा 2.39 करोड़ रूपये के देय राज्यांश के विरूद्ध मात्र 50.78 लाख रूपये का भुगतान किया गया था, परिणामस्वरूप 1.88 करोड़ रूपये के राजस्व की कम वसूली हुई ।

इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, शिवपुरी ने बताया (सितम्बर 2009) कि 1.01 करोड़ रूपये की राशि वसूली कर ली गई थी । होशंगाबाद को छोड़कर शेष जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (फरवरी से दिसम्बर 2008) कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी । जिला खनिज अधिकारी, होशंगाबाद ने बताया (दिसम्बर 2008) कि शासकीय कार्य के लिये अस्थायी अनुज्ञापत्र दिये गये थे जिसके लिये स्वीकृत खनिज की मात्रा हेतु ठेकेदार द्वारा चुकाये गये राज्यांश के विरूद्ध पार पत्र जारी किये गये थे । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा), होशंगाबाद के पत्र दिनांक 29 मार्च 2008 के अनुसार देय अग्रिम राज्यांश 14.85 लाख रूपये के विरूद्ध ठेकेदार द्वारा मात्र 4.31 लाख रूपये जमा किये गये थे ।

प्रकरण को संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को फरवरी तथा मार्च 2009 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

[4] भोपाल, होशंगाबाद, सागर, शिवपुरी एवं विदिशा ।

7.8 संविदा राशि की कम वसूली

व्यापारिक खदान के संविदा अनुबंध की शर्त क्र. 5(1) एवं 9 के अनुसार प्रत्येक ठेकेदार को संविदा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि पर राज्य सरकार को करना होता है । यदि ठेकेदार तीन माह की अवधि तक संविदा राशि[5] का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसकी संविदा को निरस्त कर दिया जायेगा, तथा खदान की पुनर्नीलामी की जायेगी । खदान की पुनर्नीलामी के परिणामस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो उसकी वसूली चूककर्ता ठेकेदार से भू राजस्व के बकाया के रूप में की जायेगी ।

अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य 18[6] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि अप्रैल 2004 एवं मार्च 2008 के मध्य 164 ठेकेदारों द्वारा देय संविदा राशि 4.24 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2.71 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था । यद्यपि ठेकेदारों द्वारा ठेके के प्रारंभ से ही संविदा राशि का भुगतान करने में चूक की गयी थी, तथापि विभाग द्वारा ठेकेदारों के विरूद्ध ठेके की शर्तों के अधीन ठेके को निरस्त करने तथा उसकी पुनर्नीलामी के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी थी । इसके परिणामस्वरूप 1.53 करोड़ रूपये की संविदा राशि की कम वसूली हुयी ।

इंगित किये जाने पर सभी जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 एवं फरवरी 2009 के मध्य) कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी । आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण को संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को फरवरी एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

7.9 अनिवार्य किराये की कम वसूली/अवसूली

मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम के अनुसार पट्टाधारक पट्टे के प्रथम वर्ष को छोड़कर पूरे वर्ष के लिये अनिवार्य किराये का भुगतान अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों पर आगामी वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख या उससे पहले करेगा ।

अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य 21[7] जिला खनिज कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 177 उत्खनि पट्टाधारकों द्वारा जनवरी 2002 से दिसम्बर 2008 हेतु देय अनिवार्य किराया 1.40 करोड़ रूपये के विरूद्ध मात्र 28.16 लाख रूपये का भुगतान किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 1.12 करोड़ रूपये के अनिवार्य किराये की कम वसूली हुई ।

5 ठेकेदारों द्वारा ठेके के एवज में भुगतान की जाने वाली राशि ।

6 अशोक नगर, अनूपपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, देवास, होशंगाबाद, झबुआ, कटनी, मुरैना, नीमच, पन्ना, रतलाम, रायसेन, सागर, सिहोर, शहडोल एवं विदिशा ।

7 अशोक नगर, बड़वानी, बैतूल, भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, देवास, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, कटनी, मुरैना, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, शिवपुरी, सीहोर एवं उज्जैन ।

इंगित किये जाने पर कटनी के सिवाय समस्त जिला खनिज अधिकारियों ने बताया (अक्टूबर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य) कि वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी । जिला खनिज अधिकारी, कटनी ने बताया (फरवरी 2009) कि खदानों को व्यपगत घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है । वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित पट्टाधारकों के अभिलेखों में इस प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं पाया गया था ।

प्रकरण को संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को नवम्बर 2008 एवं मार्च 2009 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2009) ।

7.10 अवैध उत्खनन की शास्ति की वसूली न होना

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अधीन स्वीकृत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनि पट्टा के बिना किसी भी क्षेत्र में कोई भी पूर्वेक्षण या खनन संबंधी क्रिया–कलाप नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 247(7) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति/संस्था बिना विधि सम्मत प्राधिकार के खनिज का उत्खनन या परिवहन करता है तो वह खनिज के बाजार मूल्य के दो गुने से अनधिक शास्ति का दायी होगा ।

जिला खनिज अधिकारी, पन्ना एवं रायसेन के अभिलेखों की अक्टूबर एवं नवम्बर 2008 के मध्य की गई संवीक्षा में पता चला कि अवैध उत्खनन के नौ प्रकरणों में मार्च 2007 एवं सितम्बर 2008 के मध्य न्यायालय द्वारा 3.68 लाख रूपये की शास्ति आरोपित की गयी थी । यद्यपि लेखापरीक्षा की पहल पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा मांग पत्र जारी किये गये थे, तथापि वसूली नहीं हुई थी (अगस्त 2009) । अवैध उत्खनन के अन्य चार प्रकरणों में, जिनमें 5.83 लाख रूपये का राजस्व सन्निहित था, नवम्बर 2008 तक न तो संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा शास्ति वसूली की कोई कार्यवाही की गयी थी और न ही प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 9.51 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हुयी ।

इंगित किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी, पन्ना ने बताया (अक्टूबर 2008) कि सात प्रकरणों में मांग पत्र जारी कर दिये गये थे तथा दो प्रकरणों में दिशा निर्देश जारी किये गये थे । जिला खनिज अधिकारी, रायसेन ने शेष चार प्रकरणों के संबंध में बताया (नवम्बर 2008) कि कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी थी । आगामी प्रगति की जानकारी प्रतिवेदित नहीं की गयी है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण को संचालक, भौमिकीय एवं खनिकर्म तथा शासन को फरवरी 2009 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

अध्याय–8 : अन्य कर – भिन्न प्राप्तियां

8.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2008–09 के दौरान जल संसाधन विभाग तथा विद्युत शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 2,27,988 प्रकरणों में 936.34 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति तथा हानि का पता चला जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
क:	**जल संसाधन विभाग**		
1	जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण (समीक्षा)	1	927.98
	योग	**1**	**927.98**
ख:	**विद्युत शुल्क**		
1.	विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण न किए जाने के कारण राजस्व की हानि	1,87,598	0.35
2.	अन्य	40,389	8.01
	योग	**2,27,987**	**8.36**
	महायोग (क + ख)	**2,27,988**	**936.34**

वर्ष 2008–09 के दौरान विभागों ने 15,675 प्रकरणों में अंतर्निहित 58.88 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया । अड़तालीस प्रकरणों में दो लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी थी ।

"जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण" की निष्पादन समीक्षा तथा कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों, जिनमें क्रमश: 927.98 करोड़ रूपये तथा 1.80 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

क – जल संसाधन विभाग

8.2 जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण की समीक्षा

मुख्य बिन्दु

- जल का आहरण करने से पहले तत्संबंधी अनुबंध का निष्पादन सुनिश्चित करने में विभागीय विफलता के परिणामस्वरूप 586.64 करोड़ रूपये की जल दरों के भुगतान बिना जल का आहरण ।

(कंडिका 8.2.7.2)

- सृजित सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता के उपयोग में कमी और 160.85 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि ।

(कंडिका 8.2.8)

- गलत जल दरें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 24.29 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई ।

(कंडिका 8,2.11)

- पांच जल उपभोक्ताओं द्वारा 2.21 करोड़ रूपये की प्रतिभूति राशि जमा न किया जाना ।

(कंडिका 8.2.13)

- समुन्नति अंशदान के अनारोपण के कारण 10.14 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि ।

(कंडिका 8.2.14)

8.2.1 प्रस्तावना

वितरण प्रणाली में छोड़े गए जल की मात्रा तथा जल की उस मात्रा का अंतर, जिसके लिए उपभोक्ताओं को देयक जारी किए जाते हैं (जिसे "राजस्व रहित जल" भी कहा जाता है), विकासशील दुनिया में लोक जल सेवाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण विषयों में से एक है । राजस्व रहित जल का उच्च स्तर जल हानि की विशाल मात्रा को दर्शाता है । राजस्व हानि तथा बढी हुई संचालन लागत के कारण यह लोक जल सेवाओं/जल उपयोगिताओं की वित्तीय संभाव्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है । गैर राजस्व जल का उच्च स्तर सामान्यतः अकुशलतापूर्वक संचालित जल सेवा को दर्शाता है जिसमें अपनी आबादी को

विश्वसनीय सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रशासनिक क्षमता, जवाबदेही तथा तकनीकी एवं प्रबंधन कुशलता का अभाव होता है ।

निम्नलिखित मानचित्र मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा गैर–सिंचाई उद्देश्यों हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा जल आपूर्ति को दर्शाता है :



मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (सिंचाई अधिनियम) की धारा 37 के अनुसार किसी गांव की टंकी की पूर्ति करने, अनिवार्य रूप से निर्धारित क्षेत्र की सिंचाई, औद्योगिक, शहरी या कृषि से असंबद्ध अन्य उद्देश्यों के लिए तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिंचाई की मांग पर एक सिंचाई अनुबंध के अंतर्गत सिंचाई हेतु नहर से जल की आपूर्ति की जा सकती है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग को सिंचाई तथा गैर सिंचाई उद्देश्यों हेतु जल दरों के निर्धारण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। *नहर अमीन*[1] खसरा[2] तैयार करते हैं जो जल दरों के निर्धारण का आधार होता है । जल दरों के अतिरिक्त, नहर के सिंचन योग्य क्षेत्र में प्रत्येक स्थायी भूमिधारक द्वारा 10 रूपये प्रति एकड़ की दर से सिंचाई उपकर देय है । मध्य प्रदेश सिंचाई नियम (नियम) के नियम 193 के अनुसार यदि किसी जल दर (नहर राजस्व) या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया जाता है तो नहर डिप्टी कलेक्टर ऐसे चूककर्ताओं पर निर्धारित दर से अर्थात् 10 प्रतिशत की दर से जहां भुगतान एक वर्ष के भीतर किया जाता है, तथा 13 प्रतिशत की दर से जहां भुगतान एक वर्ष के पश्चात किया जाता है, शास्ति आरोपित कर

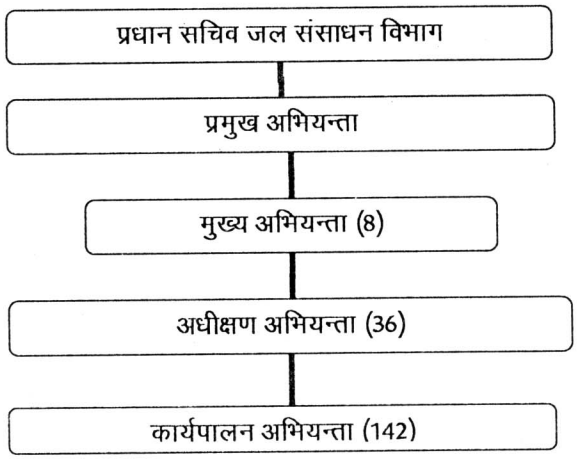
1. अमीन भू–अभिलेख संधारित करने के लिए उत्तरदायी विभागीय अधिकारी होते हैं ।
2. क्षेत्र माप पुस्तिका

सकता है । समय–समय पर शासकीय अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित दरें जारी की जाती हैं ।

जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई एवं गैर सिंचाई उद्देश्यों हेतु *"जल दरों का निर्धारण एवं संग्रहण"* की समीक्षा निष्पादित की गई जिसमें बहुत सी कमियों का पता चला जिनका उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है ।

8.2.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव शासन स्तर पर तथा प्रमुख अभियंता/यंत्री विभागीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के प्रधान होते हैं । जिला स्तर तक संगठनात्मक संरचना का उल्लेख नीचे किया गया है:



8.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निष्पादित की गई थी कि क्या :

- सृजित सिंचाई क्षमता तथा जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु प्रणालियां विद्यमान थीं;
- सिंचाई क्षमता तथा जल संसाधनों के संबंध में जल दरों के निर्धारण तथा संग्रहण की प्रणाली सक्षम एवं प्रभावी थी; तथा
- शासकीय राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण तथा अपवंचन को रोकने के लिए विभाग में एक सक्षम तथा प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली थी ।

8.2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2009 के मध्य प्रमुख अभियंता के कार्यालय तथा राजस्व प्राप्तियों से संबंधित 69 जल संसाधन संभागों में से 11[3] में 2004–05 से 2008–09 तक पांच वर्षों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई । इसके अतिरिक्त, जनवरी तथा अप्रैल 2009 के मध्य नौ[4] जल संसाधन संभागों तथा मुख्य अभियन्ताओंके दो[5] कार्यालयों से जानकारी एकत्र की गई । इकाइयों के चयन हेतु जल संसाधन संभागों को पहले जल के उपयोगकर्ताओं की चार श्रेणियों (कृषकों, शक्ति परियोजनाओं, स्थानीय निकायों तथा निजी उद्योगों) में स्तरीकृत किया गया तथा इसके पश्चात् संभागों को यादृच्छिक रूप से लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया ।

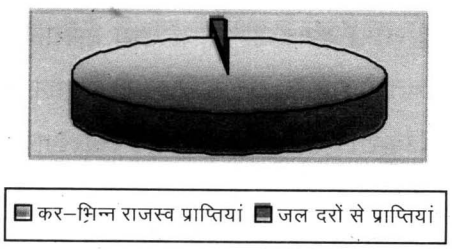
8.2.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा को जानकारी तथा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग के सहयोग को स्वीकार करता है । लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए फरवरी 2009 में प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें विभाग के सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया । समीक्षा जून 2009 में विभाग/शासन को प्रेषित की गई । निर्गम सम्मेलन अगस्त 2009 में आयोजित किया गया जिसमें प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग तथा उप सचिव, वित्त तथा विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया । विभाग/शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

8.2.6 राजस्व की प्रवृत्ति

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य की कर–भिन्न प्राप्तियों में जल दरों (सिंचाई एवं गैर–सिंचाई उद्देश्यों) से प्राप्तियों का औसत अंशदान 1.36 प्रतिशत रहा है ।



3 का.यं., ज.स.सं. अनूपपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा, देवसर, उज्जैन, विदिशा, बांध सुरक्षा संभाग ग्वालियर, गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर, पी.बी.सी. संभाग सोहागपुर, तवा परियोजना संभाग इटारसी, बाणगंगा संभाग बालाघाट

4 का.यं., ज.सं.सं. भिण्ड, देवास, खण्डवा, रतलाम, सतना, कन्हरगांव संभाग छिंदवाड़ा, मैसनरी बांध संभाग देवभूमि, सर्वेक्षण संभाग बालाघाट, टी.एल.बी.सी. संभाग केवलारी

5 मुख्य अभियन्ता, चंबल बेतवा भोपाल तथा मुख्य अभियन्ता (चालन एवं रख रखाव) भोपाल

बजट मैन्युअल में प्रावधान है कि अनुमानों में केवल ऐसी प्राप्तियों तथा भुगतानों को शामिल करना चाहिये जिन्हें अनुमानकर्ता अधिकारी बजट वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल /भुगतान किए जाने की उम्मीद करता है । बजट मैन्युअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि परिशुद्धता के परीक्षण का समाधान किया जाना है तो न केवल पूर्वानुमानित सभी मदों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिये बल्कि केवल उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिये जितना आवश्यक है, उससे अधिक नहीं । विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2004–05 से 2008–09 के दौरान बजट अनुमानों तथा संग्रहीत वास्तविक राजस्व का नीचे उल्लेख किया गया है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	कमी (–) अधिकता (+)	कमी का प्रतिशत
2004-05	181.97	42.94	(-) 139.03	76
2005-06	302.92	35.02	(-) 267.90	88
2006-07	420.00	36.15	(-) 383.85	91
2007-08	321.85	47.62	(-) 274.23	85
2008-09	42.94	39.65	(-) 3.29	08

यह देखा जा सकता है कि आगामी वर्षों में अनुमान तैयार करने के लिए वर्ष 2008–09 को छोड़कर विगत वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों को ध्यान में नहीं रखा गया था ।

वर्ष 2004–05 से 2007–08 के लिए बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों में कमी का प्रतिशत 76 से 91 प्रतिशत तक रहा । इसके अतिरिक्त, 2008–09 के दौरान बजट अनुमान अचानक कम कर के 42.94 करोड़ रूपये निर्धारित कर दिया गया था । इस तरह की गई कमी के कारण यद्यपि मांगे गये थे (अगस्त 2009) लेकिन प्रस्तुत नहीं किए गए हैं (अक्टूबर 2009) ।

इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 2009) कि राजस्व वसूली हेतु बजट अनुमान चालू मांग के 90 प्रतिशत तथा राजस्व वसूली की बकाया शेष राशियों के 50 प्रतिशत के आधार पर तैयार किए गए थे । उन्होंने यह भी बताया कि वास्तविक प्राप्तियों तथा बजट अनुमानों में कोई संबंध नहीं था । बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भारी कमी के लिए प्रमुख अभियन्ता द्वारा बताये गए कारण खरीफ की फसल में पानी का उपयोग न किया जाना, अवैध जल उदवहन, अकुशल संधारण/कमजोर रखरखाव के कारण अंतिम हिस्सों तक पानी की आपूर्ति न होना, अमीनों की कमी, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन तथा विभाग तथा जल उपयोगकर्ता संघों में समन्वय की कमी आदि थे ।

बजट अनुमानों की तैयारी से संबंधित प्रमुख अभियन्ता का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है । विगत चार वर्षों के बजट अनुमानों के आंकड़े चालू मांग के 90 प्रतिशत तथा बकाया शेष राशि के 50 प्रतिशत के अनुरूप नहीं है । यदि उपरोक्त सूत्र लागू किया जाता है तो बजट अनुमान (वर्ष 2004–05 से 2007–08 तक क्रमशः) 255.57 करोड़ रूपये, 351.97 करोड़ रूपये, 483.58 करोड़ रूपये तथा 633.32 करोड़ रूपये हो जाएंगे । यह पुनः दोहराया जाता है कि

बजट अनुमानों को तैयार करते समय अनुमानों को यथासंभव संभाव्य वास्तविक प्राप्तियों के सन्निकट रखने का उद्देश्य होना चाहिए ।

इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है कि प्रमुख अभियन्ता द्वारा बताये गए उन मुख्य कारकों को ध्यान में रखे बिना, जो बहुत अच्छी तरह से उसकी जानकारी में थे, विभाग स्वच्छंद रूप से बजट अनुमानों को निर्धारित करता रहा ।

विगत वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि पर विचार कर तथा बजट नियमावली के सिद्धांतों का अनुपालन करके बजट को और अधिक यथार्थपरक बनाने के संबंध में शासन द्वारा विचार किया जा सकता है ।

प्रणालीगत कमियां

8.2.7.1 सिंचाई उद्देश्य

प्रभावी प्रबंधन तथा नहर राजस्व के बकाया की वसूली हेतु यह आवश्यक है कि विभाग के पास विश्वसनीय आंकड़े होना चाहिये । विश्वसनीय तथा वैध आंकड़ों के अभाव में विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं से बकाया की वसूली हेतु प्राथमिकता के तौर पर कुशल एवं प्रभावी प्रयास नहीं किए जा सकते । इसके अलावा, बढ़ती हुई बकाया राशि पर रोक लगाने के लिए वर्ष के दौरान प्राप्तियां, वर्ष के दौरान सृजित मांग से अधिक होनी चाहिये । सिंचाई अधिनियम की धारा 60 में उल्लेख है कि नहर राजस्व के रूप में देय कोई भी राशि, जिसका भुगतान उस दिनांक से जिसको यह देय है, अगले दिन तक नहीं किया जाता है, नहर राजस्व का बकाया है । आगे खण्ड 61 में प्रावधान है कि नहर राजस्व का बकाया भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा ।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान सृजित मांग, वर्ष के दौरान वसूल किया गया कुल राजस्व तथा वर्ष के अंत में सिंचाई उद्देश्य से संबंधित बकाया राजस्व का उल्लेख नीचे किया गया है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सृजित मांग	कुल मांग	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	बकाया शेष	(3) से (5) का प्रतिशत	(4) से (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2004-05	92.32	73.00	165.32	16.31	149.01	22.34	9.87
2005-06	101.53	59.35	160.88	17.05	143.83	28.72	10.60
2006-07	110.47	51.38	161.85	18.02	143.83	35.07	11.13
2007-08	117.30	50.85	168.15	18.53	149.62	36.44	11.02
2008-09	विभाग द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।						

इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि को आगामी वर्षों में कभी भी प्रारम्भिक शेष के रूप में नहीं लिया गया था । विगत चार वर्षों के दौरान कुल मांग के विरूद्व वसूली का प्रतिशत निराशाजनक रूप से 9.87 से 11.13 प्रतिशत तक रहा है जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष बकाया राशियों में वृद्धि होती रही । इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान प्राप्तियां, वर्ष के दौरान सृजित मांग के 22.34 से 36.44 प्रतिशत के मध्य रहीं ।

आगे नमूना परीक्षित संभागों में प्राप्तियों की कम वसूली की प्रवृत्ति भी ऐसी ही थी । कुल मांग में से प्राप्तियों का प्रतिशत 9.7 तथा 15 प्रतिशत के मध्य रहा । सभी नमूना परीक्षित संभागों में यह अवलोकित किया गया कि यद्यपि सहायक अभियन्ताओं तथा नहर डिप्टी कलेक्टरों को अतिरिक्त तहसीलदारों के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्राप्त थीं, फिर भी नहर राजस्व की बकाया शेष राशि को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियन्ता ने उत्तर दिया (मई 2009) कि जिलों की प्रथा के अनुसार बकाया/देय राशियों पर ब्याज की गणना वित्तीय वर्ष के बाद की गई थी, इसी कारण प्रारम्भिक तथा अंतिम शेष में अंतर था । तथ्यों द्वारा उत्तर की पुष्टि नहीं होती है । यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ब्याज जोड़ा जाता है तो प्रारम्भिक शेष अंतिम शेष से अधिक होना चाहिये । लेकिन यह अवलोकित किया गया कि आगामी वर्ष का प्रारम्भिक शेष सदैव विगत वर्ष के अंतिम शेष से कम था ।

8.2.7.2 गैर–सिंचाई उद्देश्य

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान सृजित मांग, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल राजस्व तथा वर्ष के अंत में गैर–सिंचाई उद्देश्यों[6] से संबंधित बकाया राजस्व का उल्लेख नीचे किया गया है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सृजित मांग	कुल मांग	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	बकाया शेष राशि	(4) से (5) का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2004-05	261.17	14.58	275.75	14.84	260.91	5.38
2005-06	462.64	18.11	480.75	12.80	467.95	2.66
2006-07	710.06	30.08	740.14	12.49	727.65	1.69
2007-08	946.58	61.79	1,008.37	20.29	988.08	2.01
2008-09	जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई ।					

6 गैर –सिंचाई उद्देश्यों से संबंधित राजस्व में म.प्र.रा.वि.मं., लो.स्वा.यां.विभाग, स्थानीय निकायों तथा उद्योगों से जल दरों की वसूली सम्मिलित होती है ।

इन प्रकरणों में भी बकाया शेष राशि तथा प्रारम्भिक शेष के आंकड़ों के मध्य कोई सह संबंध नहीं है । उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक कुल मांग की तुलना में प्राप्तियों में कमी होती रही है जो दर्शाता है कि इन वर्षों के दौरान कुल मांग तथा वास्तविक प्राप्तियों में अंतर बढ़ता रहा । कुल मांग में से प्राप्तियों का प्रतिशत अत्यंत कम 1.69 से 5.38 प्रतिशत के मध्य रहा है । उक्त प्रतिशत कंडिका 8.2.7.1 के अंतर्गत तालिका में दर्शाये गये कृषकों से कुल मांग की तुलना में प्राप्तियों के प्रतिशत से काफी कम है । उपरोक्त वर्षो के दौरान मांग की कम वसूली के कारण बकाया राशि 2004–05 में 260.91 करोड़ रूपये से सीधे बढ़ कर वर्ष 2007–08 में 988.08 करोड़ रूपये हो गयी ।

इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 2009) कि विभाग द्वारा सतत अनुसरण किए जाने के बावजूद भी विभिन्न विभागों से संबंधित बकाया देय राशियां उनके द्वारा जमा नहीं कराई गईं थीं। उन्होने आगे बताया कि कुछ उद्योगों तथा स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएं दायर किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। उत्तर में भू राजस्व के बकाया के रूप में देय राशियों को वसूल करने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं किए जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, अंतिम तथा प्रारम्भिक शेष में अंतर को स्पष्ट करने के लिए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

प्रमुख अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत गैर–सिंचाई उद्देश्यों हेतु विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्थानीय निकायों तथा उद्योगों से बकाया मांग से संबंधित जानकारी से, आंकडों में इसी प्रकार की विसंगति तथा वर्ष के दौरान सृजित मांग के विरूद्ध कम वसूली की प्रवृत्ति प्रकट हुई, जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है ।

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल, विद्युत[7] (जल तथा तापीय विद्युत शक्ति) का उत्पादन करने के लिए जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से जल आहरित करता है । शासकीय स्त्रोतों (जल विद्युत शक्ति परियोजना) से जल प्रभारों की वसूली हेतु दर 10 पैसे प्रति यूनिट है जिसमें प्रत्येक वर्ष उत्पादित विद्युत की 0.50 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि प्रभार जोड़ा जाता है । नवम्बर 2003 के पूर्व तापीय विद्युत शक्ति परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति की दर 30 पैसे प्रति घ.मी. थी, जो तब से पांच बार पुनरीक्षित की जा चुकी है तथा वर्तमान दर 50 पैसे प्रति घनमीटर है ।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रारम्भिक शेष, सृजित मांग, प्राप्ति तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (म.प्र. रा.वि. मं.) के विरूद्ध जल दरों की बकाया शेष राशि के आंकड़ों से

7 जल–विद्युत के लिए अक्टूबर 2000 से सोन नदी पर बाण सागर बांध; जल–विद्युत के लिए वर्ष 1961 से चंबल नदी पर गांधी सागर बांध; तापीय विद्युत शक्ति के लिए वर्ष 1965 से चचाई (अनूपपुर) से जल का आहरण कर रहे हैं ।

पता चला कि विगत चार वर्षों में म.प्र.रा.वि.मं. द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था। **लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यद्यपि म.प्र.स.वि.मं. ने वर्ष 2004–05 से 2007–08 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया था फिर भी जल दरों की वसूली न होने के वावजूद उसे जल आहरित करने की अनुमति दी गई थी। परिणामस्वरूप बकाया देय राशियां लगातार बढती रहीं** । यह भी अवलोकित किया गया कि वर्ष 2004–05 में 185.08 करोड़ रूपये के प्रारम्भिक शेष के विरूद्ध, वर्ष 2007–08 की समाप्ति पर बकाया राशि 744.98 करोड़ रूपये (सम्पूर्ण राज्य के कृषकों से बकाया राशि की लगभग पांच गुनी) थी ।

इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियन्ता ने बताया (मई 2009) कि मैदानी अमले से वे कारण मांगे जा रहे थे जिनके अंतर्गत म.प्र.रा.वि.मं. के विरूद्व नई मांगें सृजित नहीं की गई थी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

म.प्र. सिंचाई अधिनियम की धारा 40 तथा म.प्र. सिंचाई नियम,1974 के नियम 71 सहपठित म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा अप्रैल 1998 में जारी अधिसूचना में जल के आहरण के पूर्व अभिकरणों के साथ प्रपत्र 7–क में अनुबंध के निष्पादन का प्रावधान है । आगे, अनुबंध के खण्ड 2 के नीचे दी गई टिप्पणी में यह भी प्रावधान है कि जल के अनधिकृत आहरण की स्थिति में 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें आरोपणीय हैं तथा अनुबंध के खण्ड 12 में जल संसाधन विभाग को जल दरों का भुगतान न किए जाने पर 25 प्रतिशत ब्याज के आरोपण का प्रावधान है ।

लेकिन लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि म.प्र.रा.वि.मं. गांधीनगर बांध से (1961 से) तथा वाणसागर बांध से जल विद्युत के उत्पादन हेतु तथा चचाई (अनूपपुर) में सोन नदी से तापीय विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु (1965 से) कोई अनुबंध निष्पादित किए बिना तथा जल प्रभारों के भुगतान के बगैर जल आहरित करता रहा है । इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2008 तक 50 प्रतिशत अतिरिक्त प्रभारों तथा 25 प्रतिशत ब्याज सहित 586.64 करोड़[8] रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

उत्तर में कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (दिसम्बर 2008 तथा फरवरी 2009) कि प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है तथा अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (लो.स्वा.यां. वि.)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी संभाग अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र के निवासियों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग के स्रोतों से जल आहरित करते हैं । म.प्र. शासन ने 1 अप्रैल 2000 से घरेलू उपयोग हेतु जल आपूर्ति की दर दो पैसे प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ 20 पैसे प्रति घनमीटर निर्धारित की थी।

8 वाण सागर बांध 270.75 करोड़ रूपये, गांधीसागर बांध 221.17 करोड़ रूपये तथा सोन नदी 94.72 करोड़ रूपये

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रारम्भिक शेष, सृजित मांग, प्राप्ति तथा लो.स्वा.यां. विभाग के विरूद्व जल दरों की बकाया शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सृजित मांग	कुल मांग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया शेष राशि	प्राप्ति का प्रतिशत
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	-
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	-
2006-07	2.98	0.12	3.10	0.17	2.93	5.48
2007-08	2.07	0.14	2.21	0.05	2.16	2.26
2008-09	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।					

उपरोक्त आंकड़ों की सत्यता संदिग्ध है । प्रारम्भिक शेष तथा बकाया शेष राशि के मध्य कोई सह संबंध नहीं है जबकि केवल 2006–07 तथा 2007–08 के लिए कुल मांग में से प्राप्तियों के प्रतिशत, जो व्यापक भिन्नता दर्शाता है, का आकलन किया जा सका क्योंकि वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये थे । यद्यपि वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 के दौरान कोई प्रारम्भिक शेष या सृजित मांग नहीं थी, विभाग ने लो.स्वा.यां. विभाग से प्राप्तियां स्वीकार की थीं। **यह दर्शाता है कि लो.स्वा.यां. विभाग मनमाने ढंग से भुगतान कर रहा है जबकि विभाग के पास वसूल की जाने वाली रशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है । प्राप्तियों का प्रतिशत 5.48 प्रतिशत (2006–07) से घटकर 2.26 प्रतिशत (2007–08) रह गया है।**

आंकड़ों में विसंगति के संबंध में प्रमुख अभियन्ता द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

स्थानीय निकाय

- सिंचाई अधिनियम की धारा 26 के अनुसार शासन को किसी भी नदी, प्राकृतिक धारा या प्राकृतिक जलनिकास मार्ग, प्राकृतिक झील के जल या जल के अन्य प्राकृतिक संग्रह पर सभी अधिकार हैं । विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार राज्य में 39 स्थानीय निकाय अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र के निवासियों को पेय जल उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से जल आहरित करते रहे हैं ।

विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक शेष, सृजित मांग, प्राप्ति तथा स्थानीय निकायों के विरूद्ध जल दरों की बकाया शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सृजित मांग	कुल मांग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया शेष राशि	प्राप्ति का प्रतिशत
2004-05	12.88	3.64	16.52	0.61	15.91	3.69
2005-06	20.21	4.32	24.53	0.54	23.99	2.20
2006-07	22.92	4.26	27.18	0.47	26.71	1.73
2007-08	26.00	2.81	28.81	0.60	28.21	2.08
2008-09	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।					

उपरोक्त आंकड़ों की तरह यहां भी बकाया शेष राशि आगामी वर्ष के लिए प्रारम्भिक शेष नहीं है। सभी श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं (सिंचाई तथा गैर सिंचाई दोनों) के लिए कुल मांग में से प्राप्तियों का प्रतिशत निम्नतम रहा है तथा जो यह भी दर्शाता है कि इन दोनों के मध्य कोई सह संबंध नहीं है तथा अंतर अनेक सालों तक लगातार बढ़ता रहा है । समीक्षाधीन वर्षों के दौरान विभाग किसी भी वर्ष की चालू मांग की राशि भी वसूल नहीं कर सका । यह बहुत कम 1.73 प्रतिशत से 3.69 प्रतिशत के मध्य रहा ।

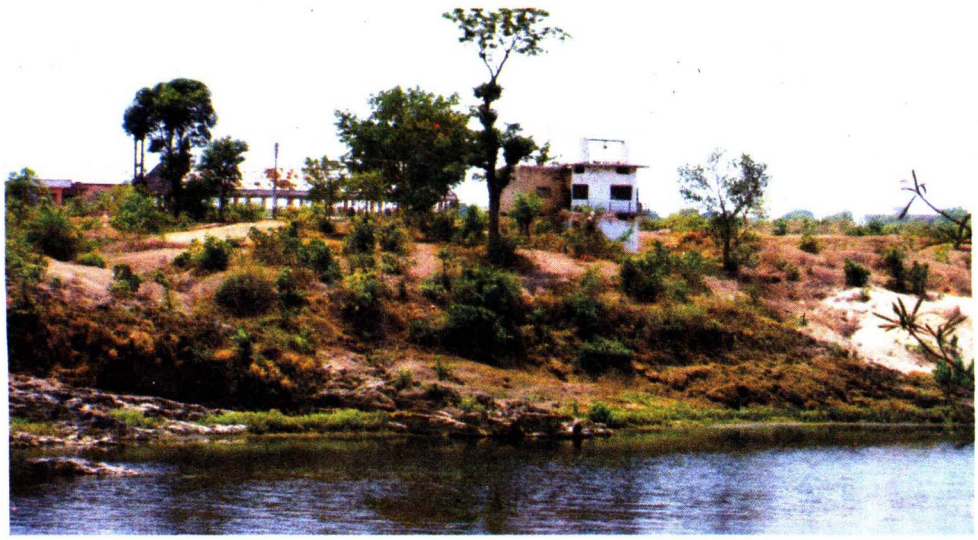
इंगित कए जाने पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया (सितम्बर 2009) ।

नमूना परीक्षित जल संसाधन संभागों में लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि यद्यपि स्थानीय निकाय अपने उपभोक्ताओं पर जल शुल्क दर प्रभारित करते रहे हैं फिर भी ये कोई अनुबंध निष्पादित किए बिना तथा जल प्रभारों का भुगतान किए बगैर जल संसाधन विभाग के स्रोतों से जल आहरित करते रहे हैं ।

- वाणगंगा संभाग, बालाघाट के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नगर पालिका, बालाघाट बिना कोई अनुबंध निष्पादित किये तथा जल संसाधन विभाग को जल प्रभारों का भुगतान किए वगैर वर्ष 1970 से एक अन्तर्ग्रहण कूप का निर्माण कर नदी से जल

आहरित करती रही है । संभाग इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि नगर पालिका अनधिकृत रूप से जल आहरित कर रही थी (छायाचित्र नीचे) ।

बालाघाट में वाणगंगा नदी पर अन्तर्ग्रहण कूप



लो.स्वा.यां. संभाग, बालाघाट से प्राप्त जानकारी से पता चला कि नगर निगम द्वारा वर्ष 1970 से 3.375 मिलियन लीटर जल प्रति दिन आहरित किया गया है । इस आधार पर राजस्व की हानि 1.50 करोड़ रूपये आकलित होती है ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2009) कि उन कारणों की जांच की जाएगी जिनके अंतर्गत अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा सका तथा जल प्रभारों की वसूली नहीं की गई तथा अब प्रकरण आवश्यक अनुदेशों हेतु उच्चतर प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

- जल संसाधन संभाग, उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नगर निगम, उज्जैन वर्ष 1991 से कोई अनुबंध निष्पादित किए बगैर एक बांध तथा अन्तर्ग्रहण कूप का निर्माण कर गंभीर नदी से जल आहरित कर रही थी । जल के ऐसे अनधिकृत आहरण के लिए न तो कोई मांग सृजित की गई थी और न ही विभाग ने किसी अनुबंध के निष्पादन हेतु आग्रह किया था। लो.स्वा.यां. संभाग (बांध के संधारण हेतु उत्तरदायी) से प्राप्त जानकारी के आधार पर निगम को अगस्त 2008 तक 21,265.804 मिलियन घन फुट जल की आपूर्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 28.60 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (मार्च 2009) कि प्रकरण के तथ्यों तथा आंकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी तथा नगर निगम/लो.स्वा.यां. के साथ अनुबंध निष्पादित करने हेतु आगामी कार्रवाई की जाएगी । आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

- नगर पालिका, जून्नारदेव (जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा) बिना किसी अनुबंध के तथा जल संसाधन विभाग को कोई भुगतान किए बगैर नियमित रूप से जल आहरित कर रही थी । उपसंभागीय अधिकारी (ज.सं.वि.), जून्नारदेव ने 10.54 लाख रूपये की वसूली योग्य राशि (0.34 पैसे प्रति घन मीटर की प्रचलित दर से आकलित) के विरूद्व 0.04 पैसे प्रति घन मीटर की दर से 1.31 लाख रूपये की मांग सृजित की थी (नवम्बर 2007) । इसके परिणामस्वरूप 9.23 लाख रूपये की मांग कम सृजित की गई । यह भी देखा गया कि जल संसाधन विभाग को न तो उस समय की जानकारी थी जबसे नगर पालिका द्वारा जल आहरित किया जा रहा था और न ही आहरित किए गए जल की मात्रा की ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2009) कि उप संभागीय अधिकारी को नियमों तथा विनियमों के अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए गए थे। आगामी प्रगति प्रतिवेदित नहीं की गई है (अक्टूबर 2009) ।

उद्योग

विभिन्न उद्योग अपने क्रियाकलापों हेतु जल संसाधन विभाग के स्त्रोतों से जल आहरित करते हैं । वर्तमान में औद्योगिक उद्देश्यों तथा तापीय विद्युत शक्ति परियोजनाओं हेतु जल आपूर्ति की दरें क्रमशः दो रूपये प्रति घन मीटर (शासकीय स्त्रोतों) तथा 0.50 रूपये प्रति घन मीटर (प्राकृतिक/स्वसृजित स्त्रोतों) हैं।

विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रारम्भिक शेष, सृजित मांग, प्राप्ति तथा उद्योगों के विरूद्ध जल दरों की बकाया शेष राशि के विवरणों का नीचे उल्लेख किया गया है :

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	सृजित मांग	कुल मांग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया शेष राशि	प्राप्ति का प्रतिशत
2004-05	63.21	10.94	74.15	14.24	59.91	19.20
2005-06	68.47	13.79	82.26	11.42	70.84	13.88
2006-07	69.98	25.69	95.67	11.85	83.82	12.39
2007-08	173.53	58.84	232.37	19.63	212.74	8.44
2008-09	जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई ।					

विगत चार वर्षो के दौरान कुल मांग के विरूद्ध प्राप्तियों का प्रतिशत 8.44 से 19.20 के मध्य रहा । यद्यपि विगत चार वर्षो के दौरान कुल मांग में वृद्धि होती रही है, प्राप्तियों का प्रतिशत 19.20 से धीरे धीरे घट कर 8.44 प्रतिशत हो गया है । यह भी अवलोकित किया गया कि वर्ष 2005–06, 2006–07 तथा 2007–08 के दौरान सृजित मांग के मुकाबले प्राप्तियां कम थी। इन आंकड़ों में भी आगामी वर्षो के बकाया शेष तथा प्रारम्भिक शेष के मध्य कोई सह संबंध नहीं है । विभाग द्वारा इसका मिलान किया जाना वांछित है ।

इसे इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था ।

सिंचाई अधिनियम की धारा 40 तथा सिंचाई नियम, 1974 के नियम 71 सहपठित म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा 29 अप्रैल 1998 को जारी अधिसूचना में जल के आहरण के पूर्व अभिकरणों के साथ प्रपत्र 7–क में अनुबंध के निष्पादन का प्रावधान है । आगे अनुबंध के खण्ड 2 के नीचे दी गई टिप्पणी में यह भी प्रावधान है कि जल के अनधिकृत आहरण की स्थिति में 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें आरोपणीय हैं तथा अनुबंध के खण्ड 12 में जल संसाधन विभाग को जल दरों का भुगतान न किए जाने पर 25 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान है । लेकिन यह अवलोकित किया गया कि **विभाग द्वारा यह परिवीक्षण करने के लिए कि क्या वैध अनुबंधों का निष्पादन किए जाने के बाद ही जल आहरित किया जा रहा था, कोई अभिलेख/पंजियां निर्धारित नहीं की गई थीं । ऐसी किसी परिवीक्षण प्रणाली के अभाव में विभाग अनुबंध के बिना जल के आहरण संबंधी प्रकरणों का पता लगाकर राजस्व की हानि को रोकने की स्थिति में नहीं था जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं में स्पष्ट किया गया है ।**

अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज सं.,उज्जैन) ने 1953 से 1994 की अवधि के दौरान चंबल तथा चमला नदियों पर पांच बांधों का निर्माण किया । उद्योग ने मई 2006 तक म.प्र. सिंचाई नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संभाग के साथ किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना नदियों से जल आहरित करना जारी रखा ।

म.प्र. शासन ने अप्रैल 1998 की अधिसूचना द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों हेतु जल आपूर्ति की दर 30 पैसे प्रति घन मीटर निर्धारित की थी । तदनुसार देयकों में जनवरी 2006 तक 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरों तथा 25 प्रतिशत ब्याज की वृद्धि की गई । कंपनी ने 17.58 करोड़ रूपये की देय राशि के विरूद्ध जनवरी 2006 तक 94 लाख रूपये का भुगतान किया था।

दरों में पुनः जुलाई 2003 की अधिसूचना के माध्यम से निम्नानुसार संशोधन किया गया :

प्रभावी दिनांक	01.11.2003	01.11.2004	01.11.2005	01.11.2006	01.11.2007
दर (रूपये प्रति घन मीटर)	0.37	0.40	0.43	0.47	0.50

इस अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जल का उपयोग करने के पूर्व प्रपत्र 7–क में एक अनुबंध निष्पादित किया जाएगा ।

फरवरी 2006 की अधिसूचना के माध्यम से दरों में पुनः संशोधन हुआ । हालांकि ये दरें इस शर्त के अधीन थीं कि निर्माण की लागत जल संसाधन विभाग की सितम्बर 2003 की दरों की अनुसूची तथा विशिष्ट विवरण के अनुसार एक करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिये । इसमें यह भी उल्लेख है कि जुलाई 2003 की दरें शासकीय तथा प्राकृतिक स्रोतों से जल आहरित करने वाली इकाइयों के लिए लागू होगीं ।

लेकिन लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि विभाग ने जून 2006 में कंपनी को मई 1998 से मार्च 2006 की अवधि हेतु फरवरी 2006 की अधिसूचना पर आधारित सारभूत रूप से दरों में कमी कर एक संशोधित मांग नोटिस जारी किया था। विभाग का यह आदेश फरवरी 2006 की अधिसूचना में उल्लिखित शर्त के अनुरूप नहीं था, जिसमें उल्लेख था कि सितम्बर 2003 की दरों की अनुसूची तथा विशिष्ट विवरण के अनुसार निर्माण की लागत एक करोड़ रूपये से अधिक होना चाहिये जबकि बांधों का निर्माण 1953 से 1994 के मध्य हुआ था जब ये विशिष्ट विवरण प्रचलन में नहीं थे । इसके अतिरिक्त, अधिसूचना में यह भी उल्लेख था कि जुलाई 2003 की दरें प्राकृतिक स्त्रोतों से जल आहरित करने वाली इकाइयों के लिए लागू होंगी । ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज प्राकृतिक स्त्रोत (चंबल नदी) से जल आहरित कर रहा था । इस प्रकार, जुलाई 2003 की दरें लागू की जानी चाहिये थीं ।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि शासन ने दिनांक 29 फरवरी 2006 के कार्यपालक आदेश द्वारा म.प्र. सिंचाई नियमों के नियम 71 के अंतर्गत प्रपत्र 7–क में उल्लिखित अनुबंध की शर्तों का उल्लंधन करते हुए 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरों तथा 25 प्रतिशत ब्याज के आरोपण को माफ कर दिया था । शासन का आदेश अनधिकृत था क्योंकि अधिनियम या नियमों में सन्निहित दरों में कोई शिथिलता/कमी विधायिका के प्राधिकार से ही की जा सकती है ।

इस प्रकार गलत दरों को लागू किए जाने के साथ–साथ अनधिकृत रूप से शास्ति एवं ब्याज को माफ कर कंपनी को न केवल अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया, बल्कि इसके फलस्वरूप 9.62 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि भी हुई ।

- जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि रेमण्ड इण्डस्ट्रीज तथा भंसाली इंजीनियरिंग क्रमशः वर्ष 1991 तथा 1990 से (वर्तमान दिनांक तक) किसी अनुबंध को निष्पादित किए बिना तथा जल प्रभारों के रूप में कोई भुगतान किए बगैर कान्हा नदी से जल आहरित कर रहे थे । यह अवलोकित किया गया कि संभाग द्वारा भंसाली इंजीनियरिंग के विरूद्व 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरों तथा 25 प्रतिशत ब्याज को सम्मिलित किये बिना चार लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी (दिसम्बर 2008) । इसी प्रकार रेमण्ड इण्डस्ट्रीज के विरूद्व 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरों तथा 25 प्रतिशत ब्याज को सम्मिलित किए बिना 60 लाख रूपये की मांग सृजित की गई थी । इसके फलस्वरूप 2.17 करोड़ रूपये की मांग का कम निर्धारण हुआ ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (जनवरी 2009) कि राशि को वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी । लेकिन मांग नोटिस में अतिरिक्त जल दर तथा ब्याज को शामिल करने में चूक के कारणों का उत्तर में कोई उल्लेख नहीं था । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

- जल संसाधन संभाग, देवसर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन वर्ष 1988 से रिहन्द बांध से जल आहरित कर रहा था, लेकिन अनुबंध दिसम्बर 2008 में निष्पादित किया गया था। यह अवलोकित किया गया कि संभाग ने 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरों तथा 25 प्रतिशत ब्याज सहित 224.72 करोड़ रूपये की वसूली योग्य राशि के विरूद्ध संभाग ने 130.51 करोड़ रूपये की मांग सृजित की थी (अक्टूबर 2008) । इसके फलस्वरूप 94.21 करोड़ रूपये के जल प्रभारों का कम निर्धारण हुआ। संभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

- जल संसाधन संभाग, धार के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (औ.के.वि.नि.) वर्ष 1998 से कोई अनुबंध निष्पादित किए बिना जामुनिया जलाशय (ज.सं.वि.द्वारा निक्षेप कार्य के अंतर्गत निर्माण किया गया) से जल आहरित कर रहा था । जल संसाधन संभाग, धार ने केवल दो वर्षों (1999–2000 तथा 2000–01) के लिए 8.50 लाख रूपये का देयक तैयार किया था जिसके विरूद्ध औ.के.वि.नि. ने पांच लाख रूपये का भुगतान किया था । शेष वर्षों की मांग का निर्धारण न किए जाने के फलस्वरूप (जुलाई 2003 की शासकीय अधिसूचना में निर्धारित दरों पर आधारित) 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरों तथा 25 प्रतिशत ब्याज सहित 5.27 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (जून 2009) कि अनुबंध प्रपत्र कई बार औ.के.वि.नि. को प्रेषित किया गया था लेकिन इन्हें बिना हस्ताक्षर किए ही लौटा दिया गया था । उन्होंने आगे बताया कि अब शासकीय परिपत्र के अनुसार देयक तैयार किया जा रहा था । वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

शासन को चाहिये कि सम्भागों द्वारा जल संसाधन विभाग को प्रस्तुत किये जाने योग्य प्रतिवेदनों/विवरणियों को निर्धारित करके बकाया राशि, वर्तमान देय राशियों, वसूली गई देय राशियों तथा अप्राप्त शेष राशियों के परिवीक्षण की उचित प्रणाली स्थापित करे । इसके अतिरिक्त, व्यवसायिक उपयोग हेतु जल आहरण के मामले में अनुबंध का निष्पादन अनिवार्य किया जाये । साथ ही अनधिकृत जल आहरण के लिये सख्त दाण्डिक उपाय किये जायें ।

8.2.8 सृजित तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता में कमी के कारण राजस्व हानि

जल संसाधनों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए तथा जल के किफायती उपयोग को प्रेरित करने के लिए संभागीय स्तर पर एक विस्तृत जल लेखा तैयार किया जाना अपेक्षित है । जल की पारगमन हानि हेतु प्रावधान करने के पश्चात, जल की शेष मात्रा सिंचाई के उद्देश्य अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु उपयोग में लाई जाती है । **लेकिन विभाग ने सृजित सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग हेतु कोई परिवीक्षण प्रणाली निर्धारित नहीं की थी और न ही संभागों में जल लेखा के संधारण हेतु कोई प्रणाली निर्धारित की गई थी ।**

विभाग द्वारा प्रस्तुत सृजित तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के आंकड़ों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(लाख हैक्टेयर में)

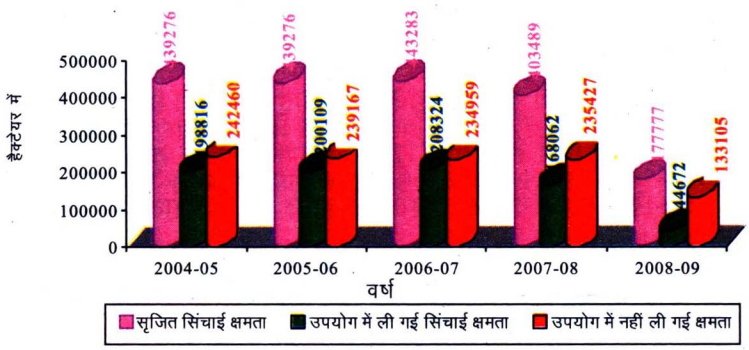
वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	उपयोग की गई वास्तविक क्षमता	उपयोग में न की गई क्षमता	उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत	राजस्व की हानि[9] (करोड़ रूपये में)
2004-05	22.58	10.34	12.24	46	23.84
2005-06	23.41	10.13	13.28	43	25.87
2006-07	26.64	09.37	15.27	35	34.33
2007-08	25.90	09.16	16.74	35	37.63
2008-09	26.82	09.39	17.43	35	39.18
योग	**125.35**	**48.39**	**74.96**	**39**	**160.85**

अवधि 2004–05 से 2008–09 के दौरान उपलब्ध सिंचाई क्षमता के कुल 125.35 लाख हेक्टेयर में से क्षमता का केवल 48.39 लाख हेक्टेयर (39 प्रतिशत) उपयोग में लिया गया तथा शेष 74.96 लाख हेक्टेयर उपयोग में नहीं लिये जाने के परिणामस्वरूप 160.85 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई ।

9 वर्ष 2004–05 से 2005–06 के दौरान 194.80 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से वर्ष 2006–07 से 2008–09 के दौरान 224.80 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से

लेखापरीक्षा द्वारा 20[10] संभागों से एकत्र की गई सृजित एवं उपयोग में ली गई सिंचाई क्षमता की स्थिति निम्नानुसार है :

सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता की स्थिति



इस प्रकार 2004–05 से 2008–09 के दौरान उपलब्ध सिंचाई क्षमता (20 संभाग) के कुल 19,03,101 हेक्टेयर में से क्षमता का केवल 8,19,983 हेक्टेयर (43 प्रतिशत) उपयोग किया गया तथा शेष 10,83,118 हेक्टेयर उपयोग में नहीं लिये जाने के परिणामस्वरूप 22.94 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हुई । सिंचाई क्षमता में वर्ष 2007–08 से कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है । विगत पांच वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग 50 प्रतिशत से बहुत कम था । संवीक्षा में आगे पता चला कि विगत पांच वर्षों के दौरान अनूपपुर, ग्वालियर तथा भिण्ड जिलों में उपयोग में ली गई क्षमता का प्रतिशत बहुत ही कम अर्थात 1 से 23 प्रतिशत तक था।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने सृजित क्षमता के उपयोग में कमी के विभिन्न कारण बताए (अक्टूबर 2008 एवं अप्रैल 2009 के मध्य)। ये कारण थे–खरीफ फसलों की जुताई न होना/खरीफ के मौसम में जल की मांग न होना, गैर–सिंचन क्षेत्र के कृषकों द्वारा जल उद्‌वहन, अरेखांकित नहर प्रणाली, जल का अपव्यय, फसल प्रतिरूप में परिवर्तन, कृषकों में जागरूकता की कमी, निधियों का अकुशल प्रबंधन तथा अल्प प्रावधान, सिंचाई तथा अन्य विभागों के मध्य समन्वय की कमी तथा भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन ।

10 ज.सं.सं., अनूपपुर, भोपाल, भिण्ड, छिंदवाड़ा, देवास, देवसर, खण्डवा, रतलाम, सतना, उज्जैन, विदिशा, बांध सुरक्षा संभाग, ग्वालियर, गांधी सागर बांध संभाग गांधीसागर, कनहरगांव संभाग छिंदवाड़ा, मेसनरी बांध संभाग देव भूमि, पी.बी.सी.सं. सोहागपुर, तवा परियोजना सं. इटारसी, टी.एल.बी.सी.सं. केवलारी , सर्वेक्षण सं. बालाघाट तथा बाणगंगा सं. बालाघाट

हालांकि, म.प्र. के कृषि विभाग ने स्वीकार किया कि राज्य में कृषकों द्वारा खरीफ फसलों की जुताई की जा रही थी । उपरोक्त वर्णित अन्य कारण विभाग के नियंत्रण के बाहर नहीं थे ।

सृजित एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता, विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जल के उपयोग तथा उनसे प्राप्त राजस्व के प्रभावी परिवीक्षण के लिये सम्भागवार जल लेखा तैयार कराने के बारे में शासन के विचार करना चाहिए ।

8.2.9 उदवहन सिंचाई योजनाओं की संभाव्यता के परिवीक्षण हेतु किसी प्रणाली के अभाव के कारण राजस्व की हानि

ग्यारह संभागों[11] में सिंचाई उदवहन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता 1,00,701 हेक्टेयर के विरूद्ध, उपयोग की गई क्षमता 12,844 हेक्टेयर (12.75 प्रतिशत) थी । सृजित क्षमता का उपयोग न किए जाने के फलस्वरूप 1.87 करोड़ रूपये की हानि हुई । इसके अतिरिक्त, विद्युत देयकों तथा इन योजनाओं के संधारण पर 11.57 करोड़ रूपये (विद्युत देयक 5.96 करोड़ रूपये तथा संचालन एवं संधारण पर व्यय 5.61 करोड़ रूपये) की राशि व्यय की गई थी जबकि सिंचाई प्राप्तियां केवल 13 लाख रूपये (व्यय का 1.12 प्रतिशत) थीं ।

उत्तर में कार्यपालन अभियंताओं ने बताया (अक्टूबर 2008 से मार्च 2009) कि विद्युत की बाधित या कम आपूर्ति तथा अपर्याप्त वर्षा के कारण सिंचाई क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका था।

शासन को क्षमता के कम उपयोग तथा इन योजनाओं पर व्यय की तुलना में सिंचाई प्राप्तियों के तिर्यक अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई उदवहन योजनाओं की संभाव्यता का निर्धारण करने पर विचार करना चाहिये ।

8.2.10 मापक यंत्रों के परिवीक्षण हेतु किसी प्रणाली का न होना

औद्योगिक/शक्ति संयंत्रों को जल की आपूर्ति हेतु अनुबंध के खण्ड 10 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जल का आहरण करने वाली कंपनी द्वारा एक स्वचालित जल मापक यंत्र उसके स्वयं के व्यय पर संस्थापित एवं संधारित किया जाएगा । आगे अनुबंध के खण्ड 17 में निर्धारित किया गया है कि कंपनी सिंचाई विभाग के अधिकारी को मापक यंत्र का किसी भी समय निरीक्षण करने की अनुमति देगी । **लेकिन यह देखा गया कि किसी भी नमूना परीक्षित इकाई में मापक यंत्रों की संस्थापना, ये सही ढंग से कार्य कर रहे थे या नहीं, रीडिंग निर्धारित समयावधि पर ली गई थी या नहीं, स्टाफ द्वारा किया गया कोई निरीक्षण आदि का**

[11] जल संसाधन संभाग–अनूपपुर, भोपाल, भिण्ड, छिंदवाड़ा, देवसर, देवास, खण्डवा, रतलाम, सतना, उज्जैन, विदिशा

परिवीक्षण करने के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया था । इस कारण विभिन्न एजेन्सियों द्वारा विभिन्न स्रोंतो से आहरित किये गये जल के बारे में विभाग अनभिज्ञ था ।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा में दो उद्योग, रेमण्ड तथा भंसाली क्रमशः वर्ष 1991 तथा 1990 से कान्हा नदी से जल आहरित कर रहे थे । इसी प्रकार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन वर्ष 1988 से जल संसाधन संभाग, देवसर के अंतर्गत रिहन्द बांध से जल आहरित कर रहा था । स्रोत या कंपनियों के परिसर में किसी मापक यंत्र की संस्थापना के संबंध में लेखापरीक्षा (जनवरी से मार्च 2009) द्वारा पूछे जाने पर, संभागों ने कोई उत्तर नहीं दिया । **इस प्रकार उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उद्योगों द्वारा आहरित जल पर संभागों का कोई नियंत्रण नहीं था ।**

शासन को राजस्व के हित में सभी मापक यंत्रों की जांच के लिये परीक्षण अभियान शुरू करना चाहिए तथा प्रावधानों के अनुसार समय समय पर उनके परिवीक्षण को भी सुनिश्चित करना चाहिए ।

अनुपालन संबंधी कमियां

8.2.11 जल दरों/शास्ति/ब्याज को गलत ढग स ा.ू ।कए जाने के कारण राजस्व की हानि

जल की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्रपत्र के खण्ड 2 के नीचे टिप्पणी (नियम 71–क) में प्रावधान है कि कंपनी किसी भी स्थिति में उसके द्वारा आहरित किए जाने वाले जल की कुल मात्रा के कम से कम 90 प्रतिशत के लिए जल प्रभारों का भुगतान करेगी, चाहे कंपनी द्वारा आहरित जल की वास्तविक मात्रा आहरित किए जाने हेतु अनुमत्य जल की मात्रा के 90 प्रतिशत से कम ही क्यों न हो । आगे इस टिप्पणी में यह भी प्रावधान है कि जल के अनधिकृत आहरण की स्थिति में 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें आरोपणीय हैं तथा अनुबंध के खण्ड 12 में जल संसाधन विभाग को जल दरों का भुगतान न किए जाने के लिए 25 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान है ।

8.2.11.1 कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि नगर निगम, भोपाल नवम्बर 1995 से भोपाल के निवासियों को पेय जल की आपूर्ति के लिए प्रत्येक वर्ष अनुबंध निष्पादित कर कोलार बांध से जल आहरित कर रहा था । यह देखा गया कि निगम ने 589.81 मिलियन घन मीटर जल आहरित किया था जिस पर 43.18 करोड़ रूपये का जल प्रभार (50 प्रतिशत अतिरिक्त दर तथा 25 प्रतिशत ब्याज सहित) आरोपणीय था । इसके विरूद्ध संभाग ने 24.58 करोड़ रूपये (मार्च 2009 तक) की मांग सृजित की थी । इसके परिणामस्वरूप 18.60 करोड़ रूपये की मांग कम सृजित की गई ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (जून 2009) कि जल प्रभारों की वसूली के लिए नगर निगम, भोपाल से नियमित पत्राचार किया जा रहा था । कार्यपालन

अभियन्ता के उत्तर में इसके कारण का कोई उल्लेख नहीं था कि प्रकरण अभी तक विभाग के उच्च प्राधिकारियों के ध्यान में क्यों नहीं लाया गया था ।

8.2.11.2 जल संसाधन संभाग, उज्जैन दो नगर पालिकाओं (घटिया एवं तराना) को पेय जल हेतु तथा लो.स्वा.यां., उज्जैन को औद्योगिक उद्देश्य हेतु जल उपलब्ध करा रहा है । अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए संभाग ने सम्मत मात्रा के 90 प्रतिशत के बजाय (जहां उपयोग में लाया गया जल सम्मत मात्रा के 90 प्रतिशत से कम था) उपयोग किए गए जल की वास्तविक मात्रा हेतु प्रभारित किया था । इसके अतिरिक्त, जल के अनधिकृत उपयोग हेतु 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें (जहां सम्मत मात्रा से अधिक जल उपयोग में लाया गया) प्रभारित नहीं की गईं थी जिसके फलस्वरूप 2.04 करोड़ रूपये[12] के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

कार्यपालन अभियंता ने उत्तर में बताया (मार्च 2009) कि लागू दरों के अनुसार वांछित राशि की वसूली के लिये अनुपूरक देयक जारी किया जायेगा । वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

8.2.11.3 प्राकृतिक/शासकीय स्त्रोतों से जल आपूर्ति की दरें उन प्रकरणों में लागू दरों से अधिक होती है जहां इन्हें स्वयं उपयोगकर्ता द्वारा विकसित किया जाता है । जल संसाधन संभाग, देवसर के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि जुलाई 2007 में जय प्रकाश ऐसोसियेट्स तथा संभाग के मध्य 0.14 रूपये प्रति घन मीटर की दर से गोपद नदी (प्राकृतिक /शासकीय स्त्रोत) से जल की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध निष्पादित किया गया था । चूंकि जल की आपूर्ति प्राकृतिक/शासकीय स्त्रोत से की जानी थी, अतः इस प्रकरण में शासन द्वारा निर्धारित दरें (जुलाई 2003 की 0.47 रूपये प्रति घन मीटर) लागू की जानी थीं । गलत दरें लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 3.65 करोड़ रूपये की जल दरों की प्राप्ति नहीं हुई ।

उत्तर में कार्यपालन यंत्री ने बताया (मार्च 2009) कि वसूली की कार्रवाई प्रगति पर थी । वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

12 घटिया नगर पालिका 60 लाख रूपये, तराना नगर पालिका 85 लाख रूपये तथा लो.स्वा.यां., उज्जैन 59 लाख रूपये

8.2.12 वितरण प्रणाली में कमियों के कारण राजस्व की हानि

पिपरिया शाखा नहर संभाग, सोहागपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2004–05 से 2007–08 के दौरान गैर–सिंचित क्षेत्र में अनधिकृत आपूर्ति तथा नहर का संधारण न किए जाने के कारण तीन उपसंभाग[13] तवा बांध की लैफ्ट बैंक नहर (एल.बी.सी.) से 36,023 हेक्टेयर क्षेत्र को जल उपलब्ध कराने में असमर्थ थे ।

इसके परिणामस्वरूप न केवल 42 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई बल्कि सिंचित क्षेत्र में किसानों को भी जल से वंचित किया गया ।

प्रमुख अभियंता द्वारा उच्च प्राधिकारियों को तवा बांध की लैफ्ट बैंक नहर के आधुनिकीकरण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रतिवेदन में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई थी।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई सुसंगत उत्तर नहीं दिया गया था ।

8.2.13 प्रतिभूति राशि जमा न किया जाना

जल उपयोगकर्ताओं तथा संभागों के मध्य निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध के प्रपत्र 7–क के खण्ड 13 में प्रावधान है कि उपयोगकर्ता जल दरों के देय एवं उचित भुगतान हेतु प्रतिभूति राशि के रूप में जल की संविदाकृत मात्रा के संविदाकृत मासिक देयक के तीन गुने के बराबर राशि सदैव कार्यपालन अभियन्ता के पास जमा रखेगा । कंपनी द्वारा देय राशियों का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में कंपनियों से बकाया देय राशियों का समायोजन कथित जमा राशि से किया जाएगा ।

अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पांच जल संसाधन संभागों में, नीचे दिए गए विवरणानुसार, पांच उपयोगकर्ताओं द्वारा संबंधित संभागों में 2.21 करोड़ रूपये की प्रतिभूति राशि जमा नहीं की गई थी :

(करोड़ रूपये में)

संभाग का नाम	इकाई का नाम	वर्ष	देय राशि	इकाई द्वारा जमा राशि	बकाया राशि
कोलार नहर संभाग, नसरूल्लागंज	*नगर निगम, भोपाल*	2008-09	0.65	निरंक	0.65
तवा परियोजना संभाग, इटारसी	आयुध कारखाना, इटारसी	2008-09	0.61	निरंक	0.61
जल संसाधन संभाग, देवसर	जे.पी. एसोसियेट्स	2008-09	0.68	0.20	0.48
जल संसाधन संभाग, उज्जैन	नगर निगम, उज्जैन	2008-09	0.18	निरंक	0.18

13 बाबई, पिपरिया तथा शोभापुर

बांध सुरक्षा संभाग, ग्वालियर	नगर निगम, ग्वालियर	2008-09	0.29	निरंक	0.29
योग			**2.41**	**0.20**	**2.21**

इसे इंगित किए जाने पर प्रतिभूति राशि जमा न किए जाने के संबंध में संभागों द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था ।

8.2.14 समुन्नति अंशदान का अनारोपण

सिंचाई अधिनियम की धारा 58–ग में निर्धारित किया गया है कि शासन अधिसूचना द्वारा ऐसी तिथि, जो किसी नहर के चालू होने के तीन वर्ष से पूर्व की न हो, नियत कर सकता है जिससे सैंच्य क्षेत्र/सिंचित क्षेत्र में स्थित भूमि के प्रत्येक स्थायी भू–धारक पर 140 रूपये प्रति एकड़ की दर से समुन्नति अंशदान आरोपित किया जाएगा । शासन ने मार्च 1983 में उपरोक्त दरों से समुन्नति अंशदान आरोपित करने के लिए तदनुसार अधिसूचना जारी की थी ।

सत्रह[14] जल संसाधन संभागों के अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि विभाग ने न तो तिथियां अधिसूचित की थीं और न ही उस क्षेत्रफल को निर्दिष्ट किया था जिस पर समुन्नति अंशदान आरोपणीय हो गया था । इसके परिणामस्वरूप 10.14 करोड़ रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ताओं ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2008 से मार्च 2009) कि समुन्नति अंशदान के आरोपण हेतु अब कार्रवाई की जाएगी । वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

8.2.15 विलंबित भुगतान पर शास्ति का कम आरोपण

म.प्र. सिंचाई नियमों के नियम 193 क अनुसार यदि किसी जल दर (नहर राजस्व) या उसके किसी भाग का निर्धारित तिथि के एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो नहर डिप्टी कलेक्टर ऐसे चूककर्ताओं पर निर्धारित दरों से शास्ति आरोपित कर सकता है ।

दो संभागों[15] के अभिलेखों की संवीक्षा मे पता चला कि 2.98 करोड़ रूपये के बकाया की वसूली करते समय संभागों ने 29.74 लाख रूपये के बजाय 20.42 लाख रूपये की शास्ति वसूल की थी जिसके फलस्वरूप 9.32 लाख रूपये की शास्ति की कम वसूली हुई ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन अभियन्ता ने बताया (जनवरी–फरवरी 2009) कि शास्ति की शेष राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

14 अनूपपुर, भोपाल, भिण्ड, छिंदवाड़ा, देवास, देवसर, खण्डवा, रतलाम, सतना, उज्जैन, विदिशा, गांधी सागर बांध, कनहरगांव (छिंदवाड़ा), सोहागपुर (पिपरिया शाखा नहर), इटारसी (तवा परियोजना), बालाघाट(सर्वेक्षण संभाग) तथा बालाघाट (वाण गंगा)

15 पी.बी.सी. संभाग सोहागपुर (7 लाख रूपये) तथा तवा परियोजना संभाग इटारसी (2 लाख रूपये)

8.2.16 कृषकों की ऋण पुस्तिकाओं में बकाया राजस्व की प्रविष्टि के परिवीक्षण हेतु किसी प्रणाली का अभाव

राजस्व विभाग के अगस्त 1983 के आदेशों में उल्लेख किया गया था कि सिंचाई राजस्व की बकाया राशि की प्रविष्टि सैंच्य क्षेत्र/सिंचित क्षेत्र में कृषक की *ऋण पुस्तिका* में की जानी चाहिये । इसमें यह भी निर्देशित किया गया था कि बैंकों को सिंचाई विभाग से अनादेय प्रमाण पत्र के बिना कृषकों को ऋण नहीं देना चाहिये ।

दो[16] संभागों तथा तीन[17] बैंकों से प्राप्त जानकारी में पता चला कि यद्यपि प्रणाली विद्यमान थी, लेकिन इसका अनुसरण नहीं किया जा रहा था ।

इसे इंगित किए जाने पर संभागों ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2008 एवं अप्रैल 2009 के मध्य) कि कृषकों द्वारा अमीनों को *ऋण पुस्तिका* प्रस्तुत नहीं की गई थी और कृषकों से अनादेय प्रमाण पत्र के लिये आग्रह नहीं किया गया था । बैंकों ने उत्तर दिया कि ऐसे आदेश उपलब्ध नहीं थे ।

8.2.17 निष्कर्ष

सिंचाई, शक्ति, उद्योग तथा घरेलू उद्देश्यों हेतु जल आपूर्ति एवं वितरण के लिए अधोसंरचना में पूंजी निवेश के लिए एक विशाल राशि की आवश्यकता होती है । एक बार अधोसंरचना की स्थापना हो जाने पर जल आपूर्ति एवं वितरण के संचालन पर संधारण हेतु सतत रूप से एक बड़ी/सारभूत राशि व्यय होती है । इन पूंजीगत एवं संचालन लागतों हेतु धन राशि की पूर्ति अनिवार्य रूप से उपयोगकर्ता से प्राप्त प्रभारों तथा लोक निधियों से की जाती है । परन्तु राज्य में जल दरों के निर्धारण तथा संग्रहण हेतु प्रणाली की समीक्षा में पता चला कि बजट संबंधी अनुमानों को तैयार करने की प्रक्रिया तदर्थ थी । आगामी वर्ष हेतु वास्तविक प्राप्तियों तथा बजट अनुमानों के मध्य कोई सह संबंध नहीं था । विभाग के पास विभिन्न श्रेणियों के जल उपयोगकर्ताओं से संबंधित बकाया राजस्व के विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे । इसके अतिरिक्त क्षमता के उपयोग में बहुत अधिक कमी होने के फलस्वरूप राजस्व की भारी हानि हुई । जल मापक यंत्रों की संस्थापना तथा उनके उचित चालन का परिवीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की गई थी जबकि विभिन्न अभिकरणों द्वारा किसी अनुबंध का निष्पादन किए बगैर जल आहरित किए जाने के फलस्वरूप राजस्व की सारभूत हानि हुई । गलत दरें लागू किए जाने, वितरण प्रणाली में खामियों, जल के कम उपयोग, प्रतिभूति राशि का जमा न होने तथा समुन्नति अंशदान के अनारोपण के कारण विभाग को राजस्व की हानि हुई ।

16 वाण गंगा संभाग, बालाघाट तथा जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा

17 जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक तथा सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

8.2.18 सिफारिशों का सारांश

शासन द्वारा कमियों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार किया जा सकता है :

- वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित और अधिक यथार्थपरक बजट अनुमान तैयार किए जाने पर विचार करना;
- अनधिकृत आहरणों तथा उनकी वसूली के प्रकरणों पर शास्ति आरोपित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करना;
- संभागवार विस्तृत जल लेखा तैयार किए जाने पर विचार करना;
- बकाया के आंकड़ों का सत्यापन तथा मिलान करने के लिए समयबद्ध योजना तैयार किए जाने पर विचार करना;
- मानदंडों के अनुसार सख्ती से मापक यंत्रों की जांच करने तथा उनका परिवीक्षण करने के लिए एक सत्यापन अभियान आरम्भ किए जाने पर विचार करना; तथा
- यह सुनिश्चित करने पर विचार करना कि वाणिज्यिक उपयोग हेतु जल के आहरण के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित किया जाय ।

ख – विद्युत शुल्क

8.3 अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अधीक्षण यंत्री, संभागीय विद्युत निरीक्षकों आदि के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान भारतीय विद्युत नियम/मध्यप्रदेश विद्युत नियम के प्रावधानों तथा शासकीय आदेशों का अनुपालन न किए जाने से संबंधित अनेक प्रकरणों का पता चला जिनका उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है । ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं तथा लेखापरीक्षा के दौरान की गई नमूना जांच पर आधारित हैं । यद्यपि विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई इस तरह की चूकों को लेखापरीक्षा में प्रतिवर्ष इंगित किया जाता है, फिर भी न केवल अनियमिततायें जारी रहती हैं, बल्कि अगली लेखापरीक्षा किए जाने तक वे पकड़ में नहीं आती । अस्तु शासन द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मे सुधार किए जाने की आवश्यकता है ।

8.4 शास्ति का अनारोपण

भारतीय विद्युत नियमों, 1956 के नियम 141 के तहत् यदि किसी विद्युत संस्थापना का स्वामी नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंधन करता है, तो वह प्रत्येक उल्लंघन के लिए 300 रूपये तक की शास्ति के भुगतान का दायी होगा और यदि उल्लंघन जारी रहता है तो वह उल्लंघन रहने तक 50 रूपये प्रतिदिन अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा ।

जनवरी एवं फरवरी 2009 के मध्य अधीक्षण यंत्री, विद्युत सुरक्षा (अ.यं.,वि.सु.) इंदौर एवं दो संभागीय विद्युत निरीक्षकों, विद्युत सुरक्षा (सं.वि.नि., वि.सु.) छिंदवाड़ा एवं उज्जैन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2006–07 एवं 2007–08 के दौरान 32,467 विद्युत संस्थापनाओं का निरीक्षण करते समय, यद्यपि निरीक्षकों ने नियमों के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन संसूचित किया था, परन्तु चूककर्ताओं पर शास्ति अधिरोपण के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए। इसके परिणामस्वरूप 97.40 लाख रूपये की शास्ति का अनारोपण हुआ ।

प्रकरणों को इंगित किए जाने पर अधीक्षण यंत्री, विद्युत सुरक्षा, इंदौर एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा, छिंदवाड़ा ने जनवरी तथा फरवरी 2009 के मध्य बताया कि शास्ति न्यायालय द्वारा आरोपित की गई थी। संभागीय विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा, उज्जैन ने बताया (जनवरी 2009) कि विभाग के पास शास्ति आरोपित करने का कोई अधिकार नहीं था तथा शारित प्रक्रिया पर व्यय शास्ति से प्राप्त राजस्व से अधिक था । उत्तर नियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं और इनमें अधीक्षण यंत्री, वि.सु., इंदौर एवं सं.वि.नि., वि.सु., छिंदवाड़ा द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही प्रारंभ न करने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं था। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मार्च 2009 में मुख्य अभियंता एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009)।

8.5 विभाग की निष्क्रियता के कारण राजस्व की वसूली न होना

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 5(2) के प्रावधान के अनुसार राज्य शासन को उपलब्ध वसूली के किसी अन्य तरीके के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कोई भी शुल्क तथा उस पर ब्याज, यदि कोई हो, जो भुगतान के लिए शेष है, भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

जनवरी 2009 में अधीक्षण यंत्री, वि.सु., इंदौर के अभिलेखों की नमूना जांच में पता चला कि जनरेटर मालिक मैसर्स रामा फास्फेट लिमिटेड, इंदौर, जिसकी विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की समय सीमा 9 सितम्बर 2005 को समाप्त हो गयी थी, द्वारा 10 सितम्बर 2005 से मार्च 2008 के दौरान 163.63 लाख यूनिट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया था । उपभोक्ता से 50.69 लाख रूपये की राशि विद्युत शुल्क के रूप में वसूली योग्य थी । इसके अतिरिक्त, भुगतान न की गई राशि पर 32.31 लाख रूपये ब्याज के रूप में वसूली योग्य थे । परन्तु विभाग ने राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी कर शुल्क तथा ब्याज की वसूली हेतु कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी । परिणामस्वरूप 78 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप 83 लाख रूपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

इसे इंगित किए जाने पर मुख्य अभियन्ता, वि.सु. एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र. ने सूचित किया (मई 2009) कि जुलाई 2007 तक की अवधि के लिये 75.80 लाख रूपये (ब्याज सहित) का राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका था । प्रकरण में वसूली का प्रतिवेदन तथा अगस्त 2007 से मार्च 2008 तक की शेष अवधि की वसूली की स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (अक्टूबर 2009) ।

प्रकरण मार्च 2009 में शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2009) ।

(मौसुमी राय भट्टाचार्य्य)
महालेखाकार
(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

भोपाल,
दिनांक 18 FEB 2010

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
दिनांक 19 FEB 2010